SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF TRIBAL COMMUNITIES OF ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(अण्डमान एवं निकोबार द्वीपों के जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक दशाएँ।)

A

THESIS

Submitted to the University of Allahabad

For the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN
GEOGRAPHY

By

PANKAJ KUMAR SINGH

Under the Supervision of

Dr. B. N. Mishra

Department of Geography

University of Allahabad, Allahabad

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD
2002

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

डॉ0 बी0एन0मिश्र

भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविधालय
इलाहाबाद–211002
उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध " Socio-Economic Conditions of Tribal Communities of Andaman and Nicobar Islands" मेरे निर्देशन मे कार्यरत शोध छात्र श्री पकज कुमार सिह द्वारा तैयार किया गया है। शोधकर्ता इस शोध प्रबन्ध को इलाहाबाद विश्वविधालय के भूगोल विषय मे "डॉक्टर ऑव फिलासॉफी" (डी0 फिल0) की उपाधि हेतु प्रस्तुत कर रहा है। यह शोध प्रबन्ध शोधकर्ता का मौलिक कार्य है।

दिनाक 15.12.2002

(डॉ0 बी0एन0मिश्र)

आभार

स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करते समय से ही मुझमे शोध करने की अभिरुचि पैदा हुई। परम आदरणीय गुरुवर डॉ0 बी0एन0मिश्र जी की सानिध्यता ने मेरी जिज्ञासा को और बल प्रदान किया। अण्डमान–निकोबार द्वीप मे मेरे परिवार एव प्रियजनो के रहने तथा वहॉ पर मेरी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा समपन्न होने के कारण इस क्षेत्र की जनजातियो के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर शोध करने की अभिरुचि जागृत हुई।

किसी भी विशिष्ट अध्ययन कार्य मे जिन व्यक्तियो का सहयोग रहता है उनके ऋण से कभी भी उत्ऋण नही हुआ जा सकता है। ऐसे सहृदय व्यक्तियो के प्रति आभार ज्ञापन के निमित्त कुछ शब्दो का प्रयोग करना अपना परम कर्तव्य समझता हॅू। सर्वप्रथम मै अपने गुरु एव निर्देशक डॉ0 बी0एन0मिश्र भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविधालय, इलाहाबाद, के चरणो मे अपनी श्रद्वा के सभी सचित भाव सुमन अर्पित करता हॅू। जिनके सानिध्य मे यह शोध प्रबन्ध सम्पन्न हो सका। मै अपनी पूज्यनीय गुरुमाता श्रीमती पद्‌मजा मिश्रा के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हॅू, जिनके पुत्रवत स्नेह एवम् आर्शीवाद से शोध कार्य के दौरान कर्तव्य पक्ष पर टिके रहने का सम्बल प्रदान किया।

मै भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो0 सविन्द्र सिह के प्रति भी ऋणी हॅू, जिन्होने अपने आर्शीवाद एव प्रोत्साहन से इस शोध कार्य को पूर्ण करने मे अमूल्य सहयोग दिया। मै भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी गुरुजनो के प्रति अपनी आस्था एव कृतज्ञता ज्ञापित करता हॅू जिन्होने समय–समय पर अपने बहुमूल्य विचारो द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया। मै भूगोल विभाग के सभी तृतीय

एव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयो के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूॅ जिन्होने अनेक रुपो मे मुझे सहयोग प्रदान किया है।

मै पोर्टब्लेयर स्थित चिन्मय मिशन के आचार्य पूज्य पुनीत चैतन्य जी के चरणो मे अपनी श्रद्वा के सभी सचित भाव सुमन अर्पित करता हूॅ, जिन्होने अपने आशीर्वाद एव प्रोत्साहन से इस शोध कार्य को पूर्ण करने मे अमूल्य सहयोग दिया। इसके साथ ही मै अण्डमान–निकोबार द्वीप प्रशासन के विविध विभागो के अधिकारियो एव कर्मचारीयो का भी हृदय से आभारी हूॅ जिन्होने इस शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु विविध प्रकार की सूचनाए, ऑकडे एव मानचित्र प्रदान कर मुझे अमूल्य सहयोग दिया है।

मै अपने मित्रो श्री सतोष पाण्डेय, श्री ए0डी0रामाकृष्णाराव, श्री के0इरुदयाराज, डॉ0राजावेलू, श्री राकेश कुमार सिह, श्री मनोज शर्मा, श्री अजय एव श्री पकज जी के प्रति भी अन्तरमन से आभार व्यक्त करता हूॅ जिन्होने शोध प्रबन्ध हेतु वाच्छित सूचनाओ एव सामग्री के सकलन एव सगठन मे अपना अमूल्य सहयोग देकर मुझे अनुग्रहीत किया।
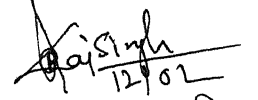
मै अपने बाबा श्री जे0 बी0 सिह एव श्री एस0 बी0 सिह, पिता श्री मारकण्डेय सिह एव माता श्रीमती कमला सिह का आजीवन ऋणी रहूॅगा, क्योकि मौलिक रुप से उन्ही की प्रेरणा आशीर्वाद एव प्रोत्साहन से आज मै इस स्तर तक पहॅुच सका हूॅ। मेरे जीवन को दिशा देने मे उन्होने कोई कसर नही छोडी, अत मै हृदय से उनके प्रति अपने भाव सुमन अर्पित करता हूॅ। मै अपने चाचा श्री राजेन्द्र सिह एव पूज्य चाची श्रीमती पूनम सिह के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूॅ जिन्होने अपनी स्नेहिल प्रेरणा एव प्रोत्साहन से शोध कार्य के दौरान मेरे अन्दर नई ऊर्जा एव उत्साह का सचार करते थे। मै अपने चाचा श्री चित्रसेन सिंह, डॉ0राजेश सिह, एव श्री

धर्मवीर सिह के प्रति भी अपनी ह्रार्दिक श्रद्वा ज्ञापित करता हूँ जिन्होने अपने आशीर्वाद एव सहयोग से क्रियाशील एव कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। मै अपनी पूज्य बुआ श्रीमती सुषमा सिह एव पूज्य भाई श्री अरविन्द सिह के प्रति भी ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने अपने ज्ञान, सुझाव एव प्रेरणा से मुझे सदैव उत्साहित करते रहते थे।

अन्तत मै श्री अवधेश एव श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव जी का भी सदैव आभारी रहूँगा, जिन्होने अपना अमूल्य समय देकर प्रस्तुत शोधप्रबन्ध को पूर्ण कराने मे अपना योगदान दिया।

दिनाक 16|12|02

शोधकर्ता

पकज कुमार सिह

अध्याय–7	**जनजातीय विकास हेतु नियोजन :**	
	प्रस्तावना, विकास नीति, विकास योजना, अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों की विकास योजना नीति, अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियों हेतु विकास नियोजन, वांछित विकास नियोजन प्रतिदर्श (1)ससाधन एवं पर्यावरण संबधी नियोजन (2)सामाजिक पुनरूद्धार संबधी नियोजन (3)आर्थिक पुनरूद्धार संबंधी नियोजन, संदर्भ सूची ।	

सारणी सूची

4 7	क्षेत्रवार शिक्षण सस्थाओं, नामांकन एवं अध्यापको की सख्या
4 8	जनजातीय विद्यार्थियों का नामाकन
5 1	एक माह हेतु भेजन एकत्रण – ओंगी जनजाति (पौंड में)
5 2	जनजातीय उप–नियोजनान्तर्गत जनजातीय लोगों को दिये गए पशु (2001–2002)
6 1	वित्तीय व्यय नवीं पचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) हेतु प्रस्ताव
6 2	अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा जनजातियों के विकास हेतु धन आवंटन का विवरण
6 3 (अ)	नवीं पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (97–2002)
6 3 (ब)	सहायता हेतु प्रस्तावित परिवारों की संख्या
6 4 (अ)	शोम्पेनो के सामाजिक – आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण
6 4 (ब)	शोम्पेनो के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6 5 (अ)	सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु निर्धारित ओंगियों के व्यय विवरण
6 5 (ब)	ओंगियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6 6 (अ)	ग्रेट अण्डमानियों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण
6 6 (ब)	ग्रेट अण्डमानियो के विकास हेतु अन्य व्यय विकरण
6 7 (अ)	जारवा एवं सेंटिनलियों के विकास का व्यय विवरण
6 7 (ब)	जारवा एवं सेंटिनलियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6 8 (अ)	जनजातीय विकास के अन्तर्गत विधि कार्यक्रमों हेतु व्यय विवरण
6 8 (ब)	जनजातीय विकास हेतु अन्य व्यय विवरण
6 9	भौतिक लक्ष्य · नवीं जनजातीय उप–योजना (1997–2002) एवं वार्षिक योजना (2001–2002) हेतु प्रस्ताव तथा उपलब्धियाँ ।

चित्र सूची

2 15	अण्डमान–निकोबार द्वीप के महत्वपूर्ण उद्योग
2 16 (अ)	परिवहन जाल – अण्डमान द्वीप
2 16 (ब)	परिवहन जाल – निकोबार द्वीप
3 1 (अ)	जनजातियो के प्रकार एव वितरण – अण्डमान द्वीप
3 1 (ब)	जनजातियों के प्रकार एवं वितरण – निकोबार द्वीप
3 2 (अ)	अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि
3 2 (ब)	आदिम जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि
3 2 (स)	अण्डमान–निकोबार द्वीप की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसख्या का प्रतिशत
3 3 (अ)	निकोबारी जनजाति का जनसख्या पिरामिड
3 3 (ब)	आदिम जनजातियों का जनसख्या पिरामिड
3 4 (अ)	जनजातियों के अधिवास तत्र – अण्डमान द्वीप
3 4 (ब)	जनजातियों के अधिवास तंत्र – निकोबार द्वीप
4 1 (अ)	स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण – अण्डमान द्वीप
4 1 (ब)	स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण – निकोबार द्वीप
4 2 (अ)	शिक्षा सुविधाओं का वितरण – अण्डमान द्वीप
4 2 (ब)	शिक्षा सुविधाओं का वितरण – निकोबार द्वीप
5 1 (अ)	बागानों के प्रकार एवं वितरण – अण्डमान द्वीप
5 1 (ब)	बागानों के प्रकार एवं वितरण – निकोबार द्वीप
7 1 (अ)	परिस्थितिक तंत्र एवं आदिम जनजातियों के अंतरसंबंध
7 1 (ब)	आदिम जनजातियों पर उत्संस्करण प्रभाव

प्लेट सूची

21	एक ओंगी परिवार
22	नारियल की ढुलाई हेतु गाड़ी
23	सरकार द्वारा ओगियों को दिया गया आवास
24	जारवाओं द्वारा निर्मित की जा रही झोपडी
25	ओंगियो हेतु डिगांगक्रीक में निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र
26	डिगांगक्रीक का प्राइमरी विद्यालय एवं वहाँ नियुक्त अध्यापक
27	ओगी बालक एव प्रशासन द्वारा नियुक्त अध्यापक
28	जारवा महिलाओ एव बच्चों द्वारा खाद्य सग्रहण
29	जारवा महिलाओ द्वारा एकत्रण हेतु बेंत की टोकरी का निर्माण
30	निकोबारी एवं उसका प्रिय पालतू पशु

अध्याय–1

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना :

विश्व के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक विकास परिदृश्य को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आधुनिक मानव समाज प्रजातीय सास्कृतिक एव भाषाई आधार पर समरूपता की ओर अग्रसर हो रहा है। तीव्र निदर्शन, परिवर्तन, वैज्ञानिक–तकनीकी विकास, विकासोन्मुख औधौगीकरण एव उदारीकरण–वैश्वीकरण के प्रभाव से अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर लगभग मानव जीवन के सभी क्षेत्रो मे मुक्त अन्तरमिश्रण हो रहा है। जिससे विश्व के अनेक सस्कृतियो का भी तीव्रता के साथ परिवर्तन, सशोधन, क्षरण एव विनाश हो रहा है। हसनैन[1] के अनुसार वर्तमान सभ्यता के तीव्रगति के कारण प्राचीनतम मानव सस्किृतियॉ या तो मरती जा रही है, अथवा उनका पूर्ण विनाश होता जा रहा है। इस प्रकार मानव सस्कृति एव सभ्यता की विविधता एव विलक्षणता, जो धरातल पर मानव की सबसे बडी उपलब्धि एव वैभव है, भी नष्ट होती जा रही है। यहॉ तक कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एव उधोग आधारित विकास के कारण धरातलीय पारिस्थितिकी तत्र भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो रहा है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण आपदा, पर्यावरण अवनयन, ग्लोबल वार्मिग आदि जैसी समस्याये उत्पन्न हो गयी है तथा सम्पूर्ण सास्कृतिक विविधता एव मानव अस्तित्व भयानक खतरे मे पड गया है।[2]

सभी प्रकार की मानव समस्याओ के समाधान हेतु विज्ञान एव तकनीकी को रामबॉण मानने वाले विद्वान भी तेजी से बढते हुए विकास समस्याओ जैसे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बिमारी आदि, पारिस्थितिक असतुलन, जातीय एवं राजनैतिक तनाव एव झगडों के कारण समाजिक आर्थिक विकास के वर्तमान शैली से

असतुष्ट होने लगे है। लब्धात्मक जीवनशैली पर आधारित पाश्चात्य विकसित देशो द्वारा अपनाये गए वर्तमान विकास प्रतिदर्श को विश्व के लगभग सभी अर्धविकसित एव विकासशील देशो ने अपनाया। परिणामस्वरूप इन देशो की सस्कृतिया एव स्वदेशी जीवनशैली धीरे–धीरे उदारीकरण और वैश्वीकरण की तीव्रधारा मे विलुप्त होने लगी।[3] आज ऐसे देशो की सांस्कृतिक, आर्थिक एव राजनैतिक अस्तित्व को बचाये रखना एक बहुत बडी समस्या हो गयी है। उदारीकरण और वैश्वीकरण का लाभ बहुराष्ट्रीय कम्पनीयो के माध्यम से विकसित देशो को ही प्राप्त हो रहा है। अर्धविकसित एव विकासशील देशो को आर्थिक लाभ का अल्पाश ही प्राप्त हो पा रहा है। जबकि उनके ससाधन, आधारभूत सुविधाओ सामाजिक एव सास्कृतिक सरचना, आर्थिक सरचना आदि का आर्थिक शोषण एव दोहन होता जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान विकास के दौर मे गरीब एव विकासशील देशो का विश्व की विचारधारा मे जोडने के नाम पर उन्हे अपने स्वदेशी विकास प्रतिदर्श को विकसित करने एव अपने मूल सास्कृतिक स्वरूप एव पहचान को सरक्षित रखने से वचित किया जा रहा है। पाश्चात्य सस्कृति एव विकासशैली को अपनाने का खमियाजा आज विश्व के अविकसित एव विकासशील देश भुगत रहे है। तथा यहॉ पर अपने सास्कृतिक स्वरूप को परिरक्षित करने एव अपनी सस्कृति के अनुरूप विकास प्रतिदर्श विकसित करने हेतु अनेक सस्थाओं एव सगठनो द्वारा आन्दोलन भी चलाये जा रहे है,[4] तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का विरोध भी धीरे–धीरे मुखर होता जा रहा है।

भारतवर्ष सदियो से अपनी भौगौलिक, सास्कृतिक, सामाजिक एव आर्थिक विविधता एव समृद्दि के लिए विश्व प्रसिद्व रहा है। एवरेस्ट जैसे उच्च शिखरो से युक्त हिममडित हिमालय पर्वत श्रृखला से लेकर सिंध–गंगा के निचले मैदान तक धरातल के विविध स्वरूप, हिमालय के अति शीत प्रदेश से लेकर दक्षिण के अति

गर्म वृष्टि छाया प्रदेश, अति आर्द्र चेरापूँजी से लेकर अति शुष्क पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आदि सभी भौतिक विविधताए भारत की समृद्वि है। इसी प्रकार सिध–गगा मैदान एव महानगरो के अत्यन्त विकसित मानव समुदाय से लेकर विविध जगलो एव पर्वतीय क्षेत्रो मे निवास करने वाली जनजातियो, महानगरो की तकनीकी आधारित औधौगिक अर्थव्यवस्था से लेकर मुद्राविहीन जनजातीय अर्थव्यवस्था, नगरो के अत्याधुनिक आवासो से लेकर झुग्गी–झोपडियो अथवा गुफाओ के जनजातीय आवास तथा नगरो की विकसित सभ्यता एव जीवन शैली से लेकर पूर्ण प्राकृतिक एव आदिम जनजातीय सस्कृति तक सभी सास्कृतिक विविधताए भी भारतवर्ष की विरासत एव विलक्षणता रही है। विज्ञान तकनीकी एव औधौगिक विकास के तीव्रधारा मे इन विविधताओ एव अनेकताओ को प्रवाहित कर एकरूपता प्रदान करने का प्रयास आत्मप्रवचना एव आत्मघाती होगा, क्योकि इससे मात्र भारत मे अनेकता मे एकता की स्थिति ही नष्ट नही होगी, बल्कि भारत की सास्कृतिक अस्मिता एव पहचान भी नष्ट हो जायेगी। भारतवर्ष मे ये विविधताए, अनेकताए, एव विरोधाभास हजारो वर्ष प्राचीन है, और यही भारत का सौन्दर्य, शक्ति एव समृद्वि रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारतीय सस्कृति की इस अनेकता पर आक्रमण हुए है, तब–तब आक्रमणकारियो से इसी अनेकता ने सयुक्त शक्ति के रूप मे लोहा लिया और उन्हे पराजित किया। भारत मे मुगल साम्राज्य एव ब्रिटिश साम्राज्य की पराजय इसका ज्वलत उदाहरण है। मुगलो एव अग्रेजो ने भारत की विविधतामयी सास्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अन्ततोगत्वा वे स्वय ही नष्ट हुए। हमारी सास्कृतिक विरासत मे जनजातियो एव उनकी सस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारो वर्षों से ये हमारे जीवन का अभिन्न अग है। ये सस्कृतियाँ भारत की आधुनिक विकासधारा के साथ–साथ अपने अस्तित्व को अक्षुण बनाये रखा। अग्रेजो ने अपनी औपनिवेशिक स्थिति

को सुदृढ करने एव सम्पूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित करने हेतु जनजातियो वाले जगली एव पर्वतीय क्षेत्रो मे भी विविध ससाधनो के शोषण हेतु अपना जाल फैलाया तथा उन्हे मुख्य धारा मे ले आने एव परिवर्तित करने का प्रयास किया। उनके अधिकारी वर्ग प्राय उनके सस्कृति एव जीवन ढग को प्रशासनिक ढग से प्रभावित करने का प्रयास करते थे, जिससे कि उनका कार्य पूर्ण हो सके। लेकिन एस0सी0दूबे[5] का मानना है कि जनजातियो के प्रति अग्रेजो का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सरक्षात्मक एव सुरक्षात्मक ही था। वे जनजातीय क्षेत्रो मे बिना किसी व्यवधान के मात्र अपना आर्थिक एव प्रशासनिक कार्य ही सपादित करना चाहते थे। इसाई धर्म प्रचारको ने भी भारत के जनजातीय क्षेत्रो मे धर्म परिवर्तन द्वारा उनके जीवनशैली, अर्थव्यवस्था एव समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करते रहे है– विशेष रूप से देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रो एव मध्यवर्ती क्षेत्रो मे। लेकिन उसका प्रभाव बृहत न होकर छिट–पुट ही रहा है, और ये जनजातियॉ आज भी अपने मूल रूप एव सस्कृति को बनाये हुए है। राष्ट्रपिता महात्मॉ गॉधी एव देश के प्रथम प्रधानमत्री प0 जवाहर लाल नेहरू जनजातियो की मूल सस्कृति को बनाये रखने पर काफी बल एव प्रोत्साहन दिया। स्वतत्र भारत मे तो जनजातियो के विकास एव उनके मौलिक सस्कृति को बचाये रखने हेतु अनेक सवैधानिक सुरक्षाये प्रदान की गयी है तथा विविध प्रकार के नीति आधारित कार्यक्रम एव विकास योजनाए सचालित की जा रही है। इधर विविध जनजातियो की मूल सस्कृति, जीवन शैली, खानपान, कला, पहनावा आदि की नकल अब सभ्य समाज भी करने लगा है। यहॉ तक की पचसितारा होटलों मे भी जनजातीय नृत्य, एव खान–पान के आयोजन होने लगे है तथा बाजारो मे जनजातीय पहनावो की नकल पर फैशन डिजाइनिग होने लगी है। इससे हमारी सस्कृति और भी समृद्वि हो रही है, तथा इसके कारण विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होने लगा है। इस प्रकार देश की जनजातीय

सस्कृति ने हमारी प्रगतिशील विकासधारा मे एक नया आयाम जोडा है। अत हमे अपनी जनजातीय सास्कृतिक विरासत को हर कीमत पर बचाये रखना है। जनजातियो का आर्थिक एव सामाजिक विकास तो किया जाय, लेकिन साथ ही उनकी सास्कृतिक पहचान भी बनाये रखा जाय।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनजातीय सस्कृति भारतीय सस्कृति का अभिन्न अग है और इसका भौगौलिक, आर्थिक एव सामाजिक अध्ययन एव शोध एक महती आवश्यकता है। विविध जनजातियॉ बिखरे हुए रूप मे भारत के अनेक पर्वतीय एव जंगली क्षेत्रो मे पायी जाती है, जिनके धरातल स्वरूप, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति ससाधन आधार एव पर्यावरण अलग–अलग है। अलग–अलग पर्यावरण दशाओ से समानुकूलन एव सामान्जस्य द्वारा जनजातियो ने अपनी अलग सस्कृति एव समाज का निमार्ण किया है। अत इस धरातलीय विविधता के सदर्भ मे जनजातियो की सामाजिक आर्थिक दशाओ का अध्ययन शैक्षिक एव व्यवहारिक दोनो दृष्टिकोणो से महत्वपूर्ण है। अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह भारत का एक पिछडा केन्द्रशासित प्रदेश है, तथा द्वीप मालाओ से युक्त होने एव समुद्र से धिरे होने के कारण यह भौगौलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन काल मे कालापानी कहे जाने वाले इस क्षेत्र के कई द्वीपो मे विविध प्रकार की जनजातीयॉ निवास करती है, जो यहॉ की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अग है। अत. भौगौलिक दृष्टिकोण से इनका अध्ययन एव शोध शैक्षिक एव व्यवहारिक महत्व का है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदायो की सामाजिक एव आर्थिक दशाओ का भौगौलिक अध्ययन एव विश्लेषण किया गया है।

जनजाति– अभिप्राय एव परिभाषा

जनजाति की सकल्पना काफी प्रचीन एव विवादास्पद है। मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक, नियोजक आदि सभी जो जनजातीय जीवन एव विकास के अध्ययन से सम्बन्धित रहे है, आज तक न तो सैद्वान्तिक आधार पर और न ही व्यवहारिक आधार पर, जनजातीय सकल्पना एव परिभाषा के सम्बन्ध मे एक मत हो सके है।[6] विल्के[7] आदि के अनुसार जनजातीय लोगो की सार्वभौमिक परिभाषा आज तक विवादास्पद ही रही है। मजूमदार[8] के अनुसार यदि विविध मानव शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गयी परिभाषाओ पर ध्यान दिया जाये तो उनमे नातेदारी सम्बन्ध, सामान्य क्षेत्र, सामान्य भाषा, सयुक्त स्वामित्व, एक राजनैतिक सगठन, अर्न्तकलह के आभाव आदि के आधार पर अनेक विषमताये मिलती है। कुछ मानव शास्त्रियो ने उपरोक्त विशेषताओ मे किसी एक या दो को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है, तो दूसरो ने अन्य तत्वो को, लेकिन जनजातियो की उपरोक्त विशेषताओ मे किसी पर भी विद्वान एक मत नही है।

जनजाति को परिभाषित करने मे दूसरी कठिनाई जनजाति को कृषक वर्ग से अलग करने से भी सबन्धित है। कुछ लोगो ने जनजातियो को आदिम कृषक भी कहा है। इस प्रकार विद्वानों द्वारा जनजाति के किसी ऐसे वर्ग से तुलना करना, जिसकी परिभाषा स्वय मे ही अस्पष्ट हो तर्कसगत नही है। विश्व के अनेक क्षेत्रो में रहने वाले विविध आदिम मानव समुदायो की आपसी तुलना के आधार पर भी जनजाति को परिभाषित करना समीचीन नही प्रतीत होता। जनजातीय शब्द से मानव समाज के एक वर्ग का सकेत होने के साथ–साथ एक क्षेत्र विशेष का भी सकेत मिलता है। अत: जनजातीय सकल्पना में क्षेत्र भी एक अभिन्न आयाम है। सामान्य क्षेत्र एव पर्यावरण

मे रहने से ही उनमे समान प्रकार की जीवन शैली विकसित होती है। लेकिन रिवर्स क्षेत्र के आधार पर जनजाति को परिभाषित करना उपयुक्त नही मानते। इसी प्रकार सामान्य भाषा, सामान्य नाम, सस्कृति, परम्परा, निषेध आदि के आधार पर भी जनजाति को परिभाषित करना न तो समीचीन प्रतीत होता है, और न ही विद्वान इस पर एक मत है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जनजातियो की प्रजाति, क्षेत्र, नाम, सस्कृति, भाषा, परम्परा, सगठन आदि के सदर्भ मे विश्व के अनेक जनजातियो मे काफी विषमता है। उन सभी को एक सार्वभौमिक एव सार्वजनी परिभाषा नही दी जा सकती। अत किसी देश या प्रदेश विशेष के सदर्भ मे ही जनजातीय सकल्पना एव उसके अभिप्राय को सही सदर्भो मे समझा और विवेचित किया जा सकता है। अत यहॉ पर भारतीय सदर्भ मे ही जनजातियो की परिभाषा करना उचित प्रतीत होता है।

जनजाति शब्द अग्रेजी भाषा के शब्द Tribe का समानार्थी है। Tribe शब्द का मूल अर्थ लैटिन भाषा के Tribuz मे है, जिसका तात्पर्य उन तीन राजनैतिक भागो से है, जिनमे रोमवासी विभाजित थे। इस प्रकार रोमवासियो हेतु यह एक राजनैतिक विभाग था, जबकि यूनानी लोग इसे भ्रातृसघ के रूप मे अथवा एक भौगौलिक विभाग के रूप मे देखते थे। आयरलैण्ड के लोग इसे समान नाम वाला मानव समुदाय मानते थे। लेकिन भारत मे इसे स्वदेशी एव स्वस्थानिक मानव समुदाय माना जाता था। भारत मे ये मानव समुदाय आर्यो के आने से पूर्व भाषाई एव पुरातात्विक प्रमाणो के आधार पर मैदानी क्षेत्रो एव नदी घाटियो मे रहने वाला समुदाय माना जाता था, जिसे सामान्यतया **"जन"** कहा जाता था। ये विविध भाषाओ का प्रयोग करते थे तथा पुरातात्विको के अनुसार आदिम धर्म के अनुयायी थे। लेकिन आर्यो के आने के पश्चात उनके विकास के साथ ये धीरे–धीरे दक्षिण की ओर दुर्गम पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो की ओर विस्थापित होते गए।

इनका विस्थापन उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिणी एव पश्चिम की ओर होता रहा। इन क्षेत्रो को "अताविक राज्य" या "महाकान्त्र", जिसका तात्पर्य जगली प्रदेश से है कहा जाता था, इन्हे "प्रत्यात देश" भी कहते थे, जिसका तात्पर्य सीमात प्रदेश से है। ऐसा शायद इसलिए था कि ये मुख्य आवासीय एव कृषि क्षेत्र के सीमात क्षेत्र मे निवास करते थे।[9] अधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 1931 मे इन्हे "Primitive tribe" (आदिम जनजाति) के नाम से सबोधित किया गया था जबकि 1935 मे "Back word tribe" (पिछडी जनजाति), 1948 मे "आदिवासी" तथा स्वतत्रता के पश्चात 1950 मे इन्हे "Scheduled tribes" (अनुसूचित जनजातियॉ) के नाम से परिभाषित किया गया।

भारत के सदर्भ मे सम्पूर्ण जनजातीय सकल्पना को स्पष्ट करने एव जनजाति को परिभाषित करने हेतु नाइक[10] ने निम्नलिखित मानदण्ड प्रस्तुत किये है।

1 जनजातियो मे न्यूनतम कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध होने चाहिए।
2 ये आर्थिक रूप से पिछडा हुआ वर्ग होना चाहिए।
3 अन्य लोगों से इसका भौगोलिक पृथकत्व होना चाहिए।
4 सास्कृतिक रूप से एक समुदाय की समान भाषा होनी चाहिए, जो प्रादेशिक आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
5 यह राजनैतिक आधार पर सगठित होनी चाहिए तथा इसकी पचायत एक प्रभावशाली सस्था होनी चाहिए।
6 इनमे मनोवैज्ञानिक रूढिवादिता, तथा परिवर्तन के प्रति उदासीनता होनी चाहिए।
7 इसके नियम परम्पराओ पर आधारित होने चाहिए।

एरेनफेल्स[11] ने उपरोक्त कई बिन्दुओ पर नाइक के विचारों से असहमति व्यक्त की है। टाटा सामाजिक विज्ञान सस्थान ने भी जनजातियो को विशुद्व मानवशास्त्री आधार पर

परिभाषित करने के प्रयास की आलोचना की है। विल्के ने भी जनजातियो को परिभाषित करने के सदर्भ मे मानवशास्त्री दृष्टिकोण के आधिक्य पर कठिनाई व्यक्त की है। उपरोक्त विवेचन के सदर्भ मे मजूमदार[12] ने जनजातियो के सदर्भ मे विद्वानो में मतवैभिन्य का समाधान करते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये है।

1 भारत मे जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय वर्ग है, इसी पारम्परिक क्षेत्र को ही लोग उनकी मातृभूमि कहते है।

2 किसी जनजाति के सभी सदस्य नातेदारी से आपस मे नही जुडे होते, फिर भी भारतीय जनजातियो मे नातेदारी एक मजबूत, नियत्रणकारी एव समन्ययवयात्मक सिद्वान्त है, इनमे अन्तर्विवाह एव बहिर्विवाह दोनो ही प्रचलित हो सकता है।

3 भारतीय जनजाति के सदस्य एक सामान्य भाषा या तो अपनी या अपने पडोसी की बोलते है, इनमे अन्तर्जातीय झगडे नही होते तथा सम्पत्ति का सयुक्त स्वामित्व भी हो सकता है। राजनैतिक आधार पर भारतीय जनजाति राज्य सरकार के नियत्रण मे है, लेकिन इनमे प्रजातीय एव सास्कृतिक विविधता के आधार पर पचायते भी हुआ करती है।

4 इसके अलावा भारतीय जनजातियो मे अन्य विशिष्टताए भी होती है, जैसे शयनीय सस्थाए, बालक बालिकाओ हेतु पाठशालाए, जन्म, विवाह एव मृत्यु सम्बन्धी विशिष्ट कर्मकाण्ड, हिन्दुओ और मुस्लिमों की अलग नैतिक आचार सहिता, धार्मिक विश्वास एव कर्मकाण्ड सम्बन्धी विशेषताए आदि।

परिभाषा :

उपरोक्त विवचना मे विश्लेषित जनजातियो की विविध विशेषताओ को ध्यान मे रखते हुए, विविध संस्थाओं और विद्वानो ने जनजाति की अपने अनुसार परिभाषा की है। जनजातीय

सकल्पना को और अधिक स्पष्ट करने हेतु ये परिभाषाये निम्नलिखित है –

1 आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जनजाति, विकास की आदिम अथवा बर्बर अवस्था वाला ऐसा मानव वर्ग है, जो एक मुखिया के अधिकार को स्वीकारता है तथा एक सामान्य पूर्वजो को मान्यता देता है।

2 इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया के अनुसार एक जनजाति परिवारो का एक सकलन है, जिसका एक नाम होता है, जो एक भाषा बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्राय अन्तर्विवाह नही करती रही है।

3 गिलिन एव गिलिन[13] के अनुसार स्थानीय आदिम समूहो के किसी भी सग्रह को, जो कि एक सामान्य क्षेत्र मे रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य सस्कृति का अनुसरण करता हो, को एक जनजाति कहते है।

4 लूसी मेयर[14] के अनुसार एक जनजाति किसी जनसख्या का एक स्वतत्र राजनैतिक भाग होती है, जिसकी सामान्य सस्कृति होती है।

5 जनजाति को परिभाषित करते हुए हटिग फोर्ड[15] कहते है कि जनजाति सामान्य नाम से जुडा हुआ एक वर्ग है, जिसमे उसके सदस्य सामान्य भाषा एव सामान्य क्षेत्र पर गर्व करते है तथा जो इस नाम के अन्तर्गत नही आते उन्हे बाहरी या शत्रु मानते है।

6 रीवर्स[16] के कथनानुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्व आदि सामान्य उद्वेश्य के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते है।

7 चर्ल्स विनिक[17] के अनुसार एक जनजाति मे क्षेत्र, भाषा, सास्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र मे बॉधने वाला सामाजिक सगठन आता है,

यह सामाजिक उपसमूहो जैसे गोत्रो या गावो को सम्मिलित कर सकता है।

8 राल्फ लिटन[18] के अनुसार सरलतम रूप मे जनजाति समूहो का एक ऐसा वर्ग है, जो एक क्षेत्र या क्षेत्रो पर अधिपत्य रखता है, तथा जिसमे सस्कृति की अनेक समानताओ, बारम्बार सम्पर्क एव सामान्य स्वार्थ पर आधारित एकता की भावना होती है।

9 जनजाति के सम्बन्ध मे होवेल[19] ने लिखा है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष सस्कृति रखता है, जो उन्हे दूसरे जनजाति समूहो से अलग करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनैतिक सगठन नही है।

10 लेविस[20] के अनुसार आदर्श रूप मे जनजातीय समाज लधुस्तरीय होते है, अपने सामाजिक, वैधानिक, एव राजनैतिक सम्बन्धो मे स्थानिक एव कालिक आधार पर सीमित होते है तथा उनके नैतिकता, धर्म एव सगठन आकार मे समानता होती है। विशेषतया जनजातीय भाषाये अलिखित होती है। अत सप्रेषणक्रिया स्थान एव समय दोनो के सदर्भ मे अति सकीर्ण होती है। साथ ही जनजातीय समाज योजनाओ की अत्यल्पता प्रदर्शित करते है तथा उनमे सगठन एव आत्म निर्भरता होती है जो आधुनिक समाज मे नही होती है।

11 रमामनी[21] के अनुसार जनजाति परिवारो का एक एसा समूह है, जो एक या अनेक मुखियाओ के अधिपत्य मे एक समुदाय के रूप मे रहता है तथा यह भाषा एव रीति रिवाजो के द्वारा जुडा होता है।

12 जनजातियों की विशेषता बताते हुए डा0 मिश्र[22] कहते है कि जनजातीय अधिवास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, कि वे बिल्कुल सुदूर एव पृथक पहाडी एव जगली क्षेत्रो मे निवास करते है, जिनका स्थानिक एव कार्यात्मक आदान–प्रदान देश के अन्य भागो से अत्यल्प होता है। युगो के अलगाव एव पर्यावरण की कठोरता के कारण ये सामाजिक आर्थिक दरिद्रता के शिकार है तथा

गैर जनजातीय लोग इन पर आधिपत्य स्थापित कर शोषण करते है।

13 राल्फ पेडिगटन[23] ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि हम जनजाति की व्यक्तियो के एक समूह के रूप मे व्याख्या कर सकते है, जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग मे निवास करता हो तथा जिसकी सस्कृति मे समरूपता पायी जाती हो।

14 मजुमदार[24] जनजाति को परिभाषित करते हुए कहते है कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक वर्ग है, जिसमे क्षेत्रीय सम्बन्ध होता है, जो अन्तर्विवाही होता है, जिसके कार्यो मे विशेषीकरण नही होता, जो अनुवाशिक या अन्य अधिकारियो द्वारा शासित होते है। भाषाई आधार पर जुडे होते है, अन्य जनजातियो या जातियो से समाजिक दूरी रखते है एव उनकी सामाजिक निदा नही करते, जैसा कि सामान्य जातीय सरचना मे होता है। ये जनजातीय परम्पराओ विश्वासो एव रिवाजो को मानते है। ये वाह्य स्रोतो के विचारो को आत्मसात करने मे उदासीन होते है तथा इन सबके अतिरिक्त अपनी जातीय समरूपता एव क्षेत्रीय समन्वय के प्रति सचेष्ट होते है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एव परिभाषाओ के अवलोकन से निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि जनजातियो की विशेषताओं को चार प्रमुख वर्गो मे रखा जा सकता है। ये है– 1 जनजातीय उत्पत्ति 2 आदिम जीवन ढग 3 सुदूर एव दुर्गम क्षेत्रो में निवास एव 4 लगभग सभी क्षेत्रो मे सामान्य पिछडापन।

भारतीय जनजातियों की मानवजातीय रूपरेखा एवं प्रजातीय वर्ग :

भारत की जनसख्या मे प्रजातीय तत्वो की अलग–अलग पहचान व उनका सही–सही वर्णन प्रस्तुत करना बडा

जटिल काम है। अनेक कारणवश भारत सदा से बाहर के आने वालो के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। आने वालो मे कम ही वापस गये। इस प्रकार समय–समय पर विभिन्न प्रजातीय तत्वो के लोगो का आगमन होता रहा और यहॉ के स्थानीय प्रजतीय तत्व व सस्कृतियॉ प्रभावित होती गयी और एक दिलचस्प तथा सुन्दर मिश्रण होता गया। दुर्भाग्यवश पुरातात्विक साक्ष्यो के नाम पर हमे अधिकतर पाषाण उपकरण ही मिलते रहे है और इस उपमहाद्वीप से जीवास्मो के अवशेष (फोसिल रिमेन्ज) नही के बराबर मिले है, जिनसे यहॉ का प्रजातीय इतिहास काफी हद तक मालूम हो सकता है। यह प्रागैतिहासिक काल की बात थी। एतिहासिक युग के ककाल अवशेष भी इतने कम है, कि उनके आधार पर कोई विश्वसनीय परिणाम नही निकाले जा सकते। फिर भी पिछले सौ वर्षों मे समय–समय पर उत्सुक व जिज्ञासु विद्वान इस दिशा मे कुछ करते ही रहे है।[25]

रिज्ले वह विद्वान थे जिन्होने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर भारत का प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया। भारतीय सिविल सर्विस के अधिकारी रिज्ले ने 1980 मे शरीर मापन प्रणाली के आधार पर यह अध्ययन किया। तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हे 1901 मे होने वाली जनगणना का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस जनगणना की रिपोर्ट तथा 1915 मे प्रकाशित उनकी मार्गदर्शक पुस्तक "दी पीपुल्स आफ इण्डिया" मे उन्होने अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है। उन्होने भारतीय जनसख्या को सात प्रजातीय वर्गों मे विभाजित किया, जो इस प्रकार है .–

1 तुर्क–इरानी टाइप – इसमे उन्होने बलूचिस्तान और सीमान्त प्रान्त के लोगो को रखा।

2 भारत आर्य टाइप.– इसमे उन्होने पजाबियों, राजपूतो, जाटो व कश्मीरी खत्रियो को शामिल किया।

3 सीथो–द्रविड टाइप– इस वर्ग के मुख्य उदाहरण मराठा ब्राह्मण व कुर्मी लोग है।

4 आर्य द्रविड टाइप – इसके मुख्य उदाहरण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, व विहार के लोग है।

5 मगोल द्रविड टाइप– बगाली ब्राम्हण व कायस्थ को इस वर्ग का प्रतिनिधि माना गया।

6 मगोल टाइप– हिमालय क्षेत्र मे असम, नेपाल व वर्मा के लोग इस वर्ग मे सम्मिलित किए गये है।

7 द्रविड टाइप– इस वर्ग के लोगो मे वर्तमान तमिलनाडु, आन्द्रप्रदेश, मध्यप्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र व छोटानागपुर के रहने वाले शमिल किए गए है।

रिज्ले के वर्गीकरण की सबसे बडी कमी यह है कि उनकी बहुत सी बाते पूर्वानुमानो और मनमाने निष्कर्षो पर आधारित है, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है।

रिज्ले के बाद इस दिशा मे किया गया दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हैडन का माना जा सकता है। इन्होने समूचे भारत वर्ष को तीन मुख्य भौगालिक क्षेत्रो मे बॉटा जिनमे, उनके अनुसार भारतीय जनसख्या के सभी प्रजातीय समूह शामिल है। ये तीन भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार है–

1 हिमालय।

2 हिन्दुस्तान का उत्तरी मैदान।

3 दक्षिण (दकन) भाग।

हैडन का प्रजातीय वर्गीकरण शारीरिक लक्षणो, रीतिरिवाजो, भाषा और प्रचलित लोक कथाओ पर आधारित है। इन साक्ष्यो की सहायता से उन्होने प्रजातीय तत्वो का विश्लेषण किया है। हैडन के वर्गीकरण का अब केवल ऐतिहाशिक महत्व ही रह गया है।

बी0 एस0 गुहा[26] ने इन सबसे अलग वैज्ञानिक आधारो का उपयोग करते हुए भारत का प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण 1931 की जनगणना मे किए गये मानवमितीय सर्वेक्षण पर आधारित है। यह पहला अवसर था जबकि विकशित मानवमितीय प्रविधियो के आधार पर प्रजातीय अध्ययन का कार्य किया गया । इस सर्वेक्षण के वैज्ञानिक पद्वति पर आधारित होने के कारण अब तक का यह सबसे प्रमाणित व मान्य वर्गीकरण माना जाता है और भारतीय जनसख्या के अध्ययन मे इसी का उपयोग किया जाता है। उनका प्रजातीय वर्गीकरण इस प्रकार है–

1 नेग्रिटो।

2 प्रोटो आस्ट्रलायड।

3 मगोलायड।

(अ) पैलियोमगोलायड।

(क) लम्बे सिर वाले।

(ख) चौडे सिर वाले।

(ब) तिब्बती मगोलायड।

4 मेडीटिरेनियन।

(अ) पौलियो मेडिटिरेनियन।

(ब) मेडिटिरेनियन।

(स) ओरिएण्टल प्रकार।

5 पश्चिमी ब्रैकिसिफाल।

(अ) अल्पीनायड।

(ब) डिनारिक।

(स) आर्मीनायड।

6 नार्डिक।

गुहा[27] के सर्वेक्षण के परिणमो मे उनका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि भारत मे चौडे सिर वाला (पृथुक पाल) प्रजातीय तत्व अधिक अशो मे पाया जाता है। गुहा से पहले सामान्य धारणा ऐसी नही थी, लगभग सभी विद्वानो ने गुहा के निष्कर्षों को अधिकाशत सहमति प्रदान किया है। उनके इस अध्ययन के बाद कोई अन्य ऐसा अध्ययन इतने वैज्ञानिक आधार पर सम्पूर्ण भारत के स्तर पर नही हुआ । इसलिए यह निष्कर्ष आमतौर पर अभी भी मान्य है। जिन दो निष्कर्षों पर गुहा के सबसे अधिक आलोचना हुई है वे है निग्रिटो तत्व का महत्व और उनकी धारणा, कि भारत के सभी प्रजातीय समूहो की उत्पत्ति विदेशी है।

भारतीय जनसख्या मे विधमान प्रजातीय तत्वो का गहन विश्लेषण करने पर तीन सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख प्रजातीय वर्गों की चर्चा की जा सकती है।ये है निग्रिटो, प्रोटोआस्ट्रेलायड तथा मगोलायड। आमतौर पर यह विचार है कि मगोलायड तत्व के लोग सबसे बाद मे आये।

वस्तुत मतभेद प्रोटो आस्ट्रेलायड व निग्रिटो के बीच मे है। गुहा व उनसे पहले डी क्वाटरफेगस ने 1977 मे यह मत व्यक्त किया था कि निग्रिटो प्रजाति तत्व के लोग भारत के प्राचीनतम निवासी है। उन्होने कहा कि एक निमग्न प्रजाति सबसे पहले शायद मलेशिया की ओर से भारत मे आयी थी। श्रीलका के वेद्वा तथा दक्षिण भारत के कदार, इरुला, कुरुम्बा, आदि मे निग्रिटो प्रजातीय तत्व की प्रधानता नजर आती है।

मोहनजोदडो से मिले ककालो मे प्रोटो आस्ट्रेलायड जैसी विशेषताये पाई गई है। बहुत से विद्वानों का यह मत है कि भारत मे आस्ट्रेलायड या प्रोटोअस्ट्रेलायड के लक्षण विधमान है। यदि भारतीय जनसख्या में कभी भी निग्रिटो जनजाति का सम्पूर्ण

समावेश हुआ होता तो उत्तरी भारत के लोगो मे पर्याप्त मात्रा मे निग्रिटो विशेषताए नजर आनी चाहिए थी। सीरमीय अध्ययनो (सीरो लाजिकल, रक्त सम्बन्धी) से पता चलता है कि जहॉ तक उनके रक्त समूहो का प्रश्न है, भारत की आदिम जातियो मे नीग्रो विशेषताए न के बराबर पायी जाती है। भारत की आदिम जनजातियो मे बी रक्त समूह की प्रधानता बिल्कुल नही है, जैसा की निग्रो मे देखने को मिलता है। आस्ट्रेलायड मे ए–रक्त समूह की प्रधानता पायी जाती है। भारत की आदिम जनजातियो मे ए रक्त समूह बहुत पाया जाता है।[28] एक दिलचस्प बात यह है कि भील तथा मुण्डा जनजातियो मे निग्रिटो की तरह बी रक्त तो बहुत नजर आता है, लेकिन दूसरे शारीरिक लक्षणो मे ये निग्रिटो से कोई मेल नही खाते। अभी हाल मे मध्य एव दक्षिण अण्डमान मे पायी जाने वाली जारवा जनजाति मे रक्त परीक्षण से ये ज्ञात हुआ है कि इनमे भी बी–रक्त वर्ग पाया जाता है, जो इन्हे निग्रिटो मूल के होने का प्रमाण देता है। केवल सीरमीय तथ्यो के आधार पर कोई पक्का निष्कर्ष नही निकाला जा सकता, वह भी ऐसी परिस्थिति मे जबकि सीरमीय अध्ययन भी बहुत नही हुए है। इस दिशा मे अभी काफी शोध की आवश्यकता है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर केवल यही कहा जा सकता है कि शायद भारत के प्राचीनतम निवासी प्रोटोआस्ट्रेलायड ही थे, जिनमे बीच मे कभी अफ्रीकी या निग्रिटो रक्त का मिश्रण भी भारत के किन्ही भागो, विशेष रूप से दक्षिण भारत एव अण्डमान द्वीप समूह मे हुआ था। अपर्याप्त ज्ञान के कारण इस निष्कर्ष को भी अन्तिम नही माना जाना चाहिए। फिर भी जब तक कोई दूसरे साक्ष्य अपने को सही साबित न कर ले, तब तक यह ही मान्य रहेगा।

अण्डमान एव निकोबार द्वीप की जनजातीयॉ भी निग्रिटो एव मगोलायड मूल की मानी जाती है। अण्डमान मे पायी जाने वाली चार प्रमुख आदिम जनजातियॉ – जारवा, सेन्टिनलीज,

ओंगी, एव ग्रेट अण्डमानी सभी निग्रिटो मूल की मानी जाती है तथा इनके शारीरिक लक्षण भी निग्रिटो प्रजाति से मिलते–जुलते है। इसी प्रकार निकोबार द्वीप मे पायी जाने वाली दो प्रमुख जनजातीयॉ– निकोबारी एव शोम्पेन मगोलायड मूल की है तथा इनमे मगोलायड प्रजाति के गुण देखने को मिलते है।

भारतीय सविधान एव अनुसूचित जनजातियॉ

26 जनवरी 1950 को भारतीय सविधान के स्वीकृत हो जाने एव भारत के एक लोकतत्रिक गणराज्य बन जाने के पश्चात विविध प्रकार के जनजातीय समुदायो को स्पष्ट रूप से पहचानने एव उन्हे सूची बद्व करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस प्रकार भारत के विविध पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे निवास करने वाली तथा विविध नामो जैसे – आदिवासी, आदिमजाति, वनवासी, गिरिजन, आदि से सम्बोधित की जाने वाली सभी आदिम जातियो को सूची बद्व करने का प्रयास किया गया। सविधान की धारा 342 के प्रावधानो के अर्न्तगत राष्ट्रपति ने भारतीय जनज़ातियो की प्रथम सूची जारी की और तभी से इन जनजातियो को “अनुसूचित जनजाति” (Scheduled tribes) के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। सविधान की धारा 342 के प्रावधानो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समय–समय पर अनेक प्रातो एव केन्द्रशासित प्रदेशो की जनजातियो को सूचीबद्व कर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे सम्मिलित करने के आदेश जारी किये।[29] अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह की जनजातियो को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1959 मे सूचीबद्व किया गया। विविध प्रान्तो एव केन्द्रशासित प्रदेशो के जनजातियो को सूचीबद्व करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 12 अध्यादेश जारी किये गए है, जिससे देश की लगभग सभी जनजातियॉ सूचीबद्व हो चुकी है।

सविधान मे अनुसूचित जनजातियो के सुरक्षा, सपत्ति, अधिकार, आदि को सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किये गए है। इन्हे मुख्यत दो भागो मे बॉटा जा सकता है – 1 सुरक्षा एव 2 विकास।

इन सवैधानिक प्रावधानो का सक्षिप्त उल्लेख निम्न है–

1 सुरक्षा सबधी प्रावधान ·

अनुच्छेद 15 (4) : सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक हितो का विकास ·

यह अनुच्छेद धर्म, वश, जाति, लिग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। परन्तु अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की सुरक्षा हेतु इस अनुच्छेद का खण्ड 4 एक अपवाद प्रदान करता है। यह राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिणक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिको अथवा अनुसूचित जनजातियो के विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 46 मे लिखित नीति के अनुसार है। जिसके तहत राज्य सरकार को विशेष ध्यान देकर पिछडे वर्ग के लोगो की शैक्षणिक व आर्थिक हितो का विकास करना चाहिए तथा सामाजिक अन्याय से इनकी रक्षा करनी चाहिए। इस खण्ड का समावेश विशेष रूप से किया गया है, ताकी सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्ग के नागरिको की प्रगति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गए किसी विशेष प्रावधान को भेदमूलक मान, कानूनी न्यायालयो मे चुनौती दिये जाने से रोका जा सके।[30]

अनुच्छेद 16 (4) पदो व सेवाओ मे आरक्षण .

अनुच्छेद 16 के खण्ड 1 व 2 मे उल्लिखित सरकारी रोजगार के मामलो मे अवसर की समानता के अधिकार के प्रति अनुच्छेद 16 (4) एक अन्य अपवाद है। अनुच्छेद 16 का खण्ड 4 केवल उन पिछडे वर्गों के नागरिको के आरक्षण की अनुमति देता है, जिसका सरकार के विचार से सरकार की सेवाओ मे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नही है। यह खण्ड सरकार को अपने अधीन सेवाओ मे किसी भी पिछडे वर्ग के नागरिको के पक्ष मे नियुक्तियो अथवा पदो के आरक्षण हेतु अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियॉ व अनुसूचित जनजातियो के सदस्यो को नौकरियो मे नियुक्तियो के दावो पर प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण के साथ सामन्जस्य कर विचार करेगा, परन्तु अनुच्छेद 16 (4) मे इस प्रकार की कोई सीमा नही है। यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय इस आधार पर कि यह प्रशासन की कार्यक्षमता के अनुरूप नही है, राज्य मे किसी विशेष आरक्षण अथवा कुल आरक्षण की मात्रा पर हस्तक्षेप नही कर सकता।[31]

अनुच्छेद 14 व 16 (4) :

इस अनुच्छेद को एसा नही समझा जाना चाहिए जिससे ये एक–दूसरे को निरर्थक कर दे। यदि अनुच्छेद 16 (4) के तहत किये गए आरक्षण को किसी यथोचित सीमा मे रखा जाता है तो अनुच्छेद 14 का कोई उलधन नही होगा। परन्तु यदि आरक्षण की अधिकता है अर्थात कुल पदो का 50 प्रतिशत से अधिक, तो उन्नत वर्गों के सदस्यो को कानून के तहत बराबरी के अधिकार से वचित करना माना जायेगा।

अनुच्छेद 15 (4) व 16 (4)

इन दोनो अनुच्छेदो मे, पिछडे वर्गों के हितो की सुरक्षा के प्रावधान है, परन्तु जहॉ अनुच्छेद 15 (4) सरकार को अपने सभी क्षेत्रो मे पिछडे वर्गों के प्रति सुरक्षात्मक विभेद प्रदान करने का अवसर देता है, वही अनुच्छेद 16 (4) सरकार के अधीन नौकरियो मे विशेष रूप से सुरक्षात्मक विभेद का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (4) अन्य मामलो, जैसे राज्य के शासकीय शैक्षणिक सस्थानो मे प्रवेश से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 19 (5) :– सम्पत्ति में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा :

भारत की सम्पूर्ण सीमा के भीतर स्वतत्र रूप से विचरण एव आवास तथा सपत्ति के अर्जन व निपटान करने के अधिकार की गारन्टी प्रत्येक नागरिक को है। परन्तु अनुच्छेद 19 (5) के तहत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यो के हितो की सुरक्षा हेतु सरकार विशेष प्रतिबध लागू कर सकती है।

अनुसूचित जनजातियॉ आर्थिक रूप से पिछडे तथा भोले–भाले निष्कपट लोग होते है, जिन्हे चालाक व कपटी लोग आसानी से धोखा दे देते है। अत एसे कई प्रावधान है, जिनमे विशेष परिस्थितियो को छोड कर उनकी स्वय की सम्पत्ति को भी वे हस्तान्तरित नही कर सकते। आदिवासियो के स्वय हित मे तथा उनके निजी लाभ के लिए आदिवासी क्षेत्रो या अनुसूचित क्षेत्रो मे स्वतत्र रूप से घूमने अथवा बसने या सम्पत्ति अर्जित करने के आम नागरिक के अधिकार को प्रतिबधित करने के लिए कानून बनाए जा सकते है।

अनुच्छेद 320 (4) :

इस अनुच्छेद मे यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 16 के खण्ड 4 मे सदर्भित किसी प्रावधान के सम्बन्ध मे अथवा अनुच्छेद 335 के प्रावधानो को प्रभावी रूप दिये जाने के सम्बन्ध मे लोक सेवा आयोग से सलाह मसविरा करने की आवश्कता नही है।

अनुच्छेद 330,332 तथा 334 :

अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के लिए लोकसभा मे सीटो का आरक्षण किया जायेगा। अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभाओ मे अनुचूचित जातियो एव अनुसूचित जनजातियो के लिए भी सीटो का आरक्षण किया जायेगा।

अनुच्छेद 334 के अनुसार, सविधान के आरम्भ होने के 40 वर्षों की अवधि मे अर्थात 1990 मे इस प्रकार का आरक्षण समाप्त हो जायेगा। आरम्भ मे यह संविधान के लागू होने से 10 वर्षों की अवधि के लिए था, परन्तु अनुच्छेद 334 मे किये गए सशोधन के अनुसार इसे अगले 30 वर्षों के लिए, अर्थात 1990 के अन्त तक बढा दिया गया है। अब यह फिर सविधान सशोधन द्वारा 10 साल के लिए और बढा दिया गया है, अर्थात अब यह आरक्षण सन् 2000 के अन्त तक किया गया था लेकिन अब इसे फिर 2000 से भी आगे बढा दिया गया है।[32]

अनुच्छेद 335 : आरक्षण की सीमाए :

अनुच्छेद 335 के अनुसार वैसे कोई सीमा नही है लेकिन प्रशासन की क्षमता से सामन्जस्य रखते हुए ही केन्द्र व राज्य सरकारो के तहत सेवाओ व पदो मे नियुक्तियो के मामले पर

अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनजातियो के सदस्यो के दावो पर विचार किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 338 विशेष अधिकारी

इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जातियो व अनुसूचित जनातियो के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। सविधान के तहत अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सभी मामलो की जॉच करने का दायित्व विशेष अधिकारी का होगा। इन सुरक्षाओ के क्रियान्वयन के बारे मे उन्हे राष्ट्रपति द्वारा दिये गए निदेशानुसार नियत अन्तराल के पश्चात एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होगी। राष्ट्रपति इस प्रकार की सभी रिपोर्टो को ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष पटल पर रखवायेगे। इस प्रकार के अधिकारी को अनुसूचित जातियो एव जनजातियो के लिए आयुक्त (कमिश्नर) के रूप मे नियुक्त एव पदेन किया गया है।

अनुच्छेद 339 (1) आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 339 (1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय तथा सविधान के आरम्भ होने से 10 वर्षो की अवधि की समाप्ति पर राज्यो मे अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियो के कल्याण पर रिपोर्ट लेने हेतु एक आयोग की नियुक्ति का आदेश दे सकते है। इस प्रकार एक मात्र आयोग – अनुसूचित क्षेत्र एव अनुसूचित जनजाति आयोग, 28 अप्रैल 1960 को नियुक्त किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1961 मे पेश की थी इसके बाद अभी तक इस तरह का आयोग नियुक्त नही किया गया है।

हलाकि, सविधान मे अनुसूचित जनजातियो कि हितो की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाये गए है, किन्तु इन

पर वाछित स्तर तक अमल नही हो पाया है। सवैधानिक सुरक्षाओ के असतोषजनक कार्यान्वयन आदिवासियो मे असतोष का एक प्रमुख कारण है।

2 विकास सम्बन्धी प्रावधान .

अनुसूचित जनजातियो के आर्थिक विकास सबन्धी प्रावधान मुख्यत अनुच्छेद 275 (1) तथा 339 (2) मे निहित है। सक्षेप मे अनुच्छेद 275 (1) का प्रथम उपबन्ध, भारत सरकार के अनुमोदन से कोई भी राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र मे अनुसूचित जनजातियो के कल्याण को बढावा देने अथवा अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासनिक स्तर को राज्य के अन्य क्षेत्रो के सामान्य प्रशासन स्तर तक ऊपर उठाने के उद्वेश्य से चलाई जाने वाली विकास योजना के खर्च की पूर्ति के लिए अनुदान के प्रावधान का उल्लेख करता है। इस अनुच्छेद के अनुपालन मे अनुसूचित जनजाति की जनसख्या वाले राज्यो को विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियो के कल्याण हेतु आवश्यक विशेष योजनाओ के लिए अनुदान की व्यवस्था का प्रावधान है तथा ये योजनाए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी रूप से चलाई जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नही किया जाता है। बिना किसी विशेष योजनाओ के अनुदानो को राज्यो मे बॉट दिया जाता है।[33]

अनुच्छेद 339 (2) और भी एक कदम आगे है। इसके तहत केन्द्रीय कार्यपालिका राज्यो को अ0ज0जा0 कल्याण सम्बन्धी निर्देश जारी कर सकती है। यह केन्द्रीय कार्यपालिका को, राज्य मे अनुसूचित जनजातियो के कल्याण के लिए निर्देश मे विर्निदिष्ट ऐसी योजनाए बनाने तथा क्रियान्वित करने सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

राज्य सरकारो द्वारा इस सम्बन्ध मे अच्छा प्रदर्शन नही रहा है। इसके बावजूद भी केन्द्र द्वारा प्रावधानो मे प्रद्वत शाक्तियो का न तो अभी तक उपयोग किया गया है और न ही इन पर कोई दिशा–निर्देश जारी किया गया है, बल्कि सवैधानिक उत्तरदायित्व है।

जनजाति विशिष्ट विकास वर्ग

भारतीय जनजातियॉ युगो से ही राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग सुदूर पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे न्यूनतम मानवीय दशाओ के अभाव मे विशुद्व प्राकृतिक पर्यावरण मे जीवन यापन करती रही है। राष्ट्र की मुख्य विकास धारा से बिलकुल दूर ये जनजातियॉ राष्ट्र के आधुनिक वैज्ञानिक एव तकनीकी विकास का माखौल उडाती रही है। देश के विकास का स्तर चाहे जितना ऊँचा हो जाये लेकिन कोई मानव समुदाय उससे अछूता और अलग रह जाता है तो ऐसा विकास पूर्ण नही माना जा सकता है। अत मानव समाज के सभी वर्गो को विकास की प्रमुख धारा से जोडना ही मानवतावादी सपोषणीय विकास का परम लक्ष्य है।[34] पाण्डेय[35] के अनुसार भारतीय जनजातियो की मुख्य समस्या उनके पृथक आदिम जीवन शैली एव मुख्य धारा के अलगाव से जुडी रही है। अत वे देश के विकास प्रक्रिया हेतु एक अलग वर्ग का निर्माण करते है। गुहा के कथनानुसार पूर्ण अलगाव कभी प्रगति ऐव विकास को जन्म नही देता, बल्कि उससे स्थिरता एव विनाश ही होता है। यदि मानव इतिहास को देखे तो सभ्यता का विकास सदैव विविध मानव वर्गो के मध्य आदान–प्रदान एव सम्पर्क से जुडा रहा है और यही मानव प्रगति मे सर्वाधिक प्रेरक तत्व रहा है। इसीलिए सुदूर क्षेत्रो मे रहने वाली जनजातीयॉ विकास हेतु एक नई दृष्टि, नई शैली, एव नई तकनीकी की मॉग करते है और यह वर्ग विकास हेतु एक नए वर्ग का निर्माण करता है।

इसी प्रकार शीलू आओ रिपोर्ट[36] मे भी देश के जनजातियो की शताब्दियो पुरानी पीडा एव समस्याओ का उल्लेख है। इसके अनुसार सदियो के सामाजिक दमन ने इन जनजातियो मे एक कुण्ठा एव हीन भावना उत्पन्न कर दिया है, तथा अब इन्होने अपने पर भी विश्वास खो दिया है। इस मनोवैज्ञानिक अवरोध को दूर करने तथा मैदानी क्षेत्रो के लोगो के समान जीवन यापन करने हेतु उनमे एक विश्वास एव भावना पैदा करने मे काफी समय लगेगा। इन जनजातियो मे भी कुछ सर्वाधिक पिछडे है जिनको विकास का पूर्ण लाभ देने हेतु उन्हे विकास प्रक्रिया मे एक अलग वर्ग के रूप मे निर्धारित करना पडेगा। नाग[37] एव सक्सेना[38] ने मध्य भारत के विविध जनजातियो की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपने अध्ययनो मे यह स्थापित किया है कि आज भी अधिकाश जनजातियॉ प्राथमिक व्यवसायो जैसे— शिकार, मत्स्यायन, एकत्रण, आदिम कृषि, एव पशुचारण पर आधारित है। उनकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था गतिहीन एव आदिम जीविकोपार्जन प्रकार की है, जो उन्हे वर्ष पर्यन्त मात्र खाध पदार्थों के सकलन मे ही सलग्न किये रहती है। रमैइया[39] ने वारगल जिले की कोया जनजाति की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपने अध्ययन मे भूमि, ऋण एव विपणन सम्बन्धी उनकी समस्याओ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा उनके विकास हेतु एक अलग नियोजन नीति एव प्रक्रिया की मॉग की है। गुजरात की जनजातीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए विमलशाह[40] ने भी कहा है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था आज भी सभी दृष्टियो से स्थिर बनी हुई है। अत इसे मुख्य धारा मे लाने हेतु एक पृथक विकास नीति जो इनके परिवेश एव जीवन शैली के अनुकुल हो, का निर्माण आवश्यक है। डा0 मिश्र[41] के अनुसार जनजातीय जीवन एव अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओ में सामान्य पिछडापन, गरीबी, मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था, न्यूनतम उत्पादन, रूढिवादी एव पिछडी कार्यविधियॉ,

ऋणग्रस्तता, शोषण, आधुनिक सुविधाओ का आभाव आदि प्रमुख है, जो देश के अन्य क्षेत्रो के गैर जनजातीय समुदाय से पूर्णत भिन्न है। अत ऐसे क्षेत्रो मे आधारभूत सुविधाओ के विकास तथा उन्हे मुख्य राष्ट्रीय धारा मे जोडने हेतु उन्हे एक पृथक वर्ग के रूप मे देखना पडेगा साथ ही एक अलग नियोजन नीति को अपनाना पडेगा। हसनैन[42] के अनुसार जनजातियो की विविध समस्यो के समाधान हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण वाछनीय नही है। क्योकि इनकी समस्याये अलग है तथा इन्हे समाधान भी अलग से ही चाहिए। इस समाधान को एव विविध विकास कार्यक्रमो को ये कितनी जल्दी आत्मसात एव स्वीकार करेगे ये समय सीमा द्वारा नही ऑका जा सकता। अत इस ओर समय सीमा रहित निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है।

जनजातीय विकास :– नीतिगत विषय :

भारतीय जनजातियो के विकास के सम्बन्ध मे समय समय पर मानव विज्ञानी, समाज शास्त्री, समाज सुधारक, नियोजक एव नेतागण अपना मत प्रस्तुत करते रहे है। स्वतन्त्रता के पूर्व जनजातियो के विकास सम्बन्धी कोई स्पष्ट नीति तो नही थी, लेकिन अनेक समाज सुधारको जैसे गॉधी जी, ठक्कर बापा, आदि ने जनजातियों के विकास हेतु तत्कालीन सरकारो का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु गैर तकनीकी एव गैर वैज्ञानिक, मानवतावादी नीति अपनाने पर बल दिया। इस हेतु अनेक बार आन्दोलन भी हुए। ठक्कर बापा ने भी एक ऐसे ही आन्दोलन की अगुवाई की थी। ब्रिटिश शासन काल से ही इसाई धर्म प्रचारक भी समय–समय पर अनेक जनजातीय क्षेत्रो–विशेष रुप से उत्तरी–पूर्वी एव मध्य क्षेत्र मे धर्म प्रचार हेतु जनजातियो को शिक्षा एव स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध कराते रहे। इन धर्म प्रचारको मे जनजातीयों के

सामाजिक आर्थिक उत्थान मे काफी सहयोग किया। ब्रिटिश शासन काल मे पर्वतीय एव जगली जनजातीय क्षेत्रो के प्राकृतिक एव खनिज ससाधनो के दोहन करने हेतु अनेक विकास कार्यक्रम जैसे सडको का निर्माण, जलापूर्ति, प्रशासनिक सस्थाये, शिक्षण एव स्वास्थ्य सस्थाये आदि स्थापित किए गये। लेकिन इन सबका मूल उद्‌देश्य जनजातीय क्षेत्रो के ससाधनो का शोषण करना था, न कि उनका विकास एव उत्थान। इन क्षेत्रो मे जनजातियो के विरोधी आन्दोलन के कारण उनके लिए भी कुछ सुविधाए प्रदान कर दी जाती थी लेकिन उसके लिए कोई स्पष्ट विकास नीति नही थी।

लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातीय समस्याओ के समाधान हेतु सरकारी दृष्टिकोण मे एक मौलिक परिवर्तन आया। तब तक उपलब्ध विविध जनजातियो से सम्बन्धित सूचनाओ और तथ्यो के आधार पर स्वतन्त्र भारत की सरकार ने जनजातियो को एक पृथक विकास वर्ग के रुप मे स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही उनके न्यूनतम मानवीय दशाओ एव पृथकत्व के सन्दर्भ मे एक नई नियोजन एव विकास नीति के निर्माण का निर्णय लिया गया। भारत के प्रथम प्रधान मत्री प0 जवाहर लाल नेहरु की जनजातीय लोगो के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होने स्वत रुचि लेकर जनजातियो के विकास हेतु एक नई विकास नीति निर्धारित करने एव उसके सफल क्रियान्वयन करने पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार सचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आदि विविध क्षेत्रों के विकास हेतु स्पष्ट एव प्रभावशाली कार्यक्रम बनाये जाने चाहिये। इस प्रकार पडित नेहरु ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होने जनजातीय विकास नीति को प्रथम बार एक स्वरुप देने का प्रयास किया। उन्होने सम्पूर्ण जनजातीय विकास एव नियोजन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित पॉच सिद्वान्त बताये जिस पर आज तक सभी सरकारे अमल करती आ रही है, और आज

तक ये सिद्वान्त नीतिनिदेशक तत्व के रुप मे जनजातीय विकास मे अहम भूमिका निभा रहे है। ये सिद्वान्त निम्नवत् है।

1 जनजातीय लोगो को अपनी प्रतिभा एव प्रवृति के अनुरुप ही विकसित किया जाना चाहिए तथा उन पर किसी चीज को उपर से नही थोपना चाहिए। हमे सभी प्रकार से उनकी पारम्परिक कला एव सस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

2 उनकी भूमि एव जगलो पर जनजातियो का ही निर्विघ्न अधिकार स्थापित कराना चाहिए तथा किसी प्रकार के अतिक्रमण को प्रभावशाली ढग से हटाने मे सहयोग करना चाहिए।

3 हमे उनके प्रशासन एव विकास हेतु उन्ही लोगो का एक समूह बनाना चाहिए तथा उसे पूर्ण रुप से शिक्षित एव दीक्षित करना चाहिए। इस कार्य हेतु कुछ बाहरी तकनीकी कर्मचारियो की आवश्यकता निसदेह होगी, विशेष रुप से प्रारम्भ मे लेकिन हमे उनके क्षेत्र मे एकाएक अनेक बाहरी लोगो को प्रवेश नही दिलाना चाहिए।

4 हमे न तो उन पर आवश्यकता से अधिक प्रशासनिक नियत्रण रखना चाहिए और न ही विकास कार्यक्रमो की भरमार होने देनी चाहिए। इस प्रकार हमे उनके विरोध मे नही बल्कि उनके सामाजिक एव सस्कृतिक सस्थाओ के सहयोग से उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए।

5 हमे उनके क्षेत्रो मे किए गये विकास कार्यक्रमो के परिणाम को साख्यिकीय ऑकडो एव खर्च किए गये धन के सन्दर्भ मे नही ऑकना चाहिए, बल्कि कार्यक्रमो द्वारा विकसित हुए मानव चरित्र के गुणात्मक स्तर के सन्दर्भ मे मूल्याकन करना चाहिए।

इस प्रकार पडित नेहरु ने जनजातीय विकास प्रक्रिया मे सहानुभूति एव मानवतावादी नीति को अपनाने पर बल दिया,

जिसका अनुसरण आज तक परवर्ती सरकारो ने किया। इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए पाण्डेय[43] ने भी जनजातीय समस्याओ को सुलझाने हेतु बडी ही सावधानी बरतने का सुझाव दिया। उनके अनुसार निम्न तीन सूत्र है।

1 बिना शोषण के विकास।

2 बिना आरोपण के समन्वय।

3 बिना विनाश के सम्मेल।

पडित नेहरु के आधार पर इन्होने भी जनजातीय विकास लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु ऐसी सारी सावधानी बरतने का सुझाव दिया है जिससे उनके जीवन की समरसता भग न हो।

जनजातीय विकास योजनाये :

विघार्थी[44] के अनुसार जनजातीय विकास से सम्बन्धित किसी भी प्रभावी सामरिक योजना को प्रत्यक्ष रुप से निम्नाकित कारको पर आधारित होना चाहिए। 1 पारिस्थितिकीतत्र 2 पारम्परिक अर्थव्यवस्था 3 अलौकिक विश्वास एव व्यवहार 4 अभिनव प्रभाव। इन चारो आधारो पर उन्होने भारतीय जनजातियो को छ प्रकारो मे विभाजित किया। ये है– 1 जगली शिकारी प्रकार 2 आदिम पहाडी कृषि प्रकार 3 मैदानी कृषि प्रकार 4 सरल कारीगर प्रकार 5 चरवाहा एव पशुपालक प्रकार 6 नगर उघोग श्रमिक प्रकार। इन छ प्रकारो के जनजातियो हेतु इन्होने उनके कार्य एव पर्यावरण के अनुकूल पृथक योजना बनाने पर बल दिया। साथ ही जनजातीय क्षेत्रो मे एक रैखिक–प्रशासन वाले विकास प्राधिकरण, सम्पूर्ण विकास कार्यक्रमो की जटिलता एव अनेकता को दूर रखने तथा कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन का भी सुझाव दिया। उनके अनुसार उपरोक्त नीति को अपनाने से ही जनजातीय विकास सम्भव हो सकता है।

राय वर्मन[45] ने जनजातीय विकास सम्बन्धित सामरिक योजना को मानवशास्त्री उपागम के आधार पर सचालित करने का सुझाव दिया है। इसके अर्न्तगत उन्होने प्रमुख रुप से दो आधार निर्धारित किए। प्रथम जनजातीय विकास सम्बन्धी योजना नीति एव द्वितीय कल्याणकारी एव विकास कार्यक्रम। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत इन्होने पॉच तत्वो – 1 जनजातीय कल्याण एव विकास क्रियाकलापो का क्षेत्र 2 जनजातीय कल्याण एव विकास क्रियाकलापो का राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वय 3 सरकार एव सवैधानिक सस्थाओ की भूमिका 4 स्वैच्छिक सगठनो की भूमिका एव 5 जनजातीय सस्थाओ की भूमिका, को सम्मिलित किया है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत भी इन्होने पॉच प्रमुख तत्वो को रखा है ये है– 1 न्यूनतम आवश्यकता की आपूर्ति 2 उत्पदक ससाधानो का नियत्रण एव प्रबन्धन 3 पर्याप्त रोजगार सृजन 4 विकास प्रक्रिया मे जनसख्या के विस्तृत सहभागिता एव 5 राष्ट्रीय अखण्डता के सामाजिक सस्कृतिक एव राजनैतिक पहलुओ पर बल देना इस प्रकार राय बर्मन ने उपरोक्त दसो तत्वो को जनजातीय विकास योजना का मूल एव नीतिगत आधार बताया है। भारत मे जनजातीय विकास योजना एव कार्यक्रमो मे उपरोक्त तत्वो को स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है।

स्वतत्रता के पश्चात अनेक सरकारी एव गैर सरकारी सस्थाओ द्वारा जनजातीय कल्याण एव विकास हेतु विविध योजनाये एव कार्यक्रम सचालित किये गये। यद्यपि ये पूर्ण रुप से जनजातीय विकास से सम्बन्धित नही थे, फिर भी इनमे जनजातीय कल्याण एव विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान किये गये थे। उदाहरणार्थ प्रथम पचवर्षीय योजना (1951), सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), पचायती राज कार्यक्रम (1958), आदि किसी न किसी रुप मे जनजातीय विकास से जुडे रहे । साथ ही 1956 मे एल्विन समिति एवं 1960 मे अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे सामान्यत ढेबर

आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भी जनजातीय क्षेत्रो की समस्याओ का गहरा अध्ययन किया और उनके कल्याण एव विकास हेतु सरकार के समक्ष अपनी सस्तुतियॉ प्रस्तुत की। इससे जनजातीय क्षेत्रो एव लोगो के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, लेकिन जनजातीय कल्याण एव विकास के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम प्रभावी एव क्रमबद्व प्रयास 1955 मे विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड (Special Multipurpose Tribal Development Blocks) के रुप मे हुआ। तब से लेकर आज तक विविध योजनाओ के अन्तर्गत सरकार ने जनजातीय विकास हेतु अनेक कार्यक्रम एव योजनाये सचालित किया है, जिसका सम्यक एव क्रमबद्व अध्ययन निम्नलिखित चार प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1 विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड (Special Multipurpose Tribal Development Block.)
2 जनजातीय विकास खण्ड (Tribal Development Block)
3 जनजातीय उप–योजना एव समन्वित जनजातीय विकास परियोजना (Tribal Sub-Plan and Integrated Tribal Development Project.)
4 बहुउद्देशीय वृह्त समितियॉ (Large Sized Multipurpose Societies.)

1–विशिष्ट बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड

इन जनजातीय विकास खण्डो की स्थापना सर्वप्रथम 1955 मे हुई तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो के विकास प्रक्रिया को तीब्रतर करने हेतु 1956 मे विविध राज्यो मे 43 जनजातीय विकास खण्डो की स्थापना की गयी । यह विकास खण्ड योजना केन्द्रीय गृह मत्रालय एव सामुदायिक विकास योजना द्वारा प्रवर्तित की गयी थी तथा

इसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार के उपर छोड दिया गया था। यह योजना सामान्य विकास खण्ड योजना से निम्नलिखित बिन्दुओ पर भिन्न थी।[46]

1 विकास कार्यक्रमो का सघन स्वरुप।
2 आवृत क्षेत्र एव जनसख्या अपेक्षाकृत कम।
3 जनता का योगदान न्यूनतम मात्र अकुशल श्रमिको तक सीमित।
4 ऋण अनुदान के रुप मे।
5 कुशल एव दीक्षित कर्मचारियो की नियुक्ति।

इसके अन्तर्गत अनेक केन्द्रीय एव राज्य सरकारो द्वारा प्रवर्तित योजनाये सचालित की गयी, जिनका परिणाम वाछित स्तर से नीचे रहा । अत इसे और प्रभावशाली बनाने तथा इसकी कमियो को दूर करने हेतु वेरियर एल्विन समिति की स्थापना की गयी, जिसकी सस्तुति के आधार पर द्वितीय पचवर्षीय योजना मे इस पर पुन कार्य प्रारम्भ हुआ।

2– जनजातीय विकास खण्ड योजना:

तृतीय पचवर्षीय योजना (1961–66) मे प्रथम बहुउद्देशीय विकास खण्ड योजना के असफल हो जाने के बाद उसे सशोधित कर सामुदायिक विकास खण्ड योजना के आधार पर इस योजना को सचालित किया गया । इसका लक्ष्य सघन कार्यक्रमो द्वारा जनजातीय लोगो के सामाजिक आर्थिक स्तर मे तीव्र सुधार ले आना था। सर्वप्रथम यह योजना एक लाख की जनसख्या वाले क्षेत्रो मे, लेकिन बाद मे 25 हजार की जनसख्या एव दो सौ वर्ग मील क्षेत्रफल वाले भागो मे भी लागू की गयी। यह योजना मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उडीसा, आदि राज्यो मे लगभग चार सौ चौरासी विकास खण्डो मे लागू की गयी। साथ ही इसके लाभ को ग्राम्य क्षेत्रो तक पहुँचाने

तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इस कार्यक्रम को जन प्रतिनिधियो से भी जोडा गया। इसके अलावा सरकारी एव वित्तीय सस्थाओ के अधिकारियो को जोडने तथा सम्बन्धित क्षेत्रो मे कार्यक्रमो को प्रभावी ढग से लागू करने हेतु "विकास केन्द्रो" की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके अर्न्तगत विविध कार्यक्रमो हेतु आवटित धन मे 60% आर्थिक कार्यक्रमो पर, 25% सचार व्यवस्था पर, एव 15% सामाजिक सेवाओ पर खर्च होना था। पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो को दृष्टिगत रखते हुए सचार कार्यक्रमो को अधिक वरियता दी गयी थी। आर्थिक कार्यक्रमो हेतु 50–75% तक सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। शेष भाग सम्बन्धित व्यक्ति को स्वय लगाने का प्रावधान था। ये सभी प्रकार के विकास कार्यक्रम कृषि विकास, पशुपालन, कुटीर एव लघु उघोग, शिक्षा तथा नारी एव बच्चो के विकास से सम्बन्धित थे। साथ ही ये कार्यक्रम केन्द्र एव राज्य सरकारो दोनो द्वारा पारस्परिक सहयोग द्वारा सचालित होने थे। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अर्न्तगत 9 प्रकार के तथा राज्य सरकारो के अर्न्तगत 18 प्रकार के कर्यक्रमो को सूचीबद्व कर उन्हे ऐसे विकास खण्डो मे सचालित किया गया। लेकिन विघार्थी के कार्यदल की आख्या के अनुसार यह योजना भी वाछित स्तर से काफी दूर रही तथा जनजातीय क्षेत्रो एव लोगो मे अपेक्षित परिवर्तन नही उत्पन्न कर सके।[47]

3–जनजातीय उप–योजना एवं समन्वित जनजातीय विकास परियोजना :

पूर्ववर्ती दोनों योजनाओ के विफल हो जाने एव वाच्छित स्तर का परिणाम न देने के कारण पॉचवी पचवर्षीय योजना मे अलग–अलग जनजातीय क्षेत्रो की विशिष्ट समस्याओ पर

ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया। सामान्यतया जनजातियो से सम्बन्धित ऐसे दो प्रकार के क्षेत्र माने गये – 1 सघन जनजातीय जनसख्या वाले क्षेत्र एव 2 प्रविकीर्ण जनजातीय जनसख्या वाले क्षेत्र। इस प्रकार इन दोनो क्षेत्रो की समस्याए अलग होने के कारण इनके लिए अलग विकास उपागम अपनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसी को ध्यान मे रखते हुए जनजातीय उपयोजना की सकल्पना, जो कोई कार्यक्रम नही है, बल्कि एक उपागम है को अमल मे लाया गया। उपरोक्त दो क्षेत्रो के अलावा इस उप–योजना के अर्न्तगत ऐसे जनजातीय क्षेत्रो को भी रखा गया, जहॉ पर कृषि अवस्था के पूर्व की आदिम जनजातियॉ निवास करती थी। ऐसे क्षेत्रो को विशिष्ट वर्ग मे रखा गया है।

उप–योजना के अर्न्तगत विविध प्रकार की परियोजनाये एव कार्यक्रम विविध क्षेत्रो हेतु निर्धारित किये गये, जिन्हे समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के नाम से सम्बोधित किया गया। इस परियोजना के अर्न्तगत उस क्षेत्र एव वहॉ के लोगो के विशिष्ट समस्याओ को केन्द्र मे रखते हुए समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाने एव क्रियान्वित करने का प्रावधान भी किया गया। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–

1 जनजातीय वर्गो के शोषण एव प्रताडना का उन्मूलन करना।
3 उनके सामाजिक आर्थिक विकास के गति को तेज करना।
4 जनजातीय समूहो के जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार ले आना।
5 जनजातीय क्षेत्रो एव गैर जनजातीय क्षेत्रो के मध्य विकास असन्तुलन को न्यूनतम बनाना।

इस प्रकार जनजातीय उप–योजना, जनजातीय लोगो एव क्षेत्रो के समग्र विकास से सम्बन्धित प्रथम सरकारी प्रयास था। इसके अर्न्तगत सचालित कार्यक्रमो एव परियोजनाओ हेतु वचित

वित्तीय ससाधन विविध स्रोतो– 1 राज्य योजना व्यय 2 केन्द्रीय मत्रालयो के व्यय 3 विशिष्ट केन्द्रीय सहायता एव 4 सस्थात्मक वित्त से प्राप्त होने का प्रावधान था। इस योजना के अन्तर्गत विविध नीतिगत तत्वो मे – 1 शोषण से बचाव 2 जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास 3 रोजगार अवसरो का सृजन 4 आधारभूत सुविधाओ का प्रावधान 5 विशिष्ट वर्ग की समस्ययाए आदि प्रमुख है। जनजातीय उप–योजना के अन्र्तगत नियोजन एव कार्यक्रमो के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पदानुक्रम – लधु, मध्यम, एव बृहद को स्थापित करने की योजना थी। लधुस्तर पर एक विकास खण्ड, मध्यम स्तर पर तीन से पॉच पडोसी विकास खण्डो को मिलाकर एव बृहद स्तर पर एक बडी जनजातीय पेटी को सम्मिलित किया गया, तथा इन तीनो स्तरो पर इन स्तर के अनुरूप आधारभूत सुविधाओ, समाजिक आर्थिक वाणिज्य आदि सम्बन्धी क्रिया–कलापो को स्थापित करने का भी प्रावधान था।[48] अनेक व्यवहारिक, प्रशासनिक, राजनैतिक एव वित्तीय समस्याओ एव अवरोधो के बावजूद विविध पचवर्षीय योजनाओ से होते हुए अब यह उप–योजना दसवी पचवर्षीय योजना मे प्रविष्ट होने जा रही है। इसके कारण जनजातीय क्षेत्रो एव लोगो के सामाजिक आर्थिक एव राजनैतिक जीवन मे काफी सुधार हुआ है। कुछ क्षेत्रो मे उपरोक्त समस्याओ एव अवरोधो के कारण वाच्छित परिणाम नही आये है। लेकिन अब उन्हे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

4 बृहद–बहुउद्देश्यीय समितियॉ :

विविध जनजातीय समूहो की अनेक आवश्यकताओ का एकमुश्त समाधान एव आपूर्ति करने की दृष्टिकोण से देश मे ऐसी सहकारी समितियो की स्थापना 1974 से की गयी है। ये समितियॉ जनजातीय विकास कार्यक्रमो के ऋण एव विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति करती है। ये समितियॉ मूल रूप से जनजातीयो

से ही सम्बन्धित है तथा इनके निदेशक मण्डल मे जनजातीय लोग ही होते है। सरकार समय–समय पर इनके लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराती रही है। छठवी पचवर्षीय योजना से लेकर आजतक विविध कार्यक्रमो के अर्न्तगत अनेक योजनाए सम्मिलित की गयी है। ये कार्यक्रम निम्नवत् है–

1 सुरक्षात्मक उपाय 2 कृषि एव वन सम्पदा सम्बन्धी कार्यक्रम 3 पशुपालन कार्यक्रम 4 सिचाई योजनाए 5 सचार व्यवस्था 6 विधुत आपूर्ति 7 औधेगिक विकास 8 विशिष्ट कार्यक्रम 9 पृथक लधु जनजातीय वर्गों सम्बन्धी कार्यक्रम 10 शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 11 लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम 12 प्रशासन एव स्वैछिच्क सस्थाओ सम्बन्धी कार्यक्रम।

इस प्रकार इन बहुउद्देश्यी समितियो ने उपरोक्त कार्यक्रमो के माध्यम से जनजातियो के सामाजिक आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान किया है।

साहित्य समीक्षा

एक विशिष्ट मानव वर्ग होने के कारण जनजातियो का अध्ययन मानवशास्त्रियो, समाजशास्त्रियो, नियोजको, एव प्रशासको के लिए अत्यत उर्वर क्षेत्र रहा है। स्वतत्रता के पश्चात तो अनेक विद्वानो ने देश के विविध पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे निवास करने वाली जनजातियो के सामाजिक आर्थिक जीवन के सम्बन्ध मे अनेक शोध एव अध्ययन प्रस्तुत किये है, जिनमे कुछ मुख्य विद्वानो के योगदान का उल्लेख सक्षिप्त मे किया जा रहा है।

1958 मे डी0एस0नाग[49] ने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के वैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध मे अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। 1956 मे एल्विन समिति एव 1960 मे अनुसूचित क्षेत्र

तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे ढेबर आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भी जनजातीय क्षेत्रो की समस्याओ का गहन अध्ययन करते हुए सरकार के समक्ष अपनी सस्तुतियाँ प्रस्तुत किया। 1955 मे सरकार द्वारा विशिष्ट बहुउद्देश्यीय जनजातीय विकास खण्ड योजना देश के 43 विकास खण्डो मे लागू की गयी, जबकि 1961 मे तृतीय पचवर्षीय योजना मे जनजातीय विकास खण्ड योजना सचालित की गयी। 1961 मे भी भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कोठी गॉव तथा चम्बा जिले के मगल गॉव के ससाधनो, आय, ऋण ग्रस्तता, आदि से सम्बन्धित जनजातियो की सामाजिक–आर्थिक दशा का सर्वेक्षण कराया। 1964 मे सक्सेना[50] ने मध्य प्रदेश की पश्चिम पहाडियो की जनजातियो का आर्थिक सर्वेक्षण किया। जबकि 1963 मे विधार्थी[51] ने मालेर जनजाति की कृषि अर्थव्यवस्था का विशद विवरण प्रस्तुत किया। राय[52] ने 1967 मे जनजातियो की अर्थव्यवस्था पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, जबकि विमल शाह[53] ने इसी वर्ष गुजरात के जनजातियो की अर्थव्यवस्था पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया।

श्रीवास्तव एव सिह[54] ने (1970) भारतीय जनजातियो पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के प्रभाव का मूल्याकन करते हुए कहा कि इनका विकास सचार, शिक्षा एव आधारभूत सुविधाओ के विकास से सम्बन्धित है वर्मन एव शर्मा[55] ने 1970 मे भारतीय जनजातियो के अपने अध्ययन मे निष्कर्ष निकाला कि जनजातियाँ आज भी आदिम कृषि पर आधारित है तथा अधिकाशत स्थानान्तरणशील कृषि किया करते है। आरम[56] ने 1972 मे नागालैण्ड की जनजातियो तथा भाटी एव अन्य (1972) ने नैनीताल तराई क्षेत्र के जनजातियो के जीवन स्तर एव विकास गति पर अपना शोध प्रस्तुत किया। गोपाल[57] ने 1983 मे आन्ध्र प्रदेश के बस्तर जिले की जनजातियो का अध्ययन करते हुए यह बताया कि उनमे आज भी आदिम कृषि व्यवस्था प्रचलित है तथा आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रयोग नही के बराबर है एग्रो

एकोनामिक रिसर्च सेन्टर ने 1973 मे आन्द्र प्रदेश के तिजागी जनजाति, 1974 मे राजस्थान की जावर जनजाति तथा 1975 मे मध्य प्रदेश के छिदवाडा जिले की जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित अपना बृहत विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण मे उनके विकास से सम्बन्धित कुछ सुझाव भी दिये गए। पटेल[58] ने 1972 मे मान्धा जनजाति की कृषि अर्थव्यवस्था तथा 1974 मे भारतीय जनजातियो के परिवर्तनशील भूमि समस्याओ पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। राघवैइया[59] ने 1976 मे आन्ध्र प्रदेश की जनजातीय क्रान्तियो से सम्बन्धित अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। चौधरी एव भट्टाचार्या[60] ने बिहार के सिहभूमि क्षेत्र मे जनजातीय विकास अभिकरण के अर्न्तगत सचालित कार्यक्रमो का तथ्यात्मक मूल्याकन प्रस्तुत किया। नायडू[61] ने उडीसा की जनजतियो के सामाजिक एव आर्थिक दशाओ पर बढते हुए औधोगीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया, जबकि दधीचि[62] ने 1977 मे भारत के अनुसूचित जाति एव जनजातियो पर अपना सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार चॉन्दा[63] ने उडीसा के गुनोपुर विकास खण्ड की पॉच जनजातियो की ऋणग्रस्तता पर अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। त्रिपाठी[64] ने 1978 मे नवपुर विकास खण्ड की जनजातियो की सस्कृति एव रीतिरिवाजो तथा उनके न्यून जीवन स्तर एव गरीबी पर अपना आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और उनके विकास हेतु सस्तुतियॉ प्रदान की। आप्टे[65] ने 1976 मे महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के पन्द्रह गॉवो के ससाधन, रोजगार, आय, एव सस्थात्मक प्रतिरूपो का आलोचनात्मक विविरण प्रस्तुत किया। जबकि शर्मा[66] ने 1978 मे उत्तराचल के टिहरी गढवाल जिले के पॉच विकास खण्डो की जनजातियो पर विकास नियोजन के प्रभावो का मूल्याकन किया। रायप्पा एव ग्रोवर[67] ने 1979 मे भारतीय अनुसूचित जातियो एव जनजातियो के अपने अध्ययन मे यह निष्कर्ष निकाला कि इनमे

साक्षरता एव सपत्ति दोनो अत्यन्त न्यून है तथा अधिकाशत पारम्परिक क्रिया कलापो से ही जीवन यापन करते है।

1980 के दशक मे जनजातीय अध्ययनो मे अधिक सघनता एव विस्तार आया। विविध विद्वानो ने भारत के अनेक क्षेत्र की जनजातियो के अनेक पहलुओ का अध्ययन लधु स्तर पर विकास नियोजन के दृष्टिकोण से किया। प्रकाश[68] ने 1980 मे केरला मे विना जनजातियो के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि ये अधिकाशत बेरोजगार है, लेकिन सरकारी प्रयासो से अब इनमे दो–तीन प्रतिशत रोजगार प्राप्त किये हुए है। यादव एव मिश्रा[69] ने 1980 मे मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की जनजातियो के रोजगार आय एव सम्पत्ति पर जनजातीय विकास कार्यक्रमो के प्रभाव का ऑकलन किया। हनुमत एव ग्रोवर[70] ने भी 1980 मे जनगणना ऑकडो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 1961 की अपेक्षा 1971 मे जनशक्ति एव सहभागिता दर सामान्य जनसख्या एव अनुसूचित जनसख्या दोनो मे कम थी। रमैया[71] ने 1981 मे आन्ध्र प्रदेश के वारगल जिले के तीन विकास खण्डो के 408 जनजातीय परिवारो का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 68% परिवार अभी भी ऋणग्रस्त है। राव[72] ने 1981 मे कर्नाटक के तुमकुर जिले की जनजातियो के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मे उनका हिस्सा मात्र 10% है, जबकि उनकी जनसख्या सर्वाधिक है इसी प्रकार देशपाण्डेय[73] ने 1982 मे महाराष्ट्र के थाना जिले के 153 परिवारो का अध्ययन कर उनके उपयोग प्रतिरूप, भोजन आवश्यकता क्रिया कलाप एव स्वास्थ्य दशाओ आदि पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। रजनी[74] ने 1981 मे आन्ध्र प्रदेश के तेलगाना जिले की लाम्बदा जनजाति के सामाजिक आर्थिक पहलू का अध्ययन किया तथा सिह[75] ने भी 1981 मे उडीसा के कालाहॉडी जिले की जनजातियो के अध्ययन से उनके मध्य कृषि भूमि के वितरण का परीक्षण किया। हसनैन[76] ने 1983 मे भारतीय

जनजातियो पर एक पूर्ण पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमे जनजातियो की सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि, प्रमुख सामाजिक सस्थाए, प्रजातीय वर्गीकरण जनजातीय समस्याए तथा उनके कल्याण एव विकास सम्बन्धी अनेक पहलुओ पर विशद विवेचना प्रस्तुत किया गया। पती[77] ने 1984 मे पॉच गॉवो के एक हजार पैतालिस घरो के अध्ययन से जनजातीय कृषको के भूमि स्वामित्व को अत्यन्त विषम बताते हुए उनके मध्य भूमि के पुनरवितरण पर बल दिया। गुप्ता[78] ने 1984 मे त्रिपुरा की जनजातियो के उपभोग प्रतिरूप के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि नीचे की 20% जनजाति मे सम्पूर्ण उपभोग का 11%, जबकि ऊपर के 20% मे सम्पूर्ण उपभोग का 30% है नारायण और कुमार[79] ने 1983 मे जनजातीय विकास सम्बन्धी अपने अध्ययन मे यह निष्कर्ष निकाला कि विविध आर्थिक राजनैतिक एव प्रशासनिक कारणो से उन्हे विकास का पूरा लाभ नही मिल पा रहा है। गोरी[80] ने 1984 मे मणिपुर के जनजातीय क्षेत्र मे आधारभूत सुविधाओ के विकास पर जोर दिया। बोस[81] ने 1985 मे पश्चिमी बंगाल के पॉच जिलो के 10 विकसित तथा 10 पिछडे गॉवो का अध्ययन कर यह बताया कि लगभग 34% जनजातीय लोग भूमिहीन है, 28% के पास 1 एकड से कम, एव 25% के पास 3 एकड से कम भूमि है कुन्हामन[82] 1985 मे केरला के पहाडी जनजातियो के सामाजिक आर्थिक विकास की अर्न्तप्रदेशीय विविधता का अध्ययन किया। हनुमत एव मुथुरायप्पा[83] ने 1986 मे कर्नाटक के 10 जिलो की जनजातीय जनसख्या के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि इनमे अधिकाश भूमिहीन है। लेकिन जो भूमिधर है उनेक पास भी 1 एकड से कम है रायाप्पा एव मुथुरायप्पा[84] ने 1986 मे कार्नाटक के 10 जिलो के अपने जनजातीय अध्ययन मे यह निष्कर्ष निकाला कि 90 प्रतिशत लोगो के पास 50 रूपये प्रति माह से कम की आय है ठाकुर[85] ने 1986 मे बिहार के सथाल जनजाति के अध्ययन से यह स्थापित किया कि इनकी आय का सम्पूर्ण भाग मात्र न्यूनतम आवश्यकताओ की

पूर्ति मे खर्च हो जाता है शेष कार्यों के लिए कुछ बचता ही नही। बोस[86] ने 1986 मे केरला की जनजातियो के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि जनजातीय विकास कार्यक्रमो के लागू होने के पश्चात् भी जनजातियो की स्थिति मे अपेक्षित सुधार नही आया है गुप्ता[87] ने 1986 मे पश्चिमी बगाल के बीरभूमि जिले की जनजाति पर समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के प्रभाव का अध्ययन किया और कहा कि इसके अर्न्तगत सिचाई सुविधाओ का लाभ सर्वाधिक गैर जनजातीय लोगो को हुआ है हुसैन[88] ने 1987 मे आसाम के जनजातियो के सामाजिक आर्थिक दशा पर विकास प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन किया तथा बताया कि विकास कार्यक्रमो से सामाजिक आर्थिक विषमता के बढने के साथ ही साथ जाति, धर्म, भाषा आदि के भेद भी काफी तीव्र हुए। स्वरूप एव भाटी[89] ने उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के जीवन स्तर एव विविध समस्याओ का विशद अध्ययन प्रस्तुत किया। महापात्र[90] ने 1987 मे उडीसा के कोरापूत जिले की 373 जनजातीय गृहो के अध्ययन से यह बताया कि जनजातीय ऋणग्रस्तता आदिम जीवन सामाजिक बिखराव एव विपणन के आभाव का परिणाम है रामामनी[91] ने 1988 मे आन्ध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले की जनजातीयो की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओ एव सम्भावनाओ का परिक्षण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विकास नियोजन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। हसनैन[92] ने 1991 मे अपनी पुस्तक भारतीय मानव शास्त्र मे भारतीय जनजातियो के विविध पक्षो का अध्ययन प्रस्तुत किया है। जबकि मजुमदार एव मदान[93] ने अपनी पुस्तक "सामाजिक मानव शास्त्र परिचय" मे भारतीय जनजातियो के प्रजातीय, सामाजिक एव आर्थिक स्थिति का विशुद्व विवेचन किया। इसी प्रकार एस0सी0 दूबे[94] ने 1993 मे अपनी पुस्तक "मानव सस्कृति" के माध्यम से जनजातियो के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। गुप्ता एव शर्मा[95] ने 1995 मे भारतीय

जनजातियो की विविध पक्षो का सम्यक विश्लेषण किया। आनन्द भूषण[96] एव अन्य ने 1999 मे भारतीय जनजातियो के विविध पक्षो पर एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया।

समस्या कथन

वर्तमान समय मे भौगोलिक अध्ययन एव शोध मे मानवतावादी दृष्टिकोण एव उपागम अपनाने पर बल दिया जा रहा है। भारतीय जनजातीयॉ देश के सम्पूर्ण मानव जनसख्या का एक अभिन्न अग है। सम्पूर्ण देश एव समाज के विकास के साथ जनजातियो का सामाजिक आर्थिक विकास अभिन्न रूप से जुडा हुआ है। भारत वर्ष सदैव से ही गॉधी एव नेहरू द्वारा प्रवर्तित पचशील एव अन्त्योदय के सिद्वान्त का अनुयायी रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी के अनुसार भारत एव भारत की जनसख्या गॉवो मे निवास करती है और जब तक देश के अन्तिम व्यक्ति का उत्थान नही हो जाता, तब तक हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की उपलब्धि अपूर्ण रहेगी। साथ ही भारतीय दर्शन एव चितन भी प्रचीन काल से मानव केन्द्रित रहा है। सम्पूर्ण भौतिक एव अध्यात्मिक गतिविधियो का केन्द्र बिन्दु एव परम लक्ष्य मानव ही रहा है, अस्तु मानव का सर्वागीण विकास ही सही अर्थो मे सम्पूर्ण देश एव समाज का विकास है, इस दृष्टिकोण से जनजातियो का अध्ययन एव शोध अति महत्वपूर्ण है।

भूगोल विषय भी मानव केन्द्री है तथा यह धरातल का अध्ययन मानवगृह के रूप मे करता है ऐसा धरातल जो निर्जन है एव मानव के लिए उपयोगी नही है, उससे भूगोल का कोई सरोकार नही है मानव जिस–जिस क्षेत्र मे पाया जाता है– चाहे वे ध्रुवीय वर्फाच्छादित क्षेत्र हो या पर्वतीय ढाल, जगल अथवा नदियो के मैदान, वे सभी भौगोलिक अध्ययन हेतु उपयोगी है। इन क्षेत्रो मे रहने वाले मानव महानगरीय क्षेत्रो की तरह चाहे पूर्ण विकसित हो अथवा

पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे रहने वाले जनजातियो की तरह आदिम अवस्था मे हो, भूगोल दोनो के अध्ययन मे समान रूचि लेता है। भूगोल मे मानव शब्द का अर्थ एक मानव से नही, बल्कि मानव समुदाय एव मानव समाज से होता है। अत धरातल पर विविध क्षेत्रो मे पाये जाने वाले जनजातीय समूह भौगोलिक अध्ययन एव शोध के अभिन्न अग है। इस दृष्टिकोण से भी जनजातियो का अध्ययन भूगोल मे एक विशिष्ट स्थान रखता है।

विविध क्षेत्रो एव पर्यावरण दशाओ मे रहने वाले विविध मानव समूह अपनी शक्ति, चयन, ज्ञान–विज्ञान एव तकनीकी के आधार पर अपने पर्यावरण से अनेक स्तर के समानुकूलन एव सामान्जस्य स्थापित किये है। मानव भूगोल मानव एव पर्यावरण के इन्ही परिवर्तनशील सम्बन्धो के प्रादेशिक प्रतिरूप के अध्ययन एव विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करता है। मानव पर्यावरण अन्तर्सम्बन्ध का स्वरूप एव वितरण ही मानव भूगोल का केन्द्र बिन्दु है। भारतीय जनजातीयॉ विविध पर्यावरण दशाओ वाली पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे निवास करती है, जहॉ उन्होने अपने पर्यावरण के साथ एक विशिष्ट सामान्जस्य स्थापित किया है। भौगौलिक दृष्टि से जनजातीय समूह एव उनके पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्धो का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है।

वर्तमान समय मे मानव के सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, आध्यात्मिक विकास पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। आज विकास का तात्पर्य मात्र आर्थिक वृद्वि ही नही बल्कि मानव का सर्वागीण विकास है, जिससे उसका भौतिक एव मानसिक दोनो विकास हो। साथ ही उसका स्वाभिमान एव मानवाधिकार सुरक्षित रहे। इस मानवतावादी विकास परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य मे भी जनजातियो का अध्ययन एक महत्वपूर्ण सोपान है। सुदूर एव दुर्गम पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे निवास करने वाली ये जनजातीयॉ सामाजिक, आर्थिक,

राजनैतिक, सास्कृतिक आदि आधारो पर पूर्ण विपन्न एव दरिद्र है। नौ पचवर्षीय योजनाओ मे सचालित विविध जनजातीय विकास कार्यक्रमो एव परियोजनाओ के बावजूद भी कुछ जनजातियो को छोड कर अधिकाश जनजातियो की सामाजिक, आर्थिक स्थिति मे आपेक्षित सुधार नही हुआ है। जब तक इन जनजातियो की मौलिक आवश्कताओ की पूर्ति नही की जाती, इन्हे स्वास्थ्य एव शिक्षा की सुविधाये नही प्रदान की जाती तथा इन्हे राष्ट्र की मुख्य विकास धारा से नही जोडा जाता, तब तक हमारे देश का विकास लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार विकास के दृष्टिकोण से भी जनजातियो का अध्ययन एव शोध अत्यत उपयोगी एव महत्वपूर्ण है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह बगाल की खाडी मे स्थित भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश है। यहॉ पर अनेक द्वीपो मे कुल 6 प्रकार की जनजातियॉ बिखरी हुई है।
ये है– 1 जारवा 2 ग्रेट अण्डमानी 3 ओगी 4 सेटिनली 5 निकोबारी एव 6 शोम्पेन। ये जनजातीयॉ सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर अत्यन्त पिछडी एव एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन ये इस द्वीप समूह के सम्पूर्ण जीवन का एक अभिन्न अग है। अत बगाल की खाडी मे बिखरे हुए इस द्वीप समूह की उपरोक्त जनजातीयो के जीवन एव रहन–सहन का अध्ययन शैक्षिक एव व्यवहारिक दोनो आधारो पर तर्कसगत एव समीचीन है। इसी दृष्टिकोण से शोधकर्ता ने अण्डमान एव निकोबार द्वीप के जनजातीय समुदायो के सामाजिक, आर्थिक दशाओ का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

उद्देश्य .

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1 अण्डमान निकोबार द्वीप मे पायी जाने वाली जनजातियॉ, उनके प्रजातीय प्रकारो एव शारीरिक लक्षणो का ज्ञान प्राप्त करना।

2 उनके आर्थिक आधारो, ससाधन, आखेट, कृषि, पशुपालन आदि का ज्ञान प्राप्त करना।

3 उनके सामाजिक सगठन, रीति–रीवाज, सामाजिक वर्ग एव स्तरीकरण, सामाजिक विकास (शिक्षा एव स्वास्थ्य), खान–पान, रहन–सहन आदि का ज्ञान प्राप्त करना।

4 जनजातीय क्षेत्रो मे आधार भूत सुविधाओ के विकास, उत्पादन प्रक्रिया, विपणन सुविधा, सामाजिक अर्न्तक्रिया आदि का विश्लेषण करना।

5 सरकार द्वारा समय–समय पर सचालित एव क्रियान्वित किए गए विकास कार्यक्रमो एव परियोजनाओ के प्रभाव का मूल्याकन करना।

6 अण्डमान निकोबार की जनजातियो के तीव्रतर एव सतुलित सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक समन्वित विकास योजना प्रस्तुत करना।

विधितत्र

मात्र निकोबारी जनजाति को छोडकर अन्य सभी जनजातियॉ आधिकाशत आदिम अवस्था एव अल्प सख्या मे है, तथा विविध द्वीपो पर जगली क्षेत्रो मे बिखरी हुई है। इनसे सम्पर्क करने तथा उस क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त करनी होती है, क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये क्षेत्र बाहरी लोगो के लिए पूर्ण निषिद्व घोषित कर दिये गये है। सेन्टिनली जनजाति से तो अभी तक किसी का सम्पर्क ही नही हो पाया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्र काफी दुर्गम पहाडी एव जगली है तथा दूर–दूर समुद्री द्वीपो मे है। यहॉ आसानी से पहुचना कठिन है। उपरोक्त कठिनाइयो के कारण जनजातीय सुविधाओ से सम्बन्धित सूचनाएॅ एव तथ्य एकत्रित करना एक कठिन कार्य है। फिर भी शोधकर्ता ने जनजातियो के सामाजिक आर्थिक दशाओ से सम्बन्धित तथ्यो एव

सूचनाओ के लिए प्राथमिक एव द्वितीय स्रोत्रो का सहारा लिया है। प्राथमिक स्रोत्र के अर्न्तगत शोधकर्ता प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त कर अनेक द्वीपो मे जनजातियो से सम्पर्क करने, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने एव उनसे सीधी सूचना प्राप्त करने हेतु सपर्क किया। भाषा की कठिनाई एव सम्प्रेषण अन्तराल के कारण जनजातियो से सूचना प्राप्त करना भी कठिन कार्य है। लेकिन शोधकर्ता ने कई बार उनसे सम्पर्क कर यथा शक्ति सूचनाएँ एव तथ्य प्राप्त किये। द्वितीय स्रोत्रो के अर्न्तगत शोधकर्ता ने विविध पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओ, साख्यिकी पत्रिकाओ, जनगणना पत्रिकाओ, जनजातीय उप–योजना एव अनेक सबन्धित सस्थाओ से जनजातियो के सामाजिक आर्थिक दशाओ से सम्बन्धित सूचनाए एव तथ्य एकत्र करने का प्रयास किया।

उपरोक्त कठिनाइयो के कारण जनजातीय समूहो के अध्ययन मे किसी पूर्व स्थापित सिद्वान्त या प्रतिदर्श का उपयोग नही किया जा सकता। अत प्रस्तुत शोध ग्रथ मे क्षेत्र अध्ययन आधारित आनुभविक विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन की सुविधा हेतु शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध योजना को तीन भागो मे विभक्त किया 1 पुस्तकालय कार्य 2 क्षेत्रीय कार्य एवं 3 प्रयोगशाला कार्य।

पुस्तकालय कार्य के अर्न्तगत शोधकर्ता ने विविध पुस्तकालयो मे जनजातियो से सम्बन्धित पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओ, शोध पत्रो, शोध प्रबन्धो, आख्याओ आदि का अध्ययन एव अनुशीलन किया तथा शोध प्रबन्ध हेतु वाच्छित सामग्री एकत्र की। इस अध्ययन से शोधकर्ता को विषय के सकल्पनात्मक एव व्यवहारिक दोनो स्वरूपो का ज्ञान प्राप्त हुआ।

क्षेत्रीय अध्ययन के अर्न्तगत शोधकर्ता ने अण्डमान निकोबार के अनेक जनजातीय द्वीपो मे जाकर क्षेत्र सर्वेक्षण एव सपर्क द्वारा सीधी जानकारी प्राप्त की। विविध सम्बन्धित सस्थाओ

एव आधिकारियो से सम्पर्क कर जनजातियो के सामाजिक एव आर्थिक दशाओ से सम्बन्धित सूचनाए एव तथ्य प्राप्त किये गए।

प्रयोगशाला कार्य के अन्तर्गत शोधकर्ता ने सूचनाओ एव आकडो का साख्यिकीय एव मानचित्रीय आधार पर सगठन एव विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर उनके सामाजिक आर्थिक दशाओ से सम्बन्धित परिणाम निकाले गए तथा उनके मानचित्रण एव व्याख्या का प्रयास किया गया। अन्तत शोधकर्ता ने शोधप्रबन्ध के लेखन का कार्य पूर्ण किया।

संदर्भ सूची

1 Hasnain, Nadeem, 1991 Tribal India Today, Harnam Publication's, New Delhi, P-3

2 Mishra, B N 1989 Rural Development in India-Basic Issues and Dimensions, Sharada Pustak Bhawan, Allahabad, P-182

3 Mishra, B N 1992 Ecology of Poverty in India, Rural Environment Planning Series, vol I, Chugh Publications, Allahabad, P-162

4 Mishra, B N 1994 Rural Landscape Transformation and Change, Chugh Publications, Allahabad, P-180

5 Dubey, S C 1973 Social Science in Changing Society, in Ethnographic and Folk Culture Society Lucknow

6 Hasnain, Nadeen 1991 Op Cit P-13

7. Wilke, A et al 1979 Tribal India: Unintentional Acculturation, Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research, No-21

8 Majumdar, D N and Madan, T N 1967 An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing House, Mumbai

9 Nanda, S & Prasad, R R 2001 Encyclopaedic Profile of Indian Tribes, vol I

10 Naik, T B 1960 The Bhils, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, New Delhi

11 Ehrenfels, U R 1952· Kadar of Cochin, University of Madras, Chennai

12 Majumdar, D N 1944 Races and Cultures of India, Universal Publishers, Lucknow

13 Gillin, J and Gillin, P ,1954 Cultural Sociology Leonard Hill Books, NewYork, P-35.

14 Mair, Lucy. Introduction to Social Anthropology, Leonard Hill Books New York P 90

15 Huntingford, G W B.1950 Habitat, Economy and Society, Uethuen and Co London

16 Rivers, W H.R 1906 The Social Organization, Culture Publishers, London

17 Winick, Charles 1947 Dictionary of Anthropology, Cultures Publishers, London, P-546

18 Linton, Ralph 1950 The Study of Man, Culture Publishers, London

19 Hoebel, E A 1958 Man in the Primitive World, Leonard Hill Books, Newyork, P-7

20 Lewis, I M 1968 Tribal Society, in International Encyclopedia of the Social Sciences, David L Sil(Ed),vol 16, Macmillan, London

21 Ramamani, V S 1988 Tribal Economy-Problems and Prospects, Chugh Publications, Allahabad, P-2.

22 Mishra, B N 1999 Tribal Development in India Retrospect and Prospect, in 'Tribal'scene in Jharkhand, A Bhushan et al (Eds), Novelty and co Patna, P 23

23 Piddington,R 1956 An Introduction to Social Anthropology,Vol I

24 Majumdar, D N 1944 OP cit

25 Hasnain, Nadeem 1994 Bhartiya Manav Vigyan, Jawahar Publishers & Distributers, New Delhi, P-130

26 Guha, B S , 1938 The Racial Elements of India, Popular Prakashan, Mumbai.

27 Ibid

28 Hasnain, Nadeem, 1994 Op Cit P 133

29 Nand, S and Prasad, R R 2001, Op Cit. P-XVIII

30 Verma, R C Bhartiya Janjatiyam P 109

31 Ibid, P-112

32 Ibid; P-116

33 Ibid, P-118

34 Mishra, B N.1999 Tribal Development in India Retrospect and Prospect, in Tribal Scene in Jharkand, A Bhushan et.al (eds), Novelty &co , Patna, P.23

35 Pandeya, B N 1999 Profiles of Tribal scene in Jharkhand, Op.Cit P 14

36 Shilu AO Committee Report, 1969 Approach to Fifth Plan (1974-79), Planning commission, New Delhi

37 Nag, D S 1958 Tribal Economy-An Economy study of Baiga, Bhartiya Adimjati Sevak Sangh, King's way Camp, New Delhi

38 Saxena, R P 1964 Tribal Economy in Central India, Calcutta

39 Ramaiah, P 1961 Tribal Economy in India, Light and Life Publication, Paharganj, New Delhi

40 Shah, Vimal 1967 Tribal Economy in Gujrat, in 'Tribal Journal, vol IV, No 2, Hyderabad P P 4-5

41 Mishra, B N 1999 Op cit.P 22

42 Hasnain, Nadeem 1991 Op Cit P 195

43 Pandeya, B N 1999 op cit P 16

44 Vidyarthi, L P 1977 Tribal Cultures of India, concept Publishers, New Delhi

45 Roy Burman, B K 1981 Some Dimensions of Transformation of Tribal societies in India, Journal of social Research, Vol 11, No-1

46 Hasnain, Nadeesn 1991 Op Cit P-209

47 Mishra, B N 1999 Op Cit P-27

48 Ibid P-30

49 Nag, D S 1958 Op Cit

50 Saxena, R P 1964 Op Cit

51 Vidyarthi, L P. 1977 Op Cit

52 Roy Burman, B K. 1981. Op. Cit

53 Shah, Vimal, 1967 Op. Cit

54 Srivastava, D N and Singh, C B. 1970 Agricultural Development & Tribal Population in India Indian Journal of Agricultural Economics, Vol xxv, No 344, Bombay, P P 161-167

55 Roy Burman, BK, and Sharma P S , 1970 Tribal Agriculture in India Indian Journal of Agricultural Economics vol xxv No 34, P P 149-155

56 Aram, M 1972 The Emergin, Situation in Nagaland and Some Suggestion's for a National Policy In Tribal Situation in India,

Edited by K Suresh Singh, Indian Institute of Advanced Study, Simla P P 125-129

57 Gopal R , 1983 Farm Economy kin Tribal Areas A case study of Bastar District, yojana, vol 27, No 18, New Delhi, P P 27-28

58 Patel M L 1972 Agro-Economic survey of Tribal Mandha, Peoples Publishing Hause, Delhi

59 Raghvaiah, V 1976 Tribal Revolts, Andhra Rashtriya Adamjati Sevak Sangh, Nellore

60 Chowdhry B K & Bhattacharjee,S. 1976. An Evaulation of Tribal Development Agency In Singhbhum, Bihar, Agro Economic Research Centre, Visva, Bharti Santiniketan P P 90-91

61 Naidu N V 1976 Pains of Industriligation, Economic and Political weekly, vol 1, No 23, Bombay, P P 830-831

62 Dadhich, C L, 1977 Farm Co-Operative Credn to Scheduled castes and Scheduled tribes, Economic & Political weekly, vol 12 No 13, Bombay, P- A23

63 Chanda, A K 1976 Chailanging of Tribal Poverty- A study of Rural Indebtedness and the credit Institutions, the Administrator, Quartly Journal of LalBahadurShastri, National Academy of Administration, Government of India, vol, xx11 No 1, P-173

64 Tripathi, J N , 1978.A Study of Culture and custom's with refevence to Navabar Block, The Administrator Quartly journal of Lal Bahadur Shastri; National Acedamy of Administration, vol xxxIII, No 1 Mossorie, Spring. P 285

65 Apte, D P 1976 Kolaba villages, in Planning for Tribal Development Edited by Ranjeet Gupta, Ankur Publishing, New Delhi, P 176

66 Sharma, P N 1978 Panning for the poor, kurukshetra, New Delhi, vol 26, No 19, P 13

67 Royappa , P H & Grover, D 1979 Employment planning for scheduled Tribs, Economic and political weekly Bombay, vol XIV, No 24, P 1015

68 Prakash, B A , 1980 A Case study of South wynad Tribals, Yojana, New Delhi , vol-24 No-6, P 19-20

69 Yadav, H & Mishra, C S , 1980 Impact of the Tribal Development Programmes on Employment, Madya Pradesh, Indian Journal of Aqricultural Econonics, Bombay, Vol, xxxv, No 4, P 69

70 Rayappa, P H & Grover, D , 1980 Employment Planning for Ruual Poor The Case of Scheduled Castes and Scheduled Tribe's, Sterling Publishers, New Delhi

71 Ramaiah, P , 1881 Tribal Economy of India A Case Study of koyas of Andhra Pradesh, Light and Life Publishers, New Delhi, P 67

72 Rao, D V R 1981 Direction of Backwordnes A Study of Toluk village and House Hold Levels in Kasnataka, Concept Publishing Company, New Delhi, P 93

73 Deshpande, V 1982 Employment Gurantee Scheme· Impact on Poverty on Bondage Among Tribals, Tilak Maharashra Vidyapeeth, Pune, P 66

74 Ranjani, P , 1981 Profile of Lambada Tribe, Mainstream, New Delhi Vol-xx, No 16, P 25

75 Singh, H M , 1981 · Tribal Report-Kalahandi District Orissa, The Administrator Quarterly Journal of Lal Bahadur Shastri Natinal Academy of Administration, Mussourie, Vol xxvl, No3, P 443

76 Hasnain, Nadeem, 1983 opsit

77 Pathy, Jagnath, 1984 Tribal Peasantry, Dyanamics of Development, InterIndia Publicators, New Delhi, P III

78 Gupta M D , 1984 Tribal Unrest, Economics and Political weekly, Bombay Vol, XIX, No11, P 449,

79 Naryan S & Kumar Vinod, 1983 Obstacles in Tribal Development, Mainstream, New Delhi, Vol xx, No11 P 22

80 Gori , Gulab Khan, 1984 Changing Phazee of Tribal Area of Manipur, B R Publising, Delhi, P P 51-52

81 Bose, Pradeep Kumar , 1985, Classes and Class Relations Among Tribals of Bengal, Ajanta Publications, New Delhi, P.60

82 Kunhaman, M , 1985 The Tribal Economy of Kerala- An Intra-Regional Analysis, Economic and Political weekly, Bombay, Vol xx, P 466

83 Rayappa Hanumantha P and Muthurayappa R , 1986, Backwrdness and Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India, Ashish Publishing House, New Delhi, P 40, 42.

84 Ibid, P-75

85 Thakur, Devender, 1986 Socio-Economic Development-of Tribes in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, P 190

86 Bose, S C , 1986 Planning for Tribal Development- Kerala's Experience, yojana, New Delhi, Vol-30, No 5,

87 Gupta, Dipankar, 1986 Tribal Development in a West Bengal District, Programme's Structure and Process, Economic and Political weekly, Bombay, Vol, XXI, No 1, P 35-45

88 Hussain M , 1987 Tribal Movement of Automous State in Assam, Economic Political Weekly, Bombay, Vol XII, No32 P. 1332

89 Swaroop, R and Bhati J P , 1987 Economic Development of Tharu Tribals Kurukshetra, New Delhi, Vol 23, No 2, P P 10-11

90 Mahapatro, P C , 1987 Economic Development of Tribal India, Ashish Publising House, New Delhi, P 280-282

91 Rama mani, V S , 1988 op Cit

92 Husnain, Nadeem, 1991, op Cit

93 Majumdar D N & Madan T N 1992, An Introduction to Social Anthropology, Mayur Paper Backs, Noeda

94 Dubey, S C 1993 · Manav Aur Sanskriti, An Anthropological & Sociological study, Rajkamal Pablications, New Delhi

95.Gupta M L & Sharma D D. 1995 Social Anthropology, Sahitya Bhavan, Agra

96 Bhoosan Anand et al 1999 Tribal Scene in Jharkhened, Novelty and co,Patna

अध्याय–2

जनजातीय विकास के स्थानिक घटक
अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तावना :

श्री गुप्त ने यहाँ के आदिवासियो को किरात जाति का वशज माना है। जिसका उल्लेख वाल्मिकि रामायण मे हुआ है– "अमामिना सनाश, तत्र किरात द्वीप वासिन," इसकी पुष्टि राजेन्द्र प्रसाद सिह जी ने की है। यहाँ के आदिवासियो के जाति नामावली मे भी "क" शब्द का प्रधान्य दिखाई देता है– जैसे कोल, एकाकोडा, अकाकोडा, केडा आदि। इनके उच्चारण और किरात शब्द के उच्चारण मे भी समानता मिलती है, और इस विचारधारा को बल मिलने लगता है कि, ये आदिवासी उसी किरात जाति के है, जिनका उल्लेख रामायण मे हुआ है।

अण्डमान के आदिवासियो को रामायण काल से जोडने के बाद लोगो ने यह कहना शुरू किया कि अण्डमान शब्द "हनुमान" का विकृत रूप है। श्री मेक्सवेल के अनुसार यहाँ के आदिवासियो को "हनुमान" नाम से पुकारते थे, और इसका अभिप्रेत अर्थ रामायण कालीन सदर्भ से था। 18वी शताब्दी मे इन द्वीपो को "इन्दुमान" अथवा "अण्डमान" नाम से पुकारा जाने लगा। चीनी और जापानी लोगो ने "याड्गप्यान" नाम दिया, जो कालान्तर मे अण्डमान की सज्ञा से अभिहित किया जाने लगा।

निकोबार "निक्कवरन" शब्द से बना है, जिसका अर्थ है "नगे रहने वालो का देश"। निकोबार के निवासियो का सर्वप्रथम उल्लेख लसिग नामक चीनी यात्री की पुस्तक "लोजेनक" मे मिलता है। "पिकर्टनस बॉयजेज एण्ड ट्रेवेलर्स" भाग सात की पृष्ठ

सख्या 183 पर छपे अरब यात्रियो के विवरण मे इस द्वीप को "लेजाबालुस" कहकर सबोधित किया गया, जिसका अभिप्राय "नगे रहने वाले लोगो" से है। आज भी शोम्पेन, जरवा एव सेटीनली जनजाति के लोग नगे ही रहते है (प्लेट स0 1 एव 2)।

मार्कोपोलो ने इन द्वीपो को "नेकूवरन" तथा कर्नल मूले ने चीनी नाम "नालोकियोचेन" – नारिकेल द्वीप नाम दिया। सन् 851 ई0 से पूर्व सुलेमान सौदागर ने निकोबार द्वीप को "लेजवालु" नाम दिया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अण्डमान का सर्वप्रथम उल्लेख टॉलमी ने किया था। इसके पश्चात् चीनी यात्री इत्सिग ने किया। सन् 1290 ई0 मे मार्कोपोलो ने इन द्वीपो से गुजरते हुए अण्डमान को बडा लम्बाद्वीप, और यहॉ के निवासियो को जगली जानवरो की भॉति खूखार एव सर्वभक्षी की सज्ञा दी। तजौर के एक ऐतिहासिक शिलालेख मे इस द्वीप के सम्बन्ध मे "टिमाई टिब्बू" नाम आया हुआ है, जिसका अर्थ अशुद्व द्वीप है। कर्नल मूले की पुस्तक मार्कोपोलो मे यहॉ के आदिवासियो को राक्षस की तरह माना है तथा नारकोण्डम द्वीप के प्रज्वलित ज्वालामुखी को देखकर समीप से गुजरने वाले जलयान के ब्राह्मण कप्तान ने "नरक कुण्ड" की सज्ञा दी थी, तभी से यह द्वीप नारकोण्डम के नाम से जाना जाता है।

अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह का 16वी शताब्दी मे यूरोपीय शक्तियो के भारत आगमन के पहले कोई एतिहासिक महत्व नही था। यहॉ सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। उसके बाद डच आये। इसी बीच अग्रेजो ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। बाद मे अग्रेजो और डचो के बीच अण्डमान के पास सघर्ष हुआ तथा अग्रेजो ने डचो को हराकर अण्डमान द्वीप पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया।

पहली बस्ती उत्तरी अण्डमान मे 1789 ई0 मे बसायी गयी। अन्तत उपनिवेश बसाने का प्रयत्न छोड दिया गया,

प्लेट संख्या–1

शोम्पेन आदिम जनजाति की महिलाए

प्लेट संख्या–2

जारवा आदिम जनजाति की महिलाए

अध्ययन क्षेत्र के विविध भौगोलिक कारको के सम्यक एव क्रमबद्व विश्लेषण हेतु उन्हे दो प्रमुख वर्गो मे विभाजित किया गया है – 1 भौतिक कारक एव 2 सास्कृतिक कारक।

भौतिक कारक .

इसके अन्तर्गत क्षेत्र की स्थिति, विस्तार, सरचना, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया गया है।

स्थिति एव विस्तार

अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह बगाल की खाडी के दक्षिणी पूर्वी भाग मे स्थित है। चारो ओर से समुद्र से घिरे होने तथा घनी वनस्पतियो के मध्य मानव अधिवासो से युक्त ये द्वीप अत्यन्त सुन्दर लगते है (प्लेट स0 3)। यहॉ का सूर्योदय एव सूर्यास्त का दृश्य अति आकर्षक एव मनोहारी होता है (प्लेट स0 4 एव 5)। इसके अन्तर्गत लगभग 556 छोटे बडे द्वीप सम्मिलित है, लेकिन मानव निवास एव अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण द्वीपो की सख्या 321 है।[2] इनमे से 258 द्वीप अण्डमान मे है एव 61 द्वीप निकोबार के अन्तर्गत आते है, इनमे 38 द्वीप ऐसे है जिन पर मानव का निवास है।

अण्डमान निकोबार द्वीपो का अक्षाशीय विस्तार 6 उत्तरी अक्षाश से 14° उत्तरी अक्षाश तथा 92° पूर्वी देशान्तर से 9:° पूर्वी देशान्तर के मध्य है। अण्डमान द्वीपो की उत्तर दक्षिण लम्बाई 467 कि0मी0 तथा औसत चौडाई 24 किलोमीटर है, इसकी अधिकतम चाडाई 52 किलोमीटर है। निकोबार द्वीपो की उत्तर–दक्षिण लम्बाई 259 कि0मी0 तथा चौडाई 58 किमी है। इस प्रकार अण्डमान एव निकोबार का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है, जिसमे 6408 वर्ग किलोमीटर अण्डमान द्वीपो के अन्तर्गत तथा 1841 वर्ग किलोमीटर निकोबार द्वीपो के अन्तर्गत है (Fig.2.1)। ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार सर्वाधिक (8232 4 वर्ग कि0मी0) है, जबकि नगरीय क्षेत्रफल मात्र 16 6

Andaman &
Nicobar Islands
N
Coco (Myanmar)
Coco Channel
Land Fall
North Andaman
Interview
Narcondam
Narcondam
ANDAMAN SEA
BAY OF BENGAL
Middle Andaman
ANDAMAN
Barren
Ritchies
ISLANDS
Havelock
Port Blair
North Sentinel
Rutland
Duncan Passage
South Sentinel
Little Andaman
INDIA
Ten Degree Channel
Car Nicobar
NICOBAR
Batti Malv
Tillanchon
Chaura
Kamorta
ISLANDS
Teressa
Nancowry
Katchall
Sombrero
Channel
Little Nicobar
Scale
0 20 40 60 80 100 Kms
Grate Nicobar
Indira Point

Fig. 2.1

वर्ग कि0मी0 है। इसकी राजधानी पोर्टब्लेयर नगर है। इसका सबसे दक्षिणी बिन्दु 6° उत्तरी अक्षाश पर स्थिति इन्दिरा प्वाइन्ट है, जबकि सबसे उत्तरी बिन्दु लैण्डफाल 14° उत्तरी अक्षाश पर स्थित है। अण्डमान का सबसे बडा द्वीप (1536 वर्ग कि0मी0) मध्य अण्डमान द्वीप है, जबकि निकोबार का सबसे बडा द्वीप (1045 वर्ग कि0मी0) ग्रेट निकोबार है। इसी प्रकार अण्डमान का सबसे छोटा द्वीप कल्यू द्वीप (0 03 वर्ग कि0मी0) है, जबकि निकोबार का सबसे छोटा द्वीप पिलोमिलो द्वीप (1 3 वर्ग कि0मी0) है।[4]

अण्डमान–निकोबार द्वीप के उत्तर पूर्व मे वर्मा, दक्षिण पूर्व मे इण्डोनेशिया, पूर्व मे अण्डमान सागर, एव पश्चिम मे बगाल की खाडी स्थित है। इसे प्रशासनिक आधार पर दो जनपदो, चार उपभागो, सात तहसीलो एव पॉच विकास खण्डो मे विभाजित किया गया है। यहॉ पर एक नगर महापालिका, एक जिला परिषद तथा 15 पुलिस थाने है। यहॉ की प्रशासनिक इकाइयॉ सारणी सख्या 2 1 अ, ब, एव स मे स्पष्ट रुप से दी गयी है।

सारणी सख्या 2 1 (अ)

उप–भाग, तहसील, राजस्व एव जनगणना ग्रामो की सख्या

	उप–भाग	उपभाग में सम्मिलित तहसीले	राजस्व गॉव (संख्या)	जनगणना गॉव (संख्या1991)
1	मायाबन्दर	1 डिगलीपुर	30	42
		2 मायाबन्दर	26	71
		3 रगत	42	75
2	दक्षिणी अण्डमान	4 पोर्टब्लेयर	46	87
		5 फरारगज	53	80
3	कार निकोबार	6 कारनिकोबार	–	16
4	नानकौरी	7 नानकौरी	7	176
	योग–		204	547

स्रोत– आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

सारणी सख्या 2.1 (ब)

प्रदेशवार ग्रामपचायते, पचायत समितियाॅ एव जिला परिषद

क्षेत्र (प्रदेश)	ग्रामपंचायत	पंचायत समिति	जिला परिशद
डिगलीपुर	13	01	–
मायाबन्दर	08	01	–
रगत	14	01	–
पोर्टब्लेयर	10	01	01
फरारगज	15	01	–
लिटिल अण्डमान	04	01	–
कैम्पबेल बे	03	01	–
योग	67	07	1

स्रोत– आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 2.1 (स)

समुदायिक विकास खण्ड

क्रम0 सं0	समुदायिक विकास खण्ड के नाम	अधिकार क्षेत्र	मुख्यालय
1	दक्षिण अण्डमान	पोर्टब्लेयर एव फरारगज तहसील	फरारगज
2	मध्य अण्डमान	रगत एव मायाबन्दर तहसील	रगत
3	उत्तरी अण्डमान	डिगलीपुर तहसील	डिगलीपुर
4	कार निकोबार	कार निकोबार तहसील	मलक्का
5	नानकौरी	नानकौरी तहसील एव ग्रेटनिकोबार द्वीप	कर्माॅटा

स्रोत– आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

प्लेट संख्या–3

पोर्टब्लेयर नगर का हवाई चित्र

प्लेट संख्या–4

पोर्टब्लेयर मे सूर्योदय का दृश्य

सरचना ·

प्लेट विवर्तनिकी सिद्वान्त के अनुसार भारतीय प्लेट अति प्राचीन काल मे गोडवाना लैण्ड का अभिन्न अग थी। अफीका, मालागासी, दक्षिण अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया एव अण्टार्कटिका सभी गोडवाना लैण्ड के ही भाग थे। 200 मिलियन वर्ष पूर्व भूगर्भिक शक्तियो के कारण गोडवाना लैण्ड मे विखण्डन हो गया तथा उपरोक्त सभी भूभाग एक दूसरे से पृथक होकर अलग–अलग दिशाओ मे प्रवाहित होने लगे। भारतीय प्लेट 12 सेमी0 प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई लद्दाख के पास यूरेशियायी प्लेट से टकराई। भारतीय प्लेट के उत्तरी प्रवाह एव उत्तर मे स्थित अगारा लैण्ड के अवरोध के कारण इन दोनो भूखण्डो के मध्य स्थित टैथिस सागर का मालवा उत्थित होकर मोडो मे परिवर्तित होने लगा, जिससे एक लम्बे समयान्तराल मे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। लद्दाख के पास यूरेशियाई प्लेट से टकराने के पश्चात भारतीय प्लेट के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व हो गयी तथा प्रवाह गति धीमी होकर 5 5 सेमी0 प्रतिवर्ष हो गयी। इसी विवर्तनिक घटना के कारण ही पूर्वी हिमालय की श्रेणीयो जैसे – नागा की पहाडियो, गारो, खासी, जयन्तियॉ की पहाडियॉ, मिजोरम की पहाडियॉ, वर्मा का अराकानयोमा पर्वत आदि निर्मित हुए। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को भी बगाल की खाडी मे इन्ही पर्वतश्रेणीयो का विस्तार माना जाता है। खाडी के जल के अन्दर ही अन्दर ये श्रेणीयॉ उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियॉ से सम्बद्व है तथा दक्षिण की ओर इण्डोनेशियाई श्रेणियो मे मिल जाती है। इस श्रृखला की ऊॅची श्रेणियॉ जल के ऊपर द्वीपों के रूप मे दिखाई पडती है, जबकि निचली श्रेणियॉ जल मग्न है। इन ऊॅची श्रेणियो को दीर्ध काल से ज्वार–भाटा एव समुद्री लहरें अनवरत रूप से अपरदित करती रहीं। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे ये श्रेणियॉ द्वीपो के रूप

मे परिवर्तित हो गयी। पर्वतश्रेणियो के उच्च भाग इन सभी द्वीपो के मध्य भागो या किनारो पर आज भी देखे जा सकते है। इस प्रकार सरचनात्मक दृष्टि से अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह हिमालय श्रृखला के ही दक्षिणी एव पूर्वी विस्तार है, जो इन श्रेणियो मे पाये जाने वाली अवसादी चट्टानो, बलुआ पत्थर, उनकी सरचना एव स्थिति से स्पष्ट होता है।

यद्यपि यह भू भाग हिमालय पर्वत श्रृखला का विस्तार है तथा इसमे अवसादी बालुका पत्थर चट्टानो की प्रधानता है। फिर भी यहॉ पर आग्नेय चट्टानो का भी विस्तार है। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का भारतीय प्लेट के विनाशात्मक किनारे पर स्थित होना एव प्लेट के अवतलन से उत्पन्न ज्वालामुखी क्रियाओ एव ज्वालामुखी उद्‌गारो का होना माना जाता है। इन द्वीपो के नारकोण्डम एव बैरन द्वीप आज भी क्रियाशील ज्वालामुखी क्रियाओ के क्षेत्र माने जाते है। इसका प्रमाण 10 अप्रैल 1991 को बैरनद्वीप पर धटित हुआ ज्वालामुखी उद्‌गार एव समय–समय पर आने वाले भूकम्प के झटके, जिनमे हाल ही मे 15 सितम्बर 2002 को आया भूकम्पीय झटका (रिक्टर स्केल पर 5 3) मुख्य है।

इस प्रकार अण्डमान निकोबार के द्वीपो मे मुख्य रुप से दो ही प्रकार की चट्‌टाने – आग्नेय एव अवसादी मिलती है। आग्नेय शैलो का विस्तार लगभग सभी द्वीपो मे है, लेकिन अण्डमान द्वीपो के सर्पिल धातुक श्रेणी की अधिकाश चट्‌टाने आग्नेय ही है। अण्डमान मे निकोबार की अपेक्षा आग्नेय चट्‌टानो का विस्तार अधिक है। सैडल पीक, रटलैण्ड द्वीप (काला पहाड) , सिक द्वीप , नारकोण्डम द्वीप , बैरन द्वीप, उत्तरी एव मध्य अण्डमान आदि मे आग्नेय शैले पायी जाती है (Fig. 2.2) ।

अवसादी शैलो मे प्रमुखतया बालुकापत्थर है, जो अण्डमान एव निकोबार दोनो क्षेत्रो मे पायी जाती है। अण्डमान के

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.2 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.2 (B)

पहाडी क्षेत्रो एव घाटियो मे इनका सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है। निकोबार क्षेत्र मे ये चट्टाने रेत की मोटी परत से ढकी है, लेकिन अन्दर–अन्दर पूरे द्वीप पर इनका विस्तार है। बालुकापत्थर के अलावा लाल–पीला जैस्पर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर आदि भी कई स्थानो पर पाये जाते है।

इस क्षेत्र मे उथले एव गर्म समुद्री जल की पर्याप्त उपलब्धता तथा निमज्जित द्वीपो द्वारा प्रस्तुत किये गए आधार के कारण अनेक क्षेत्रो मे विस्तृत प्रवाल चट्टानो का भी निर्माण हुआ है तथा नए–नए क्षेत्रो मे इनका विकास अब भी हो रहा है। इन प्रवाल भित्तियो मे पश्चिमी प्रवाल, मध्यवर्ती प्रवाल, दक्षिणी प्रवाल, जॉली प्रवाल आदि मुख्य है। अण्डमान एव निकाबार के सरचनात्मक विशेषता मानचित्र सख्या 22 मे प्रदर्शित है।

उच्चावच .

यघपि अण्डमान और निकोबार स्वय ही पर्वतश्रेणियो के भाग है, लेकिन दीर्ध कालीन अपरदनात्मक क्रियाओ के कारण अब इनका स्वरूप तटीय एव मध्यवर्ती क्षेत्रो मे मैदानी भी हो गया है, जिसके कारण ऊँचाई–निचाई मे स्पष्ट भेद दिखाई पडता है। अण्डमान की पर्वतमालाये श्रृखलाबद्व नही है, बीच–बीच मे विखण्डित होकर आगे पुन मिल जाती है, जिससे घाटियो एव बेसिनो का निर्माण हुआ है। तटीय भागो मे समुद्री लहरो के अपरदन के कारण खाडियॉ बन गयी है। अधिकाश पहाडियॉ पश्चिमी एव पूर्वी किनारो पर मिलती है, और वे अण्डमान द्वीपो तक ही सीमित है। निकोबार द्वीप मध्यवर्ती भाग मे हल्के ऊँचे है, लेकिन सामान्यतया सभी द्वीप समतल ही है। अत उच्चावच का प्रखर रूप अण्डमान मे ही मिलता है। अण्डमान की सबसे ऊँची श्रेणी सैडल पीक 732 मी0 ऊँची है तथा उत्तरी अण्डमान

मे स्थित है। जबकि निकोबार की सबसे ऊँची श्रेणी माउन्ट थूलियर 642 मी0 ऊँचा है तथा ग्रेट निकोबार द्वीप मे स्थित है।

अण्डमान द्वीपो के उच्चावच का परास 232 मी0 से 732 मी0 तक है। इसका अध्ययन निम्नवत् है (Fig. 2.3)।

पश्चिमी तटीय श्रेणी ·

यह दक्षिण अण्डमान से चलती है और इन्टरव्यू द्वीप तक जाकर समाप्त होती है। यह श्रेणी अण्डमान की अन्य श्रेणियो मे सबसे कम ऊँची है। इस श्रेणी की ऊँचाई 244 मी0 तक है।

पश्चिमी तटीय श्रेणी सीधे दक्षिण पश्चिमी मानसून के ठीक सामने आ जाती है, जिससे पश्चिमी क्षेत्रो मे भारी वर्षा होती है। चौलुगा श्रेणी रेन्जर द्वीप तक चली जाती है। यह श्रेणी सम्पूर्ण अण्डमान मे सबसे ऊँची श्रेणी है। यह मध्य अण्डमान और दक्षिण अण्डमान के बीचो–बीच से गुजरती है। इसके दोनो तरफ समान्तर खाडियॉ है। आगे यह श्रेणी मध्य अण्डमान के पश्चिमी तट से होती हुई रेजर द्वीप मे समाप्त हो जाती है। इस श्रेणी की सबसे मुख्य चोटी दक्षिण से उत्तर मे है, जो माउट फोर्ड के नाम से प्रसिद्व है। इस चोटी की ऊँचाई 431 मी0 है। इसका स्थानीय नाम काला पहाड भी है। इसके बाद चौलुगा श्रेणी आती है। इस श्रेणी मे सबसे ऊँची चोटी कैडल है जो 322 मी0 ऊँची है। यह दक्षिण अण्डमान मे स्थित है।[4]

पूर्वी तटीय श्रेणियॉ

मउट हैरिएट की पर्वत श्रेणी उत्तर मे फैली हुई है। यह श्रेणी बाराटाग और मध्य अण्डमान से होती हुई उत्तर अण्डमान के पश्चिमी तट तक चली जाती है। माउण्ट हैरिएट की श्रेणी दक्षिणी अण्डमान से आरम्भ होती है (Fig. 2.3)। इस श्रेणी का सबसे ऊँचा भाग 365 मी0 है। बाराटाग और मध्यअण्डमान मे इस श्रेणी की

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.3 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.3 (B)

ऊँचाई कम हो जाती है। यहाँ सबसे ऊँची चोटी 213 मी0 है। उत्तर अण्डमान मे इसकी ऊँचाई बढ जाती है और वहाँ हडसन चोटी की ऊँचाई 338 मी0 है। उत्तर और मध्य अण्डमान के पूर्वी तट के साथ–साथ अण्डमान की सर्वोच्च श्रेणियाँ जाती है। इसके बाद चौलुगा श्रेणी का स्थान आता है।

उत्तर अण्डमान की मुख्य चोटी "सैडल" है जो 732 मी0 ऊँची है। इससे छोटी दूसरी "जिरेमिकू" है जिसकी ऊँचाई 683 मी0 है। ये दोनो चोटियाँ उत्तर अण्डमान की सबसे ऊँची चोटियाँ गिनी जाती है। मध्य अण्डमान का मुख्य पर्वत "डायनोलो" है, इसकी ऊँचाई 512 मी0 है। इसके अतिरिक्त इस भाग मे अनेक छोटी–छोटी चोटियाँ है, जो 305 मी0 से अधिक ऊँचाई की है (Fig. 2 3)।

दोनो पर्वत श्रेणियो के मध्य का भाग ढलवा है, तथा उनके बीच मे समान्तर खाडियो व समान्तर नदियो की घाटियाँ है। दक्षिण अण्डमान के पश्चिमी तटीय श्रेणियो तथा चौलुगा की श्रेणियो के मध्य रीच और डालरेम्पल रीच है। मध्य अण्डमान और इन्टरव्यू तथा मध्य अण्डमान और उत्तर अण्डमान के बीच मे बुचानन पासेज, इन्टरव्यू पासेज और आस्टिन हारबर है। चौलुगा श्रेणियो तथा उसकी श्रृखला और माउट हैरियट की श्रेणियाँ तथा उसकी श्रृखलाओ के बीच स्कूल बे निवेशिका विस्तार लिए हुए है। यहाँ इन श्रेणियो के दोनो ओर से झरने और नाले बहते रहते है।[5]

बाराटाग पर्वतमालाओ और चौलुगा श्रेणियो तथा उसकी श्रृखलाओ के बीच मे अमितला डायट पासेज है। उत्तर अण्डमान मे नीधम रीच, यरातिलजिग, मेलागी खाडी, लुखलरीवध बोल्यो और अर्द खाडी इत्यादि है। उत्तर और मध्य अण्डमान की पूर्व–पश्चिमी पर्वतमालाओ के बीच में और उत्तर मे हैरिएट की श्रेणियों के बीच मे ब्लैर बे, कलपोग बे, कालरा बे, फागो बे इत्यादि हैं।

जलराशियॉ

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जलराशियो मे खाडियॉ, चैनेल्स, जलडमरुमध्य एव नदियॉ मुख्य हैं।

अध्ययन क्षेत्र के मुख्य खाडियो मे हडसन खाडी एव मैकफर्सन खाडी उत्तरी अण्डमान के पश्चिम मे, तथा कैडल खाडी पूर्व मे स्थित है। मध्य अण्डमान के पश्चिम मे रगत खाडी तथा उत्तर–पूर्व मे सीवर्ट खाडी मुख्य है। दक्षिणी अण्डमान के पश्चिम मे बिलाप खाडी तथा पूर्व मे नैपियर खाडी है। जबकि दक्षिणी अण्डमान के दक्षिणी–पूर्व मे हटबे खाडी स्थित है। रगनाथन एव कैम्पबेल खाडियॉ ग्रेटनिकोबार के पूर्व मे स्थित है। इन खाडियो की गहराई 700 मी0 से 1500 मी0 के मध्य है (Fig. 2.4)।

अण्डमान निकोबार द्वीप एक दूसरे से अलग स्थित है तथा उनके मध्य मे लम्बे समुद्री भाग स्थित है। इन्ही को चैनल कहते है। कोको चैनल लैण्डफाल द्वीप तथा वर्मा के कोको द्वीप के मध्य स्थित है। इसकी गहराई 1000 मी0 है। डकन पैसेज लधु अण्डमान एव रटलैण्ड के मध्य 11° उत्तरी अक्षाश के सहारे स्थित है। इसकी गहराई 800 मी0 है। 10° चैनल अण्डमान और निकोबार द्वीपो के मध्य 10° अक्षाश के सहारे स्थित है, इसकी गहराई 732 मी0 है। साम्ब्रेरो चैनल नानकौरी एव लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है, इसकी गहराई 1240 मी0 है। सेन्ट जार्ज चैनल लिटिल निकोबार एव ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है गहराई 1300 मी0 है, जबकि चैनल ग्रेटनिकोबार से इण्डोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक विस्तृत है तथा इसकी गहराई 1300 से 1500 के मध्य है (Fig. 2.4)।

अण्डमान–निकोबार मे विविध द्वीपो के मध्य समुद्र की अत्यन्त पतली बाहे स्थित है, जिन्हे जलडमरुमध्य कहते है। होम्फ्रे जलडमरुमध्य, मध्य एवं दक्षिणी अण्डमान के बीच, सोन

ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

प्लेट संख्या–5

पोर्टब्लेयर में सूर्यास्त का दृश्य

प्लेट संख्या–6

निकोबार द्वीप का जगली क्षेत्र

जलडमरुमध्य, रटलैण्ट एव दक्षिणी अण्डमान के मध्य तथा अण्डमान जलडमरुमध्य दक्षिणी अण्डमान के उत्तरी–पूर्वी भाग मे स्थित है (Fig. 2.4)।

अण्डमान निकोबार के बडे द्वीपो मे कुछ छोटी–छोटी नदियाँ भी प्रवाहित होती है, जिनकी लम्बाई 20 से 50 कि0मी0 के मध्य है। इनमे उत्तरी अण्डमान की कलपाग एव बेटापुर नदियाँ, मध्य अण्डमान की ब्रोमलुमटा नदी, तथा ग्रेटनिकोबार की गलाथिया, आलेक्सेण्ड्रिया एव डगमर नदियाँ प्रमुख है। ये मीठे जल की नदियाँ है जो मध्यवर्ती भागो मे जलापूर्ति करती है। नदियो के क्षेत्र मे जनसख्या अधिवास एव कृषि का घनत्व अधिक है (Fig. 2.4)।

जलवायु :

भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने एव चारो ओर से उष्णकटिबधीय समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबधीय है।[6] तापमान एव आर्द्रता वर्षपर्यन्त सतुलित एव सामान्य स्थिति मे होते है। गर्म समुद्रो से आने वाली पवनो से प्राप्त वर्षा के कारण शीतलता भी बनी रहती है। वर्षा वर्ष पर्यन्त (नवम्बर से जनवरी छोडकर) बनी रहती है। पर्याप्त मात्रा मे वर्षा होने से सभी द्वीपो पर सघन वन भी पाये जाते है। अण्डमान निकोबार द्वीप के जलवायु तत्वो का सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

तापमान :

यहाँ पर औसत मासिक अधिकतम तापमान 29 8° सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 8° सेल्सियस होता है। वार्षिक तापान्तर 6–7° सेल्सियस होता है। यहाँ के वार्षिक तापमान का प्रतिरुप सारणी सख्या 2 2 अ एव रेखाचित्र सख्या 2 5 A मे स्पष्ट है। सर्वाधिक गर्म माह मार्च एव अप्रैल (31° सेल्सियस) होते है, तथा

सर्वाधिक ठण्डा माह दिसम्बर एव जनवरी (22 2° से0) होते है। इस प्रकार वर्ष पर्यन्त तापमान मे अन्तर अत्यल्प होता है,[7] जिससे यह क्षेत्र गर्म बना रहता है।

सारणी सख्या 2 2 अ

तापमान–पोर्टब्लेयर (0 से0)

महीना	औसत मासिक अधिकतम तापमान	औसत मासिक न्यूनतम तापमान
	2001	2001
जनवरी	29 8	22 1
फरवरी	30 7	22 8
मार्च	31 8	22 0
अप्रैल	30 7	23 2
मई	30 0	23 4
जून	29 3	23 0
जुलाई	29 2	23 2
अगस्त	29 0	23 1
सितम्बर	29 5	22 9
अक्टूबर	29 4	22 5
नवम्बर	29 6	22 6
दिसम्बर	29 1	22 4
औसत तापमान	29 8	22 8

स्रोत– आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

वर्षा

यह क्षेत्र गर्म होने के साथ ही साथ ग्रीष्म कालीन एव शीतकालीन दोनो मानसूनो से वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर वर्ष पर्यन्त आर्द्रता अधिक बनी रहती है। यहाँ औसत सापेक्ष आर्द्रता 79 5% है। पवनगति मई से अगस्त तक अधिक (14 किमी0/घण्टा) होती है, जबकि नवम्बर से जनवरी तक मध्यम (7 किमी0/घण्टा) होती है (सारणी सख्या 2 2 ब)। परिणाम स्वरुप यहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 3180 मि0मी0 है तथा कुल वर्षा दिनो की सख्या 192 है। वर्षा की सर्वाधिक मात्रा वर्ष के छ महीनो मई से अक्टूबर के मध्य प्राप्त होती है। न्यूनतम वर्षा का समय जनवरी, फरवरी एव मार्च होता है (Fig 2.5 B)। वर्षा की मात्रा मे वार्षिक परिवर्तन रेखाचित्र सख्या 2 6 मे स्पष्ट है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मायाबन्दर है, जहाँ पर 3173 मि0मी0 वर्षा प्राप्त होती है। पोर्टब्लेयर मे वर्षा की मात्रा 2811 5 मि0मी0 है। सारणी सख्या 2 3 मे विविध स्थलो के वर्ष 2000 मे प्राप्त वर्षा की मात्रा प्रदर्शित है। इस प्रकार यहाँ पर तापमान मे तो वार्षिक तापान्तर बहुत कम है, लेकिन वर्षा मे मौसमी विषमता अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए मौसम ऊष्णआर्द्र बना रहता है, जैसा कि हीदर ग्राफ (Fig 2-5B) मे स्पष्ट है।

यह क्षेत्र उष्ण होने के कारण उष्ण कटिबधीय चक्रवातो की उत्पत्ति का क्षेत्र है। बगाल की खाडी मे ये चक्रवात उत्पन्न होकर भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा अण्डमान एव निकोबार क्षेत्रो मे तूफान, झझावात, तडितविधुत एव प्रलयकारी वर्षा प्रदान करते है। इन तूफानो एव झझावातो को टाइफून कहते है तथा इनके आने पर जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

Temperature-PortBlair (in °c)
Temperature (° c)
35
30
25
20
15
10
5
0
31 8
30 7
30 7
29 8
30
29.3
29.2
29
29.5
29 4
29 6
29 1
22 8
23 2
23.4
22 1
22
23
23.2
23 1
22 9
22 5
22 6
22 4
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
mean monthly maximum temperature
mean monthly minimum temperature

Fig - 2 5A

Hyther Graph of Port Blair
30
25
20
15
10
5
0
Mar
Feb.
Jan
Nov
Dec
May
Jun
Apr
Sep
Jul.
Aug.
Oct.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Mean Monthly Rainfall (In cms.)

Fig. 2.5 (B)

Actual Rainfall in Port Blair
Rainfall (mm)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3368 4
3473 1
2795 8
2811 5
2975
1997
1998
1999
2000
2001

Fig - 2.6

सारणी सख्या 2 2 ब

औसत मासिक पवनगति एव औसत मासिक सापेक्षिक आर्द्रता–पोर्टब्लेयर

महीना	औसत पवनगति (किमी0 / घन्टा)	औसत सापेक्ष आर्द्रता 2001	
	2001	8-30 hrs	17-30 hrs
जनवरी	5 1	74	77
फरवरी	4 0	75	78
मार्च	4 2	71	72
अप्रैल	6 9	82	86
मई	10 0	83	85
जून	N A	82	83
जुलाई	13 9	83	85
अगस्त	N A	83	86
सितम्बर	N A	84	86
अक्टूबर	N A.	83	87
नवम्बर	4 9	80	83
दिसम्बर	7 2	71	76
औसत	7 0	79	82

सारणी संख्या – 2.3

विभिन्न स्थानो की वर्षा (मि0मी0)

स्थान	वर्श 2001
मायाबन्दर	3177 1
लोगद्वीप	N A
पार्टब्लेयर	2975 0
हटबे	3196 6
कार निकोबार	2576 5
नानकौरी	1813 1
कोण्डूल	2428 6

N.A. ज्ञात नही

स्रोत – आर्थिक एव सख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार

वनस्पति .

यहाँ का समशीतोष्ण तापमान, उच्च आर्द्रता एव पर्याप्त वर्षा पौधो के विकास मे सहायक सिद्व होती है। इसलिए इन द्वीपो मे वनस्पति की प्रचुरता है (प्लेट 678)। द्वीपो मे शायद ही कोई ऐसा वृक्ष मिलेगा, जिसके ऊपर परजीवी पौधे एव लताए न पनप रहे हो (प्लेट स0 8)। यहाँ के वन सदाबहार प्रकार के मिश्रित वन है।[8] जिनमे अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते है। यहाँ पर कुल 7171 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल पर वनो का विस्तार है, जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 86 प्रतिशत है। इसमे 5638 वर्ग किमी0 वनक्षेत्र अण्डमान द्वीप समूह मे तथा 1533 वर्ग कि0मी0 निकोबार द्वीप समूह मे स्थित है। सम्पूर्ण वन क्षेत्र (7171 वर्ग कि0मी0) मे 2929 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर आरक्षित वन है, तथा शेष 4242 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर सरक्षित वन है। यहाँ के वनो से प्रति वर्ष लगभग 85 हजार घन मीटर इमारती लकडी निकाली जाती है, जिसमे से अधिकाश बाहरी देशो को निर्यात होती है तथा शेष देश के घरेलू कामो मे खपत होती है। इन वनो से वन विभाग को लगभग तीन हजार लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते है। इस प्रकार अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के वन सदाबहार, सघन एव मिश्रित (प्लेट सख्या 9 एव 10) होने के बावजूद भी अनेक उत्पादो के माध्यम से स्थानीय एव देश की आय मे महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। यहाँ के जगलो मे पाये जाने वाली महत्वपूर्ण वनस्पतियो का सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

प्रमुख वृक्षो के प्रकार :

इन द्वीपो के वनो मे 200 से भी अधिक वृक्षो की किस्मे पायी जाती है, जिसमे मात्र 44 प्रकार के वृक्षो को उपयोग मे लाया जाता है तथा लगभग 29 प्रकार की किस्मो को औद्योगिक उपयोग मे लाया जाता है। यहाँ पर पायी जाने वाली मुख्य वृक्षो मे गर्जन, पैडाक, मैग्रूव, सागौन, बेत एव बॉस, नारियल एवं सुपाडी,

प्लेट संख्या–7

जारवा आदिम जनजाति का पुरुष

प्लेट संख्या–8

घने जगल एव लताए

मारबल बुड, चुई, काजू, बादाम आदि है। गर्जन का वृक्ष अत्यन्त कठोर लकडी वाला होता है। न ये जल्दी सडता है और न ही दीमक लगते है। इसलिये इसकी लकडी इमारती होती है तथा ये रेल की पटरी, जलयान, नौकाये, आदि बनाने तथा फर्नीचर निर्माण के कार्य मे आता है। पडाक वृक्ष भी गर्जन की तरह ही कठोर एव इमारती लकडी वाला होता है, तथा यह भी रेल पटरियॉ, जलयानो एव औधोगिक कार्यो मे प्रयोग किया जाता है। इन दोनो वृक्षो का उपयोग तेजी से बढता जा रहा है, जिससे इनकी कटायी भी तेजी से हो रही है। गर्जन एव पडाक उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, एव लिटिल अण्डमान, ग्रेट निकाबार, एव कार निकोबार मे बहुतायत से तथा अन्य द्वीपो मे छिटपुट रुप से मिलता है। मैग्रूव भी उपरोक्त द्वीपो के तटीय भागो मे स्थित है तथा इसे स्थानीय भाषा मे "खाडी बल्ली" कहते है। यह नौकाओ के निर्माण, गृह निर्माण एव जलाने आदि के काम आता है। इससे तटीय क्षेत्रो का कटाव भी रुकता है। सागौन उत्तरी, मध्य एव दक्षिणी अण्डमान मे छोटे–छोटे क्षेत्रो मे मिलता है। निकोबार के द्वीपो मे यह नही पाया जाता है (Fig 2.7A&B)। सागौन भी इमारती लकडी वाला वृक्ष है तथा इसकी लकडी का उपयोग भी औधोगिक एव इमारती लकडी के रूप मे होता है। बेत एव बॉस मिले–जुले रूप मे अण्डमान एव निकाबार के सभी द्वीपो मे पाये जाते है। इनका उपयोग आवासीय कार्यो, घरेलू कार्यो, सजावटी सामानो, कुर्सियॉ आदि के बनाने मे किया जाता है। नारियल एव सुपाडी के वृक्ष (प्लेट स० 6) भी सभी द्वीपो पर प्राप्त होते है। इन वृक्षो के फल भारतीय मुख्य स्थल एव विदेशो को भी भेजे जाते है। काजू एव बादाम के झाड मध्य अण्डमान, ग्रेट निकोबार एव कचाल द्वीप मे पाया जाता है।

इसके अलावा यहॉ पर अन्य वृझ जैसे चुई, लकुच, कोको, चुगलम, मारबलवुड, खाया, थिगन, थुबेगी, तुगपेगी, दीदू आदि वृक्ष भी मिले जुले रुप मे अण्डमान–निकोबार के अनेक द्वीपो मे

प्लेट संख्या–9

सधन वन एव एक जारवा बालिका

प्लेट संख्या–10

शिकार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जारवा बच्चे

पाये जाते है। लेकिन इनका उपयोग छोटे घरेलू कार्यो तक ही सीमित है। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के वनो मे पाये जाने वाले प्रमुख वक्षो का स्थानिक वितरण मानचित्र सख्या 2 7 A एव B मे प्रदर्शित है।

मिट्टी

अण्डमान एव निकोबार की मिट्टी मुलायम और गहरी बलुई है, जो कि अच्छी सगठित दोमट मिट्टी है। यह ज्यादातर घाटियो मे पायी जाती है। पहाडी क्षेत्रो मे कठोर चट्टानो की मिट्टियॉ पायी जाती है, जो माइका और बालू द्वारा निर्मित है। कुछ क्षेत्रो मे लैटराइट मिट्टी भी पायी जाती है। पार्किन्सन (1923) ने यहॉ की मिट्टीयो को पॉच भागो मे विभक्त किया है जो निम्न है–

1 समुद्र के महाद्वीपीय मग्नतट के किनारे वाले भाग मे हल्की दोमट मिट्टी पायी जाती है। यह उत्तरी अण्डमान के डिगली एवं सीतानगर, मध्य अण्डमान के उत्तरी पश्चिमी भागो एव दक्षिणी अण्डमान के बम्बूफ्लाट, स्ट्रेवटगज, विम्बर्लीगज, छोलदारी, एनीकेट आदि स्थानो पर मुख्य रुप से पायी जाती है। लिटिल अण्डमान मे भी यह मिट्टी प्रचुर मात्रा मे मिलती है (Fig. 2.8 A & B)। निकोबार के द्वीपो मे यह मिट्टी कारनिकोबार के कुछ भागो एव ग्रेटनिकोबार मे पाये जाते है। समुद्र के ज्वार–भाटे के कारण मिट्टी का अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। यह क्षेत्र मैग्रोव वन के अर्न्तगत आता है।

2 समुद्र तट से दूर घाटियो की मिट्टी बलुई दोमट गहरी उपजाऊ होती है। अत यह सदाबहार वनो का क्षेत्र है। यह मिट्टी अण्डमान के सभी द्वीपो मे तथा निकोबार जिले के कुछ द्वीपो मे पायी जाती है, जिससे इसी क्षेत्र मे कृषि की गहनता है।

3 निम्न उबड–खाबड मैदान, जहॉ मिट्टी बालू की चट्टान से बनी होती है। यहॉ अधिकाशत छोटे–छोटे पौधे और झॉडियॉ पायी जाती है। यह मिट्टी अण्डमान द्वीप के उत्तरी भाग, लिटिल अण्डमान के हटबे

ANDAMAN ISLANDS

NICOBAR ISLANDS

क्षेत्र एव हरमिन्दर बे का क्षेत्र तथा निकोबार के कारनिकोबार मे प्रचुर मात्रा मे पायी जाती है (Fig 2 8 A & B)।

4 पहाडियो मे पीली भूरी मिट्टी पायी जाती है। यह उत्तरी, मध्य, दक्षिणी एव लधु अण्डमान तथा निकोबार के नानकौरी, कचाल, ट्रिकेट आदि द्वीपो मे पायी जाती है। इन क्षेत्रो मे सदाबहार वन पाये जाते है।

5 ऊँची और नुकीलीदार पहाडियाँ जैसे सैडलपीक और माउन्ट फोर्ड पर लाल भूरी उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है। और भीतर की ओर एक बडी घुमावदार चट्टान होती है, जिसके चारो ओर घनी झाडियाँ, बास, बेत और छोटी ऊँचाई के कठोर लकडी के वृक्ष पाये जाते है।

सास्कृतिक कारक

सस्कृतिक कारको मे जनसख्या, कृषि, उधोग, परिवहन आदि मुख्य है, जिनका सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

जनसख्या

वर्तमान समय मे अण्डमान–निकोबार द्वीपो की कुल जनसख्या 356265 व्यक्ति है, जो भारतीय मुख्य स्थल की एक जिले की जनसख्या से भी कम है। स्वतत्रता के पूर्व अण्डमान निकोबार की जनसख्या बहुत कम थी तथा उसका विकास भी काफी धीमा था (सारणी सख्या 2 4)। 1901 मे यहाँ की कुल जनसख्या मात्र 24649 व्यक्ति थी, जिसमे अण्डमान द्वीप की जनसख्या 18138 तथा निकोगार द्वीप की जनसख्या 6511 थी। 1931–41 के दशक तक यह जनसख्या बढकर 33767 हो गयी। लेकिन 1941–51 के दशक मे अण्डमान निकोबार जनसख्या मे –8 28% की गिरावट आयी, जिससे यहाँ की जनसख्या घटकर 30971 व्यक्ति हो गयी (सारणी सख्या 2 4 एव Fig-2.9)। इसका मुख्य कारण अगस्त 1947 मे स्वातत्रता के पश्चात यहाँ के जेल से छूटे कैदियो का अपने जन्मस्थान की ओर प्रवास करना

ANDAMAN ISLANDS

NICOBAR ISLANDS

था। लेकिन स्वातत्रता के पश्चात् सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीपो मे बसने हेतु लोगो को आकर्षित करने के लिए अनेक सुविधाए प्रदान की। परिणामस्वरुप 1951 के पश्चात तीव्र गति से जनसख्या का विकास हुआ है। 1971 के बाग्लादेश युद्व के पश्चात हजारो बाग्लादेशी शरणार्थी यहॉ पर आकर बस गए। साथ ही भारतीय मुख्य स्थल से बगाली, पजाबी एव अन्य जातियो के लोग भी व्यवसाय हेतु इन द्वीपो पर पहुॅचने लगे। परिणामस्वरूप 1951 से 2001 तक जनसख्या लगभग साढेदस गुनी बढकर 2001 मे 356265 व्यक्ति हो गयी, जिसमे 308497 व्यक्ति अण्डमान मे तथा 47768 व्यक्ति निकोबार के द्वीपो मे है। सर्वाधिक दशाब्दिक वृद्वि 1951 से 1961 के मध्य 105 2% रही। 1961–71 के बीच 81 17% तथा 1971–81 के मध्य लगभग 64% रही। 1991–2001 के मध्य दशाब्दिक वृद्वि मात्र 21 4% रही। इसका कारण उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने इन द्वीपो के जगली एव आदिवासी क्षेत्रो मे लोगो के प्रवेश एव प्रवास पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया (सारणी 2 4, Fig 2 9)। अण्डमान निकोबार की राजधानी पोर्टब्लेयर इस क्षेत्र का एक मात्र नगर है। इसकी जनसख्या मे भी पिछले 50 वर्षों मे तीव्र वृद्वि हुई है (Fig2.10)। वर्तमान समय मे इसकी जनसख्या 114985 व्यक्ति है।

सारणी सख्या – 2 4

अण्डमान एव निकोबार द्वीपो की जनसख्या

जनगणना वर्श	अण्डमान	निकोबार	योग	दशकीय वद्वि (प्रतिशत में)
1901	18138	6511	24649	–
1911	17641	8818	26459	(+) 7 34
1921	17814	9272	27086	(+) 2 37
1931	19223	10240	29463	(+) 8 78

Population of A & N Islands Since 1901
Population
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
24649
26459
27086
29463
33768
30971
63548
115133
188741
280661
356265
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Population of Port Blair Town
Population
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
7789
14075
26128
49634
74955
114985
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Fig - 2 10

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.11 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.11 (B)

घनत्व मे तीव्र वृद्वि हुई और यह वर्तमान समय मे 43 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 (Fig 2 12) है। सर्वाधिक घनत्व (150 व्यक्ति/वर्ग किमी0) वाली तहसील कारनिकोबार है, 61 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 के साथ पार्टब्लेयर तहसील दूसरे स्थान पर है, जबकि फरारगज तहसील तीसरे स्थान पर (36 व्यक्ति/वर्गकि0मी0) है। अण्डमान जिले का औसत घनत्व 40 व्यक्ति/वर्गकिमी0 तथा निकोबार जिले का घनत्व 28 व्यक्ति/वर्गकि0मी0 है।

सारणी संख्या 2.5

तहसीलवार जनसख्या (सख्या मे)

तहसील	कुल जनसख्या	
	1991	2001
डिगलीपुर	23734	28774
मायाबन्दर	21570	26190
रगत	33368	40298
पोर्टब्लेयर	123504	166138
फरारगज	39277	47467
कारनिकोबार	19336	23326
नानकौरी	19872	24072
योग	280661	356265

स्रोत – आर्थिक एव सख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

वर्तमान समय मे इस क्षेत्र की जनजातीय जनसख्या 32340 व्यक्ति है। जो सम्पूर्ण जनसख्या का मात्र 9% है। जबकि 1991 मे यह सम्पूर्ण जनसख्या का 9 8% (26770 व्यक्ति) थी। जनजातीय जनसख्या मे लगभग 98% से भी अधिक निकोबारी जनजाति के लोग है। शेष 2% से भी कम मे अन्य पॉच प्रकार की जनजातियॉ

Density Population of A & N Islands
Density (Persons per Sq Km.)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3
3
3
4
4
4
8
14
23
34
43
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Census Years

Fig - 2 12

है। वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र का लिगानुपात 846 पुरुष/प्रति हजार महिला पर है। 1991 मे यह मात्र 818 था। सर्वाधिक लिगानुपात 902 पुरुष कार निकोबार तहसील का है, दूसरे स्थान (856 पुरुष) पर मायाबन्दर एव तृतीय स्थान (854 पुरूष) पर डिगलीपुर एव फरारगज तहसीले है।

वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 81 18% है, जिसमे पुरुष साक्षर 86 7% एव महिला साक्षर 75 3% है। पिछले दशक मे साक्षरता दर क्रमश 73 02%, 78 9%,एव 65 46% थी। जनजातियो की जनसख्या मे कुल साक्षरता लगभग 50% है, जिसमे पुरुष साक्षरता 58% एव महिला साक्षरता 42% है। यह साक्षरता दर मात्र निकोबारी जनजाति पर लागू होती है। अन्य जातियो की साक्षरता दर नगण्य है।

अधिवास तत्र :

अण्डमान निकोबार मे मुख्यत तीन प्रकार के अधिवास मिलते है–1 सघन अधिवास, 2 विरल अधिवास एव 3 अत्यन्त विखरे अधिवास। सघन अधिवास अधिकाशत पोर्टब्लेयर, डिगलीपुर, रगत, मायाबन्दर, कैम्पबेल बे, हटबे, आदि मे पाये जाते है। विरल अधिवास अधिकाशत पर्वतीय क्षेत्रो एव निकोबार द्वीपो मे पाये जाते है,जबकि अत्यन्त बिखरे अधिवास जगली क्षेत्रो मे आदिवासियो की झुग्गी झोपडियो के है, जो एक दूसरे से काफी दूर बसे है। निर्माण सामग्री एव बनावट के आधार पर अधिवासो को पुन तीन भागो मे बॉटा जा सकता है– 1 लकडी के आवास 2.बजरी काक्रीट के आवास 3 जनजातीय झुग्गी झोपडियॉ (प्लेट सख्या 11)। जगली क्षेत्र होने के कारण यहॉ पर लकडी पर्याप्त मात्रा मे एव सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती थी। अत अधिकाश पुराने आवास लकडियो द्वारा ही निर्मित है। 1970 के दशक से तीव्र विकास प्रक्रिया के कारण कांक्रीट के मकानो

प्लेट संख्या–11

कारनिकोबार द्वीप स्थित निकोबारी झोपडी

प्लेट संख्या–12

ओगी बहुउद्देशीय सहकारी समिति

की सख्या तेजी से बढी है, जिससे लकडी निर्मित मकानो की सख्या कम हो गयी। लेकिन वर्तमान समय मे इमारती लकडियो से आज भी टिकाऊ और खूबसूरत एपार्टमेन्ट, होटल एव रेस्टोरेन्ट बनाये जा रहे है। मध्यम वर्गीय लोग लकडियो के मकान बनाते है। ये मकान ग्राम्य क्षेत्रो मे तो एक तलीय तथा नगरीय क्षेत्रो मे दो तलीय हुआ करते है।

बजरी काक्रीट के मकान सर्वप्रथम सरकारी भवनो के रुप मे प्रारम्भ हुए। लेकिन अब उच्च आर्य वर्ग के लोग भी काक्रीट के मकान बनवा रहे है (प्लेट सख्या 12)। ऐसे मकान अधिकाशत पोर्टब्लेयर, रगत, डिगलीपुर, आदि मे पाये जाते है। ये अधिकाशत दो तलीय है। लेकिन कही–कही पर तीन तलीय भी मिलते है। इन मकानो की रचना आधुनिक शिल्प एव भवन निर्माण कला के आधार पर हो रही है। तीसरे प्रकार के अधिवास जनजातीय झुग्गी झोपडियॉ है, जो अधिकाशत बेत, बॉस एव घास–फूस से बने हाते है (प्लेट सख्या 11एव 13)। ये जगलो मे बिखरे हुए पाये जाते है।

अण्डमान निकोबार मे कुल जनगणना ग्रामो की सख्या 547 है, जिनका तहसीलवार वितरण एव प्रति ग्राम औसत जनसख्या निम्नलिखित सारणी सख्या 2 6 मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या – 2.6

तहसीलवार जनगणना ग्राम एव औसत जनसख्या (1991 जनगणना के अनुसार सख्या में)

तहसील	जनगणना ग्राम	औसत जनसंख्या प्रति ग्राम
डिगलीपुर	42	565
मायाबन्दर	71	304
रगत	75	445
पोर्टब्लेयर	87	558
फरारगज	80	491
कारनिकोबार	16	1208
नानकौवरी	176	113
योग	547	376

कृषि

18वी शताब्दी तक अण्डमान एव निकोबार द्वीप जगली एव वीरान थे, तथा यहॉ के लोग अनाजो से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ये कन्दमूल, फल, मछली, एव जगली जानवरो का शिकार कर जीवन निर्वाह करते थे (प्लेट सख्या 14 एवं 15)। 1898 मे बन्दी शिविर की स्थापना के साथ कैदियो द्वारा यहॉ के जगल साफ कराये गए, तथा उन्ही के द्वारा 724 एकड भूमि पर कृषि कार्य प्रारम्भ किया गया।[9] कैदियो की सख्या मे तेजी से वृद्धि के कारण उनके भोजन पर, जो भारतीय मुख्य भूमि से मगाया जाता था, अधिक खर्च आने लगा। अत सरकार ने उन्हे पोर्ट ब्लेयर के बाहर कृषि योग्य भूमि प्रदान कर कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया। ऐसे कैदियो की सख्या लगभग 7000 थी, जिन्होने लगभग 4500 एकड भूमि को कृषि योग्य बनाया। 12000 एकड भूमि पर धान एव तरकारियॉ उत्पन्न की गयी। 1894–95 मे 22,306 एकड भूमि मे जगल साफ कराया गया। उसमे से 10,140 एकड भूमि चाय, कहवा और कोको पैदा करने के लिए तथा 4,425 एकड भूमि नारियलो के बागान और तरकारियॉ लगाने के लिए सुरक्षित रखी गयी। 5,715 एकड भूमि कृषि के लिए कैदियो मे वितरित की गयी। कैदियो ने 585 एकड मे चाय पैदा की और उस वर्ष 1,21,641 पौड चाय का उत्पादन हुआ। 50 एकड भूमि मे कहवा, कुछ क्षेत्र मे कोको और कुछ मे सुपारियो के बगान कैदियो ने लगाये।[10]

स्वतत्र कालोनी धोषित होने के बाद बर्मा के करेन लोगो को इन द्वीपो मे बसाया गया। करेन बर्मा के प्रसिद्ध कृषको मे गिने जाते है। सर्वप्रथम उन्हे उत्तर अण्डमान के साउड तथा स्टेवर्ट क्षेत्रो मे बसाया गया। लेकिन कृषि के क्षेत्रो मे प्रशासन ने कोई ध्यान नही दिया। इसलिए ये क्षेत्र कृषि मे पिछडे रहे। 1942 मे जापानियो द्वारा इन द्वीपो पर अधिकार करने के पश्चात् इस क्षेत्र को

प्लेट संख्या–13

जारवा अर्धनिर्मित झोपडी

प्लेट संख्या–14

जारवा द्वारा एकत्रित भोज्य सामाग्री

कृषि मे स्वावलम्बी बनाने हेतु कैदियो को कठिन परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया गया तथा कृषि उपज बढाने हेतु नए बीजो का प्रयोग किया गया, जिससे इन द्वीपो मे कृषि की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन जापानी सेनाओ के इस द्वीप से हटने के बाद कृषि आन्दोलन भी लगभग समाप्त हो गया। इस क्षेत्र मे कृषि क्राति वास्तव मे स्वतत्रता के पश्चात प्रारम्भ हुई, जब इस क्षेत्र को कृषि मे स्वावलम्बी बनाने हेतु पूर्वी बगाल, लका और बर्मा के विस्थापितो को यहाँ पुनरवास प्रदान किया गया। तब से आज तक इन द्वीपो के कृषि मे उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। वर्तमान समय मे अण्डमान एव निकोबार द्वीपो के भूमि उपयोग तथा क्रियाशील भूमि स्वामित्व की सख्या एव आकार निम्न सारणियो मे स्पष्ट है (सारणी सख्या 7 अ,ब एव स)।

सारणी संख्या – 2.7 (अ)

अण्डमान जनपद का भूमि उपयोग (**1997–98**)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

अण्डमान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	640800 0000
सपूर्ण प्रतिवेदित क्षेत्र	59765 7865
कृषि हेतु अनुपलब्ध क्षेत्र	17132 5675
परती भूमि के अलावा अन्य अकृषित क्षेत्र	24668 3850
परती भूमि	3715 3700
सकल फसली क्षेत्र	14949 5340
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	14249 4640
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	700 0700

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी सख्या –2 7 (ब)

अण्डमान जनपद मे क्रियाशील जोतो की संख्या, क्षेत्रफल एवं औसत आकार

आकार वर्ग	जोतो की संख्या	जोतो का क्षेत्रफल (हे0)	औसत आकार (हे0)
सीमात	2421	913 0	0 38
लघु	2423	3434 0	1 42
अर्ध मध्यम	3332	8183 0	2 46
मध्यम	1838	7770 0	4 23
बृहत	57	3564 0	62 52
योग	10071	23864 0	2 37

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी सख्या –2 7 (स)

निकोबार जनपद मे क्रियाशील जोतों की संख्या, क्षेत्रफल एव औसत आकार

आकार वर्ग	जोतो की संख्या	भूमि इकाई क्षेत्रफल (हे0)	औसत आकार (हे0)
सीमात	7	3 0	0 43
लघु	1	1 0	1 00
अर्ध मध्यम	11	27 0	2 45
मध्यम	281	1358 0	4 83
बृहत	11	1271 0	115 54
योग	311	2660 0	8 55

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

प्लेट संख्या–15

शहद का सेवन करती एक जारवा महिला

प्लेट संख्या–16

एक निकोबारी गॉव (हरमिदरबे)

मुख्य फसले

अण्डमान–निकोबार द्वीपो मे विविध प्रकार की फसले उगाई जाती है, जिसमे चावल, गन्ना, केला, पपीता, टैपीओका, दाले एव नारियल मुख्य है। इसके साथ रबर, रेडआयल पाम, सब्जियॉ, सतरे एव विविध प्रकार के मसाले भी पाये जाते है। धान की कृषि उत्तरी, मध्य, दक्षिण एव लघु अण्डमान मे बहुतायत से की जाती है, जहॉ पर बगालियो की जनसख्या अधिक पायी जाती है। 1997–98 मे धान के अन्तर्गत 12456 एकड क्षेत्र था, जो 1999–2000 मे घटकर 12231 हेक्टेयर रह गया। इसी प्रकार चावल के उत्पादन मे भी थोडी गिरावट आयी है, जैसा कि सारणी सख्या 2 8 अ से स्पष्ट है। चावल के क्षेत्र मे ही गन्ने की भी कृषि होती है। गन्ने के क्षेत्रफल मे भी 1997–98 (266 हेक्टेयर) की अपेक्षा 1999–2000 मे गिरावट (188 हेक्टेयर) आयी है। यही स्थिति गन्ने के उत्पादन मे भी रही है (सारणी सख्या 2 8 अ)। केला, पपीता एव अनन्नास की कृषि अधिकाशत ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, एव लघु अण्डमान मे की जाती है। केला एव पपीता के क्षेत्र मे 1997–98 की अपेक्षा 1999–2000 मे वृद्धि हुई है। यही स्थिति इन फसलो के उत्पादन मे भी रही है (सारणी सख्या 2 8 अ)। नारियल अधिकाशत कारनिकोबार, तरेसा, कचाल, नानकौरी, लघुनिकोबार आदि में बहुतायत से पाया जाता है तथा लिटिल अण्डमान, मध्य अण्डमान एव उत्तरी अण्डमान मे भी नारियल के बागान देखने का मिलते है (Fig 2.13 A & B एव प्लेट सख्या 6,16 एव 17)। नारियल का क्षेत्रफल एव उत्पादन सारणी सख्या 2 8 अ मे प्रदर्शित है। रबी फसल मे कुछ दाले भी उगाई जाती है, जिनका क्षेत्रफल एव उत्पादन 97–98 मे काफी अधिक था। लेकिन अन्य फसलो के विस्तार के कारण 1999–2000 मे इसका क्षेत्रफल एव उत्पादन काफी घट गया। इस प्रकार रबर के क्षेत्रफल एव उत्पादन मे भी पिछले सालो की अपेक्षा

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.13 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.13 (B)

गिरावट आयी है (सारणी सख्या 28 ब)। रेडऑयल पाम का क्षेत्रफल तो लगभग वही है, जो लिटिल अण्डमान तक सीमित है। लेकिन इसके उत्पादन मे काफी कमी आयी है (सारणी सख्या 28 स)।

सारणी संख्या – 28 अ

अण्डमान एव निकोबार के विभिन्न फसलो का उत्पादन एव क्षेत्रफल

	1998–1999		1999–2001	
	क्षेत्रफल(हे0)	उत्पादन (मि ट)	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन (मि ट)
धान	12163	30000	12231	26249
केला	1612	9952	1597	11532
मीठा आलू	150	237	143	283
टेपीओका (केवडी)	415	3520	385	3270
प्पीता	153	1482	154	1500
चेस्टनट	872	239	872	288
गन्ना	190	4750	188	4700
रबी की दाले	2400	1650	700	493
नारियल	24746	8 60	24747	87 50

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी संख्या – 28 (ब)

रबर का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन(मि0ट0)
1994–95	973 90	995
1995–96	954 20	842
1996–97	954 20	629
1997–98	918 00	865
1998–99	918 00	759

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

प्लेट संख्या–17

नारियल बागानो मे कार्यरत निकोबारी

प्लेट संख्या–18

पोर्टब्लेयर स्थित चाथम आरा मिल

सारणी सख्या – 28 (स)

रेड आयल पाम का क्षेत्रफल एव उत्पादन

वर्ष	क्षेत्रफल (हे0)	तेल उत्पादन (मि0ट0)
1994–95	1593	1745
1995–96	1593	1544
1996–97	1593	1426
1997–98	1593	1700
1998–99	1593	1204

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

उपरोक्त फसलो के अलावा यहॉ पर कहवा एव चाय की भी बागानी कृषि जाती है। घन्नी खाडी मे कहवा के जो बागान लगाये गए है उसके काफी उत्साह वर्धक परिणाम निकले है। अब अन्य स्थानो पर भी ये बागान लगाए जा रहे है। 1994–95 मे चाय की प्रारम्भिक कृषि के उत्साह वर्धक उत्पादन को देखते हुए इसे अण्डमान निकोबार के अन्य क्षेत्रो मे भी विस्तारित किए जाने की योजना बनायी गयी है। इस समय चाय के बागान भी कई हेक्टेयर भूमि पर लगाये जा चुके है। द्वीपो मे शोल बे की समानान्तर घाटी, कालाटाग, राइटम्यो क्षेत्र आदि मे चाय के बागान है। भविष्य मे यहॉ पर चाय के भारी उत्पादन की सभावना है।

सरकार ने कृषि विकास प्रक्रिया को तीव्रतर करने एव क्षेत्र की खाद्य सामाग्री की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक कार्यक्रम योजनाये एव प्रोत्साहन दे रही है। यत्र–तत्र सिचाई हेतु डीजल चालित इजन तालाबो, नालो एवं झरनो नदियो आदि मे लगाए जा रहे है तथा कृषको को इस हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार की सिचाई व्यवस्था छोलदारी, रामकृष्ण ग्राम,

सुभाषग्राम आदि मे की गयी है। कृषि उपज बढाने हेतु कृषको को सुधरे हुए बीज, विविध प्रकार के रासायनिक उर्वरक एव कीटनाशक भी प्रदान किये जा रहे है, जिनका उल्लेख सारणी सख्या 2 9 अ,ब एव स, मे स्पष्ट है। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र मे खाधान्नो की कमी बनी हुई है, जिससे प्रमुख खाधान्नो जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, आदि का आयात किया जा रहा है (Fig.2 14)। इनका वितरण विविध तहसीलो मे स्थित सस्ते गल्ले की दुकानो द्वारा किया जा रहा है (सारणी सख्या 2 10)।

सारणी सख्या – 2.9 (अ)

बीजो का वितरण

वर्ष	धान बीज (मि0ट0)	सब्जी के बीज (कि0ग्रा0)
1994–95	39	7850
1995–96	46	7750
1996–97	44 4	9600
1997–98	60	10000
1998–99	22	6900

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी संख्या – 2.9 (ब)

कीटनाशको का वितरण

वर्ष	सूखे प्रकार के (मि0ट0)	तरल प्रकार के (लीटर)
1994–95	63	3097
1995–96	50	3820
1996–97	76	3720
1997–98	48	3791
1998–99	118	5619

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

Import of Rice, Wheat & Sugar by Supply Department
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
(In Metric Tonnes)
22000
7222
3171
29000
8400
3550
24679
7122
3326
23138
7705
3283
27188
8619
3223
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
Rice
Wheat
Sugar

Fig - 2 14

सारणी सख्या – 2.9 (स)

उर्वरको का वितरण (मि0ट0)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1994–95	240	96	250
1995–96	226	113	64
1996–97	219	156	47
1997–98	226	107	58
1998–99	248	153	78

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी सख्या – 2.10

जनपद / तहसीलवार सस्ते गल्ले की दुकानें

क्षेत्र / प्रदेश	1999–2000	2000–2001
1– अण्डमान जनपद		
डिगलीपुर	7	9
मायाबन्दर	16	16
रगत	56	56
पोर्टब्लेयर	191	196
फरारगज	67	67
योग	337	347
2– निकोबार जनपद		
कारनिकोबार	15	15
नानकौरी	40	51
कैम्पबेल बे	12	13
योग	67	79

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।

उद्योग

अण्डमान–निकोबार द्वीप मे विविध प्रकार की औद्योगिक उपयोग की इमारती लकडियॉ, रबड, नारियल, रेड आयल पाम, विविध प्रकार के कन्दमूल फल आदि, विविध प्रकार की कृषि उत्पाद जैसे गन्ना, आलू, केला, चाय, कहवा, आदि तथा समुद्रो मे पायी जाने वाली अनेक बहुमूल्य वस्तुये जैसे शख, टरबो, रगबिरगी सीपियॉ, कौडियॉ, प्रवाल आदि सुगमता से उपलब्ध है। ये सभी वस्तुए अण्डमान–निकोबार द्वीपो मे कुटीर, लघु एव मध्यम स्तर के औधोगीकरण हेतु सशक्त आधार प्रस्तुत करते है। इसके सम्यक उपयोग एव दोहन से एक ठोस विनिर्माण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। स्वतत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस क्षेत्र मे औद्योगिक सभावनाओ को तलाशने मे एव औद्योगिक विकास को तीव्र करने हेतु अनेक कार्यक्रम एव योजनाए चलाए है, जिनका लाभ धीरे–धीरे क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। यहॉ के वनो एव अन्य प्राकृतिक ससाधनो का अबाध शोषण न हो, तथा पर्यावरण सतुलन भग न हो, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सरकार ने समय–समय पर अनेक सीमाऍ एव प्रतिबध भी लगाती रही है। वर्तमान समय मे अण्डमान–निकोबार द्वीपों मे विविध स्तर की औद्योगिक इकाइयो का विकास एव उनकी सख्या निम्नलिखित सारणी मे (सारणी सख्या 2 11) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। उपरोक्त औद्योगिक इकाइयो मे लगभग साढे पॉच हजार व्यक्ति रोजगार प्राप्त किये हुए है।

सारणी संख्या – 2.11

अण्डमान एव निकोबार मे औद्योगिक इकाइयों की सख्या

प्रकार	1995	1996	1997	1998	1999
बृहत/मध्यम पैमाने के उद्योग	05	05	05	05	05
लघु पैमाने के उद्योग	1119	1175	1216	1266	1316

Industries
Coco (Myanmar)
Coco Channel
Land Fall
North Andaman
Interview
Narcondam
Middle Andaman
ANDAMAN
Barren
Kadamtala
Ritchies
ISLANDS
Bambooflat
Chatham Saw Mil
Port Blair
North Sentinel
Junglighat Saw Mil
Rutland
Gara Charama Industrial Estate
Duncan Passage
South Sentinel
Little Andaman
Ten Degree Channel
BAY OF BENGAL
ANDAMAN SEA
NICOBAR ISLANDS
Car Nicobar
Batti Malv
Tillanchon
Chaura
Kamorta
Teressa
Nancowry
Katchall
Sombrero Channel
Little Nicobar
Campbel Bay Industrial Estate
Scale
0 20 40 60 80 100 Kms
N

Fig. 2.15

औद्योगिक केन्द्र	10	11	11	15	15
औद्योगिक क्षेत्र	01	01	04	06	06

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

यहॉ पर पाये जाने वाले विविध औद्योगिक इकाइयो मे लकडी आधारित, कृषि आधारित, समुद्री वस्तु आधारित, खाद्य पदार्थ आधारित, रसायन आधारित, एव अभियात्रिकी आधारित उद्योग प्रमुख है। इसके अलावा चमडे वस्त्र, नारियल जूट आदि सम्बन्धी उद्योग भी पाये जाते है।

वन आधारित उद्योग .

वनो से प्राप्त विविध प्रकार की लकडियो से अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयॉ जैसे प्लाइवुड, दियासलाई की तीलियॉ एव डिब्बे, वेनियर, फर्नीचर, लकडी के बोबिन, तखत, खिलौने आदि विविध स्थानो पर चल रही हैं (Fig 2.15)। यहॉ पर वर्तमान समय मे 6 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गए है, जिनमे अनेक प्रकार के लकडी आधारित उद्योग लगाए गए है। लकडी आधारित उद्योगो की कुल सख्या 271 है, जिसमे सर्वाधिक 201 दक्षिणी अण्डमान मे तथा सबसे कम 4 निकोबार द्वीप मे है। इन औधोगिक इकाइयों मे चाथम आरा मिल, भारत एव दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बडी मिल है (प्लेट स0 18)। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर या जगली घाट आरामिल, अण्डमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज, जय श्री टिम्बर प्रोडक्ट, वेस्ट इण्डिया मैच कम्पनी (विमको) आदि भी प्रमुख है। ये इकाइयॉ लकडी की चिराई कर विविध कार्यों जैसे भवन निर्माण, फर्नीचर, बोट एव जलयान निर्माण आदि हेतु सामग्री तैयार करती हैं, जिन्हें कलकत्ता एव मद्रास भेजा

जाता है। अण्डमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज मे बनी प्लाईवुड विशेष रूप से कलकत्ता भेजी जाती है। लेकिन लकडी के कटाई एव चिराई से जनजातीय जगली क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे, अत सरकार ने कुछ कारखानो को बन्द कर दिया तथा आगे कारखानो के लगाने पर रोक लगा दी।

बागान आधारित उधोगो मे नारियल, सुपाडी, रबड, रेड पाम आयल, नारियल जूट से निर्मित सामग्री रबड के जूते एव चप्पल सम्बन्धी इकाइयॉ आदि अनेक क्षेत्रो मे सचालित है।

कृषि आधारित उद्योग

इन द्वीपो मे धान, दालो और तिलहन की खेती लगभग 15 हजार हेक्टेयर भूमि पर होती है, जिससे चावल एवं दाल बनाने की छोटी इकाइयॉ सचालित है। उत्तरी एव मध्य अण्डमान मे गन्ने से गुड बनाने का कार्य भी विकसित हो रहा है। यहॉ पर अदरक, हल्दी, जिमीकन्द, रतालू, कचालू, और अनेक अन्य प्रकार के कन्दमूल के अतिरिक्त काली मिर्च, लौग, जायफल, चाय, काफी, आदि का उत्पादन भी धीरे–धीरे विकसित हो रहा है। जिससे यहॉ पर मसाले पीसने एव तेल निकालने जैसे उद्योग भी लगने लगे है।

इसके अलावा द्वीपो मे मिलने वाले जानवरो जैसे सुअर, मुर्गी, एव अन्य पशुओ से आधारित उद्योग भी विकसित होने की सभावना है। वर्तमान समय मे कुल कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयॉ की सख्या 120 है, जिसमे 85 दक्षिणी अण्डमान मे तथा सबसे कम 9 उत्तरी अण्डमान मे पायी जाती है (सारणी सख्या 2 12)।

सारणी सख्या – 2 12

क्षेत्रवार लघुउद्योग इकाईयॉ (सख्या) 1999–2000

		दक्षिणी अण्डमान	मध्य अण्डमान	उत्तरी अण्डमान	निकोबार द्वीप	योग
1	लकडी आधारित	201	32	34	4	271
2	एग्रो आधारित	85	15	9	11	120
3	समुद्र आधारित	48	3	3	3	57
4	खाद्यान्न आधारित	61	12	10	8	91
5	खनिज आधारित	57	4	3	–	64
6	रसायन आधारित	38	–	–	–	38
7	तकनीकी आधारित	251	8	6	2	267
8	चमडा आधारित	6	–	–	–	6
9	टेक्साटाइल आधारित	79	3	3	1	86
10	नारियल छिलका आधारित	2	–	–	–	2
11	अन्य	208	27	24	5	264
	योग	1036	104	92	34	1266

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।

समुद्र आधारित उद्योग :

यहॉ के समुद्रो मे विविध प्रकार की मछलियॉ एव अन्य वस्तुये प्राप्त होती है। अत यहॉ पर मत्स्य उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। मछलियॉ पकडने उनके भण्डारण करने, शीतालय बनवाने एव उनके पैकिग करने हेतु अनेक औद्योगिक इकाइयॉ चल रही है। साथ ही समुद्र की वस्तुओ जैसे शख, टरबो, सीपियो, कौडियो एव प्रवालो से अनेक प्रकार के आकर्षक सजावटी एव श्रृगार के सामान जैसे–विविध प्रकार के शख, सीपियो की मालाये, झालर, बटन, बकल, टेबललैम्प, विविध प्रकार के डिब्बे, आभूषण आदि बनाने की कई

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 2.16 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 2.16 (B)

इकाइयॉ चल रही है। वर्तमान समय मे समुद्री वस्तुओं पर आधारित कुल 57 इकाइयॉ सचालित है, जो विविध द्वीपो मे वितरित है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ आधारित 91 इकाइयॉ, रसायन आधारित 38 इकाइयॉ, अभियात्रिकी सम्बन्धी 267 इकाइयॉ तथा कलावस्तु सम्बन्धी 86 इकाईयॉ इन द्वीपो मे वितरित है (सारणी सख्या 2 12)।

परिवहन :

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह तक भारतीय मुख्य भूमि से आने जाने हेतु प्रमुख रूप से दो प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध है–(1) वायुयान एव (2) जलयान। अण्डमान निकाबार द्वीपो तक जाने–आने के लिए प्रतिदिन इन्डियन एयर लाइन्स एव जेट एयरवेज की दो–दो उडाने है। जबकि चेन्नई से पोर्टब्लेयर जाने के लिए एव वापस लौटने हेतु सप्ताह मे दो जलयान सेवाये अण्डमान–निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कलकत्ते से जलयान सेवा का सचालन भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड करता है। पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम के लिए भी जलयान सेवा उपलब्ध है।

अण्डमान–निकोबार द्वीपो मे आन्तरिक परिवहन हेतु विविध प्रकार की सडके एव नौका सेवाए उपलब्ध है। अण्डमान निकाबार की सबसे बडी सडक अण्डमान ट्रक रोड है, जिसकी लम्बाई 333 कि0मी0 है। अण्डमान निकोबार मे प्रमुख रूप से तीन प्रकार की सडके पायी जाती है, जिनका स्पष्ट प्रदर्शन सारणी सख्या 2 13 एवं मानचित्र सख्या 2 16 अ एव ब मे किया गया है। प्रदेशवार मुख्य सडको का वितरण सारणी सख्या 2 14 मे प्रदर्शित है। विविध द्वीपो मे आने जाने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा नौकायात्रा की सेवाएं प्रदान की गयी है जो विविध नौका धाटो (जेट्टी) से सचालित होती है (प्लेट सख्या 2 19)।

नौका यातायात (वेहिकल फेरी) चाथम से बम्बूफ्लाट

प्लेट संख्या–20

स्ट्रेट द्वीप स्थित ग्रेटअण्डमानी जनजाति

सारणी सख्या – 2 13

अण्डमान एव निकोबार द्वीपो मे सडको की लम्बाई (कि0मी0 मे)

वर्ष	पक्की सड़के	अन्य	सड़के निर्माणाधीन
1994–95	870	34	54
1995–96	902	36	27
1996–97	1000	28	22
1997–98	1034	28	20
1998–99	1078	28	24

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 1999

सारणी संख्या – 2.14

अण्डमान एव निकोबार द्वीपो की मुख्य सडके (कि0मी0 मे)
1998–99

दक्षिण अण्डमान	ट्रक सडके	110
	पोर्टब्लेयर मुख्यालय की सडके	114
	अन्य सडके (पोर्टब्लेयर से बाहर)	180
हैवलाक	अन्य सडक	14
बराटाग	ट्रक सडके	22
	अन्य सडक	7
मध्य अण्डमान	ट्रक सडके	122
	अन्य सडक	96
उत्तर अण्डमान	ट्रक सडके	79
	अन्य सडक	85
लिटिल अण्डमान	अन्य सडक	26
	ट्रक सडके	22
कार निकोबार	अन्य सडक	58
कचाल	अन्य सडक	26
कमोर्टा	अन्य सडक	8
ग्रेटनिकोबार	अन्य सडक	4
	ट्रक सडके	94
नील द्वीप	अन्य सडक	9
तरेसा	टन्य सडक	2

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर 1999

संदर्भ सूची

1 Sıngh, R P 1982 Andaman & Nıcobar Islands, Mınistry of Informatıon & Broadcastıng, New Delhı.

2 Ibıd

3 Basıc Statıstıc 1998-99 Dırectorate of Economıcs and Statıstics, Andaman & Nıcobar Admınıstratıon, Port Blaır.

4 Sıngh, R P 1982 op cıt

5 I bıd

6 Spate O H K et al 1984 Indıa & Pakıstan-A. Genaral and Regıonal Geography, M M Publıshers, New Delhı P 52

7 Crıtchfıeld, H J 1979 General cımatology, Prentıce Hall of Indıa, New Delhı, P 161

8 Indıa 1998, - A Refrence Annual, Publıcatıon's Dıvısıons, Mınıstry of Informatıon & Broadcastıng, Government of Indıa, New Delhı, P 4.

9 Sıngh, R P 1982 op cıt P 54

10 I bıd P 55

अध्याय-3

अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख जनजातीय वर्ग

प्रस्तावना

भारतीय मुख्य भूमि से दूर होने तथा चारो ओर से समुद्रो से धिरा होने के कारण अण्डमान-निकोबार द्वीप दीर्घ काल तक रहस्य बने रहे तथा इनके सम्बन्ध मे कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नही थी। इन क्षेत्रो के अध्ययन के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम अग्रेजो ने ही अनेक प्रयास किये, जिससे इस क्षेत्र को प्राकृतिक ससाधनो, धरातल, जलवायु, मानव वर्ग आदि के बारे मे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। यहॉ के मूलनिवासी पाषाण कालीन आदिवासी जनजातियॉ पूर्ण-रूपेण हिसक एव आदिम अवस्था मे थी। अनेक बार के प्रयासो के पश्चात् कुछ जनजातीय वर्गो से सम्पर्क स्थापित करने मे सफलता मिली। लेकिन इसके लिए अनेक लोगो को अपनी जान से हॉथ धोना पडा तथा अनेक जनजातीय व्यक्तियो की भी हत्याये हुई । तब से लेकर आज तक इन जनजातीय वर्गो की पहचान, खान-पान, रहन-सहन, प्रजातीय विशेषताओ आदि के बारे मे अनेक जनगणनाओ एव समय-समय पर सचालित अनेक सम्पर्क कार्यक्रमो के माध्यम से काफी जानकारी प्राप्त कर ली गयी है। प्रस्तुत अध्याय मे अण्डमान निकोबार की प्रमुख जनजातीय वर्गो से सम्बन्धित तथ्यो जैसे-जनजातीय प्रकार, प्रजातीय वर्ग, जनसख्या, रोजगार, अधिवास आदि का सम्यक विश्लेषण एव विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख जनजातीय वर्ग :

1883 मे हुई जनगणना के अनुसार उस समय अण्डमान द्वीप मे 12 प्रकार की जनजातियॉ-चेरियार, कोरा, टाम्बो, यैरे,

कैडी, जुबाई, कोल, पोजीगयाब, बलावा, जारवा, विया, एव ओगी की पहचान की गयी थी। उस समय इनकी कुल सख्या 4800 व्यक्ति के लगभग थी। इसी समय निकोबार द्वीप मे कुल जनजातीय जनसख्या 5942 व्यक्ति ऑकी गयी थी।[1] जिनमे निकोबारी एव शोम्पेन जनजातियॉ प्रमुख थी। अण्डमान की बारह जनजातियो मे अधिकाश अब लुप्त हो गयी है। लेकिन कुछ बची हुई है, जिनकी सख्या काफी कम है।

पोर्टब्लेयर नगर के बाहर छोलदारी क्षेत्र के लाल पहाड मे स्थित "किचेन मिडेन" टीले की खुदाई से इन जनजातियो के रहन–सहन एव खान–पान के सम्बन्ध मे अनेक जानकारियॉ मिली है। यहॉ की खुदाई से प्राप्त मोलस्क प्राणियो के खोल, सुअर की अस्थियो एव मिट्टी के बर्तनो के अवशेषो से ये पता चलता है, कि इन जनजातियो की बस्तियॉ स्थायी थी, तथा ये अपने खान–पान एव रहन–सहन हेतु अनेक प्रकार के जगली एव सामुद्रिक वस्तुओ एव जीव–जन्तुओ का प्रयोग करते थे।

अण्डमान निकोबार की जनजातियो मे अधिकाश आज भी पाषाण युगीन प्राकृतिक स्थिति मे जीवन–यापन कर रही है। वे घने जगलो के बीच ही अपने रहने खाने का प्रबन्ध, शिकार आदि के द्वारा कर लेते है तथा सभ्य समाज की वस्तुओं से काफी दूर है। इनमे से मात्र निकोबारी जनजाति के लोग ही अब सीधे सभ्य समाज के सम्पर्क मे आकर शिक्षित एव सभ्य होने लगे है। कुछ ग्रेट अण्डमानियो का भी धीरे–धीरे सस्कारीकरण हो रहा है और वे भी वस्त्र एव अन्य खाद्य सामग्रियो का प्रयोग करना शुरू कर दिये है। शेष जनजातीय वर्ग अभी भी आदिम स्थिति मे है। अण्डमान निकोबार द्वीप के प्रमुख जनजातीय वर्ग निम्न रेखा चित्र मे प्रदर्शित है।

इन जनजातीय वर्गो का सक्षिप्त परिचय निम्नवत है।

1– ग्रेट अण्डमानी .

निग्रिटो मूल की यह जनजाति प्राचीन काल मे अण्डमान द्वीपो मे पायी जाती थी। लेकिन वर्तमान मे यह अण्डमान के एक छोटे द्वीप स्ट्रेट द्वीप मे केन्द्रित है। प्रारम्भ मे इसके दस वर्ग थे[2] जिनमे अकाकारी, अकाकोई, अकाकोरा, अकाबो, अकाजेरू, अकाकेडी, ओकोजुवाई, एपुशिकवर, अकरबाली, एव अकाबी, प्रमुख थे है लेकिन इनमे से अधिकाश आज लुप्त हो गयी है। प्रारम्भ में ये भी हिसक थे तथा गैर जनजातीय लोगो को मार डालते थे, लेकिन अनेक बार के प्रशासनिक आक्रमण के कारण ये धीरे–धीरे शात होने लगे (प्लेट सख्या 20)।

इस जनजातीय वर्ग से 1885 मे मैन ने, 1893 मे मोल्सवर्थ ने, 1928 मे एकस्टेड ने एव 1954 मे सरकार ने सम्पर्क साधा। जिससे धीरे–धीरे इनके बारे मे जानकारी प्राप्त होने लगी। इसी जनजाति ने अग्रेजो से अबरडीन का युद्व लडा था, जिसमे अनेक जनजातीय लोग मारे गये थे।[3] 1868 के निमोनिया, 1876 के साइफिलीस, 1877 के चेचक, एव 1892 के एन्फुलयुएजा के आक्रमण ने इनकी सख्या को और भी कम कर दिया। सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा इन्हे खाने के सामान, शराब, तम्बाकू, अफीम आदि दी जाने लगी, जिससे धीरे–धीरे ये बाहरी सभ्यता के सम्पर्क मे आने लगे। अण्डमान

आदिम जनजाति विकास समिति,पोर्टब्लेयर अब इनकी पूर्ण देखभाल करती है।

2– जारवा .

नेग्रिटो प्रजाति की यह जनजाति पाषाण कालीन जीवन व्यतीत करती है तथा यह मध्य एव दक्षिणी अण्डमान मे उत्तर मे पोर्टऐसन एव दक्षिण मे कार्टेस की खाडी के बीच, एव बाराटाग के पश्चिमी भाग मे केन्द्रित है। इनके विषय मे सर्वाधिक मतभेद है। कुछ लोगो का कहना है कि जारवा लिटल अण्डमान के ऑगी लोगो के ही एक भाग है, जो बहुत पहले अण्डमान मे आ गए थे। ये लोग दक्षिणी, मध्य एव उत्तर अण्डमान के पश्चिमी भाग मे रहते है। वर्ष 1970 के दौरान प्रथम बस्ती की स्थापना के समय जारवा के साथ प्रथम सम्पर्क हुआ था।[4] यह जनजाति लडाकू तथा हिसक है। सभ्य लोगो के साथ इनका व्यवहार अमैत्रिपूर्ण है। खाद्य या लोहे की तलाश मे ये सभ्य बस्तियो पर जानलेवा आक्रमण करते है। सभ्य बस्तियो पर आक्रमण करने से कितने लोगो को काल कवलित होना पडा, इसकी सख्या ज्ञात नही है। दक्षिणी अण्डमान के पश्चिमी वनो मे रहने वाले लोग हमेशा इनके प्रति सशकित रहते है।

जारवा आदिवासियो को सभ्य बनाने के लिए वर्षो से प्रयास किये जा रहे है। फरवरी 1974 एव मार्च 1989 मे दो प्रशासनिक दलो ने इनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया तथा इन्हे नारियल, केला, अमरूद, पपीते एव अन्य सामान खाने हेतु दिये गए। 1985 एव 1990 मे सरकार ने इनसे सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई विशेष सफलता नही मिल सकी है। आज भी ये शिकारी एव बजारी अवस्था मे है (प्लेट सख्या 2 एव 7) तथा जीवजन्तुओ के शिकार एव वनोत्पाद पर निर्भर करते है। ये आग सुरक्षित रखते है, क्योकि इन्हे आग उत्पन्न करना नही आता। ये लोग

प्लेट संख्या–21

एक ओगी परिवार

प्लेट संख्या–22

नारियल की ढुलाई हेतु प्रयोग मे लाई जाने वाली गाडी

4– सेटिनली

सेन्टिनली वर्तमान समय मे उत्तरी सेन्टिनल द्वीप मे केन्द्रित है। ये भी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एव पाषाण कालीन नेग्रिटो मूल की जनजातियो मे एक मानी जाती है। कुछ लोग इन्हे भी ओगी एव जारवा की एक शाखा मानते है, जिनमे एक पृथक द्वीप मे सीमित होने एव पर्यावरण दशाओ मे परिर्वतन के कारण कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित हो गए तथा इन्होने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। ये हिसक एव शिकारी है तथा धनुष–बाण द्वारा सुअर, मछली आदि का शिकार करते है। बाहरी दुनिया से इनका कोई सम्पर्क नही है। तथा प्रशासन के प्रयासों के बावजूद आज भी इनसे कोई सम्पर्क नही हो पाया है। अत इनके बारे मे विशेष एव तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नही है।

5– निकोबारी

मौलिक रूप से निकोबारी जनजाति मगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित है तथा ये विशेष रूप से कार निकोबार द्वीप मे केन्द्रित है। गागुली ने 1976 मे, इनके अनेक कबीलों की खोज की। यहाॅ इनकी जनसख्या 60% से भी अधिक है। इसके अलावा ये अन्य द्वीपो जैसे –लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार कचाल, कमोर्टा, चौरा, तरासा, नानकौरी, ट्रिकेट, कोण्डूल, पिलोमिलो, बामपोका आदि द्वीपो मे पाये जाते है। वर्तमान समय मे शिक्षित होने के पश्चात ये अब सरकारी नौकरियो मे पहुच गए है तथा अण्डमान द्वीपों मे भी पाये जाते है। लेकिन अभी अण्डमान मे इनकी सख्या अपेक्षकृत बहुत कम है। प्राचीन काल मे तो ये भी हिसक, शिकारी एव नगे रहने वाले अदिवासी थे। लेकिन अग्रेजो एव इसाई धर्म प्रचारको के सम्पर्क में आने के बाद पिछले 40–50 वर्षो मे ये धीरे–धीरे बाहरी लोगो के सम्पर्क मे आकर वर्तमान युग की चीजो से परिचित होने लगे है (प्लेट संख्या 22)। इस

दिशा मे इन द्वीपो मे निजी व्यापार चलाने वाले गुजराती मुसलमान व्यापरियो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लोगो ने यहॉ पर अपना व्यापार स्थापित करने हेतु निकोबारियो को कपडे पहनने, खाने–पीने, एव घरेलू उपयोग के विविध वस्तुओ के उपयोग करने, हिन्दी भाषा सीखने तथा बाहरी लोगो से अच्छे सम्बन्ध बनाने हेतु काफी सहयोग किया। यद्वपि निकोबारी लोग भी सुअर का मास, मछली आदि काफी पसन्द करते है साथ ही पैण्डीनस वृक्ष के फल, कन्दमूल आदि भी इनके मुख्य भोजन है। लेकिन इसाई धर्म प्रचारकों एव गुजराती व्यापारियो ने इन्हे खाने एव पहनने के आधुनिक सामग्रियॉ भी उपलब्ध कराई है और अब ये आधुनिक सभ्यता के अधिकाश चीजो से परिचित होने लगे है। बोली, भाषा, व्यवहार, सम्बन्ध, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, रीति–रिवाज, ईश्वरी आस्था, आर्थिक प्रणाली, कला–कौशल आदि मे भी ये धीरे–धीरे दक्ष होने लगे है। इनमे से अनेक मध्यम एव डिग्री स्तर की शिक्षाये भी प्राप्त की है तथा अण्डमान निकोबार द्वीप मे विविध सरकारी कार्यालयो मे अनेक पदो पर कार्यरत है। शिक्षित एव रोजगार प्राप्त परिवारो के बच्चे तथा उनके सम्पर्क मे आने वाले परिवार भी तेजी से प्रगति कर रहे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे भी अब ये सचेष्ट हो गए है। खेल–कूद जैसे फुटबाल, बालीबाल, नौका–चालन, धावन, आदि खेलो मे निकोबारी लडके एव लडकियॉ अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एव प्रादेशिक स्तरो पर सामान्य रूप से भाग ले रहे है। इस प्रकार इनमे शिक्षा, धर्म, समाज, सस्कृति, अर्थव्यवस्था, आदि के सम्बन्ध मे भी तेजी से जागृति उत्पन्न हो रही है। अत इन्हे अब आदिवासी न कहकर मात्र जनजाति कहना ही उचित होगा ।

6– शोम्पेन .

यह भी मगोलायड प्रजाति की आदिम जनजाति है, जो विशेषत ग्रेट निकोबार द्वीप मे केन्द्रित है। अग्रवाल ने

1967मे, गागुली ने 1976 मे तथा गोपालकृष्ण ने 1986 मे इनके अनेक समुदाय की खोज की। इसके दो वर्ग है (1) मावा शोम्पेन तथा (2) हिसक शोम्पेन। मावा शोम्पेन तटीय प्रदेशो के पास नदी घाटियो मे केन्द्रित है, जबकि हिसक शोम्पेन गलाथिया एव अलेक्जेन्ड्रियॉ नदी घाटियो के जगली क्षेत्रो मे है। हिसक शोम्पेन पहले मावा शोम्पेन पर प्राय हमले किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय मे ये हिसक घटनाये अब बन्द हो गयी है। मावा शोम्पेन भी अब धीरे–धीरे सुदृढ एव तेज होने लगे है। शोम्पेन भी बजारा, शिकारी, एव एकत्रण द्वारा जीवन यापन करने वाले अदिवासी जनजाति है (प्लेट सख्या 1)। भाले एव कुत्तो की सहायता से सुअर, घडियाल, बन्दर, चमगादड, सॉप, आदि का शिकार करते है। साथ ही ये जगली वृक्षो जैसे पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, मिर्च, केला, टैपीओका, आदि का भी सग्रह एव एकत्रण भोजन हेतु करते है। इनकी सस्कृति प्राय "प्रयोग करो एव फेको" प्रकार की है, जो एक बजारो की जीवन शैली है।[5] निकोबारियो के सम्पर्क मे आने से इनमे भी कुछ परिवर्तन हो रहे है तथा ये भी बाहरी लोगो के सम्पर्क मे आने लगे है। यद्वपि इनमे से अधिकांश आज भी नगे रहते है।

प्रजातीय विशेषताए .

अण्डमान निकोबार द्वीप की 6 प्रकार की जनजातियो के प्रमुख शारीरिक विशेषताओ का सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति मूलत नेग्रिटो प्रजाति से सम्बन्धित है। इनका वर्ण गहरा काला, तथा इनके बाल उलझे घुघराले से लेकर जटिल ऊँनी प्रकार के होते हैं। इनके बालो की लम्बाई अधिक नही होती। लेकिन बाल घने होते है। इनके शरीर पर बालो की मात्रा अत्यल्प होती है तथा ये नाटे एव गठीले शरीर वाले

होते है।[6] इनकी लम्बाई 146–151 सेमी0 , कपालीय सूचकाक 8 1– 8. 3 सेमी0, तथा नासिका सूचकाक 7 1–9 3 सेमी0 तक होती है (सारणी सख्या 3 1) ।

जारवा आदिवासी जनजाति भी नेग्रिटो मूल की है ये भी काले वर्ण के, जटिल ऊनी बाल वाले एव नाटे कद के होते है। इनकी लम्बाई, कपालीय एव नासिका सूचकाक भी अण्डमानी के समान ही होते है (सारणी 3 1) ।

ओगी जनजाति भी नेग्रिटो मूल की है, जिसके शारीरिक लक्षण जरवा और ग्रेट अण्डमानी के समान ही है। काला वर्ण, ऊनी बाल, गठीला एव नाटा शरीर तथा कपालीय एव नासिका सूचकाक सभी कुछ नेग्रिटो प्रजाति के समान ही है (सारणी सख्या 3 1)। सेन्टिनली आदिम जनजाति के लोग भी मूलत नेग्रिटो प्रजाति के ही समान है, जिनकी शारीरिक विशेषताए सारणी सख्या 3 1 मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या–3.1

जनजातियो के प्रमुख तीन शारीरिक लक्षण

	पुरुष			महिला		
जनजाति	लम्बाई	कपालिक सूचकाक	नासिका सूचकाक	लम्बाई	कपालिक सूचकाक	नासिका सूचकाक
ग्रेट–अण्डमानी	1481 70	82 00	88 60	1385 40	81 95	90 21
ओगी	1482 80	83 50	77 05	1383 04	83 10	75 00
जारवा	1550 30	83 74	80 95	1468 80	79 41	85 60
सेटीनली	–	–	–	–	–	–
निकोबारी	1586 54	79 51	78 24	1484 77	81 51	77 62
शोम्पेन	1581 00	79 52	74 52	1480 00	80 79	74 47

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 3.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 3.1 (B)

निकोबारी जनजाति के लोग मूलत मगोलायड प्रजाति के वशज है, जिनका शारीरिक गुण गोरा एव पीला तथा शरीर एव चेहरा अधिकाशत बाल रहित होता है। इनके बाल भूरे से काले रग के लम्बे एव रेशमी होते है।[7] इनकी लम्बाई 156 से 163 सेमी0, कपालीय सूचकाक 7 4 से 8 6 सेमी0 तथा नासिका सूचकाक 6 9 से 8 8 सेमी0 के मध्य है (सारणी सख्या 3 1) । ये भी नाटे एव गठीले बदन के होते है।

शोम्पेन जनजाति भी मगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित है इसका भी शारीरिक वर्ण गोरा एव पीला, बाल भूरे से हल्का काला, शरीर बाल रहित एव कद छोटा होता है। ये एक आदिम जनजाति है, जिनका शारीरिक लक्षण सारणी सख्या 3 1 मे प्रदर्शित है।

जनजातीय जनसंख्या विकास :

वर्तमान समय मे अण्डमान एव निकाबार द्वीप समूह की सम्पूर्ण जनजातीय जनसख्या 32340 व्यक्ति (जनगणना 2001) है, जिसमे लगभग 97 8% (31581 व्यक्ति) निकोबारी जनजाति है तथा शेष 2 2% मे अन्य पॉच आदिम जनजातियॉ–ग्रेट अण्डमानी, जारवा, ओगी, सेटिनली एव शोम्पेन सम्मिलित है। लेकिन समपूर्ण जनसख्या मे जनजातीय जनसख्या का प्रतिशत मात्र 9 54 है (सारणी 3 2 एव Fig 3 2)। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसख्या मे जनजातीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 12 77% है, जबकि नगरीय जनजातीय जनसख्या मात्र 0 67% है।[8]

1901 मे अण्डमान एव निकोबार की कुल जनजातीय जनसख्या 8172 व्यक्ति थी। जो 65 वर्षो (1965) में लगभग दो गुनी हो गयी तथा मात्र अगले 35 वर्षो मे ही तीव्रता के साथ बढकर 2001 मे पुन दो गुनी (32340 व्यक्ति) हो गयी । इसी प्रकार निकोबारी जनजाति जो 1901 मे मात्र 5962 व्यक्ति थी, वो 50 वर्षो मे

(1951) लगभग दो गुनी (11902 व्यक्ति) हो गयी तथा अगले 50 वर्षो मे (2001) लगभग तीन गुनी (31581 व्यक्ति) हो गयी (सारणी सख्या 3 2 एव Fig 3 2)। लेकिन अन्य पॉच आदिम जनजातियो की सख्या मे 1901 से 1971 तक तेजी के साथ गिरावट आयी। जिसका मुख्य कारण मलेरिया, साइफिलीस, चेचक आदि जैसी बिमारियो का प्रकोप रहा। लेकिन उसके पश्चात् सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक संरक्षण एव सुविधाओ के कारण इनकी जनसख्या मे भी धीरे–धीरे विकास हो रहा है (सारणी 3 2 एव Fig-3 2)। वर्तमान समय मे इन पॉचो आदिम जनजातियो की कुल सख्या मात्र 759 व्यक्ति है जिसमें सर्वाधिक 247 व्यक्ति शोम्पेन है, 242 व्यक्ति जारवा है, तथा सबसे कम ग्रेट अण्डमानी 43 व्यक्ति है।[9]

सारणी सख्या–3.2 अ

जनजातीय एव गैर जनजातीय जनसंख्या का सपूर्ण जनसंख्या से प्रतिशत

	1981			1991		
	कुल जनसख्या	जनजातीय जनसख्या	गैर जनजातीय जनसख्या	कुल जनसख्या	जनजातीय जनसख्या	गैर जनजातीय जनसख्या
योग	100 00	11 85	88 15	100 00	9 54	90 46
ग्रामीण	100 00	15 88	84 12	100 00	12 77	87 23
नगरीय	100 00	0 55	99 45	100 00	0 67	99 23

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

Growth of Tribal Population
Tribal Population (In 000.)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
Total Tribal Population
Nicobari Population

Fig - 3 2A

Growth of Primitive Tribes
Total Primitive Tribal Population (00.)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001
G Andamanese
Jarwa
Onge
Sentinelese
Shompen

Fig - 3 2 B

■ Tribal Population □ Total Population

Fig - 3 2 C

सारणी संख्या 3.2 (ब)
अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय जनसंख्या

जनसंख्या वितरण							
वर्ष	कुल ज0 जनसख्या	ग्रेट अण्डमानी	जारवा	ओंगी	सेटिनली	शोम्पेन	निकोबारी
1901	8172	605	468	672	117	348	5962
1911	9683	455	114	631	117	375	7991
1921	9193	209	114	346	117	375	8032
1931	10249	90	70	250	50	200	9589
1941	10650	40	56	170	50	110	10230
1951	12195	23	50	150	50	20	11902
1961	14472	19	300	129	50	71	13903
1971	18459	24	275	112	82	92	17874
1981	22630	26	200	97	100	223	21984
1991	26770	36	200	98	100	214	26122
2001	32340	43	242	110	117	247	31581

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

वितरण ·

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो का वितरण अनेक द्वीपो मे है। ग्रेट अण्डमानी मुख्यत. स्ट्रेट द्वीप मे केन्द्रित है (Fig-3 1)। चूकि इनकी सख्या मात्र 43 व्यक्ति ही है, अतः इस छोटे से द्वीप पर जगलो के मध्य ये सीमित है। साथ ही ये अपना द्वीप छोडकर बाहर नही जाना चाहते।

जारवा जनजाति आदिम पाषाण कालीन जनजाति है, जो मध्य एव दक्षिणी अण्डमान के पश्चिमी तटीय जंगली भागों मे उत्तर मे पोर्टऐसन से दक्षिण मे कार्टेज की खाडी के बीच बाराटाग के पश्चिमी भागो मे केन्द्रित है। इनके अनेक जत्थे जगलो के विविध भागो मे केन्द्रित है (Fig-3 1)।

ओगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान मे केन्द्रित है। इनके मुख्य रूप से दो समूह है जो (1) डिगागक्रीक मे तथा (2) साउथबे मे केन्द्रित है। यहॉ के जगली भागो में ये जनजातियॉ विविध झोपडियो मे केन्द्रित है।

सेटिनली जनजाति वर्तमान समय मे मात्र उत्तरी सेन्टिनली द्वीप मे केन्द्रित है। यह सर्वाधिक प्राचीन पाषाण कालीन नेग्रिटो मूल की जनजाति है, जिससे अभी तक कोई सम्पर्क नही हो पाया है। अत इसके रहन सहन के बारे मे पर्याप्त जानकारी नही है।

निकोबारी जनजाति मगोलायड मूल की है तथा इसका सर्वाधिक केन्द्रीकरण कार निकोबार द्वीप मे है। इसके अलावा ये अन्य द्वीपो जैसे– लिटिल निकोबार, कचाल, कमोर्टा, चौरा, तराशा, नानकौरी, ट्रिकेट, कोण्डूल, पिलोमिलो एव बामपोका मे भी पायी जाती है। चूँकि ये धीरे–धीरे सभ्य एव शिक्षित होने लगे है तथा कुछ सरकारी नौकरियो मे भी आ गए है, अत. धीरे–धीरे इनका वितरण अन्य द्वीपो मे भी हो रहा है (Fig-3.1B)।

शोम्पेन आदिम जनजाति भी मगोलायड मूल की है, तथा यह ग्रेट निकोबार द्वीप मे केन्द्रित हैं। मावा शोम्पेन तटीय क्षेत्रो के पास नदी घाटियो मे तथा हिसक शोम्पेन गलाथिया एव अलेक्जेड्रिया नदियो की घाटियो के जगली क्षेत्रो में केन्द्रित है (Fig-3.1B)।

जहॉ तक उपरोक्त जनजातियों के विविध क्षेत्रो मे घनत्व का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध मे कोई सरकारी या प्रशासनिक तथ्यात्मक एव विश्वसनीय सूचना प्राप्त नही हैं। साथ ही इन जनजातियो की सख्या इतनी कम है, तथा ये विविध द्वीपों के जंगली

क्षेत्रो मे इतने विरल रूप मे बिखरी हुई है कि इनके घनत्व का परिगणन करना कठिन कार्य है।

सरचना

जनसख्या की सरचना मे मुख्यत आयु लिग सरचना एव ग्राम्य–नगर जनसख्या अनुपात सम्मिलित है। जहॉ तक अण्डमान निकोबार द्वीप की सामान्य जनसख्या के आयु लिग सरचना का प्रश्न है, उसमे 20 वर्ष तक की आयुवर्ग में लगभग 43 4% पुरूष एव 49 6% महिलाए है, जबकि 20–40 वर्ष के आयु वर्ग मे यह सख्या क्रमश 35 2% एव 35 2% है। शेष जनसख्या 40 वर्ष से उपर की आयु वर्ग मे है। 60 वर्ष के उपर की जनसख्या मे पुरूष 4.2% तथा महिलाए 3 5% है।

उपरोक्त सामान्य आयु लिग सरचना से यदि आदिम जनजातियो की आयुलिग सरचना की तुलना की जाय तो काफी अन्तर मिलता है। जैसा कि सरणी सख्या 3 3 एव Fig-3 3 उसे स्पष्ट है।

सारणी संख्या 3.3
आयु–लिंग सरचना : आदिम जनजातियॉ

आयु–वर्ग	पुरुष %	महिला %
0–4	8 27	7.32
5–9	15 79	22 76
10–14	21 80	17.89
15–34	33 08	32 52
35–44	11 28	14 63
45 >	9 77	4 88

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

आदिम जनजातियो मे सामान्यतया दस वर्ष तक की आयु मे 24% पुरूष एव 30% महिलाए सम्मिलित है। सर्वाधिक जनसख्या 15 से 34 आयु वर्ग मे है। जबकि न्यूनतम 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग मे है जैसा कि सारणी 3 3 एव Fig-3.3 से स्पष्ट है। निकोबारी जनजाति की आयु लिग सरचना अन्य आदिम जनजातियो से इस आधार पर भिन्न है कि इनमे बच्चो की सख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा मध्यवर्ती आयु वर्गो मे न्यूनाधिक रूप मे समान जनसख्या मिलती है। ऊपरी आयु वर्ग मे जनसख्या कम है (Fig-3 3)।

जहाँ तक जनजातीय जनसख्या के ग्राम्य नगर अनुपात का सम्बन्ध है, उसमे 98 50% ग्रामीण जनसख्या है तथा शेष 1 5% नगरीय जनसख्या है। ग्राम्य जनजातीय जनसख्या विविध द्वीपो मे फैली हुई है। जबकि नगरीय जनजातीय जनसख्या मात्र 502 है, जो दक्षिण अणडमान मे स्थित अण्डमान निकोबार की राजधानी पोर्टब्लेयर मे केन्द्रित है। विविध द्वीपो मे जनजातीय जनसख्या का ग्राम्य एव नगरीय भाग सारणी सख्या 3 4 मे प्रदर्शित है।

सारणी सख्या–3.4

सामुदायिक विकास खण्डों मे जनजातियों की जनसख्या, नगरीय एवं कस्बा आवास के अनुसार 1991

प्रदेश / जिला / नगर	योग, ग्रामीण, नगरीय	जनजातीय जनसख्या
अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह	योग	26770
	ग्रामीण	26268
	नगरीय	502
अण्डमान	योग	1917
	ग्रामीण	1415
	नगरीय	502
उत्तरी अण्डमान विकास खण्ड	योग	5
	ग्रामीण	5

	नगरीय	—
मध्य अण्डमान विकास खण्ड	योग	115
	ग्रामीण	115
	नगरीय	—
दक्षिणी अण्डमान विकास खण्ड	योग	1295
	ग्रामीण	1295
	नगरीय	—
कुल नगरीय		502
पोर्टब्लेयर		502
निकोबार	योग	24853
	ग्रामीण	24853
	नगरीय	—
कारनिकोबार विकास खण्ड	योग	15781
	ग्रामीण	15781
	नगरीय	—
नानकौरी विकास खण्ड	योग	9072
	ग्रामीण	9072
	नगरीय	—
योग नगरीय		—

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

साक्षरता :

अण्डमान निकोबार द्वीप की सम्पूर्ण जनसख्या की सामान्य साक्षरता दर 81 18% है, जिसमे पुरूष साक्षरता 86 4% तथा महिला साक्षरता 75 3% है।[10] यहॉ की जनजातियो मे मात्र निकोबारी जनजाति ही पिछले 30–40 वर्ष के सरकारी प्रयासो के बाद कुछ शिक्षित हो पायी है। शेष अन्य पॉच जनजातियॉ आज भी पाषाण कालीन आदिम जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार के अनेक प्रयासो के बावजूद भी अभी बाहरी सभ्यता एव सस्कृति से उनका सीधा सम्बन्ध स्थापित नही हो सका है। सेन्टिनली आदिम जनजाति से तो अभी तक

Population Pyramid of Nicobari Tribes

Percentage

25

20

15

10

5

0

14.8 12.5 19.7 18.9 21.3 18.4 22.2 21.7 15.7 15.4 8.6 9.1

0 to 4 5 to 9 10 to 14 15 to 34 35 to 44 45 above

Age Group (Yrs.)

Fig.3.3 (A)

Population Pyramid of Primitive Tribes

25
20
15
10
5
0

Percentage

14 8
12 5
19 7
18 9
21 3
18 4
22 2
21 7
15 7
15 4
8 6
9 1

0 to 4
5 to 9
10 to 14
15 to 34
35 to 44
45 above

Age Group (Yrs.)

Fig.3.3 (B)

कोई सम्पर्क नही स्थापित हो सका है। अत इन पॉच आदिम जनजातयो मे साक्षरता दर शून्य ही है। स्ट्रेट द्वीप ग्रेट अण्डमानियो के लिए, ग्रेट निकोबार मे शोम्पेन के लिए, डिगाकक्रीक एव साउथ बे मे ओगियो के लिए, उन्हे साक्षर बनाने हेतु एक–एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है। उनमे एक–एक अध्यापक की नियुक्ति भी की गयी है। इन विद्यालयो मे साक्षरता हेतु उन्हे आकर्षित करने के लिए दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाता है। फिर भी, वे भोजन प्राप्त करने तो पहुचते है लेकिन बाद मे चले जाते है। अत साक्षरता के क्षेत्र मे अभी तक इनमे कोई सफलता नही मिली है। निकोबारियो की साक्षरता दर लगभग 50% है। जिसमे 58% पुरूष एव 42% महिला साक्षर है। निकोबारी जनजाति क्षेत्रो मे अनेक शिक्षण सस्थाये कार्यरत है तथा अन्य द्वीपो मे स्थित कालेजो मे भी इनके स्थान आरक्षित है, जिसका लाभ इन्हे प्राप्त हो रहा है। अत इनकी साक्षरता दर मे अगले वर्षों मे तीव्र वृद्वि की सभावना है।

रोजगार :

अण्डमान निकोबार की जनजातियो मे मात्र निकोबारी जनजाति सभ्य, शिक्षित एव सस्कृत हो रही है। अत विविध सरकारी एव निजी क्षेत्रो मे रोजगार प्राप्त करने हेतु मात्र यही लोग ही अर्ह है। अन्य पॉच आदिम जनजातियॉ असभ्य एव अशिक्षित है। साथ ही बाहरी लोगो एव सभ्यता से उनका कोई सीधा सम्पर्क नही है। अत न तो वे रोजगार की आवश्यकता महसूस करते है, और न ही उनके पास इसके लिए अर्हता ही है। शोधकर्ता ने इस हेतु ओगी जनजाति क्षेत्र डिगागक्रीक मे श्री पाल्यन जी, जो प्लान्टेशन अधिकारी है, से सम्पर्क किया । उन्होने शोधकर्ता को यह बताया कि ओगियो से प्लान्टेशन एव नारियल के तोडने, एकत्र करने, आदि मे काम लिया जात है। इस हेतु उन्हे कुछ शराब एव खाद्य सामाग्री दी जाती है तथा

काम करने वालो के खाते मे प्रति नारियल रु0 2 50 पैसे की दर से सरकार द्वारा जमा किया जाता है। कुछ ओगियो के खाते मे तो 40 से 60 हजार रूपये तक जमा हो गए है। इस धनराशि से सरकार उनके व्यक्तिगत विकास हेतु विविध प्रकार के सुविधाए उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार ग्रेट अण्डमानियो से भी प्लान्टेशन मे कार्य लिया जाता है तथा इसके बदले मे उन्हे मुर्गिया, सुअर आदि प्रदान किये गए है। अन्य तीन आदिम जनजातियॉ ऐसे कार्यो से भी दूर है। इस प्रकार पॉच आदिम जनजातियो मे रोजगार दर शून्य है।

जो भी रोजगार सम्बन्धी सूचना एव तथ्य प्राप्त है, वे सभी निकोबारियो से सम्बन्धित है। निकोबारियो के रोजगार हेतु पोर्टब्लेयर, कारनिकोबार एव कैम्पबेलबे मे तीन रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए है , जिनमे शिक्षित रोजगार चाहने वाले निकोबारियो का पजीकरण होता है तथा उनके शिक्षा के अनुरूप विविध नौकरियो मे उन्हे नियुक्ति प्रदान की जाती है। अभी तक पोर्टब्लेयर कार्यालय मे 252 निकोबारियो का पजीयन हुआ है, जिसमे 163 व्यक्तियो को रोजगार दिया गया है। कार निकोबार कार्यालय मे अभी तक 798 व्यक्तियो का पजीकरण हुआ है, जिसमे मात्र 40 व्यक्तियो को रोजगार मिला है। कैम्पबेलबे कार्यालय मे यह सख्या क्रमश 173 एव 18 व्यक्ति है। उपरोक्त तीनो कार्यालयो मे 1994–1995 से 2000 तक पजीकृत एव रोजगार प्राप्त व्यक्तियो की सख्या सारणी सख्या 3 5 मे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।

सारणी सख्या–3.5

जनजातियों का वार्षिक पंजीकरण एवं नियुक्तियाँ (संख्या)

वर्ष	पोर्टब्लेयर		कारनिकोबार		कैम्पबेलबे	
	पजीकरण	नियुक्ति	पजीकरण	नियुक्ति	पजीकरण	नियुक्ति
1994–95	27	20	93	19	2	–
95–96	51	33	214	–	95	5
96–97	40	18	76	–	48	5
97–98	24	31	137	–	–	–
98–99	58	15	146	–	–	–
99–2000	52	12	132	21	28	8
योग	252	129	798	40	173	18

स्रोत– आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान एव निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

अधिवास तंत्र :

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो के अधिवास अधिकाशत झोपडियो वाले है, जो बॉस, बेंत, नारियल, कटहल एव अन्य पेडो की लकडी तथा पत्तियो से बने होते है। जगलो में इनके आवास बिखरे हुए ही मिलते है। लेकिन कही–कही पर झोपडियो के पुज भी दिखाई पडते है। अत इनके अधिवास अधिकाशत बिना आकार के बिखरे हुए ही होते है। फिर भी इन जनजातियो के अधिवासीय तत्र का सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

प्रकार एवं प्रतिरूप :

निकोबारी जनजाति के अलावा अन्य जनजातियो के अधिवास अस्थायी एवं अर्धस्थायी ही होते हैं। निकोबारी धीरे–धीरे शिक्षित एव सभ्य होने लगे है, इसलिए अब वे स्थायी आवास

बनाने लगे है, लेकिन इन अवासो मे अधिकाशत झोपडियॉ ही है (Fig-3.4)। सरकार ने भी इन्हे लकडियो एव सीमेन्ट निर्मित आवास प्रदान किये है, जिसका ये भरपूर उपयोग करते है। रोजगार प्राप्त निकोबारी अब अपने से अच्छी लकडी सीमेन्ट एव कक्रीट के आवास बनाने लगे है। निकोबारियो के गॉव अधिकाशत कार निकोबार, कचाल, ट्रिकेट, नानकौरी, लिटिल निकोबार, कोण्डूल, तरेशा, आदि द्वीपो मे केन्द्रित है तथा ये गुन्छित अधिवासीय प्रतिरूप प्रदर्शित करते है। ग्रेट निकोबार मे इनके 12 गॉव है– पुलोबन्द, पिलोकुजी, कोपेनहीट, कोशिनटूथ, कोई, पिलोमानी, पाटाटिया, कोकीआव, पिकोपुका, इनहिनलाय, पिलोमाहा, और चिगाई यह मुख्य है। इन गॉवो का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है[11]। कारनिकोबार के मुख्य गॉव, सवाई, टीटाप, तमालू, मूस, परका आदि है। गावो मे इनके आवास सघन एव पास–पास होते है। एक झोपडी से दूसरी झोपडी के बीच लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी होती है। कार निकोबार मे प्रत्येक गॉव मे एक सामूहिक भवन भी होता है, जिसे स्थानीय भाषा मे "अल्पनाम" कहते है। इसे सामूहिक कार्यो जैसे–उत्सव, सभा, नाच–गाने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। "कुनसेनरो" इनका प्रमुख त्योहार है। इस समय ये सामूहिक भोजन, शराब आदि का प्रयोग कर भरपूर आनन्द उठाते है। इनका एक विशेष घर भी होता है, जो 10–11 फिट ऊँचा होता है, इसका प्रयोग मछली, नारियल, लकडी, पत्ती आदि रखने हेतु किया जाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के अधिवास झोपडियो वाले होते है। जो गोलाकार होते है, ये आवास अधिकाशत समुद्र के पास एव जमीन पर ही बनाये जाते है। इससे समुद्री जीवजन्तुओ को पकडने, रोशनी एव हवा प्राप्त करने मे आसानी होती है। इनके आवास भी अस्थायी एव अर्धस्थायी होते है। कई झोपडियॉ साथ मे अर्धचन्द्राकार रूप मे दिखाई पडती है, जो गुन्छित आवासीय

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 3.4 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 3.4 (B)

प्रतिरूप प्रदर्शित करते है। ऐसा एक गुन्छित आवासीय प्रतिरूप स्ट्रेट द्वीप मे देखा गया है (Fig-3 4)।

ओगी जनजाति के आवास डिगागक्रीक, जैक्सन क्रीक और साउथबे मे पाये जाते है (Fig-3 4A)। ओगी के आवास भी झोपडियो वाले है। डिगागक्रीक मे 1976–77 मे सरकार द्वारा 26 लकडी की झोपडियॉ बनायी गयी तथा ओंगियो को इसे प्रदान किया गया। लेकिन ओगी लोग वर्षा काल के अलावा अन्य मौसमो मे अपने ही झोपडियो मे रहना पसन्द करते है। ओंगी लोग अस्थायी झोपडी को स्थानीय भाषा मे "कोराली" तथा सामुदायिक झोपडी को "बेयरा" कहते है। इसके अलावा सरकार ने भी इस क्षेत्र मे इनके लिए कम्यूनिटी हाल, औषधालय, पावरहाउस, तथा ओगी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति एव, अण्डमान आदिम विकास समिति के कर्मचारियो हेतु भी आवास बनवाए है। साउथबे क्षेत्र मे भी ओगियो की झोपडियॉ एक साथ मिलती है। ये झोपडियॉ भी स्थानीय पदार्थो से निर्मित हैं। 1980 मे सरकार द्वारा इन्हे पॉच लकडी के आवास प्रदान किये गए। लेकिन उसमे केवल एक ही घर तीन अविवाहित ओगियो के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। शेष चार लकडी के आवास खाली पडे है। एक जगह स्थित होने के कारण इन झोपडी समूहो को गुच्छित प्रतिरूप ही कहा जा सकता है।

जारवा जनजाति के आवास भी झोपडी वाले एव अस्थायी होते है। ये अपने आवास को "चड्डा" कहते है। पारिवारिक झोपडी को "तुतमी चड्डा" तथा अविवाहित स्त्री झोपडी की "थोरकॉगो चड्डा" कहते है।[12] इनकी झोपडियॉ दक्षिणी एव मध्य अण्डमान के लकदा, लुगटा, फोलबे, एव यादिता मे समुद्र के किनारे देखने को मिलती है (Fig 3 4A)। ये झोपडियॉ छोटी एव मध्यम आकार की होती है। लाकदा एवं लुगटा मे छोटे आकार की झोपडियॉ

(लम्बाई 1 2 मी0, चौ0 1 2,मी0,एव ऊचाई 1 2 मी0) तथा फोलबे एव यादिता मे मध्यम आकार की झोपडियॉ (लम्बाई 2 4 मी0,एव चौडाई 1 5 मी0 ऊचाई 1 2 मी0) पायी जाती है। 1788 में एक यात्रा के दौरान चोतालिक बागबे मे 18 झोपडियॉ पायी गयी, जिनका मुख्य द्वार समुद्र की ओर ही था तथा उनके बीच मे 3 मी0 की दूरी थी। इस प्रकार ये झोपडियॉ भी एक साथ होने के कारण गुन्छित प्रतिरूप प्रदर्शित करती है। सामुदायिक झोपडियॉ फोलबे एव यादिता मे पायी जाती है। ये सामूहिक कार्यो हेतु प्रयोग की जाती है, इनमे जारवा लोग जानवरो के ककाल, मास एव चमडे लटकाये रहते है। इन झोपडियो का अर्धव्यास 12 मी0 तथा बीच मे उनकी ऊँचाई 6–7 मी0 होती है। सुअर का मास आदि रखने के लिए 1 5 मी0 की ऊँचाई पर एक पटरा बना होता है।

सेटिनली जनजाति पूर्ण आदिम, पाषाण कालीन खूखार एव हिसक जनजाति है। अनेक सरकारी प्रयासो के बावजूद भी आज तक इनसे सम्पर्क नही किया जा सका है। अप्रैल 1967 मे सरकारी अधिकारियो ने इनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हे देखकर ये लोग जगल मे भाग गए। फिर भी इस यात्रा मे अधिकारियो ने जगल मे एक दूसरे से सटी हुई इस जनजाति की 18 झोपडियॉ देखी । झोपडियो के बगल मे कोई दीवार नही थी और न ही ही फर्श बना था, जैसा कि प्राय अन्य जनजातियो की झोपडियो मे नही पाया गया । इन झोपडियो की लम्बाई 2 25 मी0, चौडाई 1 5 मी0, तथा ऊँचाई 2 25 मी0 थी।[13] झोपडियों मे धनुष–बाण एव लकडी आदि के पात्र भी रखे हुए थे तथा आग भी प्रज्वलित की गयी थी। उत्तरी सेन्टिनल की इन 18 झोपडियों को भी गुच्छित प्रतिरूप ही कहा जा सकता है (Fig 3 4A) ।

शोम्पेन जनजाति ग्रेटनिकोबार मे केन्द्रित हैं, तथा इनके आवास भी झोपडियो वाले है, जो अधिकाशत

अलेक्जेण्ड्रिया एव गलाथिया नदी घाटियो मे पायी जाती है। इनके बस्तियो का कोई निश्चित आकार नही होता । शोम्पेन अपनी झोपडियॉ अधिकाशत पूर्वी एव पश्चिमी किनारो पर पहाडी ढालो एव घाटियो मे बनाना पसन्द करते है। इनकी झोपडियॉ उतनी अच्छी नही होती जितनी अन्य जनजातियो की होती है। इनकी छोटी, मध्यम एव बडे आकार की झोपडियॉ होती है। बडी झोपडियो की लम्बाई 8–10 फिट, चौडाई 7–8 फिट, तथा ऊँचाई 10–12 फिट तक होती है। शोम्पेन अपनी झोपडियो तथा उसके अन्य भागो को अलग–अलग नाम दिये है जैसे– झोपडी को "कचाम", दरवाजा को "कनाऊ", फर्श को "अफरा", सीढी को "अगनियॉ", छत के बीच के खम्भे को "अकीब", सामने के खम्भे को "अकाग", छत को "तवाफ" तथा खाना रखने की जगह को "आदा" कहते है। गलाथिया एव अलेक्जेण्ड्रिया नदी घाटियो मे इनके गुन्छित रूप ही देखने को मिलते है(Fig-3 4B)) ।

गृह प्रकार एवं पदार्थ ·

निकोबारियो के घर लकडी निर्मित झोपडी वाले होते है (प्लेट सख्या 11), जिनका आकार छोटे से लेकर बडा तक होता है। प्रमुख रूप से ये झोपडे नारियल, सुपाडी, कटहल आदि की लकडियो के खम्भों एव बीम से बने होते है। इन झोपडियो मे दरवाजे एव खिडकियॉ भी होती है। एक झोपडे मे सामान्यत एक परिवार ही रहता है। झोपडी के बनाने का कार्य अधिकाशत पुरूष द्वारा ही सम्पादित होता है तथा ये झोपडियॉ इस तरह बनायी जाती है, जिससे 15–20 वर्ष तक चल सके। छत लट्ठो, घास–फूस तथा पत्तियो से इतनी मजबूत बनाई जाती है कि उससे पानी नही रिस पाता। इनके घर मुख्यत चार प्रकार के होते है (1) मापती तुएत (2) तालिको (3) पतीयागनिलो (4) पतीकुपा।

"मापती तुएत" सबसे प्रमुख घर होता है, जो दोस्त एव अतिथियो तथा उत्सव मनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे साफ–सुथरा रखा जाता है। इसमे खाना पकाना तथा सोना निषेध है। "तालिको" मे खाना पकाया जाता है इसकी छत वक्राकार होती है तथा नारियल एव ललाग की पत्तियो से बनी होती है। "पतीयाग निलो" ऐसी झोपडी होती है जो बच्चो को जन्म देने तथा उनके पालन–पोषण हेतु प्रयोग की जाती है। ये मुख्य बस्ती से थोडी दूरी पर होती है। "पतीकुपा" आवास का प्रयोग अन्तिम सस्कार के समय शवो को रखने के लिए किया जाता है। शव को नहलाना, वस्त्र पहनाना, लेप लगाना आदि इसी मे किया जाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के आवास भी झोपडी वाले ही है, जो अधिकाशत बेत, बॉस एव लकडी के लट्ठों तथा ताड की पत्तियो द्वारा बने होते है। इनकी छत बेत एव ताड की अच्छी पत्तियो से निर्मित होती है, जो जमीन तक लटकती रहती है, जिससे दीवार बनाने की आवश्यकता नही पडती । झोपडी के फर्श के चारो ओर एक फिट की ऊँचाई तक बॉस या वृक्षो की शाखाओ द्वारा घेर दिया जाता है। छत ढलान वाली होती है, जिससे बारिस का पानी सीधे निकल जाये । अब सरकार द्वारा इन्हे लकडी से निर्मित एसबेस्टस सीट के छतो वाली आवास प्रदान कर रही है। लेकिन अभी ये अपने झोपडी मे रहना पसन्द करते है। इनकी झोपडियो मे अधेरा रहता है, क्योकि इसमे एक छोटे दरवाजे के अलावा खिडकी, झरोखा आदि नही होता। इस झोपडी में खाना बनाने, सोने एव सामान रखने सभी का काम होता है।

ओगी जनजाति लिटिल अण्डमान के डिगागक्रीक एव साउथबे मे केन्द्रित है। ये अपनी झोपडी बॉस, बेत, कटहल, नारियल आदि के लकडियो एव लट्ठों से बनाते है तथा छत,

बॉस एव वृक्षो की पत्तियो एव टहनियो से बनायी जाती है। इनके फर्श बॉस एव बेत के बने होते है। इन झोपडियो मे एक कमरा तथा सामने एक बरामदा होता है, जिसमे ये खाने, सोने एव सामान रखने का कार्य करते है। अब इन्हे सरकार द्वारा कुछ लकडी की झोपडियॉ प्रदान की गयी है (प्लेट सख्या 23)। लेकिन ये वर्षात को छोडकर अन्य मौसमो मे मात्र अपनी झोपडी मे ही रहना पसन्द करते है।

जरवा जनजाति की झोपडियॉ चार लकडी के खम्भो पर टिकी होती है, दो खम्भे आगे और दो पीछे होते है, जो उपर एक दूसरे से बधे होते है। इन खम्भो से बॉस या अन्य लकडी के बीम बधे होते है तथा इनकी छत सलाई वृक्ष की पत्तियो से बनी होती है (प्लेट सख्या 24) यह इतनी मोटी होती है कि इसमे जल्दी पानी नही रिस पाता। झोपडी के आगे पूरा स्थान खुला रहता है। इन झोपडियो के आकार छोटे से बडे तक होते है। एक झोपडी मे केवल एक ही परिवार रहता है तथा उसमे खाने, सोने एव सामान रखने का कार्य किया जाता है। झोपडी से 5 मी0 की दूरी पर एक लकडी की टोकरी रखी रहती है जिसमे शहद रखकर सलाई की पत्ती से ढक दिया जाता है। सरकार ने इन्हे भी सामुदायिक झोपडिया प्रदान की है, जिसमे ये सामूहिक कार्य करते है तथा मछली सुअर मास चमडे आदि टागते है। ये झोपडियॉ लकडी से एव इनकी छत एसबेस्टस सीट से निर्मित होती है।

सेन्टिनली जनजाति की झोपडियॉ 1967 मे उत्तरी सेन्टिनल द्वीप पर पायी गयी। ये झोपडियॉ वृक्षो के नीचे बॉस एव बेत के लट्ठोएव घास–फूस तथा पत्तियो से बनी हुई थी। इन झोपडियॉ के चारो किनारो पर चार खम्भें थे जो ऊपर से एक दूसरे से बधे थे, तथा छत पत्तियो द्वारा ढालदार बना हुआ था। इन झोपडियो मे न तो कोई दीवार और न तो कोई फर्श थे। इन

प्लेट संख्या–23

सरकार द्वारा ओंगियो को प्रदान किये गए आवास

प्लेट संख्या–24

जारवाओं द्वारा निर्मित की जा रही झोपडी

झोपडियो के चारो कोनो पर आग जल रही थी, जो शायद जहरीले कीडो, सॉप आदि से सुरक्षा हेतु रखी गयी थी। इन झोपडियो मे रखे हुए सामानो को देखने से स्पष्ट हो रहा था कि इनमे खाने, सोने एव वस्तुओ के रखने का भी काम होता था। शिकार हेतु रखे धनुष–बाण भी झोपडियो मे देखे गये।[14]

शोम्पेन जनजाति की झोपडियॉ मुख्यत तीन प्रकार की होती है– सामान्य प्रकार की झोपडी जिसके चारो ओर दीवार नही होती, छत घासो एव पत्तियो से निर्मित होती है, जो जमीन तक लटकती रहती है। दूसरे प्रकार की झोपडी मे बगल की दीवार होती है लेकिन आगे पीछे की नही होती। जबकि तीसरे प्रकार की झोपडी मे छत, चारो दीवारे एव दरवाजा भी होता है। प्रथम एव दूसरे प्रकार की झोपडियो के अगले भाग मे रहने, पिछले भाग मे पालतू जानवरो को रखने तथा आगे के शेष बचे भाग मे खाना बनाने का कार्य किया जाता है। खाना बनाने के स्थान पर 10–15 सेमी0 मोटी मिट्टी की परत बिछी होती है। तीसरे प्रकार की झोपडी मे लगभग सभी प्रकार का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इनकी भी झोपडी स्थानीय जगलो मे उपलब्ध लकडी के खम्भो, लट्ठो, वृक्षो की पत्तियो एव घास–फूस द्वारा बनी होती है। छत ढालदार होती है, जिससे पानी अन्दर नही रिसता । कुछ खम्भे झोपडी के बाहर, झोपडी को सुदृढ बनाने हेतु लगे होते है जिससे कि वह गिरे नही।

संदर्भ सूची

1 Basic statistic, 1998-99 Directrate of Economics and Statistics, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair

2 Chacraborty, D.K 1990 The Great Andamanese, Sea Gull Books, Calcutta

3 Ibid

4 Jayant, S 1990 The Jarwa, Sea Gull Books, Calcutta

5 Rizvi, S.N.H 1990 The Shompen, Sea Gull Books, Calcutta

6 Chacraborty D K 1990· op cit

7 Justine, A 1990:The Nicobarese, Sea Gull Books, Calcutta

8 Basic Statistic 1998-99 op cit

9 Ibid

10 Census 2001

11 Nandan, A P 1993 Nicobari of Great Nicobar, Gyan Publishing House, New Delhi.

12 Jarwa Report, Second Phase 2002, Andman Adim Janjati Vikas Samiti, Port Blair

13 Pandit, T N 1990 : The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta

14 Ibid

अध्याय–4

सामाजिक संरचना एवं सुविधाओं का विकास

प्रस्तावना ·

समाज के विभिन्न व्यक्तियो के पारस्परिक सम्बन्धो को शासित करने वाले सामाजिक सम्बन्ध–सूत्र अत्यन्त जटिल होते है। प्रत्येक मानव समाज अनेक सामाजिक समूहो मे विभक्त होता है। इन समूहो मे विभाजित व्यक्तियो के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्ध सुनिश्चित श्रेणियो मे बटे और परम्पराओ से नियत्रित होते है। प्रत्येक सामाजिक ढाचा अनेक सस्थानो तथा समितियो से गुँथा रहता है। ऐसी प्रत्येक सस्था या समिति अपने व्यवहार–प्रकारो और विचार तथा मनोवृत्तियो के सम्बन्धित सकुलो से आवृत रहती है। कुछ सस्थाओ और समितियो की सदस्यता एच्छिक होती है, अन्य की अनिवार्य।

ससार के विभिन्न समाजो की रचना का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक सरचना कतिपय आधारभूत कारको पर निर्मित होती है। इनमे से अधिक महत्वपूर्ण कारक है – यौन भेद, सम्बन्ध, स्थान, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यवसाय और ऐच्छिक समितियॉ। पूर्व सस्कृतियो के सदर्भ मे हमे दो और कारक जोडने पडेगे यथा– जादू–धर्म, के क्षेत्र मे विशेषज्ञता और टोटमबाद।[1]

आदिम समाजो मे सामाजिक सरचना एव सामाजिक सगठन को समझने से पूर्व इन दोनो के अर्थ को समझना होगा। समाज सामाजिक सम्बन्धो का जाल है। अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध मिलकर ही समाज को बनाते है। समाज मे सभी सामाजिक सम्बन्ध समान महत्व के नही होते और इसलिए किसी भी

समाज के अध्ययन के लिए सभी सम्बन्धो का अध्ययन नही किया जाता। जो सम्बन्ध स्थायी है, वे ही अधिक महत्वपूर्ण है तथा उन्ही का अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए आवश्यक है। जो सम्बन्ध बार-बार दोहराये जाते है और स्थायी है, वे ही सामाजिक सरचना का निर्माण करते है।[2] मजूमदार एव मदान ने सामाजिक सरचना को पारिभाषित करते हुए लिखा है – पुनरावृत्तीय सामाजिक सम्बन्धो के तुलनात्मक स्थायी पक्षो से सामाजिक सरचना बनती है।[3] इस परिभाषा मे भी इस भाषा पर जोर दिया गया है कि जो सामाजिक सम्बन्ध बार-बार दोहराये जाते है और तुलनात्मक रूप से स्थायी है, वे समाज की सरचना का निर्माण करते है। भारतीय सामाजिक सरचना का सामान्य स्वरूप निम्नलिखित सारणी मे प्रदर्शित है।

सारणी सख्या 4 1

भारतीय सामाजिक संरचना का समान्य स्वरुप

व्यक्ति यदि चाहे तो एक या अधिक ऐच्छिक समूहो का भी सदस्य बन सकता है

कुछ समाजो मे इन समितियो की सदस्यता प्राय अनिवार्य रहती है। कई समाजो मे कुछ वर्गो के लोग स्वत ही इनके सदस्य हो जाते है। अन्य समाजो मे लोगो को इनके सदस्य बनने केलिए कुछ योग्यता परीक्षण देने होते है।[4]

उपरोक्त सामाजिक सरचना के स्वरूप के अर्न्तगत ही भारत के विविध क्षेत्रो मे निवास करने वाली अल्प सख्यक आदिम जनजातियॉ भी आती है। इनकी सामाजिक सरचना मे भी प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से बहुसख्यक एव सभ्य मानव समुदायो के सामाजिक सरचना स्वरूप ही प्राप्त होते है। क्योकि मानव की अपने वर्ग एव समाज से सम्बन्धित मूल भावनाए एव विचार किसी न किसी रूप मे समान ही होते है। विविध जनजातियो के सामाजिक सरचना मे जो भी परिवर्तन मिलते है, वे मूलत पर्यावरणीय दशाओ के परिवर्तन के कारण है। प्रस्तुत अध्याय मे अण्डमान–निकोबार की जनजातियो के सामाजिक सरचना एव सुविधाओ का विवरण एव विवेचना प्रस्तुत किया गया है।

परिवार ·

परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है। इस सस्था के कार्यो का विस्तृत समूह विभिन्न समाजो मे भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है। फिर भी इसके मूलभूत कार्य सभी जगह समान है। काम के स्वाभाविक वृत्ति को लक्ष्य मे रखकर ये यौन सम्बन्ध एव

सन्तानोत्पत्ति की क्रियाओ का नियमन करता है। यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तैयार करता है तथा शिशु के समुचित पोषण तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि देता है। परिवार मे स्त्री एव पुरूष दोनो को सदस्यता प्राप्त होती है। उनमे कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियो को यौन सम्बन्धो की सामाजिक स्वीकृत रहती है, और उनके ससर्ग से उत्पन्न सतान मिलकर परिवार का निर्माण करते है। भारतीय जनजातियो मे पारिवारिक सरचना मे विविधता मिलती है, क्योकि उनके रीतिरिवाज और नियम भी अलग–अलग है।[5] भारत की जनजातियो मे रचना और सगठन की दृष्टि से परिवार का वर्गीकरण अनेक आधारो पर किया जा सकता है, जो निम्न सारणी मे स्पष्ट है।

सारणी सख्या 4 2

जनजातियों में रचना और संगठन की दृष्टि से परिवार का वर्गीकरण

1–	(1) निवास	(क) पितृ स्थानीय परिवार
		(ख) मातृस्थानीय परिवार
		(ग) पितृ/मातृ स्थानीय परिवार
		(घ) नव स्थानीय परिवार
		(च) मामा स्थानीय परिवार
	(2) अधिकार	(क) पैत्रिक परिवार
		(ख) मातृक परिवार
	(3) उत्तराधिकार	(क) पितृमार्गीय परिवार
		(ख) मातृमार्गीय परिवार
	(4) वश–नाम	(क) पितृ नामी परिवार
		(ख) मातृनामी परिवार
		(ग) उभयवादी परिवार

2– वैवाहिक रचना और गठन

(क) एक विवाही परिवार

(ख) बहुविवाही परिवार

(ग) मूल परिवार

(घ) सयुक्त परिवार

(ड) विस्तारित परिवार

स्ट्रेट द्वीप मे पायी जाने वाली ग्रेट अण्डमानी जनजाति सरल एव विस्तृत दोनो प्रकार के परिवारो का मिला–जुला स्वरूप प्रस्तुत करता है। ग्रेट अण्डमानी परिवार मे सामान्यतया पति पत्नि एव बच्चे एक साथ एक झोपडे मे रहते है। बच्चे वयस्क हो जाने पर या शादी के पश्चात् अपना अलग परिवार बसा सकते है। कभी–कभी इनके परिवारो मे पति–पत्नी एव बच्चो के अलावा नाना, मामा एव बुआ आदि भी रह सकते है। लेकिन ऐसे परिवार बहुत कम है।

दक्षिणी एव मध्य अण्डमान मे निवास करने वाली जारवा जनजाति अपने को "आग" तथा बाहरी लोगो को "इनेन" शब्दो द्वारा सम्बोधित करती है। वर्मा एव अन्य देशो के लोगो को ये "इनेनथा" एव "थोडी–इतूल" शब्दों से सम्बोधित करते है। परिवार इनकी मूल सामाजिक इकाई है, जिसमे मुख्यत पति–पत्नी, छोटे बच्चे सम्मिलित होते है। वयस्क पुत्र–पुत्रियॉ अपने मॉ बाप से अलग निवास कर सकते है। मुख्यत जारवा मे तीन प्रकर के परिवार मिलते है

(1) बिना बच्चो के पति–पत्नी (2) छोटे बच्चो सहित पति पत्नी एव (3) पुनर्विवाहित पति पत्नियो के साथ पूर्व विवाह के बच्चे।

लिटिल अण्डमान मे निवास करने वाली ओगी जनजाति भी सरल परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनके कई बैन्ड या ग्रुप हो सकते है। एक बैन्ड मे कई परिवार होते है। ये अभी भी पाषाण कालीन आदिम जीवन व्यतीत करते है। इनके परिवार मे पति–पत्नी एव बच्चे सम्मिलित होते है।

उत्तरी सेन्टिनल द्वीप के निवासी सेन्टिनली जनजाति की पारिवारिक सरचना के सम्बन्ध मे अभी तक कोई विश्वसनीय एव तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नही हुई है, क्योकि वे अभी भी पाषाण कालीन हिसक एव खूखार अवस्था मे है तथा अनेक सरकारी एव प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद उनसे सम्पर्क स्थापित नही किया जा सका है।

निकोबार द्वीपो मे रहने वाले निकोबारी जनजाति की पारिवारिक सरचना विस्तृत प्रकार की है, क्योकि ये अधिकाशत सभ्य एव शिक्षित होने लगे है। अत इनके परिवार मे माता पिता एव बच्चो के अलावा, पिता के माता–पिता या माता के माता पिता, पिता अथवा माता की बहन या भाई आदि भी रह सकते है। परिवार का आकार सामान्यत चार से आठ है, लेकिन कभी–कभी लम्बे परिवार (12 व्यक्ति) भी पाये जाते है। इनकी प्रथम या बच्चो की पीढी को "कुओ" व दूसरी या पिता की पीढी को "यॉग", तीसरी या बाबा की पीढी को "योम", चौथी पीढी को "कालवी", पॉचवी को "मुवागो", छठवी को "किनगुवागो", सातवी को "क्विनचिरो" तथा आठवी पीढी के पूर्वजो को "मॉक" कहा जाता है।

ग्रेट निकोबार निवासी शोम्पेन लोगो की सामाजिक सरचना की प्राथमिक इकाई परिवार ही है। यह एक सामान्य प्रकार का परिवार होता है, जिसमे पति–पत्नी एव बिन व्याहे बच्चे होते है। ये सभी एक ही झोपडी मे रहते है। लेकिन विवाहित एव वयस्क हो जाने पर बच्चे अलग रहने लगते है। शोम्पेन कई समुदायो मे रहते है। एक समुदाय मे 6–8 परिवार होता है, जिसमे 20–25 सदस्य होते है। सभी समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते है।

अण्डमान निकोबार की उपरोक्त सभी जनजातियॉ पैतृक, पितृनामी, पितृमार्गी, एव पितृस्थानीय होती है। परिवार के सभी सदस्य पिता के घर पर ही रहते है तथा परिवार का मुखिया पिता या अन्य बुजुर्ग पुरूष होता है।

विवाह

एस0 सी0 दुबे[6] के अनुसार यौन सम्बन्धो को स्थिर करने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिए विवाह की सस्था का जन्म हुआ है। यौन सम्बन्ध मात्र को ही विवाह का उद्देश्य मानना गलत होगा, क्योकि कई यौन सम्बन्ध विवाह मे परिणित नही होते। विश्व की अन्य जनजातियो की तरह भारतीय जनजातियो मे भी विवाह के अनेक रूप प्रचलित है। अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो मे भी विवाह पद्वति न्यूनाधिक रूप मे समान पायी जाती है।

ग्रेट अण्डमानी जनजातियो मे विवाहित पुरूष या नारी को अविवाहित लोगो से श्रेष्ठ माना जाता है। अत. कोई अविवाहित नही रहना चाहता। एक अण्डमानी अपनी बहन, चचेरी बहन, अपने पिता की बहन, माता की बहन, भाई एव बहन की लडकियो से विवाह नही कर सकता। साथ ही एक ही नाम के लडके–लडकियो

का आपस मे विवाह नही हो सकता। लेकिन अब कुछ लोग इस नियम के विपरीत विवाह कर लिए है। ग्रेट अण्डमानियो के विवाह आयु एव आयु अनुसार प्रजनन दर सारणी 4 3 अ एव ब मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या–4.3 (अ)

ग्रेट अण्डमानियों में विवाह की आयु

आयुवर्ग	पुरुष	%	महिला	%
10–15	–	–	3	27 3
16–20	2	18 2	4	36 4
21–25	3	27 3	2	18 2
26–30	3	27 3	–	–
31–35	1	9 1	1	9 1
36–40	–	–	–	–
41–>	2	18 2	1	9 1
	11		11	

स्रोत– दि ग्रेट अण्डमानी, चक्रवर्ती, डी0के0, सी गल बुक्स,कलकत्ता।

सारणी संख्या–4.3 ब

आयुवार जननता एव बहुप्रसवता–ग्रेटअण्डमानी

आयु वर्ग	संख्या (म0)	कुल जन्म सख्या	जिवित शिशु सख्या	नारियों की औ0 जननता	माताओं की औ0 जननत	औ0 बहु प्रसवता नारी	औ0 बहु प्रसवता माता
0–20	1	–	–	–	–	–	–
21–44	4	14	10	3 5	4 7	2 5	5 3
45>	3	7	5	2.3	3 5	1 7	2 5
	8	21	15	2 6	4 2	1 9	3 3

स्रोत– दि ग्रेट अण्डमानी, चक्रवर्ती, डी0के0, सी गल बुक्स,कलकत्ता।

जारवा विशुद्व रूप से एकल विवाही होते है। जब लडके–लडकियॉ एक या दो वर्ष के हो जाते है, तब उनके माता पिता विवाह हेतु बात–चीत करते है। विवाह निश्चित होने पर भावी बहू या तो अपने माता पिता के साथ या तो अपने भावी ससुर या फिर दुल्हे के साथ रह सकती है। जब ये दोनो वयस्क हो जाते है, तो लडके को "लेपा" एव लडकी को "ओपी" कहते है। लेकिन यह आवश्यक नही कि वयस्क होने पर वे आपस मे विवाह कर ले। अपना दूसरा साथी भी ढूढ सकते है। यदि भावी दूल्हे या दूल्हन मे से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो विधवा या विधुर का विवाह तब तक नही होता, जब तक वह वयस्क न हो जाय। वयस्क होने पर उसके पिता पुन विवाह निश्चित करते है तथा विवाह उत्सव मे माता एव पिता दोनो तरफ के सम्बन्धी उत्सव मे सम्मिलित होते है। यद्यपि विवाह की आयु निश्चित नही है, फिर भी लडके को 17–18 वर्ष एव लडकी को 14–15 वर्ष मे विवाह योग्य माना जाता है। विधवा एव विधुर विवाह की स्वीकृति है।[7]

ओगी समाज मे एक विवाह की पद्वति ही प्रचलित है। ये अपने सगे सम्बन्धी या अपने बैन्ड के किसी भी लडकी से विवाह नही कर सकते। चचेरे सम्बन्धो मे विवाह कर सकते है। दूसरा विवाह जीवन साथी (पति या पत्नी) के मरणोपरान्त ही होता है। विधवा एव विधुर विवाह के कारण अन्य वयस्क लडके एव लडकियो की विवाह मे परेशानियॉ आ रही है, क्योकि इनकी जनसख्या कम है। शादी के पूर्व सामूहिक झोपडी मे "तानागिरू" नाम का एक उत्सव होता है, जिसमे सगे सम्बन्धियो के समक्ष एक बुजुर्ग के आदेश पर लडका लडकी का हाथ पकडता है तथा अपने बिस्तर पर ले जाता है। इस प्रकार विवाह सुनिश्चित हो जाता है।[8]

ओगियो की विवाह स्थिति एव विवाह आयु, सम्बन्धी सूचनाए निम्नलिखित सारणी सख्या 4 4 अ एव ब मे प्रदर्शित है।

सारणी सख्या–4.4 अ

ओंगियों में वैवाहिक स्तर (प्रतिशत मे)

आयु वर्ग	पुरूष		महिला		अविवाहित	
	विवाहित	विधवा	विवाहित	विधवा	पुरूष	महिला
0–20	34 69	–	–	6 12	13 27	15 38
21–40	43 88	23 47	–	17 35	3 06	–
41–>	21 43	10 20	–	11 22	–	–
	100 00	33 67	–	34 63	16 33	15 31

सारणी संख्या–4.4 ब

ओंगियों में विवाह की आयु

आयुवर्ग	पुरुष	%	महिला	%
10–15	–	–	6	18 2
16–20	6	18 2	14	42 4
21–25	10	30 3	8	24 2
26–30	8	24.2	4	12 1
31–35	5	15 1	1	3 0
36–40	1	3 0	–	–
41–>	3	9 1	1	3.0
	33		34	

स्रोत – आइलैण्ड कल्चर ऑफ इडिया, रेड्डी जी0पी0 एव सुदर्शन वी0, पेज न0– 52।

सेन्टिनली जनजाति से अभी तक सीधा सम्पर्क स्थापित नही हो सका है। अत उनके वैवाहिक सम्बन्ध एव नियमो का ज्ञान नही हो सका है।

निकोबारी जनजाति अब सभ्य एव शिक्षित हो गयी है। अत विवाह सम्बन्धी उसके रीति रिवाज हिन्दू प्रथाओ से कुछ मिलते जुलते है। इनमे एक विवाह की प्रथा है। दूसरा विवाह तभी कर सकते है, जब जीवन साथी (पति या पत्नी) की मृत्यु हो जाय। विधवा या विधुर अपने अनुसार अपने जीवन साथी का चयन कर सकते है। सामान्यत विवाह की आयु लडकियो के लिए 15 वर्ष तथा लडको के लिए 16–17 वर्ष है। विधुर विवाह 35–40 वर्ष तक मान्य है। इनमे बाल विवाह की भी प्रथा नही है। जब लडकी विवाह योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता द्वीप के मित्र गणो, परिजनो, प्रधानो, सम्बन्धियो आदि को बुलाते है तथा वे सब उपहार सहित लडकी के घर आते है। उस दिन लडकी एव लडकी की माँ अपने को साज सवाँर कर रखते है। बाद मे इन दोनो के बाल काट दिये जाते है। उस दिन अतिथियो को कुछ खाने को नही मिलता। लेकिन दूसरे दिन विवाह उत्सव होता है, जिसे "विगैच" कहते है। इसमे सभी सगे–सम्बन्धी, मित्रगण सम्मिलित होते है। लडके के पिता तथा सगे सम्बन्धी भी आते है। लडकी का पिता लडके को कुछ काम जैसे–नौका बनाना, नारियल फोडना, झोपडी बनाना, लोकगीत गाना आदि देकर उसकी परीक्षा लेता है। काम सम्पन्न कर देने पर लडके–लडकी की शादी हो जाती है।[9] विवाह लडके के गुण को देखकर किया जाता है तथा दहेज प्रथा बिलकुल नही है। अब इनमे प्रेम विवाह की भी प्रथा शुरू हो गयी है, जिसे स्थानीय भाषा मे "मिहिनोस" कहते है। भारतीय मुख्य भूमि से कुछ गुजराती व्यापारी आकर यहाँ के लडकियो से विवाह कर लिए है। इसे निषेध नही माना जाता। एक उत्सव मे गाँव के बुजुर्गो के समक्ष

विवाह को सम्पन्न कर दिया जाता है तथा लडका–लडकी पति–पत्नी (कोच–कैथ) बन जाते है।

शोम्पेन जनजाति मे तीन प्रकार का विवाह होता है – (1) गोद द्वारा विवाह (2) व्यवस्थित विवाह एव (3) बलात विवाह। प्रथम दो प्रकार के विवाह तो सामान्य है, तीसरा विवाह बहुत कम देखने को मिलता है। प्रथम दो मे उत्सव मनाये जाते है, जबकि तीसरे मे नही। प्रथम प्रकार के विवाह मे पिता अपनी छोटी लडकी को एक युवा लडके को दे देता है। लडका उसे पाल पोषकर बडा करता है। लडकी के वयस्क होने पर लडका लडकी के पिता के घर जाकर उसके सगे सम्बन्धियो को आमत्रित करता है। शादी का उत्सव आधिकाशत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है, जिसमे दोनो तरफ के लोग सम्मिलित होते है। दोनो पक्ष के लोग एक दूसरे से उपहार स्वरूप सुअर प्राप्त करते है, जिससे विवाह पक्का हो जाता है। इस उत्सव मे सभी के लिए खान–पान एव खुशी मनाने का पूर्ण अवसर मिलता है। दूसरे प्रकार का विवाह भी लगभग इसी तरह का है। लेकिन अन्तर यह है कि जब लडकी वयस्क हो जाती है, तभी विवाह होता है। तीसरे प्रकार के विवाह मे कोई लडका किसी दूसरे बैण्ड की लडकी को छुपकर उठा ले आता है, तथा उससे अपने बैण्ड के समक्ष विवाह करता है।[10] यद्यपि शोम्पेन मे एक विवाह प्रथा ही प्रचलित है। लेकिन कुछ हद तक बहुविवाह प्रथा भी देखी जाती है। शोम्पेन मे विवाह के बाद भी दूसरे स्त्रियो या पुरूषो से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना आम बात है। 20 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने अपनी माँ से ही शादी कर लिया और उसके साथ पूरा जीवन बिताया।

नातेदारी .

सेन्टिनली जनजाति के अलावा लगभग अन्य सभी जनजातियो मे किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था

प्रचलित है। सामान्य रहन–सहन, खान–पान, परिवार, विवाह, सामूहिक उत्सव त्योहार आदि से सम्बन्धित नियम एव परम्पराये है, जिसका पालन सभी करते है। इस प्रकार सभी एक दूसरे से किसी न किसी सम्बन्ध, नातेदारी या सामाजिक बन्धन से बधे है। इनमे जो सम्बन्ध विवाह एव जन्म प्रथा से सम्बन्धित है, वे ही नातेदारी की श्रेणी मे आते है। अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो मे जैविक एव सामाजिक दोनो प्रकार की नातेदारियॉ प्रचलित है। जैविक नातेदारी मे माता–पिता, भाई–बहन, पुत्र–पुत्री, आदि सम्मिलित है, जबकि सामाजिक सम्बन्धो मे बडे पिता, बाबा, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना–नानी मामा–मामी, फुफा–बुआ आदि सम्बन्ध भी पाये जाते है। चाहे निकोबारी एव शोम्पेन हो, और चाहे अण्डमानी या जारवा, ये नातेदारियॉ सभी मे देखी जाती है। सभ्य एव शिक्षित होने के कारण निकोबारी जनजाति मे नातेदारी प्रथा का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उनकी नातेदारी प्रथा के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही है। अण्डमान निकोबार की जनजातियॉ अपने सम्बन्धो एव नातेदरियो को अपनी स्थानीय भाषा मे अलग–अलग नामो से सम्बोधित करते है।

भाषा .

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो की भाषा को उनके मूल प्रजातीय आधार एव क्षेत्रीय आधार पर दो वर्गो मे रखा जाता है (1) अण्डमान वर्ग की भाषा एव (2) निकोबार वर्ग की भाषा। अण्डमान द्वीपो मे चार प्रकार की आदिम जनजातियॉ निवास करती है, ग्रेट अण्डमानी, जारवा, ओगी, सेन्टिनली। इसीलिए इन जनजातियो की भाषा को उनके नाम के आधार पर ही पहचाना जाता है। इनकी भाषाओ मे रहन–सहन एव पर्यावरण के कारण काफी अन्तर है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति की भाषा अण्डमानी है, जिसकी कोई लिपि नही है एव इन लोगो द्वारा परम्परा के आधार पर बोली जाती है। इनमे कुछ हिन्दी एव अन्य भाषाओ के शब्द भी दूसरे लोगो के सम्पर्क द्वारा मिलते जा रहे है। ओगी जनजाति की भाषा ओगी के नाम से जानी जाती है। यह जनजाति भी धीरे-धीरे बाहरी लोगो के सम्पर्क में आ रही है। अत इस पर भी हिन्दी का प्रभाव बढता जा रहा है। ओंगी अपनी भाषा एव हिन्दी के शब्दो का उच्चारण नाक द्वारा या गला दबाकर करते है, जिससे यह भाषा अनुनासिक जैसी है। कही-कही जीभ के ऊपर अधिक दबाव डालकर शब्दो का उच्चारण करना इनकी विशेषता है।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण सेन्टिनली भाषा के सम्बन्ध मे कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी है। इसी प्रकार जारवा जनजाति भी काफी आदिम और हिसक है। अत उनकी बोली-भाषा को समझने मे व्यवधान उत्पन्न हो रहे है। फिर भी प्रशासनिक प्रयास के कारण जारवा के जिस वर्ग से सम्पर्क हो सका है, उससे ओगी हिन्दी बोली मे जारवा के बोली के शब्दो का पता लगा है। जारवा बोली पर हिन्दी बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पडता है जैसे -इता = यह, इओ = यहॉ, मैला = मै, मिलाले = मित्र आदि।

निकोबार वर्ग की बोलियो को डा0 भोलानाथ तिवारी ने आस्ट्रिक भाषा परिवार के अर्न्तगत रखा है। कुछ विद्वान इसे मानखमेर भाषा के अर्न्तगत रखते है, क्योंकि इन बोलियो पर मलय, जावानीज आदि भाषाओ के प्रभाव के साथ-साथ आर्य एव द्रविड भाषाओ का प्रभाव भी दिखाई पडता है। निकोबारी भाषा को 6 भागो मे -कार निकोबारी, चौरा, नानकौरी, लिटिल निकोबारी, कोण्डूली, ग्रेट निकोबारी मे विभाजित किया जाता है। आवर इण्डिया पब्लीकेशन,

मद्रास, द्वारा प्रकाशित "लैग्वेजेज" मे निकोबारी का उल्लेख है। यह मूलत कारनिकोबारी ही है। जिसे रोमन लिपि मे लिखने का प्रयास किया गया है। अण्डमान–निकोबार के शिक्षा निदेशालय ने नागरी लिपि मे दो निकोबारी प्राइमर तैयार किया है। कारनिकोबारी, कारनिकोबारियो की बोली है। चौरा तरेशा, बम्पोका के आदिवासी चौरा बोली बोलते है। नानकौरी बोली मे नानकौरी, कर्मोटा, ट्रिकेट एव कचाल द्वीप की जनजातियॉ आती है। पिलोमिलो एव लिटिल निकोबार की जनजातियॉ लिटिल निकोबारी बोली बोलते है। कोण्डूली द्वीप की जनजाति कोण्डूली बोली बोलती है। इन बोलियो मे बहुत अन्तर नही मिलता। जो अन्तर है, वह अलग–अलग द्वीपो मे रहने के कारण है। अत ये मूलत एक ही मालूम पडती है।

ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति की बोली को भाषा विदो ने शोम्पेनी नाम दिया है। डा0 राम कृपाल तिवारी[11] ने शोम्पेनी हिन्दी बोली के नाम से इनके कुछ शब्दो का सग्रह भी किया है। इनके अनुसार शोम्पेनी पर सस्कृत का प्रभाव मिलता है जैसे– "डीहा" सस्कृत के जीहवा एव हिन्दी के जीभ का समानार्थी है। "पूई" या "पू" सस्कृत के "पय", जिसका अर्थ पानी या दूध है के समान है। "कवाग" सस्कृत के कपाट एव हिन्दी के किवाड का समानार्थी है। शोम्पेनी सूर्य को "खिग" कहते है, जो सस्कृत के खग अर्थात आकाश मे विचरण करने वाला का समानार्थी है। इसी प्रकार इस भाषा के "कउ" एव "कल्पग" तमिल भाषा के क्रमश "कई" एव "कल्प" से मिलते–जुलते है। शोम्पेनी पर हिन्दी का स्पष्ट प्रभाव है। जो सभ्य समाज के ससर्ग का प्रमाण है। हिन्दी मे लोई का अर्थ उत्तरीय होता है, जबकि शोम्पेन लोई का प्रयोग कपडे के अर्थ मे करते है।

कार निकोबारी की बोली को छोडकर अन्य जनजातीय बोली की अपनी कोई लिपि नहीं है। रोमन या देवनागरी

लिपि मे इनको अकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लिपि बद्व हो जाने पर इन बोलियो के अध्ययन से अण्डमान निकोबार द्वीप की आदिवासी सभ्यता एव सस्कृति का विशद विश्लेषण सभव हो सकेगा।

धार्मिक मान्यताए :

आदिम, असभ्य एव अशिक्षित होने के कारण अण्डमान–निकोबार की जनजातियो मे कोई स्थापित धार्मिक मान्यता, विश्वास, दर्शन, एव कर्मकाण्ड नही पाया जाता। निकोबारी जनजाति ही ऐसी है, जो कुछ शिक्षित और सभ्य हो रही है। अत उसमे इसाई धर्म प्रचारको के कारण चर्च आदि के प्रति कुछ विश्वास धीरे–धीरे उत्पन्न हो रहा है। इनमे से कुछ हिन्दू धर्मावलम्बी भी हो गए है। लेकिन ये दोनो धार्मिक मान्यताए मात्र ऊपरी है। अन्दर से आज भी ये भूत–प्रेत, जादू–टोना, अन्धविश्वास आदि मे विश्वास करते है। 1688 से लेकर आज तक अनेक इसाई धर्म प्रचारक निकोबारियों मे इसाई धर्म को मानने एव उसमे आस्था रखने के अनेक प्रयास किये। अन्ततोगत्वा सोलोमन नामक एक इसाई धर्म प्रचारक ने इन्हे इसाई धर्म सिखाने तथा उनके जीवन को कुछ सयमित बनाने मे सफलता पायी। वह निकोबारियो का मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, सब कुछ था। 1979 मे सोलोमन के मरने के पश्चात् निकोबारियो का ही एक सदस्य जान रिचर्डसन इसाई धर्म मे दीक्षित होकर उनके बीच इसाई धर्म को प्रचलित एव प्रसारित करने मे सफलता पायी। निकोबार जिले के अधिकाश (74%) निकोबारी इसाई धर्म को मानने वाले है। लेकिन कुछ निकोबारी इस्माल धर्म एव हिन्दू पडोसियो के कारण हिन्दू धर्म भी मानने लगे हैं तथा ये हिन्दुओ के त्योहार जैसे–होली, दीपावली को भी खुशी से मनाते है।

इसाई धर्म स्वीकार करने के बाद भी ये अपने पारम्परिक रीति–रिवाजो तथा मान्यताओ को न भूल सके तथा उनकी

दिनचर्या मे भी कोई परिवर्तन नही आया। कुछ निर्धारित दिनो मे गिरजाघर जाने के अलावा शेष समय ये अपने रीति रिवाजो, जादू–टोना एव भूत–प्रेतो की पूजा मे ही सलग्न रहते है। ये अपने द्वीपो पर सर्वत्र भूत का अधिकार मानते है। मरणोपरान्त प्रत्येक पुरूष या महिला भूत बन जाता है, तथा इनमे से कुछ मनुष्यो को परेशान करते है तथा कुछ उनकी सहायता करते है, ऐसी इनकी मान्यता है। मुख्य भूमि के मरे हुए लोग भी यहॉ पर भूत बनकर आ सकते है। इसीलिए ये गर्भवती महिलाओ को एकात स्थान या जगलो मे नही जाने देते। बडे–बडे तूफान, प्राकृतिक आपदाये, सभी भूतो एव शैतानो की देन मानी जाती है। भूत को मनाने के लिए नारियल के ऊपर एव नीचे का भाग काटकर झोपडी के सामने रख दिया जाता है तथा वही पर दो मुर्गो का बलिदान किया जाता है जिसमे एक को समुद्र मे फेक देते है तथा दूसरे को खुद प्रयोग करते है। यहॉ पर चैट–मैट नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जिसमे भूतो–प्रेतो की स्थायी उपस्थिति मानी जाती है। यहॉ किसी गर्भवती महिला एव बच्चो को नही जाने दिया जाता है। यहॉ पर रखे काले पत्थर को निकोबारी लोग जीवित मानते है और यदि इसके आस–पास शोर किया जाय तो उसमे स्थित भूत लोगो मे बुखार एव खून की उल्टी की बिमारी पैदाकर देता है और वो मर जाता है। तमाम प्रकार की बिमारियो का कारण भूतो–प्रेतो का कोप माना जाता है, जिसे ओझा द्वारा विविध प्रकार की चढौतियॉ एव मनौतियॉ करवा कर शात किया जाता है। ये लोग चन्द्रमा को विश्व की धुरी मानते है। इसीलिए चन्द्रग्रहण होने पर ये दुखी होते है तथा घडे बाल्टी आदि का ढक्कन खोलकर रखते है तथा जगलो से मेढक पकडकर अनके मुह खोल देते है, जिससे कि चन्द्रमा ग्रहण से मुक्त हो जाये।

शोम्पेन भी चन्द्रमा को सभी देवो से ऊपर तथा पृथ्वी एव ब्रम्हाण्ड का निर्माता मानते है। ब्रम्हाण्ड के चारो ओर घूमते रहने से चन्द्रमा सभी की बाते सुन लेता है तथा गलत करने वाले शोम्पेन को तूफान, भारी वर्षा आदि द्वारा परेशान करता है। इससे बचने के कई उपाय भी इनके पास है। शोम्पेन भूत एव शैतान की भी सत्ता को मानते है तथा बिमारियो को उसकी नाराजगी का परिणाम मानते है। इनमे "सोमानी" एक धार्मिक आदमी होता है, जो इन्हे भूत एव शैतानो के कोप से छुटकारा दिलाता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति आग एव भूत–प्रेतो की पूजा करती है। आग जलाकर भूत–प्रेतो से रक्षा की जाती है। बिमारियो, तूफानो एव आपदाओ को भूत–प्रेतो की नाराजगी का परिणाम माना जाता है। ग्रेट अण्डमानियो मे विशेष रूप से बच्चो की मौत को शैतान का कोप माना जाता है। इसे शान्त करने के लिए अग्नि एव अन्य देवताओ की पूजा की जाती है। इनके अनुसार पूरा ससार पूजा पर टिका हुआ है।

ओगी लोग जीवन–मरण पर कुछ विश्वास करते है। इनका विश्वास है कि "ओनोकोबोई किवीस" ब्रम्हाण्ड का देवता है, जो ओगियो के नए जन्म के लिए एक दूत भेजता है। वह दूत किसी मधुमक्खी के छत्ते या वृक्ष पर रहता है। इसीलिए ओगी पुरूष एव महिलाए मधुमक्खी के छत्ते को सीधा खा जाते हैं। गर्भवती महिलाये मधुमखी के छत्ते को पेड के सबसे ऊपर टागकर "किवीस" की पूजा अर्चना करती है, जिससे उनका बच्चा जीवित और स्वस्थ रहे।

जरवा जनजाति के लोग चन्द्रमा को ब्रम्हाण्ड का देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना करते है। भूत प्रेतो मे भी इनका विश्वास है। बिमारियाँ, आपदाये, तूफान, मत्यु आदि सभी चन्द्रमा अथवा भूत–प्रेतो की नाराजगी के परिणाम होते है। अत उन्हें शान्त कराने

हेतु पूजा अर्चना की जाती है। मधुमक्खी के छत्ते मे ये भी देव दूत का निवास मानते है, जो अच्छा पुनर्जन्म देता है। इसीलिए ये भी छत्ते को सीधा खा जाते है। ये हिरन का शिकार नही करते क्योकि वे इसे चन्द्रमा का वाहन मानते है।

सेन्टिनली जनजाति घोर हिसक आदिम एव असभ्य है जिससे अभी तक उनसे कोई सम्पर्क नही हो सका है। अत उनकी धार्मिक मान्यता एव विश्वास के सम्बन्ध मे कोई जानकारी उपलब्ध नही है।

उत्सव एव मनोरजन ·

अण्डमान निकोबार की द्वीप की जनजातियो मे उत्सव एव मनोरजन की भी भावनाए देखी जाती है। ये उत्सव और मनोरजन विशेष रूप से बच्चो के जन्म, नामकरण, विवाह, सामूहिक क्रिया–कलाप, पूजा, अर्चना आदि से सम्बन्धित होते है। निकोबारी जनजाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक सभ्य एव शिक्षित हो चुके है, तथा अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियो, निजी प्रतिष्ठानो, नारियल बागानो, मछली मारने आदि कार्यो मे लगे है। जिसके लिए इन्हे उचित पारिश्रमिक एव पैसा भी मिलता है तथा इनकी आय अन्य की अपेक्षा काफी अच्छी है। अत ये आधुनिक सभ्यता के मनोरजन के अधिकाश सामान जैसे रेडियो, ट्राजिस्टर, टेप, टेलीविजन, सिनेमा सुविधा, खेल–कूद, गाना–बजाना, आदि से सम्पन्न है। अत इनके जीवन मे उत्सव एव मनोरजन का माहौल सदैव बना रहता है। विशेष अवसरो जैसे–बच्चो के जन्म, उनके नामकरण, विवाह, सार्वजनिक क्रियाकलाप, पूजा, अर्चना सामूहिक खेलकूद एव गाने बजाने पर ये काफी पैसा खर्च करते है तथा परिवार, सगे–सम्बन्धियो, मित्रो आदि के साथ खूब हसी–खुशी मनाते है तथा पूर्ण मनोरजन करते है। बच्चे के जन्म के लिए अलग घर बनाया जाता है एव उत्सव मनाया जाता है। बच्चो के

नामकरण हेतु इसाई लोग "बापतिस्मा" एव मुस्लिम निकोबारी "अकैका" नाम का उत्सव करते है, एव सगे–सम्बन्धियो के साथ हॅसी–खुशी मनाते है। विवाह के समय ये "विगैच" नाम का उत्सव करते है, जिसमे लडकी एव लडके पक्ष के सगे–सम्बन्धी एकत्र होते है। जिसमे सुअर का मास एव अन्य भोज्य पदार्थ बनाये जाते है तथा लोकगीत, गाना बजाना एव नाचने के मनोरजन होते है। ऐसे ही मनोजन सामूहिक क्रियाकलापो खेल–कूद आदि के समय भी किये जाते है। देवी–देवताओ एव गिरजाघरो मे भी ऐसे मनोरजन होते है। लेकिन किसी की मृत्यु के समय इनका सम्पूर्ण समाज काफी दुखी एव शोकाकुल रहता है।

शोम्पेन जनजाति के लोग भी बच्चे के जन्म के समय उत्सव मनाते है। विवाह के समय ये पूर्णिमा के दिन सामूहिक झोपडी मे सगे सम्बन्धियो के साथ एकत्र होते है। सुअर के मास एव अन्य भोज्य पदार्थो की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है तथा सभी लोग मिल–जुल कर नाच–गाना एव हॅसी मजाक करते है। सामूहिक कार्यो जैसे खेल–कूद, पूजा–पाठ के समय भी ये काफी मनोरजन करते है। किसी की मृत्यु पर ये भी शोकाकुल हो जाते हैं।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के अधिकाश उत्सव भी बच्चो के जन्म, नामकरण, विवाह आदि से सम्बन्धित है। खेल–कूद एव पूजा, अर्चना के समय भी ये नाच–गान करते है। सरकार के द्वारा इन्हे अनेक प्रकार के पात्र, सुविधाएं एव खाने के सामान दिये जाते है, जिससे इनके मनोरजन मे चार चॉद लग जाता है।

ओगी जनजाति के अधिकाश उत्सव एवं मनोरंजन सामूहिक झोपडी मे होते है, जिसे स्थानीय भाषा मे "गैबराली बेयरा" कहते है। यह ओंगी के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अग है। इनके विविध समुदायो का नामकरण भी इनकी सामूहिक झोपडी

द्वारा होता है। इस झोपडी का आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। इनके अधिकाश उत्सव बच्चो के जन्म, विवाह, सामूहिक क्रिया–कलाप, पूजा–अर्चना आदि से सम्बन्धित है। बच्चे के जन्म के समय ये परिवार एव सगे सम्बन्धियो सहित एकत्र होकर मास भक्षण एव नाच–गान करते है। विवाह के लिए लडके के परिवार को "तानागिरु" नाम का उत्सव आयोजित करना पडता है, जो अधिकाशत सामूहिक झोपडी मे सम्पन्न होता है। लडके एव लडकी को खूब सजाया जाता है। उनके चेहरो पर लेप किया जाता है तथा सीपियो एव घोघे से बने आभूषण पहनाये जाते है। इस समय मास–मदिरा की व्यवस्था होती है। ये खा–पी करके खूब नाच गान करते है। इसी प्रकार का उत्सव सामूहिक खेल–कूद, पूजा, अर्चना के समय भी होता है।

जारवा जनजाति के भी अधिकाश उत्सव एव मनोरजन बच्चो के जन्म, विवाह, एव सामूहिक क्रियाकलापो से सम्बन्धित है। जन्मोत्सव सामूहिक रूप से सामूहिक झोपडी मे या खुले मैदान मे परिवार एव सगे सम्बन्धियो के साथ मास मदिरा एव अन्य भोज्य पदार्थ खाकर मनाया जाता है। विवाह के समय दूल्हा (लापा) तथा दुल्हन (ओपी) के पक्ष के सगे सम्बन्धी, लडके के पिता के घर पर एकत्र होते है। वहॉ पर खान–पान एव गाने बजाने की पूर्ण व्यवस्था होती है। सभी मिलकर इस उत्सव को मनाते है। सामूहिक क्रिया कलापो जैसे खेल–कूद, पूजा–अर्चना आदि के समय भी ये ऐसे उत्सव मनाते है। कभी–कभी रात्रि मे आग जलाकर समुदाय के सारे लोग आग के चारों ओर नाचते–गाते है।

सेन्टिनली जनजाति के उत्सव एव मनोरजन के सम्बन्ध मे कोई तथ्यात्मक जानकारी नही है।

सामाजिक एवं राजनैतिक संगठन :

अण्डमान–निकोबार की जनजातियो मे निकोबारियो को छोडकर अन्य सभी आदिम जनजातियाँ है, जिनमे किसी भी प्रकार का सगठित और वास्तविक राजनैतिक सगठन नही प्राप्त होता है। निकोबारी जनजाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक सभ्य एव शिक्षित है। अत इनमे कुछ राजनैतिक सगठन देखने को मिलता है। इनमे पारम्परिक सभ्यता एव कानून को मानने की परम्परा है। निकोबारियो के राजनैतिक सगठन के दो मुख्य स्तम्भ है (1) ग्रामीण परिषद एव (2) द्वीप परिषद। ग्रामीण परिषद मे ग्राम प्रधान तथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कप्तान होते है। यही मिलकर सम्पूर्ण गाँव की समस्या का समाधान करते हैं, झगडो का निपटारा करते है, अपराध होने पर न्याय दिलाते है, तथा आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु द्वीप कप्तान के माध्यम से सरकारी अधिकारियो एव विभागो से सम्पर्क करते है। द्वीप परिषद के अर्न्तगत द्वीप कप्तान, द्वीप का उपकप्तान तथा अनेक गाँवो के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कप्तान होते है। ये सभी मिलकर प्रदेश काउसिल सदस्य एव गृह मत्रालय के सलाहकार कमेटी के सदस्य का चयन करते है। द्वीप परिषद ऐसे मामलो एव समस्याओ का निपटारा करती है, जो गाँवो के कप्तानो द्वारा उसके पास लाये जाते है। गाँवो एवं द्वीप परिषद के कप्तानो के अधिकार लिखित तो नही है, लेकिन वे परम्परा पर आधारित हैं तथा उनके निर्णय को सभी मानते है। कप्तान एव मुख्य कप्तान के पद हेतु ऐसे व्यक्ति का चुनाव होता है, जो अनुभवी, शक्तिशाली, जमींदार, एव अमीर हो। ये पद पीढी दर पीढी चलते रहते है एव अनुवाशिक होते हैं। अधिकारो का दुरूपयोग करने पर कप्तानो एव उप–कप्तानो को अपने पद से जनता द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य कप्तान एवं गाँव के कप्तानो को इस कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक नही मिलता। साथ ही परिषदो की बैठक का

कोई निश्चित समय नही है। किसी समस्या के आने पर बैठक बुला ली जाती है। लक्ष्मण राव नामक नानकौरी के एक प्रशासनिक आधिकारी ने यहॉ की इस्लान नामक महिला से विवाह कर लिया था, जिससे उसे लक्ष्मी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई, बाद मे इस्लान ने यहॉ के तहसीलदार मेवालाल से विवाह कर लिया तथा अधिकारी की पत्नी होने के कारण उसे राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकार मिल गया। यहॉ की जनता ने उसे रानी की उपाधि दे दी। रानी वहॉ के लोगो की सम्स्याओ का समाधान करती थी। आज भी उसकी पुत्री लक्ष्मी, रानी कहकर ही पुकारी जाती है तथा अपना वर्चस्व बनाये रखा है।

शोम्पेन के सगठन मे नेतृत्व एक मुखिया के हाथ मे होता है। जिसका चयन उसके अनुभव, आर्थिक स्थिति एव पद को पीढी दर पीढी चला सकने की सामर्थ के आधार पर होता है। शोम्पेन अनेक समुदायो मे विभाजित है। उन सभी की देख रेख मुखिया के सरक्षण मे ही होती है। मुखिया की आज्ञा एव निर्देश का पालन सभी लोग करते है, तथा कोई उसके अधिकार पर प्रश्न चिन्ह नही लगाता। मुखिया ही आखेट, खाद्यान्न सग्रहण, विवाह एव सुरक्षा सम्बन्धी मामलो का निपटारा करता है। बाहरी लोगो से सम्पर्क मात्र मुखिया ही करता है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति मे भी नेतृत्व समुदाय के सबसे बुजुर्ग, अनुभवी एव समर्थ व्यक्ति के हाथ मे होता है, और वही उनका मुखिया होता है। समुदाय के अन्य लोग उसके साथ सदस्य होते है। शिकार, भोजन, विवाह, अन्य प्रकार की समस्याए एव झगडे सम्बन्धी सभी निर्णय मुखिया द्वारा ही लिया जाता है। अब ऐसे बुजुर्ग मुखिया को राजा जिसे स्थानीय भाषा मे "लोका" कहते हैं की उपाधि दे दी गयी है। लोका सर्वाधिक अनुभवी, ज्ञानी एव सम्पन्न व्यक्ति होता है। उसे जगल के प्रत्येक क्षेत्र, समुद्री क्षेत्रो की गहराई, नौका का

दिशा निर्धारण, मछली एव केकडे की सही जानकारी, पीने के पानी की उपलब्धता आदि के बारे मे सही ज्ञान होता है। धनुष–बाण एव अन्य प्रकार के सामान बनाने मे उसका अच्छा अनुभव होता है। उपयुक्त पुरूष न मिलने पर महिला को भी यह पद दिया जा सकता है। इसके पूर्व ग्रेट अण्डमानियो के नेता को "इरजुम" तथा पूरे अदिवासी समूह के नेता को "अकाचपान" कहा जाता था। जो पूरे समूह का सबसे वृद्व एव वुद्विमान व्यक्ति होता था। ओगियो मे राजनैतिक सगठन बहुत ज्यादा देखने को नही मिलता, और न ही इनमे मुखिया का प्रावधान है। लेकिन कही–कही छोटे समूहो मे मुखिया मिलता है, जो अपने समूह के सदस्यो की समस्याओ एव आवश्यकताओ का बराबर ध्यान रखता है। आपस मे लडाई–झगडा होने पर वह समझौते कराता है। ओगी लोग मुखिया की बात एव निर्देश को मानते है। लेकिन मुखिया अपने आदेश को किसी पर थोप नही सकता। इस प्रकार ओगी अपने सामान्य जीवन मे स्वतत्र होते है। ओगियो मे विशेष कार्य मे निपुण होने पर भी उसे मुखिया कहा जाता है, जैसे– "ओकाली" झोपडी बनाने मे, "केतोराई" डोगी बनाने मे, "काजो" लोहे का समान बनाने मे एव "कुबेरा" धार्मिक कार्यो मे सिद्वस्त होता है तथा इन्हे भी मुखिया की सज्ञा दी जाती है।

जारवा जनजाति मे भी नेतृत्व समूह के मुखिया के हाथ मे होता है, जो उस समूह का सबसे अधिक अनुभवी ज्ञानी एव शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसे जगलो एव समुद्री क्षेत्रो का अच्छा ज्ञान होता है। आदिवासी समूहो से सम्बन्धित सभी समस्याओ, झगडो आदि का निपटारा वही करता है। साथ ही समूह की आवश्यकताओ को भी ध्यान मे रखता है। जारवा में कोई औपचारिक राजनैतिक सगठन नही पाया जाता, और न ही इनके नियम एव

परम्परायें लिखित है। मुखिया अपने अनुभव के आधार पर ही समूह को सचालित करता है।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण राजनैतिक एव सामाजिक सगठनो से सम्बन्धित कोई जानकारी नही है।

स्वास्थ्य सुविधाए :

अण्डमान एव निकोबार द्वीप चारो ओर समुद्रो से घिरे होने तथा वर्ष के 6 महीने मे वर्षा प्राप्त करने के कारण काफी आर्द्र रहते है। आर्द्र जलवायु के कारण यहॉ घने जगल भी पाये जाते है, जो जलवायु को और अधिक आर्द्र बनाने मे सहयोग करते है। साथ ही यहॉ पर रहने वाली आदिम जनजातियो अधिकाशत जगली उत्पादो, सामुद्रिक जीवो, एव जगली जानवरो द्वारा भोजन प्राप्त करती है, और वह भी वर्ष पर्यन्त पर्याप्त मात्रा मे नही मिलता। सरकार की आपूर्ति विभाग द्वारा यदा-कदा इन्हे कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वह भी पर्याप्त नही होती। अत इनमे विशेष रूप से दो प्रकार की बिमारिया पायी जाती है- (1) जलवायु जन्य जैसे -मलेरिया, फाइलेरिया, डायरिया आदि तथा (2) पोषण के अभाव से उत्पन्न जैसे-उदर विकार, क्षयरोग, एनीमिया, आदि। सिर दर्द एव बुखार जैसी बिमारियॉ अन्य बिमारियो के कारण उत्पन्न हो जाती है। एक बार तो यहॉ मस्तिष्क ज्वर भी बडी तेजी के साथ फैला जिसे यहॉ पायी जाने वाली एक बन्दर की जाति से जोडा गया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य सगठन के विशेषज्ञ इसकी पुष्टि नही कर पाये। इन बिमारियो के अलावा पीलिया तथा सेहुआ जैसा रोग भी यहॉ पाया जाता है इन बिमारीयो के समाधान के लिए नियुक्त चिकित्सक इन क्षेत्रो से दूर स्थानीय बजारो मे निवास करते है, जिससे इन जनजातियो को स्वास्थ्य सुविधाओ का पूर्ण लाभ नही मिल पाता। यधपि यहॉ पर स्वास्थ्य

सुविधाए प्रभूत मात्रा मे है, जैसा कि निम्न सारणी सख्या 4 5 अ एव ब से स्पष्ट है।

सारणी संख्या–4.5 (अ)

अण्डमान एव निकोबार में चिकित्सा सुविधाए

वर्ष	अस्प–ताल	समु0 स्वा0 केन्द्र	प्रा0 स्वा0 केन्द्र	नगरीय स्वा0 केन्द्र	उप–केन्द्र	डिस्पेन्सरी	बिस्तर उपलब्धा
96–97	3	4	17	5	96	2	937
97–98	3	4	17	5	96	2	947
98–99	3	4	17	5	96	2	947
99–00	3	4	17	5	98	3	947
00–01	3	4	18	5	100	3	957

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या–4.5 (ब)

स्वास्थ्य कर्मचारी

वर्ग	96–97	97–98	98–99	99–00	00–01
डॉक्टर	98	98	98	111	111
नर्स	410	410	413	307	307
मिडवाइफ				154	154
कम्पाउण्डर	93	93	108	117	117
मलेरिया/फाइ–लेरिया इन्सपेक्टर	32	32	30	33	33
टीका लगाने वाले	9	9	9	9	9
स्वास्थ्य परीक्षक	32	32	32	32	32
अन्य	–	1444	1444	1481	1485

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त समस्याओ के कारण यहॉ के सभ्य एव शिक्षित निकोबरी जनजाति एव अन्य निवासियो के बच्चो को भारतीय मुख्य भूमि भेजकर विविध मेडिकल कालेजो मे एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री दिलवायी गयी, तथा उन्हे यहॉ चिकित्सीय सेवा मे नियुक्त किया गया (प्लेट सख्या 25)। साथ ही अब यहॉ पर अनेक प्राइवेट क्लीनिक भी खुल गए है, जो इन द्वीपो मे चिकित्सीय सेवाए प्रदान कर रहे है। आकस्मिक मरीजो को ले जाने हेतु मोटर बोट एव हेलीकाप्टर की भी व्यवस्था की गयी है। यहॉ पर विविध द्वीपों मे पीने के पानी की समस्या है, जिससे पीलिया रोग भी काफी सामान्य होने लगा है।

जारवा, ओगी, ग्रेट अण्डमानी, शोम्पेनी एव सैन्टिनली आदिम जनजातियॉ अपनी झोपडियो के चारो ओर बचे हुए मास एव हड्डी, मछली एव अन्य सामग्री फेकते रहते है, जिससे आस–पास का वातावरण प्रदूषित रहता है तथा अनेक प्रकार के वायरस एव बैक्टीरिया उन पर विकसित होते रहते है, जो श्वास, जल, भोजन आदि के माध्यम से शरीर मे संक्रमित होकर अनेक प्रकार की बिमारियॉ उत्पन्न करते रहते है। जारवा ओगी एव ग्रेट अण्डमानी मे चेचक, टेपवर्म, आदि की बिमारियॉ इन्ही के कारण उत्पन्न होती है। पेट की भी अनेक प्रकार की बिमारियॉ इन्ही गदगियो के कारण होती है, लेकिन इन जनजातियो के लोग भूत–प्रेत और जादू टोने के चक्कर मे न तो किसी अस्पताल जाते है और न तो किसी चिकित्सक को दिखाते है, जिससे इनकी मृत्यु भी होती रहती है। निम्नलिखित सारणी मे (सारणी स0 4 6 अ,ब,स) जारवा एव ओगी जनजाति के मृत्यु के विविध कारण स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किये गए है।

सारणी संख्या 4 6 (अ)

क्षेत्रवार जारवा जनजाति के मृत्यु के कारण (प्रतिशत में)

क्षेत्र	पित्त ज्वर	पेटदर्द के साथ कय	जलने से	मातृ मृत्यु	जानवरो के काटने से	दुर्घटना	सुअर का मास अटकने से	लडाई
तिरुर	6 6	–	–	–	–	–	–	–
जिरकाटॉग	22 6	4	–	1 3	1 3	1 3	1 3	2 6
कदमतला	52	1 3	2 6	–	2 6	–	–	–
योग	81 3	5 3	2 6	1 3	4	1 3	1 3	2 6

स्रोत – जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 4.6 (ब)

क्षेत्र एवं लिंगवार मृत्युदर (प्रतिशत में)

क्षेत्र	नवजात		शिशु		बच्चे		प्रौढ़	
	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
तिरुर	1	40	40	–	–	–	–	–
जिरकाटॉग			4 7	4 7	14 2	4 7	38	33 3
कदमतला	10 2	10 2	10 2	8 1	14 2	18 3	14 2	14 2
योग	8	9 3	10 6	6 6	13 3	13 3	20	18 6

स्रोत – जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 4.6 (स)

आयुवार ओंगी जनजाति के मृत्यु के कारण

आयु वर्ग	पुरुष	महिला	कारण
< 1 वर्ष	1	–	पेचिस
5–10 वर्ष	–	1	पेचिस
25–40 वर्ष	3	1	1पुरुष कैसर से, 2पुरुष समुद्री दुर्घटना मे, 1महिला गर्भावस्था के समय
> 40 वर्ष	9	6	1पुरुष हाँथी द्वारा, 3पुरुष क्षय रोग 3पुरुष मलेरिया, 1पुरुष दुर्घाटना 1पुरुष वृद्वावस्था के कारण 4महिला वृद्वावस्था के कारण 1महिला बच्चा पैदा होने के बाद 1महिला क्षय रोग
योग	13	8	

स्रोत – जारवा रिर्पोट, अप्रैल–मई 2002, अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति, पोर्टब्लेयर।

"शमान" शोम्पेनो का पारम्परिक डाक्टर है, जो इन्हे स्थानीय रूप से उपलब्ध जडी–बूटियो से ठीक करता है। इन औषधिओ को एथिनो मेडिसिन कहते है। सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उसकी बिमारियो एव कुपोषण के बारे मे कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है।

निकोबारी जनजाति के लोग शिक्षित एव सभ्य होने के कारण विविध द्वीपो में अवस्थापित सरकारी चिकित्सीय सुविधाओ का पूर्ण उपयोग करते है। (Fig-4.1 A & B). साथ ही पोषण, रहन–सहन, सफाई, आदि के आधार पर वे अन्य जनजातियो

प्लेट संख्या–25

ओगियो हेतु डिगागक्रीक मे निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र

प्लेट संख्या–26

डिगागक्रीक का प्रायमरी विद्यालय एवं वहाँ नियुक्त अध्यापक

की अपेक्षा काफी बेहतर स्थिति मे है। अत उनमे ये बिमारियॉ अधिक नही पायी जाती। अधिक अवरोधक क्षमता, आर्थिक सम्पन्नता एव सभ्यता के कारण ये चिकित्सीय सुविधाओ का पूरा लाभ भी ले सकते है।

आर्युविज्ञान सस्थान नई दिल्ली के कुछ चिकित्सा अधिकारी पोर्ट ब्लेयर स्थित जी0बी0 पन्त अस्पताल के चिकित्सको के साथ मिलकर आदिम जनजातियो का स्वास्थ्य परीक्षण किया है, तथा उनके स्वस्थ्य, पोषण एव बिमारी सम्बन्धी सभी आकडे कम्प्यूटर मे क्रमबद्व रूप से अभिलेखित कर लिए है। उसी के आधार पर निदेशक स्वस्थ्य सेवा, एव अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के सचिव को इनके सम्बन्ध मे हेल्थकार्ड बनाकार प्रेषित किए गए है। जब भी किसी जनजातीय व्यक्ति को कोई बिमारी होती है, तो कम्प्यूटर मे निहित उसकी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी के आधार पर उपरोक्त अधिकायियो को दवाए एव इलाज बता दिया जाता है और वे इन दवाइयो को इन व्यक्तियो को पहुचाने का कार्य करते है।

शिक्षा सुविधाएं

तीसरे अध्याय मे अण्डमान निकोबार द्वीपो एव वहॉ के जनजातीय जनसख्या के साक्षरता दर का विशद विवेचन किया जा चुका है। अण्डमान निकोबार द्वीप मे शिक्षण सस्थाओ, पजीकृत विद्यार्थियो एव अध्यापको की सख्या क्षेत्रबार निम्नलिखित सारणी सख्या 4 7 एव (Fig.4.2) मे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 4.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 4.1 (B)

सारणी सख्या –4.7

क्षेत्रवार शिक्षण सस्थाओ, नामाकन एव अध्यापको की सख्या

जोन	1998–99			1999–2000		
	विघलय	नामाकन	शिक्षक	विघलय	नामाकन	शिक्षक
डिगलीपुर	51	9264	421	53	9145	437
मायाबन्दर	37	5625	299	39	5584	305
रगत	54	10938	585	56	10938	588
पोर्टब्लेयर (मुख्यालय)	44	37177	1198	45	27123	1228
द0 अण्डमान (ग्रामीण)	52	15197	786	55	15444	786
विमर्लीगज	36	9237	501	40	8868	524
कारनिकोबार	27	4840	232	24	4946	229
नानकौरी	34	3094	170	39	3098	176
कैम्पबेलबे	12	1836	104	10	1856	101
योग	347	87208	4296	316	87002	4384

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इन शिक्षण सुविधाओ का लाभ मात्र निकोबारी जनजाति को ही मिल पाता है। अन्य पॉचो जनजातियॉ पूर्णरूप से आदिम एव असभ्य है। अत उनकी साक्षरता दर शून्य है। ओगी जनजाति को शिक्षित करने हेतु डिगागक्रीक एव साउथबे मे एक–एक स्कूल खोला गया है तथा उसमे अध्यापक की नियुक्ति भी हुई है (प्लेट सख्या 26)। यहॉ पर लडके लडकियॉ को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। लेकिन ओगी के बच्चे मात्र भोजन के समय ही वहॉ आते है। अन्य समय में वे जगल मे खेलते रहते है, जिससे अभी तक उनकी साक्षरता दर शून्य ही है। जारवा जनजाति को शिक्षित करने हेतु कदमतला, तिरूर एव जिरगाटान मे भी अध्यापक नियुक्त है (प्लेट सख्या 26)। लेकिन वहॉ का परिणाम भी शून्य ही है। अण्डमानी जनजाति को शिक्षित करने हेतु स्ट्रेट द्वीप मे तथा शोम्पेनो को शिक्षित

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 4.2 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 4.2 (B)

करने हेतु शोम्पेन हट मे स्कूल की स्थापना की गयी है तथा उसमे भी अध्यापक नियुक्त है। ओगियो की तरह यहाँ भी बच्चे पढाई हेतु नही आते, जिससे इनमे भी साक्षरता दर शून्य है। सेन्टिनली आदिमजनजाति के सम्बन्ध मे अभी तक कोई सम्पर्क स्थापित न होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र मे कोई प्रयास नही हो पाया है। वे आज भी हिसक एव खूखार है।

निकोबारी जनजाति की साक्षरता दर लगभग 50% है तथा इनकी साक्षरता दर एव शिक्षितो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी 4 8 से स्पष्ट है।

सारणी संख्या–4 8

जनजातीय विद्यार्थियो का नामांकन (सं0)

शिक्षा स्तर	लड़के		लड़कियाँ		योग	
	98–99	99–00	98–99	99–00	98–99	99–00
पूर्वप्राथमिक	124	81	116	90	240	171
प्राथमिक	1828	1836	1534	1538	3362	3374
न्यूनतम मा0	775	876	787	815	1562	1691
माध्यमिक	377	411	427	482	804	893
उच्चतर मा0	106	104	95	88	201	192
टी टी आई	3	4	1	7	4	11
पोलीटेक्निक	19	17	1	2	20	19
बी एड	2	4	4	7	6	11
कॉलेज	28	23	18	23	46	46
आई टी आई	2	5	2	1	4	6
स्वदेशी	134	134	113	113	247	247
आश्रम	45	60	—	—	45	60
योग	3443	3555	3098	3166	6541	6721

स्रोत – आर्थिक एव साख्यिकीय निदेशालय, अण्डमान–निकोबार, प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि निकोबारी जनजाति के बच्चे पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर कालेज, पाली टेकनिक एव आई0टी0आई0 तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे है, तथा उनमे पिछले वर्षो मे काफी वृद्वि भी हुई है । इसको देखते हुए अगले दस वर्षो मे इनकी साक्षरता दर 60% से 65% तक होने की सभावना है। सभ्य एव शिक्षित होने के कारण ही ये अनेक सरकारी नौकरियो एव निजी प्रतिष्ठानो मे अण्डमान–निकोबार तथा भारतीय मुख्यभूमि मे भी कार्य कर रहे है।

संदर्भ सूची

1 Dubey, S C 1995 Manav Aur Sanskriti, Rajkamal Prakashan, New Delhi, P 101

2 Gupta, M L & Sharma, D D 1995 Social Anthropology, Sahitya Bhawan, Agra, P 73

3 Majumdar, D N & Madan, T N 1967 An Introduction to Social Anthropology, Asia Publishing House, Mumbai, P 32

4 Dubey, S C 1995 op cit. P 102

5 Hasnain, Nadeem 1991 Tribal India Today, Harnam Publications, New Delhi, P 41

6 Dubey, S C 1995 op cit P 109

7 Jarwa Report, Second Phase 2002, Andaman Adim Janjati Vikas Samit, Port Blair, P 12

8 Basu, B K 1990 The Onge, Sea Gull Books, Culcutta

9 Justine, A 1990 The Nicobarese, Sea Gull Books, Culcutta

10 Rizvi, S N H 1990 The Shompen, Sea Gull Books, Culcutta

11 Tiwari, R K 1984 Shompen Hindi Sabdawali, Andman & Nicobar Administration, PortBlair

अध्याय–5

आर्थिक संरचना एवं सुविधाए

प्रस्तावना

यद्यपि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह अच्छी जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जगली उत्पाद, समुद्री जीव–जन्तुओ एव वस्तुओ आदि मे काफी सम्पन्न है। उपरोक्त सभी इस द्वीपीय क्षेत्र को सपन्न एव ससाधान युक्त बनाते है। इन ससाधानो पर आधारित अनेक प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप यहा पर आदि काल से ही होते रहे है। लेकिन स्वतत्रता के पश्चात भारतीय सरकार ने अपने अनेक विभागो के माध्यम से विविध पचवर्षीय योजनाओ मे अपेक्षित मात्रा मे वित्तीय ससाधन उपलब्ध कराकर यहॉ पर आर्थिक क्रिया–कलापो का एक विस्तृत आधार विकसित करने का प्रयास किया है। इन प्रयासो के परिणाम भी अनेक क्षेत्रो मे स्पष्ट रूप से दिखाई पडते है। परिणामस्वरूप अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह सपोषणीय विकास प्रक्रिया की परिधि मे धीरे–धीरे आने लगा है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजातियॉ पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से किये गए इतने प्रयासो के बावजूद भी अभी तक न्यूनाधिक रूप मे आदिम अवस्था मे ही बनी हुई है। इन विकास प्रयासो का लाभ निकोबारी जनजाति को अवश्य प्राप्त हुआ है, जो अब शिक्षित एव सभ्य होने लगी है। लेकिन अन्य पॉच जनजातियॉ अभी भी पाषाण कालीन आदिम अवस्था मे ही है। अनेक सरकारी प्रयासो के कारण इनमे से कुछ लोग अब बाहरी लोगों एव सभ्यता से थोडा–थोडा सम्पर्क करने लगे है। अधिकांश जनजातिय लोग आज भी बाहरी लोगों से दूर भागते है। इस प्रकार ये आदिम

जनजातियाँ अण्डमान–निकोबार द्वीप के प्रगतिशील आर्थिक विकास के समक्ष एक तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते है। गहराई से अध्ययन करने पर ये आदिम जनजातीय समुदाय अनेक समस्याओ एव कठिनाइयो से ग्रस्त दिखाई पडते है। इनकी न तो कोई औपचारिक अर्थव्यवस्था है, और न ही कोई सामाजिक एव राजनैतिक तत्र। फिर भी सामूहिक जीवन यापन हेतु इन्होने परम्परागत आधार पर कुछ मान्यताए स्थापित कर ली है, जिनका कोई औपचारिक एव सस्थात्मक रूप नही है।[1] अत जब तक इन आदिम जनजातियो को वर्तमान सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से नही जोडा जाता, तब–तक इस क्षेत्र का विकास अधूरा रहेगा। शोधकर्ता द्वारा विविध श्रोतो एव सीधे सपर्क एव साक्षात्कार से इनकी आर्थिक सरचना के सम्बन्ध मे जो सूचनाए एव तथ्य सकलित किए है उनका क्रमवद्व विवरण एव विश्लेषण निम्नवत है।

संसाधान आधार .

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो के ससाधन आधार को दो प्रमुख भागो मे विभक्त किया जा सकता है– (1) वन आधारित ससाधन एव (2) समुद्री ससाधन। वन आधारित ससाधनो मे पडाक, गरजन, चुई, बॉस, बेत, एरेका, टागपीग, धूप, धानी आदि लकडी वाले वृक्ष; पैन्डीनस, नारियल, केला, पपीता, आम, नीबू, अमरूद, अन्नास आदि फल वाले वृक्ष; टयूबरर्स, जिमीकन्द स्वीटपोटैटो आदि कन्दमूल वाले पौधे तथा अनेक प्रकार की घासे, लताए, फूल एव पत्तियॉ मुख्य है। पडाक एव गरजन से नावो का निर्माण, चुई एव बॉस से धनुष एव तीर का निर्माण, बास, बेत एरेका एव तागपीग से तीर एव बास्केट का निर्माण, तथा धूप एवं धानी की सूखी पत्तियो से टार्च का निर्माण किया जाता है। सभी फल वाले वृक्षो से भोज्य पदार्थ प्राप्त किये जाते है, और ये सभी वृक्ष इनके लिए बडे महत्व के है।[2] बॉस, बेत, लकडियो के खम्भे एव सलाई पत्ती एव

घास फूस से ये अपनी झोपडियो का निर्माण करते है। वृक्षो की छाले एव पत्तियॉ वस्त्र के रूप मे प्रयोग करते है।

इन वनीय उत्पादो के अलावा जगलो मे पाये जाने वाले अनेक प्रकार के जानवर जैसे– सुअर, बन्दर, मानीटर लिजार्ड, चमगादड, सॉप, अजगर, मेगापॉड, आदि भी इनके मुख्य ससाधन है, जिसका उपयोग ये भोज्य पदार्थों के रूप मे ही करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जनजातीय जगली क्षेत्रो मे सम्बन्धित सरकारी अधिकारियो के अलावा अन्य बाहरी लोगो के प्रवेश के लिए कुछ प्रतिबध लगा दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त जगली ससाधनो पर इन्ही जनजातियो का ही अधिकार है। इन ससाधनो के उपयोग एव शोषण हेतु इन्हे कोई रोक–टोक नही है। यद्यपि सरकार इन ससाधानो के सरक्षण तथा आदिम जनजातियो को सभ्य एव शिक्षित करने हेतु सरकारी कर्मचारियो के माध्यम से इन्हें अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री पहुचाने का प्रयास कर रही है। चूकि ये सीधे सम्पर्क मे आने से भागते है, अत इसका प्रभाव अभी बहुत ही कम है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियो का दूसरा प्रमुख ससाधन आधार समुद्री जीवो एव वस्तुओ से सम्बन्धित है। समुद्री जीवो जैसे–विविध प्रकार की मछलियॉ, कछुए, केकडे, मगरमच्छ, आदि का उपयोग ये भोज्य पदार्थ के रूप मे करते है। अन्य वस्तुए जैसे विविध प्रकार की सीपियो, टरबो, घोघे, शख, मूगे आदि का प्रयोग विविध प्रकार के सजावटी सामानो, आभूषणो, हस्तकला वस्तुओ, आदि के निर्माण मे करते है।[3]

आर्थिक क्रियाकलापः

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो के प्रमुख आर्थिक क्रिया–कलापो का स्पष्ट विवेचन निम्नवत है।

शिकार

यद्यपि निकोबारी जनजाति के लोग अब शिक्षित और सभ्य होने लगे है फिर भी, कचाल, ट्रिंकेट, चौरा आदि द्वीपो मे रहने वाले निकोबारी लोग आज भी अधिकाशत शिकार पर ही निर्भर है। ग्रेट निकोबार मे ये लोग कुत्तो की सहायता से जगली सुअर का शिकार करते है। शिकार पर जाने के पूर्व वे एक तरह के जादू–टोने की क्रिया करते है, जिससे शिकार मे सफलता मिले। सुअर के शिकार हेतु ये लोग अपने साथ धनुष एव तीर तथा भाला एव दॉव लेकर चलते है, जिन्हे निकोबारी भाषा मे क्रमश "उमतोम", एव "ईत" कहते है।[4] इसके अलावा ये "इगुआना" (लिजार्ड) सॉप, अजगर, चूहा आदि का भी शिकार करते है। ये अपने शिकार को भूनकर खाते है।

शोम्पेनी जनजाति के लोग ग्रेट निकोबार मे केन्द्रित है। वहॉ इनका मुख्य शिकार जगली सुअर है। यह इनके भोजन का प्रमुख अग है। इसका शिकार ये कुत्तो की सहायता से भाले द्वारा करते है। ये विशेषत काले कुत्ते का प्रयोग करते है, जो जगल मे आसानी से न दिखाई पडे और सुअर को आसानी से पकड सके। ये लोग कुत्ते अधिकाशत निकोबारियो से प्राप्त करते है। ये लोग सुअर के बच्चो का शिकार नही करते तथा उन्हे प्रौढ होने के लिए छोड देते है, जिससे भविष्य मे अधिक मास प्राप्त हो सके[5]। कुछ शोम्पेनी लोग अब सुअर पालने भी लगे है। ये सुअर को भून एव उबाल कर खाते हैं। इसके अलावा शोम्पेन मानीटर लिजार्ड, चमगादड, मेगापॉड पक्षी एव उसके अण्डे, बन्दर आदि का शिकार करते है। मेगापॉड पक्षी एव उसके अण्डे अधिकाशत नदी क्रीक के क्षेत्र मे पाये जाते है। लिजार्ड के शिकार मे भी कुत्ते इनकी सहायता करते है। सॉप एव अजगर का शिकार ये भाले से करते है तथा इन्हे भी भून एव उबाल कर खाते है।

जारवा जनजाति के लोग यादिता एव फालबे क्षेत्र मे शिकार हेतु पॉच–छह परिवारो के समूह मे निकलते है। ये लोग अधिकाशत सुअर का ही शिकार करते है।[6] ये शिकार मे कुत्तो का प्रयोग नही करते। इनका दूसरा मुख्य शिकार मानीटर लिजार्ड है। ये लोग पक्षियो एव हिरन का शिकार नही करते। शिकार मे ये लोग अधिकाशत धनुष एव तीर का प्रयोग करते है (प्लेट सख्या 10)। धनुष चुई की लकडी का बना होता है। इसे स्थानीय भाषा मे "आसो" (धनुष) कहते है। बॉस के भी धनुष बनाये जाते है, लेकिन ये मजबूत नही माने जाते। इनके तीर अधिकाशत एरेका लकडी, बॉस अथवा बेत के होते है। तीर का शीर्ष भाग पहले लकडी का होता था। लेकिन अब लोहे का बनने लगा है। लम्बे गोलाकार शीर्ष को "ओछाली तापी" तथा त्रिभुजाकार शीर्ष को "एताहो" कहा जाता है। धनुष की डोर जिसे ये "वीथो" कहते है, बेत या अन्य वृक्षो की छालो से बनायी जाती है। इसके अलावा ये मानीटर लिजार्ड के शिकार हेतु कभी–कभी हारपून तीर, जिसे ये लोग स्थानीय भाषा मे "तहोवैखोवाव" कहते है, का प्रयोग करते है। इस तीर के डण्डे को "छपिताल" तथा शीर्ष भाग को "ताओतेहाली" कहते है। इसमे एक डोरी बधी होती है, जिसे "चगोल" कहते है।

ओगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिगागक्रीक तथा साउथबे मे केन्द्रित है । इन क्षेत्रो मे जगली सुअर अच्छी सख्या मे पाये जाते है। ओगी लोग इनका शिकार कुत्तो की सहायता से भाले द्वारा करते है। ये सुअर के बच्चो एव चिडियो का शिकार नही करते । कभी–कभी बडे दन्ती सुअर इनके कुत्तो को ही मार डालते है। अत इनके कुत्ते जब भी किसी सुअर को देख लेते है, तो ये लोग उन्हे शीघ्रातिशीघ्र इनको मारने का प्रयास करते है।[7] सुअर इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। अत प्रति दिन इन्हे एक सुअर का

मिलना आवश्यक है। यदि सुअर बडा होता है, तो पूरे परिवार भर के लिए पर्याप्त होता है। अत ये लोग अगले दिन शिकार पर नही जाते है। शोम्पेन एव जारवा की भॉति ये भी काफी मात्रा मे भोज्य पदार्थ खाते है। इनके भाले का दण्ड बॉस या लकडी का तथा शीर्श लोहे का बना होता है।

अण्डमानी जनजाति के लोग स्ट्रेट द्वीप मे सीमित है तथा ये भी सुअर, लिजार्ड, सॉप आदि का शिकार धनुष एव तीर द्वारा करते है। ये अधिकाशत मास भून एव उबाल कर खाते है।

सेन्टिनली जनजाति से सम्पर्क न होने के कारण उनके शिकार के बारे मे विशेष जानकारी नही है। टी0एन0 पडित[8] के अनुसार जारवा एव ओगी की तरह सेन्टिनली भी सुअर का शिकार करते है। उत्तरी सेन्टिनल द्वीप की अपनी यात्रा मे उन्होने सेन्टिनली जनजाति के झोपडियो के पास रगी हुई सुअरो की खोपडियॉ एव उनकी हड्डियॉ पडी हुई देखी। साथ ही वहॉ पर दो धनुष भी देखा, जिनकी लम्बाई 1400 मि0मी0, चौडाई 500 मि0मी0 तथा मध्य मे मोटाई 160 मि0मी0 थी। धनुष का दण्ड लकडी का तथा उसकी डोर मुडी हुई छाल से बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होने एक तीर एव भाला भी प्राप्त किया, जिनका दण्ड लकडी का बना था, जिसकी लम्बाई लगभग 153 सेमी0 एव मोटाई ऊपर की ओर लगभग 5 सेमी0 तथा नीचे की ओर 3 3 सेमी0 थी। नीचे की ओर उसमे लोहे का नोकदार फल लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि ये तीर भाले के रूप मे भी प्रयोग की जाती है। इसके अलावा लकडी के छाल की बनी दो कमर पेटिया भी मिली, जो तीर रखने के काम आती है। इसके अलावा अनेक नोको वाले लकडी निर्मित हारपून भाले भी प्राप्त हुए, जो एरेका लकडी के बने हुए थे। झोपडी के पास दो लगभग गोल पत्थर भी प्राप्त हुए, जिन पर लोहे के रगड के निशान थे, जिससे पता

चलता है कि ये इसे अपने भाले एव तीर को तेज करने हेतु प्रयोग करते है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सेटिनली भी जगल मे सुअर एव अन्य बन्य जीवो का शिकार करते है।

समुद्री शिकार

समुद्री शिकार के अन्तर्गत मुख्य रूप से विविध प्रकार की मछलियो, मगरमच्छ, कछुआ, केकडा, आदि का शिकार सम्मिलित है। निकोबारी जनजाति के लोग मछली के बहुत शौकीन होते है तथा यह इनके आर्थिक क्रिया कलापो का मुख्य भाग है।[9] मछली मारने हेतु पूरे परिवार एव समूह के साथ जाते है। ग्रेट निकोबार मे मछली मारने की पारम्परिक विधि को "न्यूलो" कहते है, जिसमे किन्याव पौधो के बीज को पीसकर जहर के साथ मिला दिया जाता है तथा उसे उथले पानी मे छिडक दिया जाता है। इससे मछलियॉ बेहोस हो जाती है या मर जाती है, जिन्हे एक डलिया (तमतू) मे रख दिया जाता है। मछलियो का शिकार हारपून से भी किया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग उथले पानी मे ही होता है, जब निम्न ज्वार जिसे ये "नीह" कहते है, होता है। "नीह" के समय ही ये हारपून द्वारा आक्टोपस का भी शिकार करते है। आक्टोपस का उपयोग भोजन तथा मछली पकडने हेतु चारे के रूप मे भी होता है। उच्च ज्वार (कामेराक) के समय ये नाव (होडी) का प्रयोग करते है। वर्तमान समय मे ये अच्छे प्रकार के जालो, लाइनर, एव हुक (कटिया) का प्रयोग करने लगे है। निकोबारी लोग अधिकाशत कोको, चमक, पाठार, भेटकी– नामक मछलियो का अधिक शिकार भी करते है। इसके अलावा आक्टोपस, मगरमच्छ, केकडे, कछुए, आदि का शिकार करते है। कछुओ एव बडी मछलियो को पकडने के लिए अब बडी जालो का प्रयोग किया जाने लगा है। जिसे "सीन" कहते है।

शोम्पेन जनजाति के लोग उथले समुद्रो, सरिताओ तथा क्रीक मे मछली पकडने का कार्य करते है। समुद्री किनारे वाले भागो मे ये लोग भाले द्वारा ईल, कार्प आदि का शिकार करते है। केकडे भी यहॉ मिल जाते है। प्रान (झीगा) एव अन्य मछलियॉ क्रीक एव सरिता मे मिलती है। इसके अलावा सीपियो का भी शिकार किया जाता है, क्योकि उनसे भोजन के साथ–साथ तम्बाकू एव पान मे मिलाने वाला चूना भी तैयार किया जाता है। शोम्पेन कभी–कभी मगरमच्छ का शिकार क्रीको मे करते है। ये उसके मुह मे एक लम्बा डण्डा डाल देते है, जिसे वह कस कर दॉत से पकड लेता है और ये उसे बाहर खीच लेते है तथा भाले द्वारा मार डालते है।

जारवा जनजाति के लोग समीपवर्ती समुद्री क्षेत्रो मे मछली पकडने का कार्य करते है। मछली पकडने के लिए ये छोटी जाल जिसे "पोटोचेचूत" कहते है का प्रयोग उथले समुद्री भागो मे करते है। गहरे पानी मे जाने हेतु छोटी नाव एव बडी जालो का प्रयोग करते है। मछलियो को लकडी, पालीथीन, या एल्यूमिनियम के बर्तन, जो इन्हे सरकार द्वारा प्राप्त है, का प्रयोग करते है। उथले पानी मे ये तीर–धनुष द्वारा भी मछली का शिकार करते है। विविध प्रकार के मछलियो के अलावा ये अनेक प्रकार की सीपियो जैसे ट्रोकस, बाइबाल, टरबो, राकऐस्टर, लाब्सटर, आदि का शिकार करते है।[10] 1 मी0 लम्बे लोहे के तारो द्वारा कछुओ एव केकडो का शिकार भी करते है। सुअरो के अलावा विविध प्रकार की मछलियॉ एव केकडे इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है। साथ ही कछुए एव उसके अण्डे भी इन्हे प्रिय है। अत ये अपने पारिवारिक खपत हेतु प्रति दिन शिकार एव मछली मारने अवश्य जाते है। मछली एव अन्य शिकार को काटने हेतु ये लोग चाकू का प्रयोग करते है। गोठिल हो जाने पर उस चाकू को एक पत्थर, जिसे ये लोग "उलिहे" कहते है, पर रगड कर तेज किया जाता है।

रात्रि मे मछली मारने हेतु ये धूप एव धानी की सूखी पत्तियो से बनी टार्च का भी प्रयोग करते है।

ओगी जनजाति मे पुरूष एव महिला दोनो मछली के शिकार हेतु जाते है। मत्स्यायन के मुख्य क्षेत्र सरिताए एव क्रीक है। समुद्र, क्रीक एव नदी मे ये छोटी नौकाओ का भी प्रयोग करते है। पारम्परिक धनुष एव तीर के साथ–साथ अब ये सरकार द्वारा प्रदत्त जालो, कटियो, लाइनरो, एव कन्टेनरो का भी प्रयोग करने लगे है।[11] विविध प्रकार की मछलियो के साथ–साथ ये साउथ ब्रदर द्वीप तक कछुओ एव सीपियो का भी शिकार करते है। कछुओ के अण्डे इन्हे बडे प्रिय है। इसके अलावा इनके जाल मे केकडे भी फसते है, जिनका भार कभी–कभी 4 पौड् तक होता है। समुद्री कछुए कभी–कभी 80 पौड तक मिलते है। इन सबका शिकार ये रस्सी एव हारपून की सहायता से करते है।

ग्रेट अण्डमानी स्ट्रेट द्वीप के आस–पास मछली, कछुए, केकडे एव सीपियो का शिकार करते है। इनके प्रमुख यत्रो मे धनुष–तीर, एव हारपून है। अब ये भी सरकार द्वारा प्रदत्त जाल, कटिया, एव कन्टेनर का प्रयोग करने लगे है। गहरे पानी के क्षेत्रो मे रैफ्ट या छोटी डोगी द्वारा शिकार करते है। चूकि सुअर का शिकार वर्ष पर्यन्त इनके भोज्य पदार्थ की आपूर्ति नही कर पाता, अत ये मछलियो एव अन्य जगली पदार्थो के एकत्रण से उस कमी को पूरा करते है।

पडित[12] के अनुसार सेन्टिनली जनजाति की झोपडियो के पास प्राप्त कई दॉतो वाले लकडी निर्मित हारपून, बर्छी, धनुष–तीर, भाला, पेडो की छाल से निर्मित जाल एव लकडी की नौकाओ आदि से स्पष्ट है कि ये क्रीक क्षेत्रो एव तटीय समुद्री क्षेत्रो मे मछली पकडने का काम भी करते है। मछली के साथ–साथ ये अन्य

समुद्री जीवो जैसे केकडे, कछुए आदि को भी पकडते होगे । क्योकि यहॉ पर कछुओ की खोपडिया भी प्राप्त हुई है।

एकत्रण

अण्डमान निकोबार द्वीप की अधिकाश जनजातियॉ, निकोबारी को छोडकर आदिम अवस्था मे है, जो शिकार एव मछली पकडने के साथ–साथ विविध प्रकार के वनीय उत्पादो के एकत्रण पर भी आधारित है। एकत्रण की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे अधिकाशत महिलाए एव दस वर्ष के ऊपर के बच्चे सम्मिलित होते है। एकत्रण द्वारा प्राप्त वस्तुओ से शिकार एव मछली की आपूर्ति मे कमी को पूरा किया जाता है।

निकोबारी जनजाति के लोग अब लगभग 50प्रतिशत से अधिक सभ्य एव शिक्षित हो चुके है तथा शेष इस प्रक्रिया मे आगे बढ रहे है। अत अब यह जनजाति एकत्रण वाली प्रवृति को लगभग त्याग चुकी है। सगठित आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आदि मे लग जाने के कारण अब अधिकाश लोग एकत्रण अर्थव्यवस्था से पूर्ण मुक्त हो गए है। निकोबारी जनजाति मे एकत्रण का अवशिष्ट रूप आन्तरिक क्षेत्रो मे रहने वाले निकोबारियो मे मिलता है। लेकिन वे भी इसे आवश्यक दैनिक क्रिया के रूप मे नही करते, बल्कि बागानो, कृषि क्षेत्रो या अन्य कार्यो से लौटते समय जब ये जगल से गुजरते है तो मार्ग मे उपलब्ध कुछ खाद्य सामग्री लेते आते है। इनमे मुख्य है पैडिनस फल, नारियल फल, पपीता, केला, सकरकन्दी, तिनियान, कन्दमूल, ताका, आम, नारियल आदि ।

शोम्पेन जनजाति के लोग ग्रेट निकोगार द्वीप मे केन्द्रित है। ये जगल मे शिकार से लौटते समय विविध प्रकार के फलो, कन्दमूल, पत्तियो आदि का एकत्रण कर लेते है। कभी–कभी जब दोपहर तक कोई सुअर या अन्य जीवो का शिकार नही मिल पाता तो

अपराह्न का समय ये वनोत्पादो के एकत्रण मे लगाते है तथा शिकार की कमी को पूरा करते है। जगली उत्पादो के एकत्रण का दायित्व प्रमुख रूप से महिलाओ पर है, जो समूह मे सवेरे जगल मे निकल जाती है तथा खाने एव अन्य उपयोग हेतु विविध प्रकार के फल–फूल, पत्तियॉ, कन्दमूल आदि का एकत्रण करती है। प्रमुख जगली उत्पादो मे पैडिनस फल, नारियल फल, आम, पपीता, केला, टयूबर, सकरकदी, अनन्नास आदि है। पैडिनस, नारियल, केला एव पपीते के फल इन्हे सर्वाधिक पसद है तथा इनके भोजन के मुख्य पदार्थ है। पुरूष शोम्पेन जगलो से अच्छी मात्रा मे शहद का एकत्रण करते है। ये लोग पिनागा वृक्ष की पत्तियो को मधुमक्खी के छत्ते पर फेरते है तथा उसे चबाकर मधुमक्खी के छत्ते पर कई जगह थूक देते है। उसकी गध से मधुमक्खियॉ भाग जाती है तथा ये शहद निकाल लेते है। मधुमक्खियो के छत्ता लगाने हेतु ये जगल मे बडे वृक्षो मे दॉव से काटकर कोटरे बना देते है, जिसमे मधुमक्खिया शहद एकत्र करती है।

जारवा जनजाति अभी–भी आदि कालीन शिकारी एव एकत्रण अवस्था मे है। ये पूर्ण रूप से जगली उत्पादो, जानवरो एव समुद्री जीवो से प्राप्त भोज्य पदार्थो पर आधारित हैं। इनका स्पष्ट उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जानवरो एव समुद्री जीवो भर से वर्ष पर्यन्त भोजन की आपूर्ति नही हो पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए महिलाएँ एव कभी–कभी पुरूष भी विविध प्रकार की जगली वस्तुओ का एकत्रण करते है। इनमे मुख्य है–नारियल फल, कटहल, केला, बेतफल, ट्यूबर (अमीना) आदि (प्लेट सख्या 28)। अरवी की तरह एक विशेष प्रकार का कन्दमूल मिलता है, जिसे ये "च्यूबा" कहते है तथा एक छोटा फल जिसे ये "ताला" कहते है, का भी एकत्रण करते है। जारवा लोग शहद को "ल्यूबा" कहते है। ये जगल से शहद प्राप्त करते है तथा अपनी झोपडी के बाहर एक लकडी के बर्तन मे

रखकर उसे सलाई की पत्ती से ढक देते है। ये लोग छत्ते सहित शहद को खाते है (प्लेट सख्या 15)। इसके अलावा ये लोग समुद्र तटीय स्थलीय भागो से सीपियॉ, केकडे एव कछुओ के अण्डो का भी एकत्रण करते है। (प्लेट सख्या 2)। ये भी इनके मुख्य भोज्य पदार्थ है।

ओगी जनजाति की अर्थव्यवस्था मे शिकार एव मछली मारने के अलावा विविध प्रकार के जगली वस्तुओ जैसे–कन्दमूल, फल–फूल, शहद आदि का एकत्रण भी महत्वपूर्ण कार्य है। बोस[13] ने ओगियो द्वारा भोजन के रूप मे प्रयोग की जाने वाली विविध वस्तुओ की एक माह के भोजन हेतु वाछित समाग्री का अनुमान लगाया है, जो निम्न सारणी 5 1 मे स्पष्ट है।

सारणी –5 1

एक माह हेतु भोजन एकत्रण–ओगी जनजाति (पौड में)

वस्तु	मात्रा
सुअर	1271
मछली	494
कछुआ	76
केकडा	48
सीपी	30 5
तिटमाला	326
सीगी	187
तीता कोरू	58
अन्य	35 1
योग	**2526.6 पौंड**

स्रोत – भारत की द्विपीय सस्कृति – रेड्डी एव सुदर्शन, P-72

उपरोक्त मात्रा मे1919 5 पौड (76%) प्रोटीन का भाग है, जबकि 571 पौड (22%) कार्बोहाइड्रेड सम्मिलित है। अन्य तत्वो की मात्रा 35 1 पौड (1 4%) है।

यद्यपि यदि इन्हे पर्याप्त मात्रा मे मास एव मछली मिलती रहे तो ये एकत्रण मे इतनी रूचि नही रखते। एकत्रण का कार्य अधिकाश महिलाओ द्वारा किया जाता है। कटहल, नारियल, केला, पपीता, सकरकन्द आदि महिलाओ द्वारा एकत्र किये जाने वाले प्रमुख पदार्थ है। इसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्रो मे कछुओ के अण्डे, केकडे एव सीपियाँ भी प्रमुख एकत्रण सामग्री है। पुरूष ओगी जगल से शहद का एकत्रण करते है। वे "टोगी" वृक्ष की पत्तियो को रगडकर अपने शरीर मे लगा लेते है, जिसकी गध से मधुमक्खियाँ भागती है तथा काटने पर भी शरीर मे उनके विष का असर नही होता। इस प्रकार ओगी लोग आसानी से लकडी की बाल्टी मे शहद एकत्र कर लेते है। शहद एकत्रण का कार्य जनवरी से मध्य अप्रैल तक चलता है, जो वर्ष भर के लिए पर्याप्त होता है। ये लोग भी छत्ते सहित ही शहद खाते है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति, जो स्ट्रेट द्वीप मे सीमित है, मे भी जगली वस्तुओ के एकत्रण का कार्य अधिकाशत महिलाए ही करती है। एकत्रण द्वारा मास मछली की कमी की आपूर्ति की जाती है। महिलाए समूह मे सवेरे ही जगल मे जाती है तथा कटहल, केला, नारियल, कन्दमूल आदि एकत्र करती है। तटीय क्षेत्रो मे केकडे एव कछुओ के अण्डे यदा–कदा मिल जाते है। पुरूष लोग जगल से शहद के एकत्रण का कार्य करते है। इस प्रकार एकत्रित वस्तुओ द्वारा भोजन की कमी को पूरा किया जाता है।

सेन्टिनली जनजाति के लोग भी अन्य आदिम जनजातियो की तरह विविध प्रकार के वन्य उत्पादो का सकलन एव

ओंगी बालको के साथ उनके अध्यापक

प्लेट संख्या–28

जारवा महिलाओ एव बच्चो द्वारा खाद्य सग्रहण

एकत्रण करते है। उनकी झोपडियो के पास से प्राप्त हुए फल जैसे चीकू एव पैण्डीनस तथा लकडी की बाल्टी मे रखी शहद इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही वहाँ पर वनोत्पादो एकत्रण हेतु अनेक सामान जैसे वस्तुओ को रखने के लिए बेत की डलियाँ, फल–फूल एव पत्तियो को तोडने के लिए लग्गी तथा रेजिन, जो एक वृक्ष से प्राप्त होता है, तथा जलाने के काम आता है, सभी इनकी एकत्रण अर्थ व्यवस्था को प्रमाणित करते है। अन्य जनजातियो की तरह एकत्रण का कार्य भी महिलाओ एव बच्चो द्वारा सम्पन्न होता होगा।

लकडी काटना

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की लगभग सभी जनजातियाँ आदि काल से ही जगली उत्पादो पर आधारित है। अपने आवासो एव झोपडियो के निर्माण से लेकर शिकार करने, मछली मारने, एव वनोत्पादो के एकत्रण हेतु वे अनेक प्रकार के यत्रो एव सामानो का निर्माण जगल मे पाये जाने वाले अनेक प्रकार के वृक्षो की लकडियो से करते है। झोपडियो मे खाद्य सामाग्री रखने, शहद रखने, पानी रखने, बैठने एव सोने हेतु, बिस्तर का निर्माण करने आदि सभी मे विविध प्रकार की लकडियो का प्रयोग करते है। लगभग सभी जनजातियाँ, चाहे वे निकोबारी हो चाहे सेन्टिनली, सभी शिकार हेतु धनुष–तीर, भाला, हारपून, आदि यत्रो का निर्माण विविध प्रकार की लकडियो जैसै– एरेका, बाँस, बेत, चुई आदि का प्रयोग करते है। इनके निर्माण हेतु इन्हे विविध प्रकार के वृक्षो को काटना पडता है। साथ ही समुद्री जीवो जैसे– मछली, कछुए, मगरमच्छ, केकडे आदि के शिकार करने हेतु भी इन्हे नाव, हारपून, धनुष–तीर आदि की आवश्यकता होती है।

इस हेतु भी ये जगली वृक्षो को काटते है। नॉव बनाने हेतु अधिकाशत पडाक, गरजन, चुई, आदि का प्रयोग करते

है। घरेलू सामानो जैसे – शहद रखने हेतु बाल्टी, डलिया, पानी के पात्र आदि के निर्माण हेतु ये जगली वृक्षो को काटते है। डलिया निर्माण मे बॉस एव बेत का प्रयोग लगभग सभी जनजातियो मे सर्वाधिक होता है(प्लेट सख्या 29)। इस प्रकार अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो द्वारा आधुनिक स्तर पर लकडी की कटाई एव लागिग नही की जाती, बल्कि ये अपने आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु ही सीमित रूप मे जगली लकडी को काटते है। इनकी कटाई द्वारा जितने वृक्ष नष्ट होते है, उससे कही अधिक प्राकृतिक रूप से जगलो मे वृक्ष उत्पन्न भी होते रहते है। अत पर्यावरण सतुलन बना रहता है।

पशुपालन·

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो मे दो आदिम जनजातियॉ–जारवा एव सेन्टिनली, किसी भी रूप मे पशुपालन नही करती। ये शिकार हेतु कुत्ते भी नही पालते और समूह मे जाकर स्वय ही शिकार करते है। ये लोग अधिकाशत जगलो मे सुअर का शिकार करते है। लेकिन उसको पालते नही। इतना अवश्य है, कि ये सुअर के बच्चो को नही मारते, जिससे भविष्य मे उन्हे ज्यादा सुअर का मास मिल सके। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये वन्य पशुपालन करते है। समुद्री जीवो मे ये लोग मछलियो, कछुओ, एव केकडो का शिकार करते है। लेकिन उनका भी पालन नही करते।

अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो मे निकोबारी, शोम्पेन, ओगी, एव ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग ही किसी न किसी रूप मे पशुपालन करते है। सभ्य एव शिक्षित निकोबारी लोग गाय, बैल, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, कुत्ता आदि पालते है (प्लेट सख्या 30)। जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत सरकार ने इन्हे गाय, बकरी एव सुअर खरीदने हेतु अनेक प्रकार के ऋण, अनुदान एव वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गाय, बैल, बकरी खरीदने हेतु ये

लिटिल अण्डमान ओर पोर्टब्लेयर तक जाते है। ये लोग इन पशुओ के मास का भी प्रयोग करते है। इसलिए इन्हे अधिक सख्या मे पालते है। गाय के दूध को घरेलू खपत के बाद बेचकर पैसा प्राप्त करते है। इसीलिए अब कुछ विदेशी प्रजाति के पशु भी इन्हे सरकार द्वारा दिये जा रहे है। मुर्गी एव बत्तख पालन हेतु इनको सीधे चूजो की आपूर्ति की जाती है तथा उनके चारो हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाती है। 2000–2001 मे जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत इन्हे डेढ लाख रूपये की सहायता उपरोक्त मदो मे दी गयी। शिक्षित एव रोजगार प्राप्त निकोबारी मात्र गाय एव बकरियॉ ही पालते है। जबकि पिछडे एवं जगली क्षेत्रो मे रहने वाले निकोबारी, सूअर, मुर्गी, बतख, कुत्ता आदि मुख्य रूप से पालते है। ये सूअरो को एक निश्चित स्थान पर रखते है जिसे "नोको" कहा जाता है तथा इन्हे दिन मे कम से कम दो बार नारियल, पैडीनस एव अन्य प्रकार का चारा दिया जाता है । सूअर इनके लिए एक प्रमुख सम्पत्ति है, तथा यह सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। चौरा, तरेशा, बामपोका, एव अन्य द्वीपो मे नोको की सख्या काफी है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए जानवरो एवं पक्षियो हेतु वार्षिक आधार पर चारे की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन स्वत पाले गए जानवरो हेतु चारे की व्यवस्था ये लोग जगल से स्वय करते है। गाय एव बकरी दूध के लिए, सुअर मास हेतु, बत्तख एव मुर्गी मास एव अण्डा दोनो हेतु पाले जाते है। दूध, मास तथा अण्डे की खपत ये स्वय करते है, तथा साथ ही इसे दूसरे को भी विक्रय करते है। यधपि निकोबारी लोग चूहा, जिसे ये "कुमित" कहते है, को भूनकर खाते है। इसके अलावा विविध प्रकार के पक्षी जैसे– "कालोह", माकूको, काबोब, आदि का भी भोजन करते है तथा इगुआना जिसे ये "काब" कहते है, का भी मास खाते है।

शोम्पेन आदिम जनजाति के लोग ग्रेट निकोबार द्वीप मे सीमित है। जहॉ ये अपने भोजन हेतु सूअर, एव मुर्गी तथा शिकार हेतु कुत्ता पालते है। सूअर केवल मास तथा मुर्गी अण्डे एव मास दोनो हेतु कार्य मे लायी जाती है। सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत 2001–2002 मे इन्हे 30,000 रू0 की बकरियॉ भी प्रदान की गयी है तथा 8,000 रू0 के सूअरो एव मुर्गियों की आपूर्ति की गयी है, जैसा कि सारणी सख्या 5 2 मे स्पष्ट है।

सारणी सं0 5.2

जनजातीय उप–योजनान्तर्गत जनजातीय लोगो को दिये गये पशु 2001–2002

मद	मूल्य(लाख रू0 में)
1 अण्डमानी जनजाति को प्रदत्त मुर्गिया एव सूअर	0 15
2 अण्डमानी जनजाति को प्रदत्त पालित मुर्गिया	(0 30+0 30) 0 60
3 ओगी एव शोम्पेन जनजाति को प्रदत्त बकरियॉ	0 60
4 ओगी एव शोम्पेन जनजति को प्रदत्त मुर्गिया एव सूअर	0 15

स्रोत वार्षिक आदिवासी उपयोजना 2001–2002 अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर– पृष्ठ– C–34,

ओगी जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिगांग क्रीक एव साउथबे मे केन्द्रित हैं तथा ये भी सूअर, मुर्गी एव

जारवा महिलाओं द्वारा एकत्रण हेतु बेत की टोकरी का निमार्ण

प्लेट संख्या–30

निकोबारी एव उनका प्रिय पालतू पशु

कुत्ते को पालते है। सूअर एव मुर्गी मास तथा अण्डे हेतु तथा कुत्ता शिकार हेतु पालते है। जनजातीय उपयोजना के अर्न्तगत सरकार ने इन जनजातियो को भी बकरी, सुअर एव मुर्गियो की आपूर्ति की है (सारणी सख्या 5 2), तथा इन्हे पालने हेतु चारा भी प्रदान किया जाता है। ये लोग मात्र अपने भोजन के लिए ही पशु–पालन करते है, व्यापार हेतु नही। बोस के अनुसार ओगी जनजाति के लोग बहुभक्षक होते है तथा काफी मात्रा मे भोजन करते है। अत सुअर का मास इनके भोजन की प्रधान वस्तु है।

ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग भी सुअर, बत्तख, मुर्गी एव कुत्ते को पालते है । सूअर, मुर्गी एव बतख मास एव अण्डे हेतु तथा कुत्ता शिकार हेतु पालते है। जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत सरकार ने इन्हे भी बकरियॉ, सूअर एव मुर्गियॉ प्रदान की है (सारणी 5 2) तथा इनके चारे की भी आपूर्ति की जाती है। धीरे–धीरे इन जनजातियो को पशुपालन मे दीक्षा दी जा रही है, क्योकि उनके भोजन की आदत के अनुसार पशुओ से सीधे रूप मे मास, अण्डा आदि प्राप्त हो जाता है। अत ये लोग पशुपालन को कृषि की अपेक्षा सरलता से स्वीकार करते है। यदि सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र मे इन जनजातियो को शिक्षा एव सहायता दी जाती रही तो निश्चित रूप से उनकी अर्थव्यवस्था मे सुधार आ जायेगा। चूकि अभी तक इनकी अर्थव्यवस्था मात्र अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थो के एकत्रण एव सकलन तक ही सीमित है और इस हेतु ये वर्ष पर्यन्त सपरिवार लगे रहते है। यदि पशुपालन से इन्हे आसानी से खाद्य सामाग्री उपलब्ध हो जाये तो ये शेष पदार्थ जैसे– दूध, अण्डा, मास आदि विक्रय कर कुछ धन भी अर्जित कर सकेगे। इस दिशा मे सतत प्रयास की आवश्यकता है।

कृषि

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातियो मे निकोबारी एव शोम्पेन जनजाति के लोग ही कृत्रिम ढग से बीजारोपण वृक्षारोपण, साग–सब्जियॉ लगाना आदि का काम कर लेते है। अन्य जनजातियो मे ग्रेट अण्डमानी तथा ओगी जनजाति के लोग भी नारियल एव पैडीनस के वृक्षो को अपनी झोपडी के आस–पास लगाते है। जारवा एव सेन्टिनली जनजाति के लोग औपचारिक वृक्षारोपण एव साग–सब्जियो की खेती से काफी दूर है।

निकोबारी जनजाति के लोग अपने घरेलू बगीचे मे जिसे ये "मुईयोम" कहते है, मे विविध प्रकार के रतालू, पैण्डीनस, केला, पपीता एव गन्ना की खेती करतें है। ये नारियल को ,"काओ", पैण्डीनस को ,"लारोप", सुपाडी को "येह", तथा पान के पत्ते को "पानु" कहते है। इनमे से जो सभ्य एव शिक्षित है, वे साग–सब्जियॉ जैसे – बैगन, बीन्स, मूली, भिण्डी, करेला, एव अन्य पत्ती वाली सब्जियो की कृषि घरेलू पैमाने पर करते है। इनमे से कुछ अन्नानास, अमरूद, नीबू, एव आम के भी वृक्ष लगाए हुए है। इसके अलावा ये कटहल एव कसूरिना तथा कई प्रकार के फूल जैसे– जीनिया, गेदा, गुलाब, एव कुमुदिनी के भी पौधे लगाते है। ये लोग सरल ढग से बिना रासायनिक खाद एव कीटनाशको के इन पौधो की खेती करते है। उनकी बागवानी मे सिचाई की भी कोई बहुत भूमिका नही होती। वास्तव मे इनकी बागवानी कृषि स्थानान्तरण प्रकार की होती हैं। जब एक खेत की उर्वरा समाप्त हो जाती है तो दूसरी जगह जगल को काट कर एव उन्हे जलाकर पुन नया खेत तैयार किया जाता है तथा उनमे उपरोक्त पौधो के बीज या पौधे डाले जाते है। इस कार्य हेतु कई तुहेत के लोग एक दूसरे का सहयोग करते है। इनका फसल प्रतिरूप बहुत निश्चित नही है। आवश्यकता अनुसार ये

पौधे बदलते रहते है। ये अपने खेतो की निराई लोहे से निर्मित यत्रो जैसे– साला एव किनरूस द्वारा करते है। कभी–कभी ये अपने खेत के पास एक अस्थाई झोपडी भी बना लेते है। फसलो की बुआई अक्सर जुलाई अगस्त तथा कटाई जिसे स्थानीय भाषा मे "किन नीआन" कहते है, दिसम्बर या जनवरी मे होती है। खेतो की जुताई के लिए ये लकडी के हल एव बैल का प्रयोग करते है।

हाल ही मे कुछ निकोबारी लोग घरेलू स्तर पर धान की भी बुवाई करने लगे है। धान का बीज इन्हे बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र से आये बिहारी लोगो से प्राप्त हुआ और उन्होने इन्हे धान लगाने की प्रेरणा दी। कचाल द्वीप मे चावल की खेती शुरू हो गयी है।

निकोबारी लोग नारियल, पैण्डीनस एव सुपाडी की भी बागवानी करते है। जहाँ पर ये नारियल लगाते है उसे ,"अगल यॉम काओ", कहते है। यहाँ पर पायी जाने वाली मिट्टी नारियल के लिए अति उपयुक्त होती है। नारियल की कृषि अधिकाशत कारनिकोबार, चौरा, तेरेशा, बामपोका, कचाल, कमोर्टा, ट्रिकेट एव नानकौरी द्वीपो मे होती है। छितपुट रूप से यह ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कोण्डूल तथा अण्डमान मे भी पायी जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा भी विविध द्वीपो मे नारियल के बागान विकसित किये जा रहें है (Fig -5 1A & B) नारियल की रोपाई जून से अगस्त तक हो जाती है तथा यह 8–10 वर्ष मे फल देने के लायक होता है। वृक्षो के मध्य की दूरी लगभग 18 फिट के लगभग रखी जाती है। नारियल के वृक्षो के तेज विकास के लिए उनकी जडो के ऊपर ऊँचाई तक मिट्टी चढाई जाती है तथा बगीचे को पेडो की लकडियो एव बॉस की फट्टियो द्वारा घेर दिया जाती है। लेकिन अब बिना घेरे वाले बगीचे, जिन्हे "टाट किन लॉग" कहते है, भी प्राय दिखाई पडने लगे है।

ANDAMAN ISLANDS

Fig. 5.1 (A)

NICOBAR ISLANDS

Fig. 5.1 (B)

लेकिन इनमे सूअरो एव अन्य पशुओ द्वारा हानि पहुँचाने का भय रहता है। अच्छे नारियल के वृक्ष से वर्ष मे लगभग 50 नारियल के फल प्राप्त हो जाते है। विविध उपयोग वाले नारियल फलो को अलग–अलग नामो से जाना जाता है जैसे–"तोसाकुक" पूर्ण रूप से पका फल है जो कोपरा बनाने के काम आता है। चुओल अपेक्षाकृत कम पका होता है, लेकिन इससे तेल निकाला जाता है तथा सूअरो को खिलाया जाता है। "कफूत" चुओल से कम पका होता है तथा चावल, केला, टैपीओका को ऑटे के साथ मिलाकर खाया जाता है। इससे कम पके फल को "ओक" कहते है, जो पीने के काम आता है तथा पाचन क्रिया ठीक रखता है। "कुमो" कच्चा छोटा नारियल होता है, जिसमे गिरी नही होती तथा "सेत" नारियल वृक्ष का रस है, जिससे ताडी बनायी जाती है।

निकोबारी लोग सुपाडी की भी खेती करते है। जहॉ पर सुपाडी का वृक्षारोपण होता है, उस क्षेत्र को "आगल यॉग येह" कहते है। इसकी भी बुवाई जून से अगस्त तक होती हैं तथा एक महीने मे पौध तैयार हो जाती है। समय–समय पर इसकी पीली पत्तियो की छटाई होती रहती है। यह 4–5 वर्षो मे फल देने लायक हो जाता है और एक वृक्ष लगभग 30–40 वर्षो तक फल देता रहता है। फलो की तुडाई अधिकाशत जनवरी से अप्रैल तक होती है। जब फल पीला पड जाता है तो अपने आप गिरने लगता है अथवा पुरूष लोग उसे तोड लेते है। महिलाए एव बच्चे उसका छिलका निकालकर आधे से काट देते है तथा सुखाकर सुपाडी तैयार कर लेते है। पहले तो निजी व्यापारी 15–16 रूपये प्रति किलो की दर से सुपाडी खरीद लेते थे, लेकिन अब अण्डमान निकोबार विकास समिति के हस्तक्षेप से सुपाडी की अच्छी कीमत 40–45 रू0 प्रति किलो तक प्राप्त हो जाती है।

इसी प्रकार निकोबारी लाग पेण्डीनस के वृक्ष की भी रोपाई करते है, जो अधिकाशत जुलाई–अगस्त महीन मे होती है इसका वृक्ष 15–20 वर्षो मे तैयार हो जाता है और लगभग 30 वर्षो तक फल देता रहता है। पैण्डीनस का फल निकोबारियो का प्रिय पदार्थ है तथा अन्य जनजातियो के लोग भी इसे बहुत पसन्द करते है।

शोम्पेन जनजाति के लोग अधिकाशत वृक्ष वाटिका का ही कार्य करते है तथा प्रमुख रूप से पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, केला, मिर्च, तम्बाकू, पान, टेपीओका एव नारियल के वृक्षो की बागवानी तैयार करते है। पैण्डीनस शोम्पेन का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। ये पैण्डीनस की पौध अधिकाशत नदी घाटियो या निचले पठारी भागो मे लगाते है, जहॉ पर इनके विकास हेतु उर्वरा मिट्टी प्राप्त होती है। इनकी बुवाई भी जुलाई–अगस्त मे होती है तथा चार–पॉच वर्ष बाद ये फल देने लगते है। ये मुख्यत दो प्रकार के पैण्डीनस की किस्मे लगाते है–एक किस्म मानसून के समय तथा दूसरी ग्रीष्म ऋतु के समय तैयार हो जाती है, जिससे इन्हे वर्ष पर्यन्त पैण्डीनस का फल खाने को मिलता रहता है। मानसून पैण्डीनस लाल रग का होता है तथा इसकी मुख्य किस्मे सैण्डी पैण्डीनस, पोल पैण्डीनस, रातन पैण्डीनस, मेगापॉड पैण्डीनस, ऐक्सपैण्डीनस, एव क्रेब पैण्डीनस है। ग्रीष्म कालीन किस्म सफेद रग की होती है, जिसमे मुख्य है बौना पैण्डीनस, मुलेट पैण्डीनस एव मिरर पैन्डीनस। ये पैण्डीनस का बागान आपसी सहयोग से पूरे समुदाय के लिए तैयार करते है, जिस पर सभी का समान अधिकार होता है। लेकिन कभी–कभी अपनी झोपडी के पास निजी उपयोग हेतु भी पैन्डीनस का वृक्ष लगा देते है। इस वृक्ष मे पैण्डीनस की पत्ती को एक लकडी द्वारा उसके जड से बॉध दिया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है, यह निजी उपयोग के लिए है जिससे दूसरा उसके फल को नही तोडता। पैन्डीनस के फल

के पक जाने पर पुरूष एव महिलाए उसे तोड लेते हे तथा महिलाए छूरी से उसकी गुठली को निकाल देती है। उसकी गुठली को उबाल लिया जाता है और उसमे से गुदा निकाल लिया जाता है। पूरे गुदे को माडकर एक बडी लोई (4–5 कि0 ग्रा0) बना ली जाता है तथा उसे झोपडी के अन्दर लटका दिया जाता है। यह 20–30 दिन तक खाने योग्य बनी रहती है। इस गुदे का उपयोग ये शहद के साथ सूअर के मास एव मछली खाने मे करते है।[14]

कोलोकैसिया भी सामुदायिक बागानो मे ही लगाया जाता है। शोम्पेन लोग इसकी कन्द को उबालकर खाते है। सूअरो से बचाव के लिए इन बागानो के चारो ओर घेरा डाल दिया जाता है। हरी मिर्च की खेती ये अपनी झोपडियो के पास ही करते है। ये मिर्च को सूअर के मास के साथ उबालकर उथवा सलाद के रूप मे प्रयोग करते है। शोम्पेन लोग छोटी बाटिकाओ मे नीबू की भी खेती करते है तथा पानी मे मिलाकर नीबू के रस को प्रतिदिन पीते है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये सूअर का मास एव मछली उपलब्ध होने पर बहुत ज्यादा खा लेते है तथा पाचन क्रिया ठीक करने के लिए नीबू का उपयोग करते है। नीबू की पौध भी जुलाई अगस्त मे लगायी जाती है तथा 2–3 वर्ष के अन्दर इनमे फल आने लगता है। अधिकाशत नीबू के फल दो मौसमो–वर्षात एव ग्रीष्म मे मिलते है। अत वर्ष पर्यन्त शोम्पेनो को नीबू उपलब्ध रहता है। इसके अलावा शोम्पेन नीबू को निकोबारियो को भी अन्य सामानो के बदले दे देते हैं। शोम्पेन जनजाति के लोग पान एव तम्बाकू के भी शौकीन होते है। अत ये अपनी झोपडी के पास पान की लताए एव तम्बाकू के पौधे भी निजी उपयोग के लिए लगाते है। इन दोनो पौधो की पत्तियॉ ही काम आती है। अत सावधानी पूर्वक इनकी देखरेख की जाती है। चॅूकि यहॉ पर शराब उपलब्ध नही है और न ही ताडी प्राप्त होती है। अत पान

एव तम्बाकू इनके मुख्य शौक एव नशा है। इसे ये चूने मे मिलाकर खाते है। आगन्तुको भी ये पान तम्बाकू भेट करते है।

शोम्पेन लोग तटीय क्षेत्रो मे नारियल का भी बागान तैयार किये हुए है। यद्यपि ये नारियल के पौध खुद तैयार नही करते, बल्कि ये इसे निकोबारियो एव सरकारी सस्थाओ द्वारा प्राप्त करते है। ये धीरे–धीरे नारियल का पानी एव उसकी गिरी का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन अभी भी नारियल इनमे बहुत कम लोकप्रिय है। अत नारियल के वृक्ष इनके आवासो के आस–पास छित–पुट रूप मे ही दिखाई पडते है।

शोम्पेनी जनजाति के लोग यद्यपि स्वय मधुमक्खी पालन नही करते। फिर भी ये शहद का बहुत अधिक उपयोग करते है। इसके लिए ये जगल मे बडे वृक्षो मे अपने दाव से काटकर कोटरा तैयार कर देते है। एक दो महीने के अन्दर मधुमक्खियॉ इन कोटरो को अपने निवास का उपयुक्त स्थल बना लेती हैं तथा यहॉ पर शहद के छत्ते निर्मित कर लेती है। जब छत्ता शहद से भर जाता है, तो शोम्पेनी लोग पेनागा वृक्ष की पत्तियो को छत्तो पर कई बार घुमाते है तथा पत्तियो को चबाकर उसके रस को छत्ते पर थूक देते है। इसकी गध से मधुमक्खियॉ भाग जाती है तथा ये लकडी की बाल्टी मे शहद इकट्ठा कर लेते है। इस प्रकार ये पूरे वर्ष की शहद की खपत हेतु जगलो मे शहद का एकत्रण करते रहते है एव वृक्षो मे कोटरे बनाकर मधुमक्खी पालन मे सहयोग करते रहते है।

ओगी एव ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लोग क्रमश लिटिल अण्डमान एव स्ट्रेट द्वीप मे केन्द्रित हैं। ये लोग अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति एव अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा सरक्षित नारियल के बागानो में मजदूरो के रूप मे काम करते है। लिटिल अण्डमान मे ओगी जनजाति के लोगो से नारियल के

बागानो मे काम लेने वाली एव उन्हे शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाली सस्था ओगी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति है (प्लेट सख्या 12)

इसी प्रकार स्ट्रेट द्वीप मे ग्रेट अण्डमानी जनजाति के लिए भी एक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति बनायी गयी है। ये समितियाँ लिटिल अण्डमान एव स्ट्रेट द्वीपो मे ओगी एव ग्रेट अण्डमानी जनजातियो से नारियल के बागानो मे वृक्षारोपण, खुदाई, वृक्षो पर मिट्टी चढाना, पीली पत्तियो एव फलो की तुडाई, ढुलाई, कटाई आदि कार्यो मे काम लेते है तथा इसके बदले इन्हे खाद्य सामाग्री वस्त्र आदि प्रदान किये जाते है। साथ ही प्रति व्यक्ति रू0 2 50 प्रति नारियल की दर से इनके खाते मे इन समितियो द्वारा जमा किया जाता है। इस प्रकार अभी तक इनके खातो मे 40–50 हजार रूपये जमा हो चुके है। लेकिन इन्हे मुद्रा की जानकारी कम होने से अभी ये इन पैसों के उपयोग से वचित है। शिक्षित एव सभ्य हो जाने पर सरकार इन्हे यह मुद्रा वापस कर देगी या इनके व्यक्तिगत खर्च जैसे आवास, वस्त्र आदि मे खर्च करेगी। इन नारियल बागानो मे काम करते रहने से अब इन्हे भी नारियल के पौधे लगाने एव देख–भाल करने की जानकारी प्राप्त हो गयी है। अत मुख्य भोजन होने के कारण अब ये भी नारियल एव पैन्डीनस के वृक्ष अपनी झोपडी के आस–पास लगाने लगे है। इसके अलावा ये अन्य किसी प्रकार की कृषि या फसल उगाना नही जानते।

जारवा जनजाति एव सेन्टिनली जनजाति के लोग अभी–भी शिकारी एव एकत्रण जैसी पाषाण कालीन आदिम स्थिति मे है। अत इन्हे बागवानी एव फसल उगाने जैसे कार्यों की बिल्कुल जानकारी नही है। सरकार द्वारा जारवा जनजाति के लोगो को वृक्षारोपण सिखाने हेतु कई बार नारियल की पौध प्रदान की गयी। लेकिन उन लोगो ने इसका न तो रोपण किया और नही उससे कोई

लाभ प्राप्त किया। सेन्टिनली जनजाति के लोग भी पूर्ण आदिम अवस्था मे है जिनसे अभी तक कोई सम्पर्क नही हो सका है। अत वे भी कृषि एव बागवानी जैसे कार्यों से काफी दूर है।

उद्योग एव व्यापार:

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो मे सर्वाधिक सभ्य एव शिक्षित निकोबारी जनजाति के लोग ही है। सरकारी प्रयास एव निकोबारी जनजाति के सम्पर्क मे रहने के कारण कुछ शोम्पेन भी बाहरी लोगो से सम्पर्क कर कुछ सुधरने लगे है। ओगी एव अण्डमानी जनजाति के लोग नारियल के बागानो मे विविध प्रकार के कार्य करते हुए थोडा बहुत सुधरने लगे है। लेकिन जारवा एव सेन्टिनली जनजाति के लोग आज भी शिकार एव एकत्रण जैसी आदिम अवस्थाओ मे ही है। अत इन जनजातियो मे वर्तमान उद्योगो को लगाने एव चलाने हेतु न तो शिक्षा–दीक्षा एव ज्ञान है और न ही इनके पास पूँजी, तकनीकी, ससाधन आदि है। इस प्रकार इनके उद्योग एव व्यापार का विश्लेषण वर्तमान अद्यौगिक एव व्यापारिक परिदृश्य के सदर्भ मे न होकर पिछडी आदिम जनजातीय अर्थव्यवस्था के सदर्भ मे किया गया है।

अण्डमान–निकोबार द्वीप मे अनेक प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, कन्द–मूल जगली जानवर, समुद्री जीव अनेक प्रकार की समुद्री वस्तुए आदि पायी जाती है। इनके आधार पर कुछ जनजातीय समूहो ने विविध प्रकार की वस्तुओ को निर्मित करने मे कुशलता प्राप्त की है। ये वस्तुए विविध उपयोग की है तथा अण्डमान निकोबार द्वीप में आने वाले पर्यटक भी इनके प्रति आकर्षित हो रहे है। अत इन वस्तुओ के निर्माण एव विपणन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ है। निकोबारी जनजाति सभ्य एव शिक्षित होने के कारण अब धीरे–धीरे इसका लाभ लेने लगी है। शिक्षा–दीक्षा एव जागृति के अभाव के कारण

अन्य जनजातियॉ अत्यन्त पिछडी एव आदिम अवस्था मे है। अत उनमे इन कार्यों का कोई स्वरूप प्राप्त नही होता।[15]

अण्डमान–निकोबार द्वीपो मे नारियल वृक्ष के विकास हेतु उपयुक्तम दशाये उपलब्ध है। परिणामस्वरूप यह यहॉ बडे पैमाने पर उगाया जा सकता है और इसके लिए सतत् प्रयास भी चल रहा है। निकोबारी लोग अपने नारियल बागान तैयार कर रहे है तथा सरकार भी अपने बागानो के माध्यम से इस उद्योग हेतु उन्हे प्रेरित कर रही है। निकोबारी जनजाति के लोगो द्वारा नारियल की कृषि अच्छे स्तर पर की जाती है, जिससे नारियल के विविध उत्पादो के विक्रय से इनमे कुछ उद्यमिता विकसित हो रही है। नारियल की पत्तियो, फलो, गिरी, आदि के विक्रय द्वारा इन्हे अच्छा पैसा मिल जाता है। पत्तियो से झाडू एव चटाई, नारियल के जूट से गद्दे, डोरी चटाई एव फुटरेस्ट, कच्चे नारियल फल से पेय एव सूअरो का चारा तथा उसकी गिरी से तेल एव औषधि निर्माण आदि औद्योगिक कार्य सम्पादित किये जाते है। धीरे–धीरे इन वस्तुओ का उपयोग राष्ट्रीय एव अर्न्तराष्ट्रीय बाजारो मे बढता जा रहा है। परिणाम स्वरूप नारियल की कृषि मे विस्तार की सभावना बढती जा रही है। इसीलिए निकोबारी लोग भी नारियल की कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे है। यहॉ सर्वाधिक नारियल कार निकोबार, ट्रिकेट, कचाल, आदि द्वीपो मे होता है। ग्रेट निकोबार एव अण्डमान द्वीपो मे भी नारियल उगाया जाने लगा है। यहॉ से नारियल के व्यापार का पूरा सचालन इलोन हिलेन लिमिटेड (E.H.L) निकोबार द्वारा होता है। यह सस्था गुजराती व्यापारी जाडवेट द्वारा यहॉ स्थापित की गयी थी । यहॉ से नारियल सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यापार इसी सस्था द्वारा सम्पादित होता है।

निकोबारियों का दूसरा उद्यम सुपाडी का विक्रय है। इनके पास सुपाडी के भी बागान है जिनका सम्पूर्ण सचालन

एव विक्रय उपरोक्त सस्था द्वारा ही होता है। सुपाडी की गिरी 40–45 रूपया प्रति किग्रा0 की दर से बिकती है, जो इन्हे अच्छा पैसा दे देती है। यहाँ से भारी मात्रा मे सुपारी का निर्यात किया जाता है।

निकोबारी लोग अपने घरेलू खपत के अलावा भी अब इन्जन चालित नावो एव अच्छी जालो एव लाइनर द्वारा समुद्री क्षेत्र मे विविध प्रकार की मछलियाँ प्रभूत मात्रा मे पकडते है। भारत मुख्य भूमि मे इनकी अच्छी माँग है। अत निकोबारी लोग इन मछलियो का निर्यात एव विक्रय कर अच्छा पैसा कमाते है। निर्यात होने वाली मुख्य मछलियो मे सार्डीन, एचोवीज, बैराकुडा मीन, डोराव, मैकरेल, बॉगडा, टुनी मुलेट, सिल्वर, बेली, शार्क, झीगा, कानेक्स, हिल्सा आदि है।

निकोबारी लोग विविध प्रकार की इमारती लकडियो–पैडाक, गर्जन, चुई आदि से नौकाओं का भी निर्माण करते है। कचाल द्वीप के लोग नौका निर्माण मे कुशल माने जाते है। इसके बाद कारनिकोबार, चौरा एव कोकुल द्वीप के लोग भी अच्छी नौकाए बनाते है। ये अब दूसरे लोगो को भी नौकाए बेचते है। इनकी नौकाए मुख्यत तीन प्रयोजनो के लिए होती हैं[16] जो निम्न है– (1) मछलियाँ पकडने के लिए (2) अन्तरद्विपीय यातायात के लिए एव (3) नौका दौड के लिए। निकोबारी जनजाति के लोग अस्त्र कला मे भी कुशल है। आदि काल से ही इन लोगो मे अस्त्रो का प्रयोग होता रहा है। ये विविध प्रकार के अस्त्र लोहे से तैयार करते है। ये बहुत ही खतरनाक एव भयकर प्रकार के अस्त्र जैसे धनुष–तीर, भाला, हारपून आदि बनाते है तथा अन्य जनजातियो एवं लोगो को भी विक्रय करते हैं।

चौरा द्वीप मे विविध प्रयोजनो हेतु चौडे मुह वाले अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं। ये बर्तन 9–10 इच से लेकर 27–28 इच तक होते है। ये चावल एव मास पकाने,

मछलियॉ बनाने, पानी गरम करने एव अण्डे रखने एव उबालने, साग–भाजी बनाने आदि के काम आते है। निकोबारी एव अन्य द्वीपो के लोग भी जाकर वहॉ से बर्तन खरीदते है, जिससे इन्हे अच्छी आय हो जाती है। इसके अलावा निकोबारी लोग अनेक प्रकार की घरेलू वस्तुए जैसे– कुर्सिया, मेज, चारपाई, डलिया, टोकरियॉ, चटाइयॉ तथा अनेक कला वस्तुए विशेष रूप से समुद्री शखो एव कौडियो से बनाते है। इनमे शख, माला, आभूषण, झालर, टेबल लैम्प आदि मुख्य है। इसके अलावा निकोबारी जनजाति के लोग शिक्षित एव सभ्य होने के कारण अनेक सरकारी नौकरियो जैसे–अध्यापक, डाक्टर, कम्पाउण्डर, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार आदि के रूप मे लग गए है, तथा धीरे–धीरे अण्डमान–निकोबार के प्रत्येक भाग एव भारत मुख्य भूमि मे भी जाने लगे है। इन्हे भारतीय सेना मे प्रवेश पाने की भी सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा ये नाई, धोबी, मोची, बढई, दर्जी अदि का भी कार्य करते है और उससे भी इनकी आय होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निकोबारी जनजाति के लोगो मे उद्यमिता एव व्यापार की प्रवृति धीरे–धीरे विकसित हो रही है, जिससे उनके क्रिया कलाप का भी विविधीकरण एव विस्तार हो रहा है।

शोम्पेन जनजाति के लोगो में उद्यमिता का आभाव है। यद्यपि ये भी विविध प्रकार के कार्य जैसे–पैण्डीनस, कोलोकैसिया, नीबू, मिर्च, पान, एव तम्बाकू के वृक्ष एव पौधे लगाते है। साथ ही विविध प्रकार के जानवरो एवं समुद्री जीवों का शिकार तथा जगलो से शहद का एकत्रण करते है। लेकिन शिक्षा एव जानकारी के आभाव के कारण इनमे उद्यमिता एव व्यापार की प्रवृति विकसित नही हो सकी है। भोजन प्राप्त कर लेने के बाद ये आत्म केन्द्रित हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से सम्पर्क नही रखना चाहते। इसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था मात्र इनके भोज्य पदार्थो की आपूर्ति तक ही सीमित

है। घरेलू खपत से अधिक यदि कोई वस्तु उपलब्ध है, तो ये निकोबारी जनजाति से किसी अन्य वस्तु के लिए बदल लेते है। इस तरह इनकी वस्तु–विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था है। ये निकोबारियो को पैडीनस के फल, नीबू, एव शहद देते है तथा इसके बदले उनसे अस्त्र, कुत्ते, दॉव, तम्बाकू, ताडी आदि प्राप्त करते है।

ओगी जनजाति के लोग भी पूर्णतया आदिम स्थिति मे है तथा अशिक्षित एव असभ्य है। अत इनमे भी उद्यमिता एव व्यापारिक प्रवृति का आभाव है लेकिन ये लोग अपने विविध प्रयोजनो हेतु अस्त्रो, यत्रो, पात्रो एव नावो का स्वय ही निर्माण करते है। इनकी नावे अच्छी, ठोस, लम्बी एव गहरे समुद्रो मे जाने लायक होती हैं। कारीगरी की दृष्टि से भी ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन अभी तक ओगियो की किसी भी वस्तु का व्यापारिक महत्व नही है और न ही इनका किसी प्रकार का विनिमय होता है।

इसके अलावा ग्रेट अण्डमानी, जारवा एव सेटिनली जनजाति के लोग भी आदिम एव असभ्य है, जिससे उनमे भी उद्यमिता एव व्यापार का आभाव है। ये लोग भी अपने जरूरत की लगभग सभी वस्तुए जैसे–अस्त्र, पात्र, झोपडी आदि स्वय ही निर्मित करते है। लेकिन इनमे से किसी का आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व नही है। सरकार, स्थानीय प्रशासन, विविध प्रकार की समितियॉ एव स्वैच्छिक सगठन विविध द्वीपो पर अपने कार्यालय स्थापित किये है तथा उपरोक्त पॉचो आदिम जनजातियो को वर्तमान विश्व की वस्तुओं, रहन–सहन, शिक्षा, सस्कृति, व्यापार, प्रतियोगिता आदि से परिचित कराने हेतु सतत् सलग्न एव प्रयत्नशील है। लेकिन अभी तक इस दिशा मे इन्हे कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नही हुई है। फिर भी यदि ये प्रयास ईमानदारी से लगातार जारी रहे , तो निसदेह अगले दस वर्षो मे इस दिशा मे सफलता प्राप्त हो सकती है।

सदर्भ सूची

1 Mishra, B N & Shukla V 1999 Tribal Development in India Retrospect and Prospect, in The Tribal Scene in Jharkhand
2 Ibid P 25
3 Ibid P 25
4 Justin, A 1990 The Nicobarese, Sea Gull Books, Culcutta, P 80
5 Awaradi, S.A 1990 Master Plan, Andaman & Nicobar Administration P 58
6 Sarkar, J 1990 The Jarwa, Sea Gull Books, Colcutta, P 21
7 Bose, S 1984 Economy of the Onge of Little Andman in Island Culture of India, Reddy, G P & Sudarsan, V. P.64.
8 Pandit, T N 1990 The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta, P P 18-20
9 Nandan, A P 1993 The Nicobarese of Great Nicobar, Gyan Publishing House, New Delhi, P 38
10 Sarkar, J 1990 The Jarwa, op cit P 23
11 Bose, S 1984 Island Culture of India, op cit P.65
12 Pandit, T N 1990 The Sentinelese, Sea Gull Books, Culcutta, P P 18-20
13 Bose, S 1984 Island Culture of India, op cit P 72
14 Awaradi, S A 1990 Master Plan, op.cit P 54.
15 Mishra, B.N & Shukla, V. 1999 . op.cit. P.25
16 Singh, R P 1982 · Andman & Nicobar Islands, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi, P.116

अध्याय –6

जनजातीय विकास : विवरण एव समस्यायें

प्रस्तावना

हजारो वर्षों तक विविध प्रकार की भारतीय जनजातियाँ, देश के अनेक पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे, मैदानी क्षेत्रो की आधुनिक सभ्यता एव चमक–दमक से दूर पूर्ण पृथकता मे ही जीवन यापन करती रही है।[1] भौतिक एव सास्कृतिक पृथकता मे ही जनजातीय जनसख्या एव सस्कृति का विकास हुआ। यद्यपि इनकी सस्कृति मे कोई गुणात्मक विकास नही हुआ। फिर भी इन्होने अपने समाज एव सस्कृति को बाहरी आक्रमण से बचाये रखा। गुहा के अनुसार[2] पूर्ण पृथकता मे कभी प्रगति एव विकास नही हो सका बल्कि इससे स्थिरता एव विनाश ही हुआ है चाहे वे जानवर रहे हो अथवा मानव। मानव समाज का इतिहास यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि विश्व मे सर्वत्र सभ्यताओ का निर्माण विविध वर्ग के लोगो के आपसी सपर्क एव अन्तर्क्रिया द्वारा हो सका है और यही सभ्यता की प्रगति हेतु प्रमुख सचालक शक्ति रही है। प्रारम्भ मे कुछ इसाई धर्म प्रचारको, हिन्दू समाज के लोगो एव व्यापारियो के माध्यम से विविध क्षेत्रो मे जनजातियो से सम्पर्क होना प्रारम्भ हुआ। लेकिन आदिम जनजातियाँ अब भी बाहरी लोगो के सम्पर्क से दूर थी। स्वतत्रता के पश्चात् भारत सरकार के प्रयासो से विविध क्षेत्रो में रहने वाली जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु प्रयास प्रारम्भ हुआ। परिणामस्वरूप भारतीय मुख्य भूमि तथा अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय क्षेत्रो मे अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम सचालित किए गए। विकास कार्यक्रमो एव योजनाओ के माध्यम से मानवशास्त्रियो , प्रशासको, समाजसुधारको, एव धर्मप्रचारको का प्रवेश जनजातीय क्षेत्रो में बढने लगा। साथ ही अनेक विकास कार्यों जैसे – सडक निर्माण, प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र आदि से सम्बन्धित अधिकारियो एव सस्थाओं की स्थायी स्थापना भी इन क्षेत्रो मे कर दी गयी। प्रारम्भ मे ऐसा प्रतीत हुआ कि इन विकास कार्यक्रमो के माध्यम से भारतीय

मुख्य भूमि एव अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक विकास मे आशातीत सफलता मिलेगी। लेकिन लगभग 50 वर्षों के विकास कार्यों पश्चात् उन्हे कुछ शिक्षा एव स्वास्थ्य की सुविधाए, खाने–पीने की सामग्री, कपडे एव बर्तन आदि तो प्राप्त हो गए है, लेकिन उनकी जनसख्या में निरन्तर ह्रास, पारिवारिक विघटन, नई बिमारियो के प्रकोप, सास्कृतिक विशिष्टता का विनाश, अवरोधक क्षमता का ह्रास, आदि जैसी नई समस्याए उत्पन्न होने लगी है, जो हमे अपने विकास कार्यक्रमो का पुनरावलोकन करने हेतु विवश करती है।[3] प्रस्तुत अध्याय मे अण्डमान–निकोबार की जनजातियो के विकास हेतु सचालित कार्यक्रमो एव योजनाओ का विवरण खण्ड–अ मे तथा उनकी प्रमुख समस्याओ का विवेचन खण्ड–ब मे किया गया है।

विकास उपागम :

अनेक मानवशास्त्रियो, नियोजको, प्रशासको, एव समाजशास्त्रियो ने जनजातीय समस्याओ को विविध दृष्टिकोणो एव सदर्भ मे देखने का प्रयास किया है। इन दृष्टिकोणो एव उपागमो को निम्नलिखित पॉच भागो मे विभक्त किया जा सकता है।

(1) यथा स्थिति एव पुनरूत्थानवाद उपागम।

(2) पृथकतावाद एव परिरक्षण उपागम।

(3) स्वागीकरण एव समन्वयन उपागम।

(4) विकास उपागम।

(5) सामाजिक अभियात्रिकी उपागम।

प्रथम उपागम के अर्न्तगत इस तथ्य पर बल दिया जाता है, कि जनजातियो से बाहरी लोगो के सम्पर्क को प्रतिबन्धित कर दिया जाय, तथा जनजातीय क्षेत्रो मे बाहरी लोगो के प्रवेश को भी बन्द किया जाय। इससे विविध प्रकार की जनजातियों की यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी सास्कृतिक पहचान यथावत रहेगी तथा वे अपने पर्यावरण मे मुक्त रूप से अपने आप ही विकसित होते रहेगे। इस उपागम की अनेक आलोचनाए हुई है। क्योकि आज की

विकसित होती हुई मानव सभ्यता के परिप्रेक्ष्य मे जनजातीय मानव वर्ग को विकास प्रक्रिया मे उसके हिस्से से वचित करना महान अपराध होगा।

दूसरा उपागम भी पहले के ही समान है तथा यह भी जनजातियो के भौतिक एव सास्कृतिक पृथकत्व को परिरक्षित करने पर बल देता है। वेरियर एल्विन[4] ने इसे "नेशनल पार्क सिद्वान्त" कहा है, जो उन्होने वैगा एव गोड जनजातियो के सन्दर्भ मे प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार जनजातीय क्षेत्रो को जीव–जन्तुओ के अभयारण्य के समान चारो ओर से घेर देना चाहिए तथा बाहरी लोगो का प्रवेश पूर्ण रूप से बन्द कर देना चाहिए, जिससे वे अपने क्षेत्र एव पर्यावरण मे पूर्ण स्वतत्रता एव प्रसन्नता के साथ विचरण कर सके। इसकी भी आलोचना अनेक विद्वानो ने की है।

तीसरे उपागम को काफी लोगो ने स्वीकार किया और इस उपागम का शुभारम्भ स्वतत्रता के पश्चात् मानवतावादी विकास नीति के अर्न्तगत किया गया। इसके अर्न्तगत भारतीय जनजातियो की समस्याओ को भौतिक एव सास्कृतिक पृथकता का परिणाम माना जाता है। अत उसका समाधान करने हेतु विविध जनजातीय वर्गों एव समूहो को निकटवर्ती गैर जनजातीय समूहो से सम्पर्क स्थापित करने एव उनसे आदान–प्रदान का व्यवहार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे–धीरे विविध जनजातीय वर्ग अपने निकटवर्ती गैर जनजातीय मानव समुदायो से घुल–मिल जायेगे एव उनमे समन्वय स्थापित हो जायेगा, जिससे कालान्तर मे जनजातियो को भी वर्तमान आर्थिक–सामाजिक विकास का लाभ मिल सकेगा।[5] भारत मुख्य भूमि की अनेक जनजातियो एव अण्डमान–निकोबार द्वीप की कुछ जनजातियो के सम्बन्ध मे यह प्रयास हुआ। लेकिन अब इसके लाभ कम एव हानि ज्यादा दिखाई पड रही है। क्योकि गैर जनजातीय लोग इनका सामाजिक–आर्थिक शोषण करने लगे है।

चौथा विकास उपागम जनजातियो को देश की मुख्य विकास धारा से जोडने पर बल देता है। इसके अर्न्तगत जनजातियो को सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया से जोडने हेतु जनजातीय क्षेत्रो मे आधारभूत सुविधाओ का समुचित प्रावधान करना आवश्यक है।[6] एतदर्थ इन क्षेत्रो मे अल्पकालिक एव

दीर्घकालिक नियोजन द्वारा मार्गों का निर्माण, विद्यालय एव कालज, अस्पताल, लोक सस्थाएँ, छोटा बाजार आदि की स्थापना करना उपयुक्त एव लाभकरी कदम माना गया है। लेकिन जिन जनजातीय क्षेत्रो मे ये सुविधाए प्रदान की गयी है, उन जनजातियो को न तो इसका लाभ ही मिल सका है और न ही उनकी समस्याओ का समाधान ही हुआ है। बल्कि इससे कुछ नई समस्याए उत्पन्न हो गयी है।

सामाजिक अभियात्रिकी उपागम के अर्न्तगत जनजातीय क्षेत्रो हेतु उनकी सामाजिक–राजनैतिक इच्छाओ की सतुष्टि एव विकास तथा उनके सामाजिक उन्नयन हेतु ऐसे सतुलित कार्यक्रमो के निर्माण पर बल दिया जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र के जनजातीय एव गैर जनजातीय दोनो मानव वर्गों का सम्यक विकास हो तथा उन दोनो मे कोई विरोधाभास या प्रतियोगिता न विकसित हो।

खण्ड –अ

जनजातीय विकास विवरण .

भारतीय जनजातियो के विकास हेतु स्वतत्रता के पश्चात् अनेक प्रयास किए गए, जिनमे मुख्य है–(1) विशेष बहुउद्वेश्यीय जनजातीय विकास खण्ड (2) जनजातीय विकास खण्ड (3) जनजातीय उपयोजना एव (4) वृहद–स्तरीय बहुउद्वेश्यीय समितियॉ। अण्डमान–निकोबार द्वीपो मे विविध जनजातियो के विकास कार्यक्रमो का निर्माण एव क्रियान्वयन जनजातीय उप–योजना द्वारा सम्पादित होता है। भारत सरकार ने आदिम जनजातियो के कल्याण हेतु पोर्टब्लेयर मे एक स्वायत्तशासी सस्था, जिसे अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति कहते है, की स्थापना किया है। इस प्रकार अण्डमान एव निकोबार द्वीप की जनजातियो से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमो एव कल्याण योजनाओ का निर्माण एव क्रियान्वयन, जनजातीय उप–योजना एव अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा किया जाता है। इन दोनो सस्थाओ द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमो का सक्षिप्त मूल्याकन निम्न है।

(1) जनजातीय उप–योजना

पॉचवी पचवर्षीय योजना मे विविध जनजातीय क्षेत्रो एव वर्गो की विशिष्ट समस्याओ पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया । घनी आबादी एव विरल आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रो की समस्याओ मे अन्तर होने के कारण उनके लिए अलग प्रकार की योजना बनाने का सुझाव दिया गया और इसी के अर्न्तगत पॉचवी पचवर्षीय योजना मे जनजातीय उप–योजना को सचालित किया गया। इसके अर्न्तगत 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रो तथा विरल जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रो हेतु योजना लक्ष्यो एव योजना नीतियो मे वाछित परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया। आदिम जनजाति वाले क्षेत्रो को विशिष्ट वर्ग मे रखा गया तथा इनके लिए अलग प्रकार की योजना का प्रावधान किया गया है। उप–योजना के अर्न्तगत प्रत्येक राज्य के जनजातीय क्षेत्रो मे विविध प्रकार की अनेक परियोजनाए सचालित की गयी। इन सभी को सयुक्त रूप से समन्वित जनजातीय परियोजना की सज्ञा दी गयी।[7] जनजातीय उप–योजना के दो दीर्धकालिक उद्देश्य थे – (1) जनजातीय क्षेत्रो एव अन्य क्षेत्रो के विकास स्तर के अन्तराल को धीरे–धीरे न्यूनतम करना तथा (2) जनजातीय समुदायो के जीवन मे गुणात्मक सुधार करना।

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की आदिम जनजातियो वाले क्षेत्रो को विशिष्ट वर्ग मे रखा गया तथा छठवी पचवर्षीय योजना से लेकर आज तक विविध क्षेत्रो से सम्बन्धित परियोजनाओ हेतु समय–समय पर राज्य योजना व्यय से जनजातीय उपयोजना हेतु भी धन आवटित किया गया। जनजातीय उप–योजना के दो प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए –(1) सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रो का सामाजिक–आर्थिक विकास तथा (2) जनजातीय परिवारो का विकास। उपरोक्त के सदर्भ मे नवी पचवर्षीय योजना (1997–2002) मे अण्डमान–निकोबार के सम्पूर्ण योजना व्यय (रू0 153500 लाख) मे से रू0 21364 5 लाख (13 9%) जनजातीय उप–योजना के अर्न्तगत विविध परियोजनाओ हेतु निर्धारित किया गया। वर्ष 2001–2002 हेतु निर्धारित इस केन्द्रशासित प्रदेश के

परिवहन बन्दरगाह एव प्रकाश स्तम्भ	4100 00	402 87	9 82		900 00	112 75	12 52	–
जल परिवहन	39315 00	12643 50	32 15		4800 00	464 00	9 66	–
सडक एव पुल	7980 00	400 00	5 01		5675 00	185 00	3 25	–
नागरिक उड्डयन	2821 00				1900 00			–
सडक परिवहन	820 00	95 00	11 58		292 00	40 00	14 04	–
	55036 00	13541 37	24 60		13567 00	802 75		–

स्रोत – नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति

इस स्वायत्तशासी सस्था की स्थापना भारत सरकार द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियो के विकास हेतु की गयी थी। यह सस्था सीधे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा इसका केन्द्रीय कार्यालय पोर्टब्लेयर मे स्थित है। जहॉ से यह आदिम जनजातियो से सम्बन्धित विविध कल्याणकारी कार्यक्रमो का क्रियान्वयन, सचालन एव निरीक्षण करती है। इस संस्था के अर्न्तगत नवी पचवर्षीय योजना काल (1997–2002) मे जनजातीय विकास हेतु रू0 496 95 लाख आवटित किया गया, जिसमे वर्ष 2000–2001 हेतु रू0 82 4 लाख, तथा वर्ष 2001–2002 हेतु रूपया 113 लाख निर्धारित किया गया। नवी पचवर्षीय योजना का इस सस्था द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय व्यय पॉच आदिम जनजातियो– शोम्पेन, ओगी, ग्रेट अण्डमानी, जारवा एवं सेटिनली के विकास से सम्बन्धित विविध परियोजनाओ पर किया जाना था। इस सस्था के वित्तीय व्यय के विविध जनजातियो एव विविध क्रियाकलापों हेतु धन के आवटन का विवरण सारणी सख्या 6 2 मे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक वित्तीय व्यय रू0 138 लाख का लक्ष्य ओगी जनजाति के कल्याणार्थ, तथा सबसे कम (रू0 58 4 लाख) जारवा एव सेन्टिनली आदिम जनजाति के कल्याणार्थ निर्धारित किया गया। इसी प्रकार निर्माण कार्य हेतु रू0 33 लाख, स्थापना हेतु 32 4 लाख तथा अन्य कार्यो हेतु रू0 39 लाख के व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

सारणी सख्या 6.2

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा जनजातियों के विकास हेतु धन आवन्टन का विवरण

क्र0 स0	परियोजना	9वी योजना 1997–2002	वर्षिक योजना 2000–2001	वर्षिक योजना 01–02			
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य		खर्च	
1–	शोम्पेनो के लिए कल्याण कार्यक्रम	84 05	10 05	17 00	A	प्रतिष्ठान	32 40
2–	ओगी के लिए कल्याण कार्यक्रम	138 00	24 50	25 95	B	इमारत	33 00
3–	ग्रेट अण्डमानियो के लिए कल्याण कार्यक्रम	83 40	14 10	13 25	C	अनुदान	00 00
4–	जारवा एव सेन्टिनली के लिए कल्याण कार्यक्रम	58 40	13 05	31 60	D	मशीन एव फर्नीचर	8 50
5–	ए0ए0 जे0वी0 एस0 के रख रखाव पर खर्च	133 10	21 15	25 20	E	अन्य	39 10
	योग	496 95	82 85	113 00			

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उपन्योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

जनजातियो को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्रिया कलाप ·

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो के विकास हेतु जनजातीय उप–योजना एव अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के अर्न्तगत अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम सचालित किए गए है, जिनमे प्रमुख कार्यो का सक्षिप्त उल्लेख निम्न है।

1. पुनर्वास कार्यक्रम

अण्डमान–निकोबार द्वीप की विविध जनजातियो के सतुलित विकास हेतु प्रशासन ने विविध जनजातीय समूहों को अपने मूल क्षेत्रों से दूर किसी दूसरें जगली एव पर्वतीय प्रदेशो मे फिर से बसाने का कार्यक्रम सचालित किया। इसका मुख्य उद्देश्य पडोसी विभिन्न जनजातियों को एक दूसरे से पृथक करना तथा उनके मुक्त विकास हेतु एक अलग एव मुक्त क्षेत्र प्रदान करना था,

जिससे पडोसी जनजातियो मे सघर्ष एव झगडे न हो तथा उन्हे अलग–अलग क्षेत्रो मे जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके। इस नीति के क्रियान्वयन के रूप मे ग्रेट अण्डमानी जनजाति को दक्षिण अण्डमान से विस्थापित कर स्ट्रेट द्वीप पर पुनर्वासित किया गया तथा ओगी जनजाति के लोगो को लिटिल अण्डमान मे दो वर्गो मे विभाजित कर डिगागक्रीक एव साउथ बे क्षेत्रो मे बसाया गया। इसी प्रकार कुछ पिछडे निकोबारियो को निकोबार द्वीप से हटाकर लिटल अण्डमान के हरमिदर बे क्षेत्र मे बसाया गया। इस प्रकार ये जनजातियॉ नए क्षेत्रो एव पर्यावरण मे जीवन निर्वाह हेतु कठिनाई महसूस कर रही है। श्रीवास्तव[9] के अनुसार स्ट्रेट द्वीप मे ग्रेट अण्डमानी जनजाति आज तक भी बदली हुई परिस्थिति एव पर्यावरण से अपने को पूर्ण समायोजित नही कर पायी है तथा उस पर प्रशासको द्वारा एक परजीवी जीवन शैली अनावश्यक रूप से थोपी जा रही है। अपने मूल स्थान को छोडने तथा नए क्षेत्र मे प्रवेश करने से उन्हे खान–पान सम्बन्धी विविध प्रकार के जीव–जन्तुओ एव वनोत्पादो की पूरी जानकारी भी नही हो पा रही है, जिससे उनके भरण पोषण मे भी कठिनाई होती है साथ ही नए क्षेत्रो मे वे नई विमारियो एव सकटो का सामना भी करते है। टामस हेडलैण्ड[10] के अनुसार आदिम जनजातियो को अपने मूल क्षेत्र से विस्थापित करना मानवाधिकार सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्र सघ की सार्वभौमिक घोषणा 1997 की धारा 17 का उल्लघन है। इस प्रकार का कोई भी प्रयास मानवाधिकार का हनन माना जाता है तथा इससे आदिम जनजातियो के पूर्ण विनाश का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

2. उत्सस्करण कार्यक्रम :

जनजातीय उप–योजना एव अण्डमान जनजातीय विकास समिति के अर्न्तगत विविध जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उन्हे अनेक शैक्षिक एव सास्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभ्य एव सुसस्कृत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वे देश की मुख्य धारा मे शामिल हो सके। इस हेतु उन्हे स्थायी जीवन शैली, स्थायी कृषि, पशुपालन, शिक्षा आदि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम प्रदान किये जा रहे है। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने

हेतु अनेक सस्थाए जैसे – प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक झोपडी, स्वास्थ्य केन्द्र, आदिबसेरा, बहुउद्देश्यीय सहकारी–समितियॉ आदि अनेक जनजातीय क्षेत्रो म स्थापित की जा रही है। जनजातियो के परिष्करण परिवर्तन एव उन्हे सभ्य बनान के ये तरीके बहुत दिनो से अपनाए जा रहे है। लेकिन अभी तक इसमे अपेक्षित सफलता नही मिल पायी है। बल्कि इसके विपरीत इन कार्यक्रमो ने जनजातीय लोगो को सुस्त एव किकर्तव्यविमूढ बना दिया हे। वे न तो पुरानी जीवनशैली छोड पा रहे है और न तो नई जीवन शैली अपना पा रहे है।

3 वनीकरण कार्यक्रम

जनजातीय क्षेत्र विविध प्रकार की इमारती लकडियो एव अनेक प्रकार के मूल्यवान वनोत्पादो से सम्पन्न है, जिसका विस्तृत विवेचन अध्ययाय–2 मे किया जा चुका है। इन ससाधानो का दोहन एव उपयोग करने हेतु सरकार ने परिपक्व इमारती लकडियो को काटने एव अन्य वनोत्पादो का शोषण करने हेतु अनेक कार्यक्रम सचालित किये है। अनेक स्थानो पर कई आरा मिले स्थापित की गयी है। दूसरी ओर जगली क्षेत्रो मे इमारती लकडियो के उत्पादन हेतु नए क्षेत्रो को आरक्षित कर उनमे वनीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन क्रिया–कलापो के कारण प्रशासनिक एव वन विभाग के अधिकारियो एव अन्य बाहरी लोगो का जनजातीय क्षेत्रो मे प्रवेश हो रहा है, जिससे उनके स्वतत्र जीवन एव रहन–सहन पर भारी दबाव पड रहा है तथा उनकी जीवन शैली भी बाहरी लोगो के सम्पर्क के माध्यम से विनष्ट हो रही है। बाहरी लोग उन्हे देते कम है, लेकिन उनका शोषण अधिक करते है। जारवा, शोम्पेन, ग्रेट अण्डमानी, ओगी, जनजातियॉ इससे काफी प्रभावित हुई है।[11]

4 आधारभूत सुविधाओं का प्रसार :

जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु जनजातीय क्षेत्रो मे अनेक आधारभूत सुविधाओ जैसे–सडक, उर्जागृह, पाठशाला, एव अन्य प्रकार के निर्माण कराये जा रहे है। इनके द्वारा भी जनजातीय वर्गो एव क्षेत्रो का जीवन एव अस्मिता खतरे मे है। जनजातीय लोग इसे अपने जीवन मे

अनावश्यक बाधा एव समस्या के रूप मे देखते है, और यही कारण है कि वे इन कार्यक्रमो से सम्बन्धित अधिकारियो एव कर्मचारियो से सघर्ष करते है, इन क्रियाकलापो का विरोध करते है तथा कभी–कभी उन्हे मार भी डालते है। जारवा आदिम जनजाति के क्षेत्र मे अण्डमान ट्रक रोड के निर्माण से ऐसी समस्या उत्पन्न हो गयी है, तथा जारवा लोगो ने अभी तक 65 लोगो की हत्या कर डाली है। ये लोग अधिकाशत पूर्णिमा की रात्रि मे बाहरी लोगो के ऊपर आक्रमण कर उन्हे मार डालते है तथा उनके सामानो को लूट ले जाते है। इसीलिए शेखर सिह आयोग की सस्तुतियो के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अण्डमान–निकोबार प्रशासन को अण्डमान ट्रक रोड को बद करने का निर्देश दिया है। यद्यपि अभी इस पर कार्य नही प्रारम्भ हुआ है।[12] यही स्थिति सेटिनली जनजाति की भी है और यही कारण है कि अभी भी उनसे कोई सम्पर्क नही हो सका।

5. जीवनशैली सुधार कार्यक्रम :

विविध जनजातियो के रहन–सहन, खान–पान, वस्त्र, घरेलू सामान, आदि की आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यक्रम भी चलाए गए है। इसके अर्न्तगत उन्हे मासिक आधार पर विविध प्रकार की वस्तुए जैसे– पावरोटी, विस्कुट, चावल, चीनी, नमक, मसाला, माचिस, तेल, चाय, काफी, वस्त्र, साबुन, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि सहकारी समितियो के माध्यम से प्रदान कि ये जाते है। इसका उद्देश्य उनके सम्पूर्ण जीवन–शैली को सुधारना है। लेकिन इसका उनके उपर विरोधी प्रभाव पड रहा है। क्योकि इस प्रकार के भोजन से न तो उन्हे उतनी मात्रा मे पोषण मिल पाता है, जितना सुअर, मछली आदि के मास से मिलता था, और न ही उनमे पहले जैसी क्रियाशीलता ही दिखाई पडती है। उपहार स्वरूप दी गयी वस्तुओ पर धीरे–धीरे आश्रित होने के कारण इनकी क्रियाशीलता एव अवरोधक क्षमता धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है, ये सुस्त होते जा रहे है तथा अपने दैनिक शिकार एव एकत्रण प्रक्रिया से उदासीन होने लगे है। साथ ही ये लोग अनेक बिमारियों के शिकार भी होने लगे है। इस प्रकार जनजातियो को बैठाकर भोजन प्रदान करने वाली योजनाए उनका भला कम कर रही हैं तथा उनका

विनाश ज्यादा। जनजातियो मे विविध प्रकार की नशीली वस्तुआ के प्रयोग ने भी उन्हे धीरे–धीरे अक्षम बनाना शुरू कर दिया है।[13]

6 आर्थिक सुधार कार्यक्रम .

जनजातियो के आदिम एव जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को सुदृढ, सगठित एव क्रमबद्व अर्थव्यवस्था के रूप मे परिवर्तित करने हेतु जनजातीय उप–योजना एव अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के अर्न्तगत अनेक आर्थिक कार्यक्रम, जो उद्यान एव सागसब्जी की कृषि, चावल की कृषि, पशुपालन एव रोजगार से सम्बन्धित है, चलाए जा रहे है। इन कार्यक्रमो को औपचारिक आर्थिक स्वरूप प्रदान करने हेतु इन जनजातियो को वस्तु–विनिमय के स्थान पर मुद्रा आधारित विनिमय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निकोबारी जनजाति तो पूर्ण रूप से मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत आ चुकी है, तथा अपने सारे क्रिया–कलाप मुद्रा आधारित विनिमय के माध्यम से करती है। सम्भवत इसीलिए इस जनजाति ने कृषि, पशुपालन, शिक्षा, रोजगार आदि मे काफी प्रगति कर ली है। परिणमस्वरूप इनकी आय मे काफी वृद्वि हो गयी है तथा ये आधुनिक जीवन शैली को तेजी से अपनाने लगे है। इसके अलावा ग्रेट–अण्डमानी, ओगी एव शोम्पेन जनजातियो के लोगो को भी मुद्रा आधारित विनिमय से परिचित कराया जा रहा है। इनमे कुछ जैसे– ग्रेट अण्डमानी एव शोम्पेन, निकोबारियो एव अन्य बाहरी लोगो से मुद्रा लेकर अपने विविध सामान विक्रय करने लगे है। लेकिन अधिकाश आज भी इससे अनभिज्ञ है। जारवा एव सेन्टिनली जनजाति हिसक एव शिकारी होने के कारण अभी मुद्रा से परिचित नही हो सकी है। लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था मे मुद्रा विनिमय के प्रवेश से कोई लाभ दिखाई नही पडता, क्योकि न तो इनके पास इतने उत्पादन एव वस्तुए है, जिसका विक्रय कर ये अच्छी मात्रा मे मुद्रा अर्जित कर सके और न ही ये इतने शिक्षित एव सभ्य है कि ये आपस मे मुद्रा के माध्यम से वस्तुओ का आदान प्रदान कर सके। मुद्रा के सहारे बाहरी व्यापारी एव अधिकारी मात्र इनका शोषण करते है। अत जब तक ये शिक्षित एव सभ्य नही हो

जाते तथा स्वय विनिमय प्रक्रिया मे मुद्रा के महत्व को नही समझन लगत तब तक यह उनके लिए हानिकारक अधिक, और लाभकारी कम है।

7. पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम :

अण्डमान–निकोबार द्वीप अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, आकर्षक दृश्यावली एव ससाधनो के कारण पर्यटको के लिए मुख्य आकर्षण रहे है। इन द्वीपो की इस भौगोलिक विशेषता को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने के लिए, तथा इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु वाच्छित धन अर्जित करने के लिए भारत सरकार एव स्थानीय प्रशासन यहॉ पर पर्यटन उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है, परिणामस्वरूप यहॉ पर आने वाले पर्यटको की सख्या मे प्रतिवर्ष वृद्वि होती जा रही है। बाहरी पर्यटको के जनजातीय क्षेत्रो मे आबाध रूप से प्रवेश देने के कारण विविध जनजातीय वर्ग के मुक्त जीवन पर दबाव पड रहा है। साथ ही वे बाहरी लोगो से बचने के लिए आन्तरिक जगली क्षेत्रो मे सिमटते जा रहे है। इसके कारण उनके शिकार एव वनोत्पादो के एकत्रण का क्षेत्र भी सीमित होता जा रहा है। इसके अलावा पर्यटको के माध्यम से ही बाहरी शिकारी एव शिकारचोर भी जनजातीय क्षेत्रो मे प्रविष्ट होकर जानवरो का शिकार कर लेते है, जिससे जनजातियो का भोजन भी अनिश्चित एव सीमित हो रहा है तथा उनका जीवन निर्वाह भी सकट मे पड गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अण्डमान निकोबार द्वीप मे विविध जनजातीय वर्गो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु प्रशासन द्वारा विविध योजनाओ के अर्न्तगत जो भी कार्यक्रम सचालित किए जा रहे है, वे परस्पर विरोधी है, त्रुटिपूर्ण नीतियों पर आधारित है, अविचारित एव असमन्वित है तथा मानवतावादी दृष्टिकोण से रहित और मूल एव अन्तिम उद्देश्यो के विपरीत है।

नवी पंचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) मे परिवार आधारित कार्यक्रमो के अर्न्तगत निकोबारी जनजाति के लोगो को विविध

क्रियाकलापो जैसे–सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मत्स्यपालन, चारा आपूर्ति, तथा बढई गीरी, लोहार गीरी, नॉव आदि बनाने सम्बन्धी यत्र हेतु विविध मदो के अर्न्तगत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी 6 3 मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 6.3 (अ)

नवी पचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2000)

क्र0 स0	कार्यक्षेत्र	धन प्रवाह	केन्द्र पोषित योजना		विशिष्ट केन्द्रीय सहायता		
		व्यय (लाख रू0 मे)	जनजातीय परिवारो की सख्या	व्यय (लाख रू0मे)	जनजातीय परिवारो की सख्या	व्यय (लाख रू0 मे)	जनजातीय परिवारो की सख्या
1–	आइ0 आर0 डी0 पी0	–	–	27 00	450	–	–
2–	ग्रामीण विकास	–	–	–	–	199 25	5434
3–	पशुपालन	2 36	205	–	–	20 85	485
4–	मत्स्यायन	42 00	300	–	–	–	–
5–	ग्राम्य एव लघुस्तरीय उद्योग	–	–	–	–	5 00	150
		44 36	505	27 00	450	225 10	6119

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या–6.3 ब

सहायता हेतु प्रस्तावित परिवारों की संख्या

क्र0 स0	**कार्यक्षेत्र**	**नवी पचवर्षीय योजना 1997–2002**			**वार्षिक योजना 2001–2000**
1	आई0 आर0 डी0 पी0	27 00	450	–	80
2	ग्रामीण विकास	199 25	5484	37 73	1299
3	पशुपालन	23 21	690	2 10	90
4	मत्यस्यायन	42 00	300	7 45	135
5	ग्राम्य एव लघुस्तरीय उद्योग	5 00	150	1 00	25
		296 46	7074	48 26	1629

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि विविध मदा के अर्न्तगत वित्तीय आवन्टन, असतुलित एव अविचारित है। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रो मे उपलब्धि, लक्ष्य से काफी दूर है। सारणी सख्या 63 ब मे विविध मदो के अर्न्तगत लाभान्वित पारिवारो की सख्या दी गयी है, जो निकोबारी जनजाति की जनसख्या के सदर्भ मे अत्यल्प है।

अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा शोम्पेन जनजाति के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु नवी पचवर्षीय योजना (1997–2002) मे विविध कार्यक्रमो एव योजनाओ हेतु आवटित वित्तीय ससाधनो का विवरण सारणी सख्या 64 अ एव ब मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 64 (अ)

शोम्पेनो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण

	गैर आवर्ती		**वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0में)**
1	कर्मचारी आवास एव अन्य इमारतो का रख रखाव		2 00
2	कृषि कार्य हेतु भूमि का विकास		0.20
3	फर्नीचर एव इन्जन डोगी का रख रखाव		0 30
4	आवर्ती		0 50
5	मेडिकल आफीसर इन्चार्ज	1	1 20
6	जनजातीय विकास अधिकारी	1	1 10
7	पलान्टेशन इन्चार्ज	1	—
8	जीप ड्राइवर	1	0 90
9	ग्रुप डी स्टाफ	4	2 00
10	अन्य		0 60

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6 4 (ब)

शोम्पेनों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

		1997–2002	2001–2002
1	विनिमय कार्यक्रम के अर्न्तगत चावल, वस्त्र, एव अन्य सामानो का अनुमानित मूल्य	3 75	2 50
2	शोम्पेन हेतु आवश्यक सामानो की आपूर्ति	2 00	0 80
3	नई जीप की खरीद एव रख रखाव	2 50	3 50
4	मत्स्यायन यत्र की आपूर्ति	1 50	0 10
5	नारियल एव अन्य वृक्षो का रोपड एव रख–रखाव	2 50	0 30
6	विद्युत सुधार	–	1 00
		13 75	8 20

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी को देखने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक व्यय अधिकारियो एव कर्मचारियो के वेतन, आवास, फर्नीचर, गाडी, बिजली एव जलापूर्ति आदि पर दिखाया गया है, जिसका जनजातियो के सामाजिक आर्थिक विकास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही दिखाई पडता।

ओगी जनजाति जो लिटिल अण्डमान के डिगागक्रीक और साउथबे मे केन्द्रित है, उसके सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सचालित विविध मदो मे निर्धारित वित्तीय व्यय सारणी सख्या 6 5 अ एव ब मे प्रदर्शित है।

सारणी संख्या 6.5 (अ)

सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित ओंगियों के व्यय विवरण

गैर आवर्ती		**वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0 में)**
1 कर्मचारी आवास एव अन्य इमारतो का रख–रखाव		5 00
2 ओगी झोपडियो का निर्माण एव रख–रखाव		5 00
योग		10 00
आवर्ती	**संख्या**	
3 मेडिकल आफीसर इन्चार्ज	1	1 20
4 सामाजिक कार्यकर्ता	1	1 30
5 प्लान्टेशन इन्चार्ज	1	0 95

6 ग्रुप डी स्टाफ	5	3 40
7 अन्य		0 50
योग		7 35
कुल योग		17 35

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी सख्या 6 5 (ब)

ओंगियों के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

	1997–2002	2001–2002
1– अन्न एव वस्त्र की आपूर्ति	20 00	6 10
2– भर्ती ओगियो हेतु पोषण युक्त भोजन आपूर्ति	1 25	0 50
3– इन्जन डोगी का रख–रखाव	3 00	0 10
4– ओगी हेतु मत्स्यायन एव कृषि यत्र तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र	5 00	0 10
5– ओगियो हेतु बकरी की आपूर्ति	2 50	–
6– बागानो का रख–रखाव तथा अधिवासो के पास फल एव छायादार वृक्षारोपण	10 00	1 00
7– कार्यालय सामान	0 50	–
8– खोपरा सुखाने वाले यत्र की आपूर्ति	1 50	–
9– शिक्षा एव मनोरजन का प्रावधान	5 00	0 30
10– जलापूर्ति एव विद्युत आपूर्ति मे सुधार	–	0 50
	48 75	8 60

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से भी यही प्रतीत होता है कि सर्वाधिक विनिवेश (रू0 17 35 लाख) अधिकारियो के वेतन, सुविधाओं, अवस्थापनो एव कार्यालयो के रख–रखाव पर करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनजातियो के वस्त्र एव भोजन की आपूर्ति पर 20 लाख, कृषि एव मछली पकडने के यत्रो पर 5 लाख, बागानो के रख रखाव पर 10 लाख, तथा

शिक्षा एव मनोरजन पर 5 लाख के व्यय का प्रावधान है। यह व्यय विवरण किसी भी रूप मे सुविचारित एव सतुलित नही लगता आर न ही आर्गा जनजाति के सपोषणीय विकास हेतु उचित एव पर्याप्त मालूम पडता है।

स्ट्रेट द्वीप पर रहने वाली ग्रेट अण्डमानी आदिम जनजाति हेतु प्रस्तावित व्यय विवरण (सारणी सख्या 66 अ एव ब) से भी न्यूनाधिक रूप मे यही निष्कर्ष निकलता है। इन्हे भी भोज्य पदार्थो, वस्त्र, यत्र आदि की आपूर्ति हेतु सर्वाधिक व्यय दिखाया गया है, जो न तो इनके सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को ही सुदृढ कर पायेगा अैर न ही इन्हे सपोषणीय विकास हेतु प्रेरित करेगा। इसके विपरीत यह इन्हे अक्रियाशील एव अकर्मण्य बना देगा, जैसा कि शोधकर्ता ने क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान इनसे बातचीत के माध्यम से अनुभव किया।

सारणी संख्या 66 (अ)

ग्रेट अण्डमानियो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु निर्धारित व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वार्षिक योजना (2001–2002) (लाख रू0 मे)
1	जनजातियो के झोपडियो एव अन्य इमारतो का रख–रखाव		1 00
2	ग्रेड अण्डमानियो के लिए दो अतिरिक्त आवासो का निर्माण		5 00
	योग		6 00
	आवर्ती	**संख्या**	
3	समाजिक कार्यकर्ता	1	1 25
4	ग्रुप डी स्टाफ	1	0 50
5	अन्य		0 25
	योग		2 00
	कुलयोग		8 00

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी सख्या 6 6 (ब)

ग्रेट अण्डमानियो के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997–2002	2001–2002
1	अन्न एव वस्त्र की आपूर्ति	10 00	2 50
2	अस्पताल मे भर्ती अण्डमानियो के लिए पोषण युक्त भोजन आपूर्ति	2 50	0 50
3	मत्यायन एव कृषि यत्र का प्रावधान	2 50	0 10
4	बागानो का रख–रखाव	5 00	0 75
5	कार्यालय सामान	0 50	–
6	शिक्षा एव मनोरजन का प्रावधान	1 50	0 40
7	ग्रेट अण्डमानियो को रोजगार एव कार्य दिलाना	2 50	–
8	जलापूर्ति एव विद्युत आपूर्ति मे सुधार	–	1 00
		24 50	5 25

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इसी प्रकार जारवा एव सेन्टिनली जनजातियो हेतु भी नवी पचवर्षीय योजना के अर्न्तगत विविध मदो मे अतर्कसगत एव असतुलित व्यय का प्रावधान किया गया है, जो सारणी संख्या 6 7 अ एव ब मे प्रदर्शित है। सारणी से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण व्यय इन दोनो जनजातियो से सम्पर्क स्थापित करने, अधिकारियो के वेतन आदि पर ही दिखाया गया है, जो बहुत उचित एव तर्कसगत प्रतीत नही होता।

सारणी संख्या 6.7 (अ)

जारवा एवं सेंन्टिनलियों के विकास का व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वर्षिक योजना (2001–2002)
1	एक टाइप 3 और दो टाइप 1 आवास एव गोदाम का निर्माण		12 00
	योग		12 00 लाख रू0

	आवर्ती	सख्या	
2	जनजातीय विकास अधिकारी	1	1 10
3	प्लान्टेशन इन्चार्ज	1	1 00
4	ग्रुप डी स्टाफ	1	0 50
5	अन्य		0 20
	योग		2 80
	कुल योग		14 80

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी सख्या 6 7 (ब)

जारवा एव सेटिनलियो के विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997–2002	2001–2002
1	सम्पर्क यात्रा का आयोजन तथा पोषण युक्त भोजन एव उपहारो की आपूर्ति	10 00	8 00
2	जारवा भाषा सम्बन्धी अध्ययन का सयोजन	7 00	2 00
3	जारवा क्षेत्र मे विरल बागान लगाना	2 00	0 30
4	जारवा स्वास्थ्य सेवा	–	6 30
5	गडियो का रख–रखाव	–	0 50
		21 00	16 80

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

इसी प्रकार सारणी सख्या 6 8 अ एव ब मे नवी योजना मे जनजातीय विकास के अर्न्तगत किये जाने वाले विविध कार्यक्रमो हेतु वाच्छित अधिकारियो एव कर्मचारियो के वेतन और सुविधाओ, कार्यालय के रख–रखाव, जल एव बिजली आपूर्ति, कम्प्यूटर, फर्नीचर एव अन्य कार्यालय यत्रो के व्यय का विवरण दिया गया है।

सारणी संख्या 6 8(अ)

जनजातीय विकास के अर्न्तगत विविध कार्यक्रमो हेतु व्यय विवरण

क्र0 सं0	गैर आवर्ती		वार्षिक योजना 01—02 (लाख रू0 में)
1	आदि बसेरा का रख—रखाव तथा अतिरिक्त कमरा का निर्माण		2 00
2	नई जीप, वैन का रख—रखाव तथा खरीद		4 00
3	कार्यालय सामानो, फर्नीचर, कम्प्यूटर की खरीद		1 00
	योग		7 00
	आवर्ती	संख्या	
4	एक्जीक्यूटिव सेकरेटरी (डेयुटशन)	1	1 20
5	विशिष्ट सहायक	1	1 25
6	एकाउन्टेन्ट	1	1 25
7	लिपिक के साथ स्ओरकीपर	1	0 75
8	डाटा सप्रेषण आपरेटर	1	0 75
9	जीप ड्राइवर	1	0 85
10	ग्रुप डी स्टाफ	5	2 50
11	सारग	1	0 90
12	ग्रीसर / लास्कर / भण्डारी	7	4 50
13	अन्य		1 50
	योग		14 45
	कुल योग		21 45

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप—योजना (1997—2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

सारणी संख्या 6.8 (ब)

जनजातीय विकास हेतु अन्य व्यय विवरण

क्र0 सं0		1997—2002	2001—2002
1	स्टेशनरी, पुस्तको एव अन्य सामानो की खरीद	5 00	1 00
2	जीप एव अन्य मशीनो की मरम्मत एव	5 00	1 00

	रख–रखाव		
3	पुस्तको की खरीद	1 00	–
4	पौधो का अनुवशिक अध्ययन एव आदिम जनजातियो की प्रजातीय दवाइयाँ	6 00	–
5	उत्तसवो प्रदर्शनियो एव सगोष्ठियो मे भागीदारी तथा अन्य सामानो की खरीद	5 00	0 75
6	जनजातीय अधिवासो मे ऊर्जा खपत का भुगतान	3 00	0 50
7	आदिम जनजातियो से सम्बन्धित शोध कार्यो एव पुस्तको का प्रकाशन	3 00	0 50
		33 00	3 75

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

यह सम्पूर्ण धन अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के स्वय के विकास के लिए है, न कि जनजातियो के विकास के लिए। साथ ही उपरोक्त सभी व्यय विवरणो से (सारणी सख्या 6 3–6 8) यह स्पष्ट है कि अण्डमान निकोबार की जनजातियो के विकास से सम्बन्धित नीतियो एव वरियताओ के निर्धारण, कार्यक्रमो के निर्माण एव क्रियान्वयन आदि पर समुचित विचार एव विशेषज्ञो से परामर्श नही लिया गया है। इसके अलावा जनजातीय विकास मे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह कि विविध जनजातियो की सख्या एव संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने एव उन्हे विकसित करने हेतु स्वयं जनजातियो की भावनाओ को बडे ही सावधानी पूर्वक समझना और उनके ही मनोभाव एव आवश्यकता के अनुरूप नीति एव कार्यक्रम बनाना। ऐसा न करने पर इस दिशा मे किए गए सारे प्रयास एव विनिवेश निष्फल एवं अर्थहीन हो जायेगे, तथा विकास के स्थान पर विनाश शुरू हो जायेगा जैसा कि अब अनुभव होने लगा है। सारणी सख्या 6 9, जिसमे नवी पचवर्षीय जनजातीय उप–योजना (1997–2002) मे विविध जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सचालित विविध कार्यक्रमो के लिए निर्धारित व्यय की उपलब्धियाँ प्रदर्शित की गयी हैं, के गहन अवलोकन से कुछ इसी प्रकार का निष्कर्ष निकलता है।

सारणी सख्या 6.9

भौतिक लक्ष्य नवी जनजातीय उप–योजना (1997–2002) एव वार्षिक योजना (2001–02) हेतु प्रस्ताव तथा उपलब्धियॉ

1997–2001

मद	इकाई	नवी योजना 97–02 लक्ष्य	उपलब्धि 97–98	उपलब्धि 98–99	उपलब्धि 99–00	उपलब्धि 00–01	वार्षिक योजना 01–02 लक्ष्य
आर्थिक सहायता प्राप्त अनु0 जन0 परिवार	सख्या	6104	1458	842	1476	755	1629
छोटे वनोत्पादो का विकास	हेक्टेयर	3 00	177	176	43 80	150	150
सामाजिक वानिकी		280	51 7	4 7	3 40	53	53
पशुपालन	सख्या	25	–	10	–	4	10
मुर्गीपालन लाभान्वित परिवार	सख्या	190	17	9	25	–	9
बतख वितरण	सख्या	25	–	–	–	5	5
सुअर वितरण	सख्या	30	–	20	33	24	23
मुर्गी आपूर्ति	सख्या	150	42	60	80	57	38
मध्यम एव दीर्घ कालिक ऋण लाभान्वित जनजाति	सख्या	7	2	5	5	6	6
सडक	कि0मी0	30	7 5	5	4	5	3
सामान्य शिक्षा	सख्या	5500	3362	3374	3237	3241	3300
(अ) प्राइमरी							
(ब) मिडिल	सख्या	3100	1562	1691	1790	1705	1750
(स) सेकेण्ड्री	सख्या	1500	804	893	788	830	840
(द) हायर सेकेण्ड्री	सख्या	650	201	192	184	224	230
तकनीकी शिक्षा	सख्या	26	20		–	–	–
कालेज	सख्या	–	48		–	–	–
आश्रम विद्यालय	सख्या	245	40	40	–	–	–
जलापूर्ति समस्याग्रस्त गॉव	सख्या	–	4	10	3	2	5
लोक स्वास्थ्य	सख्या						
(अ) उपकेन्द्र	सख्या	6	1	2	1	1	1

(ब) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	सख्या	1	–	–	–	–	
(स) सामुदायिक	सख्या	1	–	–		–	–
(द) होमियो औषधालय	सख्या	2	–	2	–	–	–

स्रोत नवी पचवर्षीय आदिवासी उप–योजना (1997–2002) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्टब्लेयर।

खण्ड : ब

जनजातीय विकास की समस्याए

अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ अति–प्राचीन काल से बगाल की खाडी के बिखरे हुए द्वीपो के पर्वतीय एव जगली भागो मे पृथकता मे निवास करती रही। अपने मौलिक क्षेत्रो मे चिर काल तक रहने के कारण इन्होने अपने पर्यावरण दशाओ एव ससाधन आधार से पूर्ण सामन्जस्य एव समानुकूलन स्थापित कर लिया था। इस प्रकार वे अपने–अपने क्षेत्रो मे दीर्घ काल तक मुक्त रूप से खाते–पीते एव भ्रमण करते रहे। पर्यावरण के साथ ही रहकर उन्होने अपने सामुदायिक जीवन, रीति रिवाजो, धार्मिक क्रिया कलापो आदि का विकास भी कर लिया था। लेकिन जब से इन जनजातियो मे सुधार हेतु धर्म प्रचारको, सरकारी विभागो, प्रशासन, एव स्वयसेवी सगठनो ने प्रयास शुरू किया, तब से इन जनजातीय वर्गो एव क्षेत्रो मे समस्याओ की नीव पडी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने जनजातीय विकास हेतु विविध पचवर्षीय योजनाओ मे अनेक प्रकार के सुधारवादी कार्यक्रम सचालित किए तथा पॉचवी पचवर्षीय योजना मे जनजातीय उप–योजना संचालित किया। इसके अलावा भारत सरकार ने अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो के विकास हेतु एक स्वयात्तशासी सस्था अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति की स्थापना पोर्टब्लेयर मे किया। इन सस्थाओ के माध्यम से सरकार एव अण्डमान–निकोबार प्रशासन तथा अनेक स्वैच्छिक सगठनो ने इस क्षेत्र की जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक सुधार का बीडा उठाया। लेकिन जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, 55 वर्षो के योजनाबद्व कार्यक्रमो के पश्चात् भी न तो इनका पूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास

हो सका और न ही इनकी समस्याओ का समाधान। बल्कि अब इनकी समस्याएँ अपेक्षाकृत और बढ गयी है।

डी0 एन0 मजुमदार[14] ने सरकारी एव वाहय प्रयासो के माध्यम से चलाए जा रहे सुधार कार्यकमो द्वारा उत्पन्न जनजातीय समस्याओ के कारणो मे सरकारी नियमो, विस्थापनो, सुविधा विस्तार, शिक्षा, वाहय सम्पर्क एव मुद्रा आधरित विनिमय को प्रमुख माना है। भारतीय जनजातियो के समाजिक–आर्थिक सुधार के सबसे प्रबल समर्थक ए0 वी0 ठक्कर, जिन्हे ठक्कर बापा कहा जाता है, ने मुख्य रूप से 6 जनजातीय समस्याए –(1) अशिक्षा (2) गरीबी (3) कुस्वास्थ्य (4) अगम्यता (5) प्रशासन एव (6) नेतृत्व का आभाव माना है। हटन[15] के अनुसार जनजातीय समस्याए मुख्य रूप से दो कारणो से उत्पन्न हुई है। ये है –(1) जनजातीय क्षेत्रो मे प्रशासनिक तत्र का प्रवेश तथा (2) जनजातियो के विकास हेतु नियोजित उपायो एव कार्य–क्रमो का सचालन। हटन के अनुसार उपर्युक्त दोनो कारणो से जनजातीय क्षेत्रो एव समुदायो मे मुख्यत तीन प्रकार की समस्याए उत्पन्न हुई है। ये है– (1) जनजातीय क्षेत्रो मे बाहरी लोगो जैंसे–कृषक, व्यापारी, आदि के प्रवेश से जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण (2) जीवन निर्वाह के ससाधनो का ह्रास एव अन्य प्रकार की बुराइयॉ। तथा (3) जनजातीय सगठन का विघटन।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो के विकास हेतु अनेक कार्यक्रमो के माध्यम से जो भी प्रयास किए है उसमे सफलता कम एव असफलता ज्यादा प्राप्त हुई है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रो एव समुदायो मे नए प्रकार की एव अपेक्षाकृत अधिक भयानक सामाजिक–आर्थिक समस्याए उत्पन्न हो गयी है। अवराधी[16] ने अण्डमान एव निकोबार द्वीप की आदिम जनजातियो की विविध समस्याओ का उल्लेख करते हुए सरकारी एव प्रशासनिक कार्यक्रमो एव उनके सचालन के तरीको को इसके लिए दोषी करार दिया है। शोधकर्ता ने भी विविध द्वीपो में रहने वाली जनजातियो से सम्पर्क स्थापित कर उनकी समस्याओ तथा विकास सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण को अभिलेखित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा अनेक अध्यायो मे किये

गए जनजातियो की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सम्बन्धी विश्लषण स भी इनकी समस्याए स्पष्ट हो जाती है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर शाधकर्ता ने अण्डमान निकोबार द्वीप की जनजातियो की विविध समस्याओ को सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो निम्न है।

1– विस्थापन एवं पुनर्वास

स्वतत्रता के पश्चात् प्रशासन ने अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर नए क्षेत्रो एव द्वीपो मे पुनरावासित करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के अन्तरगत ग्रेट अण्डमानी जनजाति को दक्षिणी अण्डमान से विस्थापित कर स्ट्रेट द्वीप मे, ओगी जनजाति को विस्थापित कर डिगागक्रीक एव साउथबे मे तथा कुछ निकोबारी जनजाति को लिटिल अण्डमान के हरमिन्दर बे मे पुनर्वासित किया गया है। इस विस्थापन के कारण सम्बन्धित जनजातियो को नए क्षेत्रो एव पर्यावरण मे सामन्जस्य स्थापित करने मे अनेक कठिनाइयॉ उत्पन्न हो रही है। ससाधन आधार बदलने से भी उनका जीवन निर्वाह भी खतरे मे है। इसके अलावा क्षेत्रीयता, अखण्डता, एव सप्रभुता सम्बन्धी उनकी सकल्पना भी ध्वस्त हो गयी है, और वे अपने को पराया एव ठगा हुआ महसूस कर रहे है।

2– पारिवारिक एवं सामुदायिक विखण्डन :

अपने मौलिक क्षेत्रो से दूसरे क्षेत्रो एव द्वीपो मे विस्थापन के कारण इन जनजातियो के परिवार एव समुदाय भी नए क्षेत्रो मे बिखर जाते है। अन्य परिवारो एव समुदायो के साथ इनका सही तालमेल एव सामन्जस्य नही स्थापित हो पाता, जिससे ये भावनात्मक रूप से टूट जाते है। अनेक ग्रेट अण्डमानी एव ओगी परिवारो मे शोधकर्ता ने यह भावना पायी।

3– अतिक्रमण एवं शोषण :

आधारभूत सुविधाओ जैसे–सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारी समितियॉ आदि तथा विस्तृत बागानो एवं कृषि विस्तार के कारण

जनजातीय क्षेत्रो मे लगातार अतिक्रमण हो रहा है, तथा उपरोक्त क्रिया–कलापो से सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पर्यटक आदि इन जनजातियो का शारीरिक एव मानसिक शोषण कर रहे है। शिकार एव सुरक्षा हेतु रखे गए अग्नेयास्त्रो एव विस्फोटो के माध्यम से ये जनजातियो पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढाते जा रहे है। जिससे वे भयभीत होकर आन्तरिक जगली क्षेत्रो मे सीमित होते जा रहे है। कुछ जनजातियॉ प्रतिक्रिया स्वरूप इन अधिकारियो, व्यापरियो एव पर्यटको पर कभी–कभी हिसक आक्रमण कर उनको मार भी डालती है। जारवा एव सेंटिनली जनजाति इसके ज्वलन्त उदाहरण है। इन जनजातियो ने अपने–अपने क्षेत्रो मे सैकडो लोगो को मार कर उनका सामान लूट लिया है। आज तक जनजातियो एव बाहरी लोगो मे सामजस्य स्थापित नही हो पाया है।

4– अधिवास्य सकुचन :

जनजातीय क्षेत्रो मे वाह्य अतिक्रमण के कारण उनका अधिवास्य सकुचित एव सीमित होता जा रहा है। कृषि विस्तार, बागानो के विकास एव आधारभूत सुविधाओ के प्रसार के कारण उनके रहन–सहन का क्षेत्र काफी छोटा एव सीमित होता जा रहा है, जिससे वे मुक्त रूप से भ्रमण एव जीवन निर्वाह नही कर पा रहे है, और उनकी जनसख्या मे तेजी से कमी भी आ रही है। उदाहरण स्वरूप दक्षिणी एव मध्य अण्डमान मे जारवा जनजातीय क्षेत्र एव ग्रेट निकोबार मे शोम्पेन क्षेत्र काफी सकुचित एव सीमित हो चुके है।

5– ह्रासोन्मुख ससाधन :

बाहरी अतिक्रमण, जगलो की कटाई एव शिकार के कारण जनजातियों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी ससाधन जैसे– जगली जानवर, समुद्री जीव एवं मछलियॉ तथा अनेक प्रकार के वनोत्पाद तेजी से नष्ट एव लुप्त होते जा रहे है। परिणामस्वरूप इन जनजातियो के दैनिक अहार मे काफी कमी आने लगी है। यद्यपि सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से इन्हे मासिक आधार पर अनेक प्रकार की खाद्य सामाग्री की आपूर्ति करती है, लेकिन वह

अत्यल्प है। इससे इनका पूरा भरण–पोषण नही हो पाता है। लगभग सभी जनजातियॉ इसका शिकार है।

6– घटती अवरोधक क्षमता एवं क्रियाशीलता

अतिक्रमण, अधिवास्य, सकुचन एव ह्नासोन्मुख ससाधनो के कारण जगली जीवो, मछलियो एव अन्य वनीय उत्पादो मे तीव्रता के साथ कमी आयी है। परिणामस्वरूप इनके भोजन की मात्रा एव पोषण तत्वो मे भी तेजी से हास हुआ है। सहकारी समितियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थो जैसे– पावरोटी, विस्कुट, चाय, चावल, तम्बाकू आदि मे सयुक्त रुप से इतने पोषक तत्व नही होते, जितने सुअर या मछली के मास मे। अत निरन्तर पोषक तत्वो की कमी के कारण इनकी अवरोधक क्षमता एव क्रियाशीलता धीरे–धीरे कम होती जा रही है। अनेक ओगी, जारवा, ग्रेट अण्डमानी, एव शोम्पेन जनजातियो के लोग अब जगलो एव समुद्रो मे काफी दूर एव लम्बे समय तक शिकार करते नही देखे जाते तथा वे अपनी झोपडियो के पास बैठे सरकारी सहायता का इन्तजार करते रहते है।

7– स्वास्थ्य समस्याए एव बिमारियॉ :

कुपोषण एव घटती अवरोधक क्षमता के कारण अब उनमे अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याए एव बिमारियॉ भी उत्पन्न होने लगी है। बाहरी लोगो के बढते सम्पर्क से अब उनमे नई–नई बिमारियॉ सक्रमित हो रही है। वर्तमान समय मे ओगी, ग्रेट अण्डमानी तथा जारवा लोगो मे अनेक पुरूष एव महिलाएँ काफी कमजोर शिथिल एव बिमारियो से युक्त देखे जा सकते है। बच्चे एव महिलाए कुपोषण के सर्वाधिक शिकार है, यहॉ के जनजातियो मे मलेरिया, डायरिया, एनीमिया, चेचक, क्षयरोग, स्वास सम्बन्धी बिमारी, उदर विकार, कालरा आदि प्रमुख रूप से पायी जाती है।

8– ह्नासोन्मुख जनसंख्या ·

कुपोषण एव अनेक प्रकार की बिमारियो के कारण यहॉ की जनजातियो मे धीरे–धीरे अवरोधक क्षमता कम होती जा रही है।

परिणामस्वरूप ये शीध्र ही अनेक विमारियो के शिकार हो जाते है। बच्चे एव महिलाएँ सर्वाधिक प्रभावित है। इससे इन जनजातियो की मृत्युदर काफी बढ गयी है, जिससे जनसख्या मे तेजी के साथ गिरावट आ रही है। लगभग सभी जनजातियो की जनसख्या मे पिछले 30–40 वर्षों मे निराशाजनक गिरावट आयी है। कुछ जनजातियो जैसे–ग्रेट अण्डमानी सेटिनली, ओगी, एव जारवा की जनसख्या मे पिछले 3–4 दशको मे अनेक विकास कार्यक्रमो के बावजूद काफी गिरावट आयी है, जो प्रशासन, मानवशात्रियो, समाजशास्त्रियो आदि के लिए चिन्ता का विषय बन गया है।

9– मानव प्रजातियो का विनाश :

अण्डमान निकोबार द्वीपो मे प्रमुख रूप से दो मानव प्रजातियो–नेग्रिटो, एव मगोलायड से सम्बन्धित जनजातियॉ पायी जाती है। ग्रेट अण्डमानी, ओगी, जारवा, एव सेटिनली नेग्रिटो प्रजाति की है जबकि निकोबारी एव शोम्पेन जनजाति के लोग मगोलायड प्रजाति से सम्बन्धित है। उपरोक्त कारणो की वजह से ओगी, ग्रेट अण्डमानी सेटिनली एव शोम्पेन जनजातियो की जनसख्या बडी तेजी के साथ घट रही है। मात्र निकोबारी जनजाति की जनसख्या मे ही वृद्वि हुई है। इसका कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक सुदृढता है। अन्य आदिम जनजातियो की जनसख्या इतनी कम हो गयी है कि उनके विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। नेग्रिटो एव मगोलायड प्रजाति की ये जनजातियॉ दक्षिणी–पूर्वी एशिया की एक विशिष्ट धरोहर है। इनकी जनसख्या मे तीव्र गिरावट के कारण इनके विनाश का खतरा उत्न्न हो गया है। यदि इन्हे सावधानी पूर्वक एक सुनियोजित ढग से परिरक्षित न किया गया तो भारत की मानव प्रजाति सम्बन्धी यह विशिष्टता नष्ट हो जायेगी।

10– सांस्कृतिक विशिष्टता का ह्रास ·

अण्डमान–निकाबार द्वीप की जनजातियो की अपनी विशिष्ट सस्कृति एव सामाजिक सगठन है, जो सम्पूर्ण भारतीय सस्कृति के मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह उसे अनेकता एव विविधता प्रदान

करने मे अमूल्य सहयोग करती है। यहॉ की आदिम जनजातियॉ आदिम पाषाणकालीन मानव सभ्यता एव सस्कृति की अतिम प्रतीक एव अवशेष है, जिनके अध्यायन एव शोध से मानवशास्त्री एव समाजशास्त्री आधुनिक मानव के आदिम पूर्वजो एव उनकी विविध विकास अवस्थाओ का ज्ञान प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार ये जनजातियॉ मानव–ज्ञान की अमूल्य निधि है। यदि इन जनजातियो का विनाश होता है, तो उनकी सास्कृतिक विशिष्टता भी उन्ही के साथ समाप्त हो जायेगी। अत भारत सरकार एव सम्पूर्ण मानव जाति का यह दायित्व है कि विविध पर्वतीय एव जगली क्षेत्रो मे सिमटी हुई इन विशिष्ट सस्कृतियो की सम्पूर्ण सुरक्षा करे, जिससे सम्पूर्ण मानवता की विविधता एव विशिष्टता की रक्षा हो सके।

सदर्भ सूची

1 Husnaın, N 1991 Tnbal Indıa Today, Harnam Publıcatıons, New Delhı, P. 95

2 Guha, B.S 1938 The Racıal Elements of Indıa, Popular Prakashan, Mumbaı P P 15-16

3 Mishra, B N & Shukla, V 1991·Tribal Development ın India, ın Tnbal scene in Jharkhand, A Bhushan et.al (eds) Novelty & Co. Patna, P.P 26-27

4 Elevın, V. 1939 the Baıga, John Murray, London, P 82

5 Hasnaın, N 1991 op. Cıt P 98

6 Pandeya, B N 1999 profiles of Tnbal Populatıon & ıts development strategy ın the Tnbal scene ın Jharkhand, A Bhushan et al.(eds) Novelty & Co Patna, P 15

7. Hasnaın, N 1991 Op Cıt P 211

8 Nınth Fıve Year Tnbal Sub-Plan 1997-2002 Andaman and Nıcobar Admınıstratıon, Port Blaır, P 1

9 Srıvastava, P K 1999: Tnbal Development Fıeld-Notes Andaman Island's Kolkata, P 346

10 Headland, T N 1999 South East Asian Negritos, Program in Linguıstıcs, Unıversity of Taxas, Arlıngton.

11 Awaradi, S A 1990 Non Autochthons Problem of the Jarwa, Master-Plan, Andaman & Nicobar Administratıon, P. 163

12 Awaradı, S A 1990 Jarwa Problems of Non -Autochthons, Master-Plan A & N Admınıstratıon, P P 151-156

13 Mıshra, B N. & Shukla, V. 1999: op cıt P P 25-26

14 Majumdar, D N 1968:An Introductıon to Social Anthropology, Asıa Publıshıng House, Mumbaı, P 256

15 Hutton, J N 1951 Scheduled Tnbes ın India, Macmıllan, London, P 197.

16 Awardı, S A 1990 Master-Plan, op cıt. P.P 260-262

अध्याय – 7

जनजातीय विकास हेतु नियोजन :

भारत एव विश्व के अनेक बडी जनसख्या वाली जनजातियो के विकास सम्बन्धी अनुभवो के आधार पर इन विद्वानो के विचारो को दो वर्गो मे रखा जा सकता है–

(1) स्वागीकरण सप्रदाय एव (2) पृथक्करण सम्प्रदाय । पूर्ण रूप से पृथक जनजातीय सम्प्रदाय सभवत अब दुर्लभ ही है, लेकिन अर्धपृथक जनजातीय सम्प्रदाय भारत एव विश्व के अन्य भागो मे देखने को मिलते है। इनमे अण्डमान निकोबार द्वीप की जारवा, सेटिनली, ओगी, आदि जनजातियाँ मुख्य है ।

इस विचारधारा वाले विद्वानो का मत है, कि जनजातियो को उनके मूल क्षेत्र मे ही सीमित रखना चाहिये तथा वाह्य जगत से उनका कोई सम्पर्क स्थापित नही होने देना चाहिये। इससे उनकी जनसख्या एव सस्कृति की रक्षा हो सकेगी। यह अवधारणा विविध जनजातियो के बाहरी लोगो द्वारा किए शोषण पर आधारित है। लेकिन यह उचित एव मानवतावादी दृष्टिकोण नही है। अत इसे अधिकाश लोगो ने अस्वीकृत कर दिया है।

स्वागीकरण सप्रदाय के विद्वानो का मत है कि विविध क्षेत्रो मे निवास करने वाली जनजातियो से धीरे–धीरे सामन्जस्य स्थापित कर विविध सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमो द्वारा मानवतावादी उपागम के आधार पर उन्हे राष्ट्रीय मुख्यधारा मे आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिये। इस दिशा मे भारत मे विविध जनजातियों को विकसित करने हेतु अनेक सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम सचालित किए गए तथा इन कार्यक्रमो के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रो मे बाहरी लोगो का प्रवेश हुआ। बाहरी लोगो द्वारा जनजातियो का शोषण

प्रारम्भ हो गया जिससे वे भयभीत होकर आन्तरिक क्षेत्रेा की ओर सिमटते गए। अनेक क्षेत्रो मे जनजातीय लोगो ने बाहरी लोगो पर आक्रमण भी किये, जिससे अनेक लोग मारे गये। इसका मूलकारण विकास कार्यक्रमो मे मानवतावादी दृष्टिकोण एव सवेदनशीलता का अभाव रहा है। इसीलिए इन कार्यक्रमो से जनजातीय सम्प्रदायो को लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा हुआ ।

स्वतत्रता के पश्चात जनजातीय विकास की दिशा का सकेत करते हुए देश के प्रथम प्रधानमत्री प0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमे जनजातीय विकास प्रक्रिया को न तो श्रेष्ठता एव अहकार के साथ सचालित करना चाहिए और न ही उन्हे बल पूर्वक यह बताना चाहिए कि वे क्या करे और क्या न करे। हमे किसी भी रूप मे उन्हे द्वितीय स्तर का मानव नही बनाना चाहिए। इसी प्रकार तत्तकालीन गृहमत्री प0 गोविन्द बल्लभ पत ने भी कहा कि जनजातियो को अपनी सस्कृति के विकास मे सहयोग करना चाहिए, जिससे वे देश की सास्कृतिक समृद्वि मे अपना योगदान कर सके। उन्हे अनावश्यक रूप से अपनी परम्पराएँ, आदते, एव रहन–सहन को परिवर्तित करने हेतु प्रेरित करना अनुपयोगी सिद्व होगा। के0 एश0 सिह ने भी पडित नेहरू के विचारो का समर्थन करते हुए कहा है कि विकास के नाम पर जनजातीय क्षेत्रो मे अनेक कार्यक्रमो का सचालन करना तथा उन पर बल पूर्वक शासन करना एक घातक कदम होगा। इसका तात्पर्य यह नही है कि उन्हे पूर्ण पृथक एव आदिम स्थिति मे छोड दिया जाय। बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जनजातीय विकास बडी सावधानी पूर्वक मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर सहज रूप में धीमी प्रक्रिया द्वारा सचालित होने चाहिए, जिससे जनजाातीय लोग दूर भागने के बजाय कार्यक्रमो से पुन जुडने का मन बनाये।[1]

डा0 मिश्र[2] के अनुसार अण्डमान एव निकोबार की जनजातियो के सुनियोजित विकास की पॉच मुख्य समस्याये है

---(1) मनोवैज्ञानिक भय एव दबाव, (2) लिपिबद्व भाषा का अभाव, (3) साक्षरता का अभाव, (4) अन्तर वैयक्तिक सप्रेषण मे कठिनाई एव (5) प्रक्रिया–प्रतिक्रिया सम्बन्ध का अभाव। उपरोक्त कारणो से जनजातीय विकास हेतु सीधा प्रयास भय एव दवाव उत्पन्न करने वाला हो सकता है। अत आदिम जनजातीय क्षेत्रो मे विकास प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से सचालित करना ही तर्कसगत एव समीचीन मालूम पडता है। अर्थात् यह विकास प्रक्रिया जनजातीय लोगो द्वारा जनजातीय लोगो के लिए एव जनजातीय लोगो की ही हो तथा उसमे इनकी पूर्ण लोकतान्त्रिक भागेदारी हो। यह ऐसी प्रक्रिया हो जिससे इन पर न्यूनतम मानसिक एव सामाजिक दबाव हो तथा कार्यक्रमो मे इनकी अधिकतम भागेदारी हो। विकास प्रक्रिया इतनी सावधानी पूर्वक सचालित हो, जिससे कि वे भयभीत न हो, बल्कि वे धीरे–धीरे अपने परिवार एव वर्ग के साथ कार्यक्रमो से जुडे। साथ ही उनके पर्यावरण, ससाधन, एव समुदाय यथावत बने रहे। इस प्रकार सम्पूर्ण जनजातीय विकास प्रकिया हेतु एक पृथक एव विशिष्ट प्रकार की नीति, जो तकनीकी कम एव मानवतावादी ज्यादा हो, के निर्माण की आवश्यकता है।

विकास नीतिः

जनजातीय विकास के विविध पहलुओ से सम्बन्धित मुख्य नीतिगत तत्वो के निर्धारण मे मानव–शास्त्रियो, समाजशास्त्रियो एव भूगोलवेत्ताओ का सहयोग न होने के कारण जनजातीय विकास सम्बन्धी समस्याओ के मानवीय पक्ष को पूर्ण रूप से नजर अन्दाज कर दिया गया। "विकास" शब्द की व्याख्या एक आर्थिक सकलपना मान कर अर्थशास्त्रीय आधार पर की गयी। अर्थशास्त्री अपना विश्लेषण कुछ निर्धारित चरो जैसे विविध वस्तुओ के उपयोग, प्रतिव्यक्ति आय वितरण, बेरोजगारी, भोज्य पदार्थो का पोषण स्तर आदि से सम्बन्धित तथ्यो के आधार पर करते है। वे मानव विकास के

गुणात्मक पक्ष पर ध्यान नही देते और इसीलिए जनजातीय विकास प्रक्रिया मे नौ–पचवर्षीय योजनाओ के प्रयास के बावजूद भी सतोष–जनक सफलता नही प्राप्त हो सकी है।

बेल्शा[3] के अनुसार विकास एक सगठित सामाजिक क्रिया कलाप है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातियो की मौलिक आवश्यकताओ की पूर्ति करना तथा उन्हे मनोवैानिक आधार पर नए कौशल, दृष्टिकोण एव जीवनशैली को स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना है, जिससे कि वे अपनी आन्तरिक सुदृढता मजबूत कर सके, नई परिस्थिति हेतु सामाजिक एव सास्कृतिक सुविधाओ का स्वत उपयोग कर सके तथा नए कार्यक्रमो का उपयोग कर उच्चस्तरीय जीवन की ओर अग्रसर हो सके। इस दृष्टिकोण के आधार पर विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो लोगो के सभी आवश्यक क्षेत्रो जैसे सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, मानवीय, का सतुलित विकास एव प्रगति सुनिश्चित करती है। इस प्रक्रिया मे स्थानीय एव राष्ट्रीय विकास स्तरो तथा विश्व विकास परिदृश्य के सार्थक सम्बन्धो को स्थापित करने पर भी बल देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक किसी मानव समुदाय के भौतिक पर्यावरण एव सामाजिक–सास्कृतिक आधारो का सम्यक ज्ञान न हो, तब तक उनके सम्बन्ध मे सार्थक विकास परियोजना बनाना कठिन कार्य है।[4]

विद्यार्थी[5] के अनुसार विकास का तात्पर्य वृद्वि+परिवर्तन है। इसके अर्न्तगत भौतिक एवं मानवीय दोनो कारक सम्मिलित है। अर्थशास्त्रीय दृष्किोण की आलोचना करते हुये वे कहते है कि कुछ साख्यिकीय सूचको जैसे–वृद्वि दर, प्रतिव्यक्ति एव राष्ट्रीय आय आदि के आधार पर जीवन की गुणवत्ता का मापन करना अपूर्ण एव अवैज्ञानिक है। मानवीय तत्वो से हीन यह यात्रिक सकल्पना मानव समाज के विकास हेतु ग्राहय नही है। अत विकास की सकल्पना के अर्न्तगत मानव समुदाय विशेष के सास्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्यक

समावेश होना आवश्यक है। इस प्रकार समाजिक विज्ञानियो हेतु जनजातीय विकास का तात्पर्य –

(1) एक ऐसे आन्दोलन से है, जो सगठनात्मक सरचना का निर्माण कर सके,

(2) एक ऐसे कार्यक्रम से है, जो प्रत्यक्ष मानवीय क्रिया कलापो से सम्बन्धित हो,

(3) एक ऐसे विधितत्र से है, जो प्राप्य लक्ष्यो पर अपना ध्यान केन्द्रित करता हो,

(4) एक ऐसी प्रक्रिया से है जो लोगो के मात्र आर्थिक एव सामाजिक वृद्वि से नही, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक विकास से भी जुडी हो तथा,

(5) नई विकसित तकनीकियो एव विधियो के सस्थाकरण से है जो जनजातीय समुदाय के पारम्परिक स्वरूप को विनष्ट किए बिना ही नए सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न कर सके।

भारत के प्रथम प्रधान मत्री प0 जवाहरलाल नेहरू ने भी जनजातीय विकास एव नियोजन नीति के सम्बन्ध मे निम्नलिखित पॉच दिशा निर्देश दिये थे जो निम्न है –

(1) जनजातीय लोगो को अपनी बौद्विक क्षमता के अनुसार ही विकसित होने का अवसर देना चाहिए तथा उपर से उन पर कोई चीज थोपना नही चाहिए। हमे हर ढग से उनकी पारम्परिक कला एव सस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

(2) भूमि एव जगलो पर जनजातीय अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए।

(3) प्रशासन एव विकास कार्यो को सम्पन्न करने हेतु हमे उन्ही लोगो की एक टीम को दीक्षित एव तैयार करना चाहिए। प्रारम्भ मे कुछ तकनीकी कर्मचारियो की आवश्यकता होगी। लेकिन जनजातीय क्षेत्रो मे बहुत अधिक बाहरी लोगो को प्रवेश नही देना चाहिए।

(4) जनजातीय क्षेत्रो मे अधिक कार्यक्रमो का सचालन एव बलात् शासन नही करना चाहिए। बल्कि उनके सामाजिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के समान्जस्य मे ही कार्य करना चाहिए, न कि विरोध मे।

(5) हमे विकास परिणामो को व्यय किये गए धन की मात्रा से नही, बल्कि विकसित हुए मानव स्वरूप एव गुणवत्ता के आधार पर मूल्याकन करना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओ का तात्पर्य आदिम जनजातियो को यथा स्थिति मे बनाए रखना नही है, बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक एव सास्कृतिक विकास मे इस प्रकार सहयोग करना चाहिए जिससे कि वे अपने मूल क्षेत्र मे रहते हुए अपनी जीवन शैली को विकसित कर एक सभ्रान्त नागरिक बन सकें।

शीलू आओ समिति की आख्या[6] के अनुसार शदियो की समाजिक प्रताडना के कारण अधिकाश जनजातियॉ हीन भावना से ग्रसित हो गयी है तथा अपने मे भी विश्वास खो दिया है। अत उन्हे राष्ट्रीय मुख्य धारा मे जोडने एव विकसित करनें हेतु बहुत ही सावधानी, सतुलन एव समय की आवश्यकता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आदिम जनजातियो के विकास सम्बन्धी नीति का निर्धारण उनकी सामाजिक–सास्कृतिक पृष्ठभूमि के सदर्भ मे तथा उनकी मनस्थिति के अनुकूल एव मानवतावादी होनी चाहिए, जिससे कि वे अपने सास्कृतिक स्वरूप की रक्षा करते हुए धीरे–धीरे नई जीवन शैली मे ढल सके और राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड सके।

विकास योजना.

जीवधारियो की तरह मानव समुदाय भी अपने सपूर्ण पारिस्थितिक तत्र का अभिन्न अग होते है। किसी क्षेत्र के भौतिक एव सांस्कृतिक दोनो कारक मिलकर वहॉ का पारिस्थितिक, एव सास्कृतिक तत्र निर्मित करतें है। पारिस्थितिक तत्र एव सास्कृतिक तत्र

के अन्तर्सबन्ध सास्कृतिक तन्त्र के तकनीकी स्तर द्वारा निर्धारित होते है। पास्थितिक तत्र एव आदिम मानव समुदायो के अन्तर्सम्बन्ध सीधे एव प्रत्यक्ष होते है। जो स्तम्भ सातत्यता द्वारा एक दूसरे से जुडे होते है। जबकि विकसित एव नगरीय मानव समुदाय के सदर्भ में ये अन्तर्सम्बन्ध परोक्ष होते है तथा उछाल सातत्यता द्वारा ये दूसरे से सम्बन्धित होते है, जैसे कि निम्न रेखा चित्र मे प्रदर्शित है (Fig.7 1A)। इस प्रकार आदिम मानव समुदाय परिस्थितिक तत्र का केन्द्रीय भाग प्रदर्शित करते है, जबकि सभ्य एव नगरीय समुदाय उसका दूरवर्ती भाग है। अत पारिस्थितिक तत्र पर यदि कोई सीधा प्रभाव या परिवर्तन डाला जाता है, तो उससे सीधे आदिम जनजातियॉ प्रभावित होती है। लेकिन सभ्य एव नगरीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव न होकर परोक्ष प्रभाव होता है। इसलिए आदिम जनजातियों की विकास योजना बनाते समय इस तथ्य को ध्यान मे रखना चाहिए।

इसी प्रकार पारिस्थितिक एव सास्कृतिक तत्र मे किया गया सीधा एव प्रत्यक्ष परिवर्तन जनजातियो जैसे छोटे मानव समुदायो को शीघ्र एव सर्वाधिक प्रभावित करता है, जबकि सभ्य एव बडे मानव समुदायो को अति विलम्ब से एव परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप छोटे समुदाय को अपने आस्तित्व, पहचान एव सस्कृति को सरक्षित करने हेतु बहुत सघर्ष करना पडता है और सघर्ष मे ही ये कभी–कभी विनष्ट भी हो जाते है।[7] लेकिन बडे एव सभ्य मानव समुदाय अपने विज्ञान एव तकनीकी के माध्यम से सभी परिर्वतनो को आसानी से आत्मसात कर लेते है।

आदिम जनजातीय क्षेत्र सीमित एव बन्द आन्तरिक क्षेत्र होते है, जिनका बाहय सभ्य विश्व से कोई सीधा सम्पर्क नही होता। इन दोनो क्षेत्रो के मध्य बडी जनजातियो वाला मध्यस्थ क्षेत्र, जिसे "बफरजोन" कहते है होता है, जैसा कि चित्र सख्या 7 1B मे प्रदर्शित किया गया है। वाह्य सभ्य जगत से प्रारम्भिक सम्पर्क, परिवर्तन

Relationships in The Eco-System

Environment

Culture

Human Group

(Primitive Communities)

Environment

Culture

Human Group

(Urban Communities)

Fig. 7.1 (A)

1- Central Tribal Zone
2- Peripheral Civilized Zone
3- Buffer/Insulator Zone

Fig. 7.1 (B)

आदि सर्वप्रथम बफरजोन मे ही सम्पन्न होते है। बफर जोन मे रहने वाली बडी जनजातियॉ समीपवर्ती सभ्य जगत के लोगो के सम्पर्क मे आती है, जिससे परिवर्वन प्रक्रिया प्रारम्भ होकर बडी जनजातियो के माध्यम से केन्द्रीय भाग मे निवास करने वाली छोटी जनजातियो तक धीरे–धीरे पहुॅचती है। आन्तरिक क्षेत्र मे सीधा परिवर्तन बफरजोन के कारण नही पहुच पाता, क्योकि वह एक रोधक पेटी होती है। यदि केन्द्रीय भाग पर सीधा प्रभाव डालने का प्रयास भी होता है, तो वह अधिकाशत निष्फल हो जाता है। इसीलिए छोटी आदिम पृथक जनजातीय समूहो मे परिवर्तन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है। इस भौतिक मनोवैज्ञानिक आन्तरिक क्षेत्र मे कोई भी सीधा एव सुनियोजित परिवर्तनकारी आक्रमण, विरोधी एव हिसक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है, न कि सकारात्मक परिणाम।[8] अत जनजातीय विकास योजना मे इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

छोटे एव आदिम जनजातीय समुदायो मे परिवर्तन प्रक्रिया के प्रथम अवस्था मे आक्रमणकारी एव आक्रमित दोनो सकृतियो मे सघर्ष होता है जिसमे दो सभावनाऐ होती है–

(1) यह कि आक्रमित सस्कृति आक्रामक सस्कृति द्वारा पूर्ण विनष्ट कर दी जाती है, जैसा कि ग्रेट अण्डमानी जनजाति के सदर्भ मे हो रहा है, तथा, (2) आक्रमित सस्कृति का आक्रामक सस्कृति मे पूर्ण विलय हो जाये तथा आक्रमित सस्कृति अपनी पहचान पूर्ण रूप से खो बैठे और अन्ततोगत्वा विनष्ट हो जाये। इस प्रकार दोनो स्थितियो मे छोटी आदिम जनजातीय समूह की सास्कृतिक पहचान एव सत्ता के लुप्त होने का खतरा बराबर बना रहता है। इस विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट है कि छोटे आदिम जनजातीय समूहो से सम्बन्धित विकास योजना मौलिक रूप से बडे एव सभ्य मानव समुदायों के अर्थ प्रधान औपचारिक विकास योजना से भिन्न होनी चाहिए। लेकिन अभी तक का अनुभव यह रहा है कि अण्डमान एव निकोबार द्वीप की जनजातियो से सम्बन्धित विकास

योजनाओ को वर्तमान अर्थप्रधान औपचारिक विकास योजनाओ के समान ही सचालित एव क्रियान्वित किया गया है, जिसके परिणाम सबके सामने है।

जनजातीय विकास योजनाए अर्थ–आधारित औपचारिक तत्र है, जो निश्चित विधितत्र एव निवेश के माध्यम से निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने मे विश्वास करती है। ये औपचारिक विकास तत्र जनजातियो से मात्र औपचारिक स्तर पर ही सम्बन्ध स्थापित करती है। इसलिए सम्पूर्ण विकास योजना मात्र एक कृत्रिम एव औपचारिक क्रिया बन कर रह जाती है। इससे जनजातीय वर्गो से सहज, सौहार्दपूर्ण एव सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता। इन विकास योजनाओ मे सारा प्रयास येन–केन प्रकारेण निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति तक सीमित रहता है। जनजातीय समुदाय के मानसिक, सामाजिक एव सास्कृतिक विकास पर नही। यही कारण है कि नौ पचवर्षीय योजनाओ के प्रयास के बावजूद जनजातीय विकास के क्षेत्र मे हमे वाच्छित सफलता नही मिल पायी है। अत इस क्षेत्र मे वास्तविक सफलता प्राप्त करने तथा आदिम जनजातीय वर्गो एव उनकी सस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु हमे अपने विकास योजनाओ को मानवतावादी स्वरूप देना होगा तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सतुलित एव मानवतावादी कार्यक्रम बनाने पडेगे।[9]

अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों की विकास योजना नीति :

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो से सम्बन्धित मास्टर प्लान मे यहॉ की पॉचो आदिम जनजातियो से सम्बन्धित योजना नीति के मुख्य कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए है। निकोबारी जनजाति लगभग सभी क्षेत्रो जैसे –जनसख्या, सामाजिक संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सगठन, रोजगार, राजनैतिक जागृति आदि मे अन्य आदिम जनजातियो से काफी विकसित एव समृद्व है।

अत उसे सामान्य पचवर्षीय योजनाओ एव जनजातीय उप–योजनाओ दोनो के सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमो एव परियोजनाओ से लाभ मिलता है। सभ्य एव शिक्षित होने के कारण वे अब विकास की मुख्य धारा से जुड गए है, तथा वाहय जगत से भी अब उनका सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया है। अत मास्टर प्लान मे उनके लिए सामान्य योजना नीति तथा अन्य आदिम जनजातियो के लिए अलग–अलग विशेष योजना नीतियॉ तैयार की गयी है, जिनका सक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है।

शोम्पेन जनजाति, जो ग्रेट निकोबार द्वीप मे केन्द्रित है, की योजना नीति के चार मुख्य बिन्दु है–

(1) असतुलित पारिस्थितिक सास्कृतिक तत्र को पुनरस्थापित करना।

(2) उत्सस्करण के माध्यम से उन्हे वाह्य समाज की धारा के साथ सह अस्तित्व बनाने हेतु तैयार करना।

(3) बाहरी लोगो द्वारा किए जा रहे शोषण तथा महामारियो से छुटकारा दिलवाना एव,

(4) उत्सस्करण हेतु प्रशासन द्वारा उन्हे उचित सुविधा एव वातारण देना।

दक्षिण एव मध्य अण्डमान मे निवास करने वाली जारवा आदिम जनजाति के विकास योजना नीति के सात मुख्य बिन्दु है, जो निम्न है –

(1) जारवा क्षेत्र एव बाहरी लोगो के क्षेत्रो के मध्य बफरजोन बनाना।

(2) बफर जोन मे प्रशासनिक तत्र स्थापित कर जारवा एव वाहय लोगों के मध्य सघर्ष एव हिसा की घटनाओं को प्रभावी ढग से रोकना।

(3) अण्डमान आदिम जनजाति विकास समित के कर्मचारियो के माध्यम से जारवा जनजाति से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना।

(4) विरल वनारोपण एव सुअर परियोजना द्वारा जारवा क्षेत्र की पोषण क्षमता को बढाना।

(5) मास्टर प्लान की अवधि मे बिमारियो के प्रसार को रोकने हेतु जारवा एव वाहय लोगो के मध्य सम्पर्क को रोकना।

(6) जारवा के स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना एव,

(7) अण्डमान आदिम जनजाति विकास समिति के कर्मचारियो द्वारा जारवा की उत्सस्करण प्रक्रिया को सचालित करना तथा वाहय समाज के साथ शातिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना।

ओगी आदिम जनजाति के लोग लिटिल अण्डमान के डिगागक्रीक एव साउथबे क्षेत्र मे केन्द्रित है। इनकी विकास योजना से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु निम्न है –

(1) ओगी जनसख्या के घटाव को रोकने एव उसे स्थिर बनाने हेतु तीव्र स्वास्थ्य सवाओ एव जनन आभयात्रिकीय द्वारा उनकी मृत्यु दर को कम करना।

(2) उनके गन्दे अधिवासो को साफ–सुथरे अधिवासो मे परिवर्तित कर उन्हे स्थायी जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा कर्मचारियो के माध्यम से उन्हे सफाई एव वस्त्र पहनने हेतु उत्सस्कृति करना।

(3) खैरात सामाग्री बाटने एव पर्यटको का उनके अद्यिवासो पर जाने पर पूर्ण पाबन्दी लगाना तथा उनके क्षेत्र की पोषण क्षमता को बढाना।

(4) उन्हे शिकार, मत्स्यायन एव एकत्रण हेतु प्रेरित करना एव सुविधा प्रदान करना।

(5) वृक्षारोपण एव मत्स्यायन क्रिया–कलापो को विकसित कर उनकी जीवन निर्वाह अर्थ व्यवस्था को बचत अर्थव्यवस्था मे परिवर्तित करना एव,

(6) बाह्‌य समाज के साथ सहआस्तित्व बनाने हेतु ओगियो का उत्सस्करण करना।

कहा जाय कि नियोजित विकास प्रक्रिया मे उनका शोषण आधिक हुआ है और मिला बहुत कम। आज भी उनकी सस्कृति को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा उनके विकास मे लगे सरकारी कर्मचारी, सस्थाएँ, व्यापारी, समितियाॅ आदि उनके साथ सौतेला, शोषणकारी, उत्पीडक एव दमनात्मक व्यवहार करते है। एक तरफ कठोर एव दुरूह पर्यावरण दशाए, अगम्यता एव पृथकता, तथा दूसरी ओर विकास के नाम पर होने वाले उत्पीडन एव शोषण ने उनकी समस्याओ एव कष्टो को यथावत बनाए रखा है।[10] इसका एक कारण यह भी है कि अभी इन वर्गो मे स्वय के नेतृत्व का आभाव है। राजनेता एव अधिकारी जनजातियो के विकास की दुहाई देते घूमते है। लेकिन यदि पिछले चार–पाॅच दशको की लम्बी जनजातीय विकास प्रकिया का विश्लेषण किया जाय, तो निष्कर्ष रूप मे यही कहा जा सकता है कि अभी हमे लक्ष्य का शताश भी नही प्राप्त हो सका है तथा जनजातियो को विकास का लाभ नही मिल सका है।[11] पिछले पृष्ठो मे अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो से सम्बन्धित विकास नीतियो, विकास योजनाओ, कार्यक्रमो एव परियोजनाओ मे निर्धारित प्रमुख कार्यो के विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि यहाॅ कि जनजातियो को विकास का लाभ बहुत कम मिल पाया है। बल्कि यू कहा जाय कि विकास कार्यक्रमो के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रो मे प्रविष्ट हुए प्रशासनिक आधिकारियो एव कर्मचारियो, स्वैच्छिक सस्थाओ एव समितियो के कर्मचारियो, विशिष्ट कार्ययोजनाओ मे लगे हुए कर्मचारियो, पर्यटको आदि के द्वारा इनका उत्पीडन, एव शोषण अधिक हुआ है। परिणामस्वरूप इनकी जनसख्या लगातार कम होती जा रही है, तथा ये आन्तरिक जगली क्षेत्रो मे सिमटते जा रहे है। जिससे पाषाण युगीन इन आदिम प्रजातियो एव इनकी सस्कृति के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि यही विकासशैली भविष्य मे भी चलती रही तो यहाॅ की कुछ जनजातियाॅ जैसे– ओगी, ग्रेट–अण्डमानी एव जारवा की

बची थोडी जनसख्या भी नष्ट हो जायेगी। अत आज हमे वर्तमान विकास एव नियोजन प्रक्रिया के गहन पुनरावलोकन तथा उनके परिवर्तन एव सशोधन की महती आवश्यकताआ है।

वाच्छित विकास नियोजन प्रतिदर्श ·

अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियोके विकास हेतु विविध पचवर्षीय योजनाओ एव जनजातीय उप–योजना तथा विकास खण्ड योजनाओ के अन्तर्गत जो सीधी एव प्रत्यक्ष विकास नियोजन प्रतिदर्श अपनाया गया, वह उन पर एक घातक आक्रमण साबित हुआ। बाहरी लोगो से एकाएक सीधा सम्पर्क हो जाने से सामान्जस्य के बजाय सघर्ष, उत्पीडन, शोषण, एव हिसा आदि ने जनजातीय क्षेत्रो मे अपनी जडे जमा डाली। विविध योजनाओ एव कार्यक्रमो के अन्तर्गत विविध सस्थाओ एव कर्मचारियो के माध्यम से इनके विकास हेतु विविध भौतिक एव वित्तीय ससाधन उपलब्ध कराये जाते रहे, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक रहा। लेकिन किसी ने जनजातीय विकास नीति के पुनरावलोकन एव पुनर्मूल्याकन पर ध्यान नही दिया। यद्यपि देश के प्रथम प्रधानमत्री जवाहर लाल नेहरू ने बहुत पहले ही पिछले पृष्ठो मे उद्दत जनजातीय विकास नीति के सम्बन्ध मे पॉच मुख्य विन्दु निर्धारित कर दिये थे। प0 गोविन्द बल्लभ पत ने भी उनका समर्थन किया था। नौ पचवर्षीय योजनाओ के अथक प्रयासो के बावजूद जनजातीय विकास के सम्बन्ध मे आज जो परिणाम सामने आये हैं, वे चिन्ताजनक हैं। इसका मूल कारण हमारी त्रुटिपूर्ण जनजातीय विकास नीति रही है। यदि भारत सरकार एव स्थानीय प्रशासन सीधी एव आक्रामक विकास नीति को न अपना कर प0 नेहरू एव पत द्वारा सुझाये गए सिद्वान्तो के आधार पर विकास कार्यक्रम तैयार किये होते, तो सभवत आज ऐसे नकारात्मक परिणाम देखने को न मिलते। उपरोक्त दोनो राजनेताओ ने जनजातीय

विकास प्रक्रिया को पूर्ण लोकतान्त्रिक, सरल मानवतावादी बताते हुए शायद इसी तथ्य की ओर सकेत किया था, कि जनजातीय विकास नियोजन प्रक्रिया जनजातीय लोगो द्वारा जनजातीय लोगो के लिए जनजातीय लोगो की होनी चाहिए तथा इसे प्रत्यक्ष एव आक्रामक न होकर परोक्ष एव मानवतावादी होनी चाहिए। यदि इस दृष्टिकोण एव उपागम को ध्यान मे रखा गया होता तो अण्डमान–निकोबार द्वीप की जनजातियो का विकास परिदृश्य बिल्कुल भिन्न होता ।

उपरोक्त तथ्यो एव प0 नेहरू एव पत द्वारा प्रस्तुत सिद्वान्तो के आधार पर शेधकर्ता ने अण्डमान–निकोबार की जनजातियो के सतुलित विकास हेतु एक नया विकास नियोजन प्रतिदर्श विकसित किया है (Fig-7 2) जो परोक्ष एवं मानवतावादी विकासशैली पर आधरित है। विकास नियोजन प्रतिदर्श मे मुख्यत तीन विशिष्ट क्षेत्रो–ससाधन एव पर्यावरण, सामाजिक पुनरूद्वार एव आर्थिक पुनरूद्वार से सम्बन्धित विकास नीति, परियोजनाओ एव कार्यक्रमो के निर्धारण की व्यवस्था है। इन तीनो क्षेत्रो से सम्बन्धित नीतियो परियोजनाओ एव कार्यक्रमो का निर्धारण विशिष्ट सस्थाओ जैसे – योजना आयोग एव विशेषज्ञो जैसे–मानवशात्री, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता आदि के द्वारा होना चाहिए। साथ ही वरीयताओ का निर्धारण भी विशिष्ट सस्था एव विशेषज्ञो द्वारा ही होना चाहिये। लेकिन इनका क्रियान्वयन सीधा एव आक्रामक न होकर परोक्ष रूप से होना चाहिए, जैसा कि प्रतिदर्श मे प्रदर्शित है (Fig-72) अर्थात् परियोजनाओ एव कार्यक्रमो के क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम विशेषज्ञ एव दीक्षित सरकारी कर्मचारियो की एक टीम बनानी चाहिए, जो विविध जनजातीय क्षेत्रो मे रहकर उन जनजातियो के कुछ विकसित मस्तिक वाले चार–पॉच युवको की एक टीम तैयार करे, तथा उन्हे धीरे–धीरे बिना उनके मनोभावो को चोट पहुचाये, सौहार्द्र पूर्वक सम्बन्धित कार्यक्रमो के लाभ से परिचित करायें। अच्छे एव सकारात्मक परिणाम

Planning Model for The Socio-Economic Development of Primitive Tribes of Andaman and Nicobar Island

Fig. 7.2

हेतु उन्हे वास्तविक प्रयोगो, वस्तुओ एव चित्रो के माध्यम से दीक्षित करने का प्रयास करे। प्रदर्शन द्वारा कार्यक्रमो के लाभ को वे बेहतर ढग से समझ सकेगे।

अपने–अपने क्षेत्रों मे दीक्षित हुए युवको की इन टीमो को अपने–अपने जनजातीय समुदायो मे भेजकर उन्ही के द्वारा कार्यक्रमो एव परियोजनाओ के लाभ का प्रचार तथा प्रसार कराना चाहिये। इस प्रकार क्रियान्वयन स्तर पर सरकारी अधिकारियो एव कर्मचारियो का जनजातियो से सीधा सम्पर्क नही होना चाहिए। इससे न तो सघर्ष एव हिसा होगी और न ही कार्यक्रम असफल होगे। बल्कि प्रदर्शन द्वारा अपनी ही जाति के लोगो से कार्यक्रम के लाभ को समझ लेने पर ये जनजातियॉ उन्हे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेगी तथा उन्हे उसका पूरा लाभ मिलेगा जैसा कि चित्र मे प्रदर्शित है (Fig- 72)। परियोजनाओ एव कार्यक्रमो के क्रियान्वयन के प्रारम्भ हो जाने पर उनके समन्वयन, नियत्रण एव निरीक्षण हेतु भी एक सस्था होनी चाहिए, जिसमे एक दो सबन्धित सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी तथा सभी दीक्षित टीमो के दो–दो सदस्य होने चाहिए। इन्ही जनजातीय सदस्यो के माध्यम से ही परियोजनाओ एव कार्यक्रमो का समन्वयन, नियत्रण एव निरीक्षण होना चाहिए तथा इन्ही के माध्यम से ही विविध परियोजनाओ एव कार्यक्रमो के क्रियान्वयन मे आने वाली बाधाओ एव समस्याओ को सूचीवद्ध करना चाहिए। इन व्यवधानो एव समस्याओ को पृष्ठपोषण तत्र द्वारा पुन शीर्षविशेषज्ञ सस्थाओ को प्रेषित करना चाहिए, जिससे नीतियो, परियोजनाओ एव कार्यक्रमो मे अपेक्षित परिवर्तन एव सशोधन किया जा सके। इस प्रकार सम्पूर्ण विकास नियोजन प्रक्रिया जनजातीय लोगों की सहभागिता से सचालित एव क्रियान्वित होगी तथा सरकारी सस्थाओ एव अधिकारियो का कार्य नीतियो एव कार्यक्रमो मे मात्र अपेक्षित सशोधन एव परिवर्तन करना तथा जनजातीय टीमो को उनसे परिचित करना मात्र होगा। निश्चित

रूप से यह विकास प्रतिदर्श जनजातीय समुदायो एव क्षेत्रो के सपोषणीय सतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा तथा जनजातीय जीवन शैली मे वाछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन कर सकेगा। यह विकास प्रतिदर्श जनजातियो की विकास प्रक्रिया मे अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कर उसमे पूर्ण मानवतावादी एव समाजवादी आयाम जोडेगा । यदि इसे ईमानदारी एव सच्चाई के साथ अण्डमान एव निकोबार द्वीप समूह की जनजातियो के सामाजिक–आर्थिक पुनरूद्वार हेतु लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक एव अनुकूल होगे।

विकास नियोजन प्रतिदर्श मे दिये गए तीन विशष्ट क्षेत्रो – (1) ससाधन एवं पर्यावरण (2)सामाजिक पुनरूद्वार एव, (3) आर्थिक पूनरूद्वार से सम्बन्धित विविध समस्याओ के समाधान एव उन्मूलन हेतु सचालित किए जाने वाले कार्यक्रमो एव परियोजनाओ का सक्षिप्त उल्लेख निम्न है–

1–संसाधन एवं पर्यावरण समबन्धी नियोजन –

इसके अन्र्तगत विविध द्वीपो मे निवास करने वाली जनजातियो के विस्थापन एव पुनरवास ,अतिक्रिमण एव शोषण, तथा अधिवास्य सकुचन की समस्या को रोकने एव प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी कार्यक्रम एव नीतियॉ बनायी जायेगी। अतिक्रमण एव शोषण द्वारा जनजातीय क्षेत्रो मे हो रहे ससाधन ह्रास पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्यक्रम भी इसमे सम्मिलित होगे। ऐसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा जनजातीय क्षेत्रो मे अतिक्रिमण, जनजातियो का शोषण, अधिवास्य की कमी तथा बाहरी एव जनजातीय लोगो कें बीच सघर्ष जैसी समस्याओ का पूर्ण समाधान होगा।

2– सामाजिक पुनरूद्यार सम्बन्धी नियोजन

इसके अर्न्तगत पारिवारिक एव सामुदायिक विखण्डन, अवरोधक क्षमता एव क्रियाशीलता का ह्रास, प्रजातियो एव उनके सस्कृतियो के विनाश जैसी समस्याओ के समाधान हेतु प्रभावी नीतियॉ, परियोजनाए एव कार्यक्रम बनाये जायेगे। ससाधन एव पर्यावरण क्षेत्र की समस्याओ के समाधान के पश्चात इस क्षेत्र की समस्याओ का समाधान आसान हो जायेगा, क्योंकि अधिकाश समस्याए विस्थापन, अतिक्रमण, शोषण एव बाहरी लोगो के सघर्ष से सम्बन्धित है। यदि उनका प्रभावी समाधान हो जाता है, तो अन्य समस्याओ का समाधान सरल एव सुविधाजनक हो जायेगा। इस नियोजन के अर्न्तगत जनजातियो के पोषण एव स्वास्थ्य को सुधारने, उनके मृत्युदर को कम करने, उन्हे धीरे–धीरे साक्षर एव शिक्षित करने तथा उनकी सस्कृतियो को विकसित करने सम्बन्धी कार्यक्रम भी समाविष्ट होगे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा ।

3–आर्थिक पुनरूद्यार सम्बन्धी नियोजन

इसके अर्न्तगत जनजातीय क्षेत्रो एव समुदायो को सुदृढ आर्थिक आधार प्रदान करने हेतु आवश्यक नीतियॉ, परियोजनाए एव कार्यक्रम बनाये जायेगे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्यायन, मधुमक्खी–पालन, साग–सब्जी उत्पादन आदि से सम्बन्धित होगे। जनजातीय टीमो को सर्व प्रथम सरकारी कर्मचारियो द्वारा प्रदर्शन एव प्रयोग विधि से इन क्रियाकलापो की दीक्षा दी जायेगी। इसके पश्चात् वे अपने जनजातीय क्षेत्रो एव समुदायो मे इनका प्रचार एव प्रसार करेगे। चूँकि अण्डमान–निकोबार की जनजातियॉ आदि काल से जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है एव इन क्रियाकलापो से किसी न किसी रूप में परिचित है, अत इन

क्रिया–कलापो मे जनजातीय टीमो को प्रदर्शन विधि द्वारा दीक्षित करना सरल एव सुविधाजनक होगा ।

उपरोक्त तीनो प्रकार के नियोजन सम्बन्धी नीतियो, परियोजनाए एव कार्यक्रम तो उपयुक्त सरकारी सस्थाओ एव विशेषज्ञो द्वारा बनाए जायेगे। लेकिन उनका क्रियान्वयन एव सचालन पूर्ण रूप से जनजातियो द्वारा ही होगा। प्रारम्भ मे दीक्षित सरकारी कर्मचारी जनजातीय टीमो को दीक्षित करने मे सहयोग करेगे। इस प्रकार सम्पूर्ण नियोजन प्रक्रिया पूर्णरूपेण परोक्ष रूप से स्वचालित, लोकतात्रिक, जन सहभागिता पर आधारित, समन्वयवादी, मानवतावादी तथा लाभकारी एव सकारात्मक होगी।

संदर्भ सूची–7

1 Awaradı, S A 1990 Master Plan, Andaman & Nıcobar Admınıstratıon, PortBlaır, P 83

2 Mıshra, B N and Shukla, V 1999· Trıbal Development in Indıa. Retrospect and Prospect, ın The Trıbal Scene in Jharkhand A.Bhushan et al (eds) Novelly & Co. Patna, P.P. 34-35.

3 Belshaw, C S 1972 : Development The Contrıbutıon of Authropology, Internatıonal Social Scıence Jourual, Vol 24 New Jersey

4 Hasnaın, Nadeem, 1991 . Trıbal Indıa Today, Harnam Publıcatıons, New Delhı, P 198

5 Vıdyarthı, L P 1981 Trıbal Development and ıts Administration, Concept Publishers, New Delhı

6 Shılu Aao Commıttee Report 1969 Approach to Fıfth Plan- 1974 - 79, Plannıng Commıtıon, New Delhı.

7 Awaradı, S A 1990 op cıt P 86

8 Ibıd P.P 86-87

9 Pandeya, B.N. 1999 Profiles of Tribal Population And its Development Strategy, ın The Trıbal Scene in Jharkhand, A.Bhushan et al., (eds) Novelty & co Patna, P. 15.

10 Sathpathı, D.P 1999 Restıve Trıbes The Indıan scene, in The Trıbal Scene in Jharkhand, A Bhushan et.al. (eds.), Novelty & co Patna, P P 46-47

11. Tıwarı, R K 1999 Trıbes of India An overview, ın Tribal Scene ın Jharkhand, A Bhushan et al (eds), Novelty & co. Patna, P 2